ज्ञानशौर्यम्

ISSN : 2582-0095

Peer Reviewed and Refereed International Scientific Research Journal

Website : http://gisrrj.com

GYANSHAURYAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED RESEARCH JOURNAL

Volume 3, Issue 3, May-June-2020

Email : editor@gisrrj.com Website : http://gisrrj.com

ज्ञानशौर्यम्

Gyanshauryam
International Scientific Refereed Research Journal

Volume 3, Issue 3, May-June-2020

[Frequency: Bimonthly]

ISSN : 2582-0095

Peer Reviewed and Refereed International Journal
Bimonthly Publication

Published By
Technoscience Academy

Editorial Board

Advisory Board

- **Prof. Radhavallabh Tripathi**
  Ex-Vice Chancellor, Central Sanskrit University, New Delhi, India

- **Prof. B. K. Dalai**
  Director and Head. (Ex) Centre of Advanced Study in Sanskrit. S P Pune University, Pune, Maharashtra, India

- **Prof. Divakar Mohanty**
  Professor in Sanskrit, Centre of Advanced Study in Sanskrit (C. A. S. S.), Savitribai Phule Pune University, Ganeshkhind, Pune, Maharashtra, India

- **Prof. Ramakant Pandey**
  Director, Central Sanskrit University,Bhopal Campus.Madhya Pradesh, India

- **Prof. Kaushalendra Pandey**
  Head of Department, Department of Sahitya, Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

- **Prof. Dinesh P Rasal**
  Professor, Department of Sanskrit and Prakrit, Savitribai Phule Pune University, Pune, Maharashtra, India

- **Prof. Parag B Joshi**
  Professor & OsD to VC, Department of Sanskrit Language & Literature, HoD, Modern Language Department, Coordinator, IQAC, Director, School of Shastric Learning, Coordinator, research Course, KKSU, Ramtek, Nagpur, India

- **Prof. Sukanta Kumar Senapati**
  Director, C.S.U., Eklavya Campus, Agartala, Central Sanskrit University,Janakpuri, New Delhi, India

- **Prof. Sadashiv Kumar Dwivedi**
  Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Coordinator, Bharat adhyayan kendra, Banaras Hindu University, Varanasi Uttar Pradesh, India

- **Prof. Manoj Mishra**
  Professor, Head of the Department, Department of Vedas, Central Sanskrit University, Ganganath Jha Campus, Azad Park, Prayagraj, Uttar Pradesh, India

- **Prof. Ramnarayan Dwivedi**
  Head, Department of Vyakarana Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India

- **Prof. Ram Kishore Tripathi**
  Head, Department of Vedanta, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

---

Editor-In-Chief

- **Dr. Raj Kumar**
  SST, Palamu, Jharkhand, India

Senior Editor

- **Dr. Pankaj Kumar Vyas**
  Associate Professor, Department- Vyakarana, National Sanskrit University (A central University), Tirupati, India

---

Associate Editor

- **Prof. Dr. H. M. Srivastava**
  Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada
- **Prof. Daya Shankar Tiwary**
  Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India
- **Prof. Satyapal Singh**
  Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India
- **Dr. Ashok Kumar Mishra**
  Assistant Professor (Vyakaran), S. D. Aadarsh Sanskrit College Ambala Cantt Haryana, India
- **Dr. Raj Kumar Mishra**
  Assistant Professor, Department of Sahitya, Central Sanskrit University Vedavyas Campus Balahar Kangara Himachal Pradesh, India
- **Dr. Somanath Dash**
  Assistant Professor, Department of Research and Publications, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India

Editors

- **Dr. Suneel Kumar Sharma**
  Assistant Professor Department of Education, Shri Lalbahadur Shastri National Sanskrit University (Central University) New Delhi, India
- **Dr. Rajesh Sarkar**
  Assistant Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Rajesh Mondal**
  Research Scholar Department of Vyakarana, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India
- **Dr. Sheshang D. Degadwala**
  Associate Professor & Head of Department, Department of Computer Engineering, Sigma University, Vadodara, Gujarat

Assistant Editors

- **Dr. Shivanand Shukla**
  Assistant Professor in Sahitya, Government Sanskrit College, Patna, Bihar, India |Constituent Unit : Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, Bihar, India
- **Dr. Shalendra Kumar Sahu**
  Assistant Professor, Department of Sahitya Faculty of S.V.D.V, Banaras Hindu University (BHU) Varansi,Uttar Pradesh, India

International Editorial Board

- **Vincent Odongo Madadi**
  Department of Chemistry, College of Biological and Physical Sciences, University of Nairobi, P. O. Box, 30197-00100, Nairobi, Kenya
- **Dr. Agus Purwanto, ST, MT**
  Assistant Professor, Pelita Harapan University Indonesia, Pelita Harapan University, Indonesia

- **Dr. Morve Roshan K**
  Lecturer, Teacher, Tutor, Volunteer, Haiku Poetess, Editor, Writer, and Translator
  Honorary Research Associate, Bangor University, United Kingdom
- **Dr. Raja Mohammad Latif**
  Assistant Professor, Department of Mathematics & Natural Sciences, Prince Mohammad Bin Fahd University, P.O. Box 1664 Al Jhobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
- **Dr. Abul Salam**
  UAE University, Department of Geography and Urban Planning, UAE

Editorial Board

- **Dr. Kanchan Tiwari**
  Assistant Professor, Department of Sahitya, Uttarakhand Sanskrit University Haridwar, Uttrakhand, India
- **Dr. Jitendra Tiwari**
  Assistant Professor, Sahitya, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Eklavya Campus, Radhanagar, Agartala, Tripura, India
- **Dr. Shilpa Shailesh Gite**
  Assistant Professor, Symbiosis Institute of Technology, Pune, Maharashtra, India
- **Dr. Ranjana Rajnish**
  Assistant Professor, Amity Institute of Information Technology(AIIT), Amity University, Lucknow, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Vimalendu Kumar Tripathi**
  Lecturer +2 High School, Bengabad, Giridih, Jharkhand, India

CONTENT

Sr. No	ARTICLE/PAPER	PAGE NO
1	**श्रीमद्भगवद्गीतायां समाजशिक्षा** डॉ.भाग्यसिंहगुर्जरः	01-03
2	**भाषा शिक्षण में समाचार पत्रों की भूमिका का आलोचनात्मक अध्ययन** मो० फैसल	04-13
3	IOT Based Monitoring and Controlling System for Industries Prajakta Karemore, Prof. P. P. Jagtap	14-25
4	**उपनिषदों में जीवन दर्शन** डॉ. ऋतु शुक्ला	26-34
5	**संस्कृत नाट्य-स्वरूप-निरूपण** डॉ. (श्रीमती) मधु सत्यदेव	35-41
6	**श्रीमद्भगवद्गीता में पुनर्जन्म की अवधारणा** पूनम यादव	42-48
7	**बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का महिला सशक्तीकरण में योगदान** डॉ. हमेलता	49-52
8	**ग्रामीण सशक्तीकरण में विज्ञान एवं तकनीक की भूमिका** डॉ. राजन गुप्ता	53-57
9	**भारतीय दर्शन में परमार्थस्वरुपानुभूति** डॉ. वन्दना द्विवेदी	53-57
10	**साम्प्रतिकसमाजे प्रायश्चित्तस्योपयोगिता** डॉ प्रीति पारेश्वरी महान्ति	58-63
11	Analytical Study of AD Hope's Poetry : Australia Suman Kumari	64-68
12	**व्याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं** विपिन कुमार	69-76

13	**कुमारसम्भवमहाकाव्ये पार्वतीदेव्याः पात्रचित्रणम् - व्यक्तित्त्वविकासः** Dr. B. Kamakshamma	77-80
14	**सल्तनतकालीन मिथिला में शिक्षा का विकास** विजय कुमार मिश्रा	81-86
15	**माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास का अध्ययन** मनोज कुमार, डाॅ0 रेखा शुक्ला	87-92
16	**गरीबी एवं उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास: आलोचनात्मक विश्लेषण** डॉ. मनमोहन प्रसाद पाण्डेय	93-111
17	**इतिहास और पर्यटन** डॉ. अभिजात ओझा	112-126
18	**भवभूति के रूपकों में पूजाविधान** अनुपम सिंह	127-132
19	**आदर्श कृषि योजना में परम्परागत स्रोतों की प्रासंगिकता** डॉ. विमलेश मिश्र	133-138
20	**काव्यप्रस्थानवादियों के मत में अलंकार विमर्श: रुद्रट के विशेष सन्दर्भ में** गरिमा यादव	139-143
21	**कवि केदारनाथ सिंह की काव्यभाषा का विश्लेषण** अनुसुइया मिश्रा, डाॅ. अनुराग मिश्र	144-151
22	**The Latin Tradition in English Literature** Dr. Raghuvansh Mani Tripathi	152-155
23	**Tribes and Tribal Cultures Reconsidered** Dr. S. Mehdi Abbas Zaidi	156-163
24	**छायावादी काव्य दृष्टि और निराला का काव्य संसार** डॉ. बालेश्वर प्रसाद	164-168

25	**गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में संधृत फसलोत्पादन हेतु फसल साहचर्य : एक भौगोलिक, विश्लेषण** आर0 एस0 चन्देल	169-186
26	**संहितास्कन्धे सद्योवृष्टिविमर्शः** डॉ. रामदास शर्मा	187-191

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

श्रीमद्भगवद्गीतायां समाजशिक्षा

डॉ.भाग्यसिंहगुर्जरः
सहायक प्रोफेसर, शिक्षाविभागः
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
श्रीसदाशिवपरिसरः, पुरी, (ओडिशा)

शोधालेखसारः – शिक्षा बालकं समाजाय निर्माति सिद्धं च करोति। शिक्षोद्देश्यानि समाजानुगुणं भवन्ति। बालकः स्वविकासेन सह समाजस्य विकासमपि कर्त्तुं प्रभवति। शिक्षकः समाजस्य मूल्यैः, संस्कृत्या, आकांक्षाभिः, परम्पराभिश्च सुपरिचितः स्यात्। एतद् आधारेण समाजस्यावश्यकतानुगुणं बालकानां निर्माणं कर्त्तुं शक्यते। सामाजिकोन्नयनार्थं तस्य विकासः विधीयते।

मुख्यशब्दः – शिक्षा, बालक, शिक्षकः, भारतदेशः,श्रीमद्भगवद्गीता,सामाजिकशिक्षा,मूल्य।

भारतदेशः कर्मभूमिः वर्त्तते। अस्यां कर्मभूमौ सामाजिकशिक्षायाः स्थानं प्रमुखमस्ति। श्रीमद्भगवद्गीता समाजनिर्माणाय अन्यतमोऽपरिहार्यो ग्रन्थो भवति। श्रीमद्भगवद्गीतायां व्यक्तिसमाजयोर्मध्ये मौलिकभेदः न स्वीकृतः। व्यक्तिः समाजश्च एकैव भागस्य आयामद्वयमस्ति। अनयोः द्वयोर्मध्ये भेदः प्रत्ययात्मकः न तु वास्तविकः। व्यक्तिशिक्षा कृते सामाजिकशिक्षाऽपि आवश्यकी भवति। प्रत्येकं समाजे राज्यस्य सङ्कल्पना अभिहिता विद्यते। प्रत्येकं व्यक्तिः राज्यस्य नागरिकः वर्त्तते। अतः नागरिकतायै शिक्षा सर्वेषां कृते अत्यावश्यकी। समाजे स्त्रीपुरुषयोः सामाजिककार्यभारः समानं न भूत्वा परस्परं पूरकत्वं भवति। अतः कार्यभागानां भेदानुरूपं मानवसमाजेषु बालक-बालिकानां शिक्षाप्रकारेषु विभेदः क्रियते। विभिन्नराष्ट्राणां लक्ष्येषु, संस्कृतिषु, जीवनप्रणालिषु, मूल्येषु च न्यूनाधिकभेदेन राष्ट्रियशिक्षायाः विविधप्रकाराः समुत्पन्नाः। तथापि सर्वेषां राष्ट्राणां परस्परं साहाय्यस्य आवश्यकतया अन्ताराष्ट्रियतायाः शिक्षाऽपि शिक्षायाः एकः महत्त्वपूर्णः प्रकारः वर्तते। श्रीमद्भगवद्गीतायां सामाजिकशिक्षायाः परिप्रेक्ष्ये सामाजिकमूल्यादर्शः, सामाजिकोत्तरदायित्त्वं, सामाजिकोद्देश्यञ्च एतानि तत्त्वानि प्रमुखतया सन्ति। प्रपञ्चेऽस्मिन् मानवः अत्युत्तमो प्राणी भवति। मानवजीवनं पशुजीवनात् भिन्नधर्ममूल्यानामुपरि आधारितं भवति। मानवस्य श्रेष्ठत्वं धर्ममूल्यानां कारणैः वर्तते। उच्यते च-

आहारनिद्राभयमैथुनञ्च सामान्यमेतद् पशुभिर्नराणाम्।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिसमानाः॥ 1॥

मूल्यानां साक्षात्कारः एव मानवीयता विद्यते। मानवसमाजः जीवनञ्च नैरुतर्येण परिवर्त्तनशीलं भवति। प्रत्येकं व्यक्तेः विश्वस्मिन् विश्वे मनुष्यैः सह परोक्षसम्बन्धः अस्ति। एवमेव भूत-वर्तमान-भविष्येऽपि सम्बन्धं द्रष्टुं शक्यते। अतः विशिष्टसार्वभौमिकदेशकालपरिस्थित्याधारेण शिक्षाप्रकारेषु विभेदः कर्त्तुं शक्यते। आदर्शशिक्षाव्यवस्थायां मानवरचनायाः समेषाम् आयामानां, समाजस्य समेषां कार्याणां, सर्वेषां मानवीयमूल्यानाञ्च कृते शिक्षाव्यवस्थया भवितव्येति। भारतीयसंस्कृतिः समन्वयशीला वर्तते। समन्वयशीलता मानवतायाः मूल्यं पाठयति। श्रीमद्भगवद्गीतायां साधनापद्धतीनां समन्वयः दर्शितः। यथा-

यत्साख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते।
एकं सांख्यं च योगः च यः पश्यति स पश्यति॥ 2॥

मानवमनसः तिस्रः प्रवृत्तयः सन्ति- क्रिया, भावः, ज्ञानञ्च। एतेषां कर्माधिक्येन संसारे त्रिप्रकारकाः व्यक्तयः प्राप्यन्ते। यथा- सङ्कल्पप्रधानव्यक्तिः, भावप्रधानव्यक्तिः, ज्ञानप्रधानव्यक्तिश्च। सङ्कल्पप्रधानव्यक्तेः व्यक्तित्वे क्रियात्मकपक्षस्य प्राबल्यं भवति। एतादृशाः मनुष्याः बहिर्मुखिनः प्रवृत्तिप्रधानाश्च भवन्ति। भौतिकसुखसौकर्यस्य नूतनानि लक्ष्याणि निर्धारयन्ते प्राप्त्यर्थं च प्रयासान् कुर्वन्तीति। भावप्रधानव्यक्तेः व्यक्तित्वे भावना प्रधाना भवति। भावप्रधानव्यक्तयः भावुकाः अन्तर्मुखिनश्च भवन्ति। एतेषां जीवने निर्णयतर्कयोः स्थाने भावना प्रधाना भवति। साहित्यकाराः कवयश्च अस्मिन् वर्गे समायान्ति। ज्ञानप्रधानव्यक्तेः व्यक्तित्त्वे ज्ञानात्मकपक्षस्य प्राधान्यं प्राबल्यञ्च भवति। अस्य वर्गस्य जनाः चिन्तनमननकार्यपरिणामोपरि विचारं कृत्वा एव कार्याणि कुर्वन्तीति। निष्कामसन्देशः अस्माकम् आवेगानाम् आध्यात्मिकरणं करोति। विषयेऽस्मिन् विस्तरेण श्रीमद्भगवद्गीतायां स्पष्टीकृतम्-

सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः।
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति॥ 3॥

मानवः स्वार्थसिद्ध्यर्थं चेष्टां करोति। परन्तु चेष्टा स्वार्थसिद्ध्यर्थं नैव भवति। निजस्वार्थस्य कृते कृतकर्मभिः विकृतयः विपत्तयश्च उत्पद्यन्ते। एतेन कर्मतुच्छं बन्धनकारकञ्च भवति। बन्धनात् मुक्तिः, सानन्देन जीवनयापनमेव मानवस्य लक्ष्यमस्ति। एतत् लक्ष्यं प्राप्त्यर्थं मानवसेवा विधेया। सा सेवा एव हितं कल्याणञ्च साधयति। अस्मिन् एव सन्दर्भे श्रीमद्भगवद्गीतायां लोकसंग्रहस्य समुल्लेखः भगवता श्रीकृष्णेन विहितः-

कर्मणैवहि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि॥ 4॥

न्यायदृष्टिकोणे सामाजिकसन्तुलनं परमपुरुषार्थः वर्तते। महानिर्वाणतन्त्रे लोकश्रेयः नैतिकमानकमस्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायां सर्वभूतहितम् आदर्शत्वेन स्वीकृतः। सर्वभूतानां हितेः रतः जनः ईश्वरं प्राप्नोति-

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः।
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवः॥ 5॥

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥ 6॥

सर्वभूतहिताय विद्वज्जनः अनासक्तो भूत्वा कर्म कुर्यात्। समस्तभूतानि प्रति अहिंसा, अक्रोधः, करुणा, सत्यः, सद्भावना, परोपकारादिधर्माणां परिपालनं दैवीसम्पद् लक्षणं स्वीकृतम्। दैवीसम्पद् नाम ईश्वरीयगुणाः, येषाम् अभ्यासेन मनुष्यः परमलक्ष्यं मोक्षं प्राप्नोतीति –

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता।
भवन्ति संपद दैवीमभिजातस्य भारत॥ 7॥

समाजे प्रत्येकं व्यक्तेः स्थानं तस्य मानसिकरुचिनाम् अनुरूपं निर्धारितमस्ति। व्यक्तिः समाजे स्वस्थानानुरूपं कर्त्तव्यस्य परिपालनेन सह सामाजिकं हितं परिवारहितञ्च प्रत्यक्षाऽप्रत्यक्षत्वेन साधयति एव। सामाजिकं कल्याणं परमपुरुषार्थरूपे श्रीमद्भगवद्गीतायां विविचितम्। परमपुरुषार्थसन्दर्भे एव स्वधर्मस्य परिपालने बलमपि प्रदत्तम्। गुणकर्मयोः आधारेण भगवता श्रीकृष्णेन चातुर्वण्यं सृष्टम्। निर्धारितकर्मसम्पादनमेव स्वधर्मः भवति। एनमेव सहजकर्म, स्वकर्म, नियतकर्म, स्वभावकर्म, स्वभाव-नियतकर्म इत्यादि प्रतिपादितम्। अत्र धर्मशब्दः कर्मणः कर्त्तव्यस्य वा अर्थे प्रयुक्तः। अत एव स्वधर्मस्य श्रेष्ठता स्वीकृता। आकर्षकः सन् धर्मेण गुणरहितस्वधर्मः श्रेष्ठः। स्वभावेन नियतकर्म यः जनः करोति सः पापं नैव प्राप्नोति। तद्यथा-

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्॥ 8॥

अतः मानवः सर्वदा सहजकर्मणि प्रवर्तेत। दोषयुक्तसहजकर्म कदापि न त्याज्यः। यतोहि प्रत्येकं कर्म येन केनापि दोषेण आवृत्तः भवति। उक्तञ्च-

सहजं कर्मकौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्।
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः॥ 09॥

सामाजिकजीवनस्य समस्ताः उपायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाम् एव उपपादिताः सन्ति। सामाजिकज्ञानेन कर्त्तव्याधिकारयोः ज्ञानं बहुविधं सामाजिकविज्ञानात्मकं च ज्ञानं जायते। येन मानवः सुन्दरं जीवनं निर्वहणे समर्थो भवति। उक्तञ्च-

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु॥ 10॥

दैनन्दिनजीवनस्य विहाराहारआचारविचारादयः भगवता श्रीकृष्णेन स्पष्टतया प्रतिपादिताः। यथा -

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।
युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ 11॥

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते।
सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते॥ 12॥

क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति॥ 13॥

अतः इन्द्रियसंयमो सामाजिकजीवने साफल्यस्य साधनं भवति। तथा च संयमिने एव प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जायते।

शिक्षा बालकं समाजाय निर्माति सिद्धं च करोति। शिक्षोद्देश्यानि समाजानुगुणं भवन्ति। बालकः स्वविकासेन सह समाजस्य विकासमपि कर्त्तुं प्रभवति। शिक्षकः समाजस्य मूल्यैः, संस्कृत्या, आकांक्षाभिः, परम्पराभिश्च सुपरिचितः स्यात्। एतद् आधारेण समाजस्यावश्यकतानुगुणं बालकानां निर्माणं कर्त्तुं शक्यते। सामाजिकोन्नयनार्थं तस्य विकासः विधीयते।

❖ सन्दर्भग्रन्थसूची-

1. हितोपदेशः (मित्रलाभः)- 25
2. श्रीमद्भगवद्गीता-5/5, तत्रैव-5/6
3. श्रीमद्भगवद्गीता- 3/20
4. श्रीमद्भगवद्गीता- 11/55
5. श्रीमद्भगवद्गीता- 12/4
6. श्रीमद्भगवद्गीता- 16/3
7. श्रीमद्भगवद्गीता- 18/47, तत्रैव- 18/48
8. श्रीमद्भगवद्गीता-18/45
9. श्रीमद्भगवद्गीता- 06/17
10. श्रीमद्भगवद्गीता- 02/62, तत्रैव- 02/63

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

भाषा शिक्षण में समाचार पत्रों की भूमिका का आलोचनात्मक अध्ययन

मो० फैसल,
शोधार्थी, शिक्षा संकाय,
आई.ए.एस.ई., जामिया मिल्लिया इस्लामिया,
नई-दिल्ली, भारत।

सारांश – आधुनिक युग में जनसंचार के माध्यमों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। जनसंचार के विविध माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। जनसंचार के माध्यमों में समाचार पत्र को सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित माध्यम माना जाता है। प्रारम्भ में समाचार पत्रों का प्रकाशन केवल ख़बरों के लिए किया जाता था लेकिन अब इसका प्रयोग शिक्षा के एक व्यापक स्रोत के रूप में होने लगा है। अब समाचार पत्रों का कार्य केवल सूचना प्रदान करना नहीं रहा बल्कि अब यह मार्गदर्शक, आलोचक, अन्वेषक के रूप में भी सक्रिय हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों के द्वारा शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास तो होता ही है साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता, सामान्य ज्ञान में वृद्धि, राष्ट्रीय चेतना का विकास, खेलकूद और भाषा का विकास भी होता है। भाषा सीखने में तो समाचार पत्र बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। *चूंकि* समाचार पत्र सर्वमान्य व लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग करते हैं , अतः समाचार पत्रों की भाषा बच्चों को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। हमको ज्ञात है कि बच्चों की शिक्षा में प्राथमिक स्तर बहुत ही संवेदनशील व निर्णायक होता है, जिससे जीवन भर के विकास के आधार और सभी संभावनाओं के आधार खुलते हैं। इस स्तर पर बच्चों में महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास होता है। प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक देश की प्रथम प्राथमिकता होती है क्योंकि यह पहली सीढ़ी होती है जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई देश अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अतः बच्चों के विकास की प्रारंभिक अवस्था से ही भाषा-विकास को शिक्षा के प्रमुख उद्देशों में विशेष महत्व दिया जाता है। अत: प्रस्तुत लेख में प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के भाषा के विकास में समाचार पत्रों की भूमिका का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द– भाषा शिक्षण, समाचार, आधुनिक युग, जनसंचार, भाषा-विकास,

प्रस्तावना

मनुष्य को उत्कृष्ट सामाजिक जीवन यापन करने हेतु भाषा का विकसित एवं समृद्ध होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि भाषा संवाद का माध्यम होने के साथ-साथ व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम भी होती है। भाषा केवल साहित्य के ज्ञान के लिए नहीं, अपितु अन्य विषयों को जानने का अवसर भी प्रदान करती है। अनेक अनुसंधानों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि जिस बच्चे की भाषा जितनी अच्छी होती है अर्थात् जो अपने भावों, विचारों को जितनी अच्छी तरह अभिव्यक्त कर पाता है उसके भविष्य में सफलता प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक प्रबल हो जाती है। अतः बच्चों के विकास की प्रारंभिक अवस्था से ही भाषा-विकास को शिक्षा के प्रमुख उद्देशों में विशेष महत्व दिया जाता है। इन उद्देशों की प्राप्ति हेतु तथा बच्चों को भाषा सीखने-सिखाने की प्रकिया को सहज, स्वाभाविक और सार्थक बनाने के संदर्भ में घर, समाज, विद्यालय, शिक्षक की भूमिका अहम होती है। बच्चा अपने घर, समाज से भाषा का अर्जन करता है परंतु जब वह विद्यालय जाता है तब ही उसकी विधिवत् शिक्षा प्रारंभ होती है। हमको ज्ञात है कि *हमारे देश भारत* में कक्षा 1 से 8 तक की आरंभिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा को बुनियादी अधिकार में शामिल कर दिया है। इस चरण की शुरुआत में बच्चों को पढ़ने-लिखने और अंकगणित का औपचारिक परिचय कराया जाता है। आठ सालों की यह अवधि वह समय होता है जब बच्चों में महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास होता है और विवेक को आकार मिलता है, सामाजिक कौशलो और बुद्धि एवं काम के लिए जरूरी कौशलो तथा अभिवृत्तियों का विकास होता है।

यदि हम भाषा शिक्षण को ध्यान में रखकर चर्चा करे तो हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा बच्चों में कई संभावनाओं को विकसित किया जाता है जैसे भाषा कुशलता, बोधगम्यता, ग्रहशीलता, संवाद, सृजनशीलता आदि। ये ऐसी संभावनाएं हैं जो विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था से भी जुड़ी हैं। ये ऐसे पक्ष हैं जिनके बिना शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

यद्यपि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा -2005 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि पाठ्यपुस्तकों को ज्ञानार्जन के एकमात्र या अंतिम स्रोत के रूप में नहीं देखना चाहिए किन्तु वास्तविकता यह है कि हमारे देश भारत में आज भी पाठ्यपुस्तकों को ही अधिकांशतः ज्ञान प्राप्ति के एक प्रमुख स्रोत के रूप में ही देखा जाता है, इसका एक प्रमुख कारण है- पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता। पाठ्यपुस्तकें अन्य शिक्षण सामग्रियों की तुलना में बड़े - बड़े महानगरों से लेकर छोटे-छोटे कस्बों में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। पाठ्यपुस्तकें ज्ञानार्जन के दूसरे स्रोतों की तुलना में मितव्ययी भी होती हैं परंतु इन सभी गुणों के बावजूद इधर शिक्षा के

क्षेत्र में हुए नवीन अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि यदि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ अन्य दृश्य- श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जाए तो अधिगम अधिक संतोषजनक व स्थायी होता है। यदि समाचार पत्रों को ध्यान में रखकर भाषा-शिक्षण पर चर्चा करे तो हम कह सकते हैं कि भाषा सीखने में समाचार पत्रो की भूमिका अतुलनीय होती है।

देश के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों में आजकल महिलाओं व बच्चों के लिए विशिष्ट अंकों का प्रकाशन कम से कम सप्ताह में एक बार देखने को मिलता है जिनमें बच्चों के लिए विशिष्ट रूप से उपयोगी सामग्री का प्रकाशन होता है। यह बालपत्र बच्चों की रुचि, मनोरंजन, साहित्य व भाषा अभिरुचि विकसित करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयोगी सामग्री का प्रकाशन करते हैं तथा साथ ही भाषा कौशलों जैसे लिखने-पढ़ने का विकास करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु यहां अध्यापक की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यहां इस बात को भी दृष्टि में रखना चाहिए कि समाचार पत्रों का सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उनका प्रयोग अध्यापक द्वारा कक्षाकक्ष में उचित ढ़ंग से किया गया है या नहीं। यही कारण है कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति *माननीय* ए० पी० जे० अब्दुल कलाम ने शिक्षकों की महत्ता को दर्शाते हुए अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक "इंडिया २०२०: ए विज़न आफ न्यू मिलेनियम" में कहा है - " यदि आप किसी भी विषय के शिक्षक हैं तो आपकी भूमिका दूसरे व्यक्तियों की तुलना में अधिक अहम होती है क्योंकि आप ही हैं जो भावी पीढ़ी के निर्माता हैं। "
अत: यहां शोधकर्ता इस बात पर प्रकाश डालना चाहता है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के भाषा-शिक्षण पर समाचार पत्र किस प्रकार प्रभाव डालते हैं ?

शब्दावली का स्पष्टीकरण

समाचार पत्र - समाचार पत्र से तात्पर्य दैनिक रूप से प्रकाशित होने वाले हिंदी अखबारों से हैं।
बाल पत्रों - समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली बाल उपयोगी सामग्री जो बच्चों के मनोरंजन, भाषाई सुधार, ज्ञान, शिक्षा, खेल व नैतिक विकास के लिए उपयोगी होती है।

प्राथमिक स्तर - प्राथमिक स्तर की शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो बालकों को मुख्यत: आरम्भ से कक्षा पांच तक दी जाती है और जिसमें उन्हें लिखना-पढ़ना सिखाया जाता है।

भाषा- शिक्षण- विद्यालय पाठ्यक्रम में भाषा एक विषय के रूप में तथा अन्य विषयों के माध्यम के रूप में सीखी-सिखाई जाती है। जब भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है तो वही प्रक्रिया भाषा-शिक्षण के रूप में जानी जाती है।

भाषा- शिक्षण में समाचार पत्रों की भूमिका

सामान्य तौर पर शिक्षा का अर्थ ज्ञान प्रदान करना, जानकारी देना, कुशलता विकसित करना माना जाता है। भाषा शिक्षण भी उस विशिष्ट व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें भाषाई कौशलता का विकास संभव हो। भाषाई कुशलता का संबंध भाषा के चार कौशलो से है- सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा शिक्षण में इन कौशलो के क्रम का ध्यान रखा जाता है।

भाषा शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा- 2005 में वर्णित हैं- " निवेश - समृद्ध संप्रेषण का वातावरण भाषा शिक्षण की पूर्व शर्त है, चाहे वह पहली भाषा हो या दूसरी। निवेश के अन्तर्गत आते हैं- पाठ्यपुस्तकें, शिक्षार्थी द्वारा चयनित पाठ और कक्षा पुस्तकालय जिसमें अनेक विधाओं के लिए जगह हो; छपी सामग्री (उदाहरण के लिए युवा शिक्षार्थियों के बड़ी पुस्तकें): एक से अधिक भाषा में समांतर पुस्तके और सामग्री; मीडिया सामग्री (मैगज़ीन / समाचार पत्र के स्तभ, रेडियो / आडियो कैसेट); और प्रामाणिक सामग्री।" (पृष्ठ संख्या - ४५)

हालांकि भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता लेकिन यह भी सत्य है कि भाषा को सिखाने में यदि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाए तो भाषा को अच्छी तरह सिखाया जा सकता है।

ऐसे ही कुछ विचार भाषा शिक्षण के संदर्भ में विलियम एच रुपले के हैं, उनके अनुसार- " प्राथमिक स्तर पर पठन कौशलो के विकास में समाचार पत्र महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकते हैं। ये सस्ते व समसामयिक होते हैं एवं विभिन्न विषयों को समेटे हुए होते हैं। ये बहुत लोगों की रुचियों का ध्यान रखते हैं और छात्रों को पढ़ने के लिए उचित सामग्री प्रदान करते हैं। "

हम जानते है कि भाषा का स्वरूप गतिशील होता है। वह निरंतर बदलती रहती है। *चूंकि* पाठ्यपुस्तकें एक निश्चित समय पर लिखी जाती हैं अत: उनमें सम्मिलित भाषाई सामग्री काफी हद तक सैद्धांतिक व कृत्रिम हो जाती है। कई राज्यों में अभी भी पुरानी पद्धति पर लिखी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। ऐसे में समाचार पत्रों का प्रयोग भाषाई कौशल सिखाने में विशेष रूप से सहायक होता सिद्ध है क्योंकि समाचार पत्रों की भाषा सजीवता लिए हुए होती है और भाषा का प्रयोग काफी हद तक बोलचाल वाली भाषा का होता है। अतः बच्चे समाचार पत्रों से भाषा के नवीन व विविध प्रयोग सीख सकते हैं। भाषा विकास की दृष्टि से समाचार पत्र बहुत अधिक महत्व रखते है। ये न केवल भाषा को सिखाते हैं बल्कि भाषा को समृद्ध भी करते हैं। समाचार पत्र बच्चों में पठन कौशलो को विकसित करने, शुद्ध उच्चारण करने, सही वर्तनी अवबोध करने,

मुहावरों व लोकोक्तियों का सही प्रयोग सिखाने व शब्द भंडार में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बाल सुलभ कौशलो का विकास होने से लेखन कौशल पर भी असर पड़ता है।

समाचार पत्रों से बच्चों का शब्दकोश भी विस्तृत व संवर्धित हो जाता है। उनके व्यक्तिगत शब्दकोश में नए शब्दों का समावेश होता रहता है। हमको ज्ञात है कि भाषा का एक गुण यह भी होता है कि वह दूसरी भाषा व बोलियों के लोक प्रचलित शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। समाचार पत्रों में भी अनेक भाषा व बोलियों के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। समाचार पत्रों में न केवल क्षेत्रीय घटनाओं को वरन् राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी स्थान दिया जाता जिसके परिणाम स्वरूप भाषा का स्तर व्यापक बन जाता है और नवीन शब्दावली का प्रयोग देखने को मिलता है। यदि शिक्षार्थी लगातार समाचार पत्रों के संपर्क में रहते हैं तो धीरे-धीरे नवीन शब्दावली पर उनका अधिकार स्थापित हो जाता है अर्थात् उनके व्यक्तिगत शब्दकोश में बढ़ोत्तरी होती है और जैसा सर्वविदित है कि जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक शब्द होते हैं वह भाषा की दृष्टि से उतना ही समृद्ध कहलाता है। समाचार पत्रों में सरल, सहज व आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है अर्थात् समाचार पत्र सर्वमान्य व लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग करते हैं।

समाचार पत्रों में भाषा का जैसा कलात्मक प्रयोग देखने को मिलता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। समाचार पत्र भाषा के सुंदर नमूने पेश करते हैं। महात्मा गांधी भाषा के इसी रूप के पक्षधर के थे। प्रेमचंद भी ऐसी की सरल-सुबोध भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया करते थे। यही कारण है कि प्रेमचंद के पाठकों की संख्या जयशंकर प्रसाद के पाठकों की तुलना में कहीं अधिक *मानी जाती* है। अपनी भाषा की किलिष्टता के कारण ही जयशंकर प्रसाद पुस्तकीय कवि या विश्वविद्यालय के कवि बनकर रह गए।

नित नवीन शब्दों के साथ-साथ शब्दों के उचित प्रयोग को भी समाचार पत्र बढ़ावा देते है। समाचार पत्रों में विषय वस्तु के अनुरुप ही भाषा का प्रयोग होता है जिसे पढ़कर बच्चे संदर्भानुसार भाषा प्रयोग से अवगत होते हैं। भाषा के विविध प्रयोगों से परिचित होते हैं। बच्चे सैद्धांतिक रूप से ही नहीं वरन् व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सीख सकते हैं।

भाषा विकास के साथ-साथ समाचार पत्र बच्चों का परिचय विभिन्न साहित्यिक विधाओं जैसे कहानी, नाटक, कविता गीत आदि से कराते हैं जिससे बच्चों में सौन्दर्य का विकास होता है और साहित्य रचना की प्रेरणा मिलती है। समाचार पत्रों में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की मनोरंजक व ज्ञानवर्धक सामग्री जैसे पहेलियां, चुटकुले व भाषा *संबंधित* खेल प्रकाशित होते हैं जिससे बच्चों की पढ़ने की रुचि उत्पन्न होती है। इनके द्वारा बच्चों को शुद्ध उच्चारण, सही शब्द प्रयोग, वाक्य प्रयोग, विराम चिन्हों विधाओं का प्रयोग सिखाया जा सकता है।

समाचार पत्रों में *मुख्यत*: साहित्य की निम्नलिखित विधाओं का *प्रकाशन देखने को मिलता है :*

कहानी - बच्चों की प्रिय विधा होने के कारण बाल समाचार पत्रों में अनेक प्रकार की कहानियां प्रकाशित की जाती हैं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई होती हैं । राजा रानी, अकबर बीरबल, तेनालीराम, पंचतंत्र, पशु पक्षियों आदि की कहानियां व नैतिक कथाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। इन कहानियों से बच्चों में एक ओर पठन कौशल का विकास होता है वहीं दूसरी तरफ साहित्य में रुचि भी उत्पन्न होती है। कहानियां पढ़कर बच्चों में भावनात्मक व चारित्रिक विकास भी होता है।

कहानियां भाषा अधिगम की दृष्टि से भी बच्चों को बहुत लाभ पहुंचाती हैं। कहानियों को पढ़कर बच्चे भाषा के नियमों, संरचनाओं व विभिन्न संदर्भों के अनुसार भाषा के नियमों को सीखते हैं।

कविता - भाषाई लाभ की दृष्टि से प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कविता बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। छोटे बच्चों के लिए समाचार पत्रों में कविता का चयन करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कविता में गेयता हो क्योंकि बार बार सुनने, पढ़ने व दोहराने से गीत बच्चों को आसानी से याद हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप बच्चों में मनोरंजन के साथ साथ बुनियादी कौशलो (श्रवण व पठन कौशल) का भी विकास हो जाता है।

पहेलियां- बाल समाचार पत्रों में बच्चों के लिए समय समय पर पहेलियों का प्रकाशन किया जाता है जिनके द्वारा बच्चों में कौतूहल उत्पन्न करने के साथ साथ बुनियादी कौशलो (श्रवण, पठन कौशल) का विकास भी होता है। पहेलियों में ही समस्या का समाधान छिपा होता है। अतः उस समाधान को ढूंढने हेतु पहेली को ध्यानपूर्वक सुनना या पढ़ना आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ -

“ गोल गोल हैं जिसकी आंखे
भाता नहीं उजाला।
दिन में सोता रहता हरदम
रात विचरने वाला।। “

भाषा के विकास में समाचार पत्रों की महत्ता को हम संक्षेप में निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं -

- समाचार पत्रों के संपर्क में रहने से पाठक के व्यक्तिगत शब्दकोश में वृद्धि होती है जिससे उनमें भाषा का विकास होता है।
- समाचार पत्रों के द्वारा बच्चों को भाषा के संदर्भानुकूल उचित प्रयोग का ज्ञान होता है।

- समाचार पत्र भाषा के कलात्मक नमूने पेश करते हैं तथा बच्चों को स्वाध्याय करने के लिए भी प्रेरित करते हैं।
- पाठकों को लोकोक्तियों, मुहावरों, सूक्तियों आदि के अर्थों का ज्ञान और इनके प्रयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
- समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न लेखों से पाठकों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है।
- पाठक साहित्य की विभिन्न विधाओं से भी परिचित होते हैं।
- समाचार पत्रों के द्वारा बच्चों में पठन कौशल का विकास होता है जिसके परिणाम स्वरूप लेखन कौशल का भी विकास होने लगता है।
- समाचार पत्रों के द्वारा बच्चे *मौन* वाचन करना सीख सकते हैं।
- शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करने, सही वर्तनी अवबोध का ज्ञान प्राप्त करने में समाचार पत्र सहायक सिद्ध होते हैं।
- समाचार पत्रों द्वारा बच्चे पूर्णविराम, अर्द्धविराम, अल्पविराम आदि के चिन्हों व उनके उचित प्रयोगों से अवगत होते हैं।
- समाचार पत्रों की भाषा संदर्भानुकूल होती है। अतः समाचार पत्रों की भाषा द्वारा बालक वाक्यों का उचित प्रयोग करना सीख सकते हैं।

भाषा शिक्षण की दृष्टि से समाचार पत्रों में पाए जाने वाले दोष

बाल समाचार पत्रों की सफलता -असफलता काफी हद तक इनमें प्रयुक्त की गई भाषा के स्वरूप पर निर्भर करती है। भाषा विकास की दृष्टि समाचार पत्रों में कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं, जो इसप्रकार हैं -

- समाचार पत्रों में ऐसी भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए जो बच्चों के मनोविज्ञान व आयु के स्तरानुसार *अनुकूल* हो।
- भाषा का स्वरूप बहुत अधिक कठिन नहीं होना चाहिए। सरल, सहज व प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

  समाचार पत्रों में भाषा का संक्रमण भी देखने को मिलता है। अक्सर हिंदी के अखबारों में अंग्रेज़ी के शब्दों का बहुतायत प्रयोग किया जाने लगा है। इस अनावश्यक प्रयोग से हिंदी अंग्रेज़ी आश्रित हो रही है। हिंदी पर जबरन अंग्रेज़ी लादने से हिंदी का विकास अवरूद्ध हो जाता है।
- बच्चों के लिए लिखते समय बहुत अधिक व्यवहारिक, तकनीकी व परिभाषिक शब्दावली के प्रयोग से बचना चाहिए।
- बालपत्रों में मिश्रित व संयुक्त वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। वाक्य *छोटे-छोटे होने* चाहिए।

- अक्सर समाचार पत्रों में अनुस्वार और अनु नासिक के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी समाचार पत्र पढ़कर गलत शब्दों को सीख जाते हैं। वे अनुस्वार लगाना तो सीख जाते हैं लेकिन अनुनासिक का प्रयोग नहीं कर पाते जो दोष पूर्ण है।
- अक्सर प्रकाशित होने वाली सामग्री का ज़्यादा हो जाने के कारण संपादकों को सक्षिंप्त शब्दावली का प्रयोग करना पड़ जाता है जिससे भाषा के रूप में परिवर्तन हो जाता है।

समाचार पत्रों के उचित प्रयोग में अध्यापको की भूमिका

भाषा-शिक्षण में शिक्षक का दायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है जो विद्यार्थियों की योग्यता, रुचि तथा आवश्यकतानुसार पाठ्यसामग्री को व्यवस्थित करता है तथा उसके शिक्षण की योजना को तैयार करता है। विभिन्न तकनीकों व साधनों की सहायता से शिक्षक शिक्षण सामग्री को अपनी कुशलता से प्रस्तुत करने का प्रयास करता हैं जिससे विद्यार्थी भाषा अधिगम के लिए प्रेरित हो सकें।

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समाचार पत्र बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं बस आवयश्कता अध्यापक द्वारा समाचार पत्रों का उचित प्रयोग करने की है।

बाल समाचार पत्रों का प्रयोग भाषा शिक्षण में किस तरह किया जाए ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसके लिए शिक्षकों के पास कोई दिशा निर्देश नहीं होते। अक्सर अध्यापक अपनी रुचि या अनुभव के आधार पर ही इनका प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि समाचार पत्र अक्सर विद्यालयों की लाइब्रेरी में रखें रहते हैं जिनको विद्यार्थी खाली समय में पढ़ लिया करते हैं। अध्यापकों को चाहिए कि वे समाचार पत्रों को अपने शिक्षण प्रक्रिया में उचित स्थान दे जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके। समाचार पत्रों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग करते समय अध्यापकों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए –

- एक बार देखा गया कि एक हिंदी का अध्यापक समाचार पत्र के अपठित सामग्री का पठन शिक्षार्थियों द्वारा कराता है। उसने विद्यार्थियों से समाचार पत्र को पढ़ने के लिए कहा। यह चौथी कक्षा थी । ऐसा अनुभव किया गया कि विद्यार्थियों को समाचार पत्र पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि समाचार पत्र में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था वह शब्द विद्यार्थियों की आयु स्तर के हिसाब से काफी जटिल थे। अतः अध्यापकों को समाचार पत्रों में से बच्चों के लिए सामग्री का चयन करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि चयनित सामग्री की भाषा बच्चों की आयु स्तर के अनुकूल हो।

- कुछ हिंदी अखबारों में भाषा का स्वरूप मानक नहीं होता। संस्कृतनिष्ठ अत्यधिक जटिल भाषा भी भाषा अधिगम में अवरोध उत्पन्न करती है। अतः शिक्षक को ऐसे समाचार पत्रों के चयन से भी बचना चाहिए।
- कुछ हिंदी समाचार पत्रों में भाषा का संक्रमण देखने को मिलता है। वह कहने को तो हिंदी के पत्र होते हैं लेकिन उनकी भाषा में अंग्रेज़ी के शब्दों का समावेश अनावश्यक रूप से बहुतायत देखने को मिलता है जिससे हिंदी का विकास अवरूद्ध हो जाता है। अतः ऐसे समाचार पत्रों के प्रयोग से भी बचना चाहिए।
- बाल पत्रों में संकलित बाल गीतों को कक्षा में सुर के साथ गाया जा सकता है या बार बार पढ़वाया जा सकता है जिससे बच्चों के श्रवण कौशल और पठन कौशल का विकास होगा।
- बच्चों के लिए प्रकाशित कहानियों को कक्षा में सुनाया या पढ़वाया जा सकता है और अंत में कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिससे बच्चो में बाल कौशलो का विकास होता है।
- बाल समाचार पत्रों की भाषा के माध्यम से बच्चो को भाषा के आदर्श स्वरूप (मानक) से भी परिचित कराया जा सकता है। भाषा की सरंचना, वाक्य विन्यास, विराम चिन्हों, लोकोक्तियों, मुहावरों आदि के अर्थों व उनके संदर्भानुसार प्रयोग से भी बच्चे धीरे-धीरे परिचित होते हैं जो निश्चय ही भविष्य में उनके लेखन कौशल के विकास हेतु लाभकारी सिद्ध होते हैं।
- हमको ज्ञात है कि समाचार पत्रों में भी अनेक भाषा व बोलियों के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। अतः एक कुशल अध्यापक शिक्षण के दौरान बच्चों को उन नवीन शब्दों के अर्थों से अवगत कराता है जो समाचार पत्र की सामग्री में प्रयुक्त हुए हैं परिणाम स्वरूप बच्चों के व्यक्तिगत शब्दकोश में नए शब्दों का समावेश होता है।

उपसंहार

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा का ज्ञान देने में बाल समाचार पत्र विशेष भूमिका निभा सकते हैं बस अध्यापक द्वारा उनका कक्षा में उचित प्रयोग किया जाए। भाषा-शिक्षक के लिए तो समाचार पत्र एक वरदान के समान है जिसके द्वारा वह बच्चों को आसानी से भाषा की संरचना, विविध प्रयोगों तथा बाल कौशलो (पठन कौशल, श्रवण कौशल) का ज्ञान करा सकता है। समाचार पत्रों के उचित प्रयोग द्वारा बालक अपने व्यक्तिगत शब्दकोश में वृद्धि करके अपनी भाषा को समृद्ध बनाते हैं। अतः कहना अनुचित न होगा कि समाचार पत्र भाषा शिक्षण में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 2006, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एन.सी.ई.आर.टी.नई दिल्ली,
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 2006, भारतीय भाषाओं का शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र,एन.सी. ई.आर.टी.,नई दिल्ली,
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 2006, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, भारतीय आधुनिक शिक्षा.नई दिल्ली,
- कुमार, कृष्ण 2000, बच्चे की भाषा और अध्यापक - एक निर्देशिका, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली,
- पाण्डे, लता. 2012. पठन कौशल का विकास- कुछ बुनियादी सरोकार, भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी. , नई दिल्ली
- फिरोजा, मु. 2003. वाक-वाचन और लेखन कौशल का विकास, प्राथमिक शिक्षक, एन.सी.ई.आर.टी.,नई दिल्ली।

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

IOT Based Monitoring and Controlling System for Industries

Prajakta Karemore, Prof. P. P. Jagtap
Electrical Department, G H Raisoni College of Engineering, Nagpur, Maharashtra, India

ABSTRACT

In this paper, the proposed system is the essential need of the industry for monitoring, control, security and safety of different activities. The monitoring system includes sensor i.e. fire sensor, smoke sensor, ultrasonic sensor, humidity & temperature sensor, current & voltage with wifi module for controlling. With the receiver of abnormal activities, suitable actions or alert will be triggered. This system can also be controlled by remote server with application in computer/ Laptop. This project also includes Facial Recognition using open CV to recognize the face of the authorized person of industry for log in and log out and the details will be stored in the database sheet or updated to cloud. If any invalid entry, an alert sms/email will be sent to the respective authorized official person/ team.
Keywords : Facial recognition, Open CV Wifi module, monitoring, database.

I. INTRODUCTION

At present the innovations in technologies are mainly focusing on monitoring & controlling of different activities, by which processes can be implemented without human assistance. In this new era of Smart Industries of Monitoring & controlling of various Industrial applications Internet of Things (IoT) is the most ideal method for interfacing mechanical hardware and sensors, to one another, over the web.

The most commonly used automated systems now a day's are wired system using SCADA and PLC's. For communication, they uses machine to machine protocols. Which at last result in increasing the cost of system, hence such technology is not affordable for small scale and medium scale industries. The propose of this paper, aims to make the simplify this system technology which will help in makeing production and working in industries more comfortable.

This paper gives the solution for low cost system for industries. It comprises of wireless framework using Internet of things like monitoring, control and security. It is trending technology. In which the network will be formed by physical devices embedded with sensors, software, connectivity and actuators which enable devices to communicate and exchange data within the database.

In this project, the system will uses different sensors like smoke, fire, humidity & temperature, current & voltage sensors for monitoring and controlling, security system uses facial recognition to identify employee and register their presence in database. Sensor will get activated with any abnormal activities and by using an alert system, it will also inform automatically to the concerning person regarding restricted areas. Mean while the remote server will also be capable of taking actions on the basis of events that are occurring. It can also be manually controlled.

II. LITERATURE REVIEW

Anand Raut; Janhavi Vaity; Pankaj Yadav & Ramprit Yadav has designed an IOT based system for patient monitoring. In this they used temperature, ECG & heartbeat rate senors to keep track of patient's health where sensors were connected to a microcontroller and wifi module to detects if any abnormal changes in patient it will automatically send alerts the user about the patients status over IOT showing details of patient live. [1]

Dr. S.W Mohod, Rohit S Deshmukh has used in the industrial factory for monitoring and control the activities of industrial processes, motors, machines and devices employed in industry premises to achieve the goal. [2]

Prof. Dr. K. Srinivasa Rao, Bulipe Srinivas Rao, Mr. N. Ome, they proposed a system for advanced solution on monitoring the weather conditions at specific locations and make the information visible online through IOT. [3]

Wai Lee, used the concept of TOF in which the author has given a new class of 3D ToF (Time-of-Flight) image sensors that will improve the vision of the "things" of IoT. [4]

Takayuki Suyama,Yasue Kishino, Futoshi Naya , has designed an environmental monitoring system deployed in greenhouses, a virtual machine called CILIX, which can work on 8/16 bit CPU, 4KB RAM, and 32KB program memory with reasonable compatibility to existing CIL-VM. [5]

Anam Mir, Ajitkumar Khachane, This project is the integrates a Wireless Sensor Network (WSN)-based harmful gases sensing system using different gas sensors and whose sensed data is passed through IOT gateway to server [6]

R.Vidya Raghavendran, J Antony Daniel Rex, R.Jayasri, has given a survey of different papers on industrial automation based on iot with arduino microcontroller. [7]

Jothi S, Chandrasekar A, Jenif D Souza W S, have designed Image Capturing system used for automated attendance marking and management system, Segmentation of group photo and Face Detection, Face comparison and Recognition, Updating of Attendance in database. [8]

Thida Nyein, Aung Nway Oo, the proposed system achieves the great accuracy for multiple face recognition when FaceNet is used as a feature extractor and SVM is used as a classifier. [9]

KEEM SIAH YAP, SHEN YUONG WONG, QINGWEI ZHAI, AND XIAOCHAO LI, in this paper, the authors has distinguished and unified two stages of face verification with end-to-end face verification framework, that well integrates into a unified locally connected ELM architecture, denoted as Hybrid Local Receptive Field based Extreme Learning Machine with Deep ID. [10]

III. PROPOSED SYSTEM

In this paper, the system is based on technology of IOT Monitoring, Controlling and security in the industrial environment. Figure 1 shows the block diagram of security system, developed with the help of Arduino UNO with LCD, Servo motor etc. for the restricted area in industry

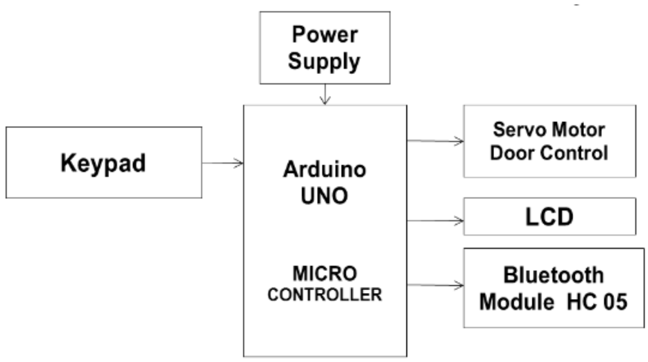

Figure1: Block diagram of security section

like boiler, furnace area to neglect accidents and safety of employers & working staff. Similarly Figure 2 represents the block diagram of facial recognition with log system, an system to recognize face developed using Python/ open CV for the project I am using laptop webcam for face scanning/ recognizing if the face is successfully recognized then it

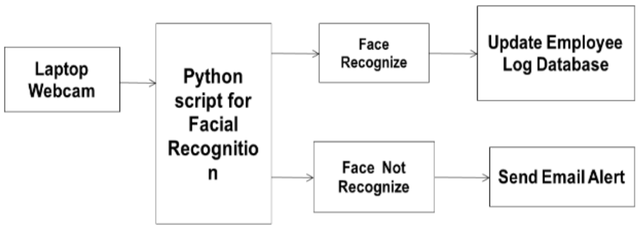

Figure 2 : Block diagram of facial recognition

will update the entry of the employ in the database, if not then an alert mail will be send to authorized person/ team.

Figure3 shows the proposed overall system block diagram of the project including Server, sensors, Wi-Fi modular etc. In this different type of sensors like Smoke, Voltage, Current, Fire etc Sensors are used for industry environment & machinery monitoring & controlling.

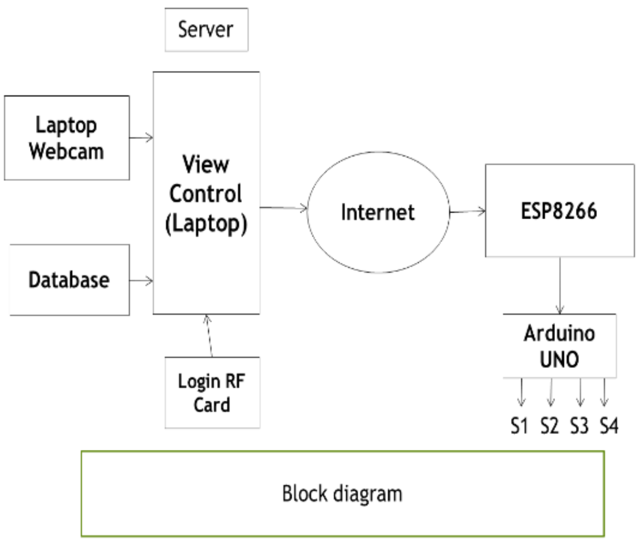

Figure 3 : Block Diagram

IV. CONCLUSION

In this paper we have discussed about comparative and research analysis of various system developed using IOT technology for monitoring and controlling for industry. We have tried to develop a low cost system for smart industries for remote monitoring, controlling and security as per the demand of industry using arduino, open CV system.

V. REFERENCES

[1] Anand Raut; Janhavi Vaity; Pankaj Yadav; Ramprit Yadav; Prof. Junaid Mandviwala "IOT based Patient Monitoring System", IEEE.

[2] Dr. S.W Mohod, Rohit S Deshmukh ,"Internet of Things for Industrial Monitoring and Control Applications", International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 7, Issue 2, February-2016 ISSN 2229-5518.

[3] Bulipe Srinivas Rao, Prof. Dr. K. Srinivasa Rao, Mr. N. Ome , "Internet of Things (IOT) Based Weather Monitoring system" International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering ISO 3297:2007 Certified Vol. 5, Issue 9, September 2016.

[4] Wai Lee, "3D Machine Vision in IoT for Factory and Building Automation (Invited)" 2017 IEEE

[5] Takayuki Suyama, Yasue Kishino, Futoshi Naya , "Abstracting IoT Devices using Virtual Machine for Wireless Sensor Nodes" 2014 IEEE World Forum on Internet of Things (WF-IoT).

[6] Anam Mir, Ajitkumar Khachane, "Sensing Harmful Gases in Industries using IOT and WS" 2018 IEEE.

[7] R.Vidya Raghavendran, J Antony Daniel Rex, R.Jayasri, "A SURVEY ON INDUSTRIAL AUTOMATION BASED ON IOT WITH ARDUINO MICROCONTROLLER" (IJCRCST)

ISSN: 2395-5325 Volume 4, Special Issue 1 (September '2018)

[8] Jenif D Souza W S, Jothi S, Chandrasekar A, "Automated Attendance Marking and Management System by Facial Recognition Using Histogram" 2019 5th International Conference on Advanced Computing & Communication Systems (ICACCS)

[9] Thida Nyein, Aung Nway Oo, "University Classroom Attendance System Using FaceNet and Support Vector Machine"

[10] SHEN YUONG WONG, KEEM SIAH YAP, QINGWEI ZHAI, AND XIAOCHAO LI, "Realization of a Hybrid Locally Connected Extreme Learning Machine With DeepID for Face Verification" Received May 7, 2019, accepted May 24, 2019, date of publication May 29, 2019, date of current version June 11, 2019. IEEE ACCESS.2019

[11] Singh, A & Rath, D & Bansal, K & Vidhyapathi, C.M.. (2017). Home automation using IoT linked with facebook facial recognition. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 12. 5154-5159.

[12] Neeraj, Mr & Balguvhar, Sumit. (2012). Design of microcontroller based wireless SCADA system for real time data. 10.13140/2.1.195

Cite this article as :

Prajakta Karemore, Prof. P. P. Jagtap, "IOT Based Monitoring and Controlling System for Industries ", Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal (GISRRJ), ISSN : 2582-0095, Volume 3 Issue 3, pp. 14-25, May-June 2020. URL : http://gisrrj.com/GISRRJ20334

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

उपनिषदों में जीवन दर्शन

डॉ. ऋतु शुक्ला
असि0प्रो0(संस्कृत)
राजकीय महाविद्यालय तिलहर, शाहजहाँपुर,
उत्तर प्रदेश, भारत।

शोध आलेख सार–ज्ञानराशि स्वरूप समस्त वेदों की सारभूत उपनिषद् संस्कृत वाङ्मय की अनुपम धरोहर है। स्वयं के अन्दर आत्मज्ञान, मानवीय मूल्य, ऐहिक, आमुष्मिक, लोककल्याणकारी तत्त्वों का समावेश किए हुए ये उपनिषदें ज्ञानपुंज हैं जिनके परिशीलन एवं आत्मसातीकरण से मनुष्य संसार में रहकर निरासक्त भाव से कर्म करते हुए समस्त राग द्वेष तथा उससे उत्पन्न दुःख से दूर रहकर आत्मज्ञान प्राप्ति की पात्रता प्राप्त कर लेता है। उपनिषद् के अनुशीलन से संसार की कारणभूत अविद्या अथवा अज्ञान का नाश हो जाता है। इसी अविद्या के कारण ही वह ईश्वर सत्ता को समझने तथा अनुभूत करने में असमर्थ रहता है। प्रस्तुत शोध पत्र में विभिन्न उपनिषदों में वर्णित असंख्य दार्शनिक तत्त्वों का उद्घाटन करने का प्रयास किया गया है जिसको अपने जीवन में आत्मसात करने वाला मनुष्य स्वयं के लिए निःश्रेयस का मार्ग तो प्रशस्त करता ही है साथ ही मानव समाज के अभ्युदय में भी योगदान देता है।

मुख्य शब्द–ब्रह्मविद्या, पुरुषार्थचतुष्ट्य, विदेहमुक्ति, मुमुक्षु, पंचतन्मात्राएँ, आत्मतत्त्व, निःश्रेयस, औपनिषदिक, परिष्करण।

'उप' और 'नि' उपसर्ग पूर्वक 'सद्' धातु से क्विप् प्रत्यय करने पर निष्पन्न उपनिषद् वेदों के अन्तिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदान्त भी कहा जाता है। वेदों में निहित सारभूत आध्यात्मिक ज्ञान उपनिषदों में निबद्ध है। उपनिषदों की गणना प्रस्थानत्रयी में की गई है। उपनिषद् का तात्त्विक अर्थ ब्रह्मविद्या भी है। तैत्तिरीयोपनिषद् के भाष्य में श्री शंकराचार्य ने लिखा है कि जिस विद्या के

अनुशीलन से संसार की बीजभूत अविद्या नष्ट होती है, जो ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली है तथा जिससे दुःखों का सर्वथा शिथिलीकरण हो जाता है वह अध्यात्मविद्या उपनिषद् है। उपनिषदों में मानवमात्र के लिए ऐहिक सुख के मूलमंत्र ही निहित नहीं है अपितु ब्रह्मविद्या प्रतिपादक होने के कारण ये मनुष्य को चरम लक्ष्य की प्राप्ति भी करा सकती है। पुरुषार्थचतुष्ट्य–धर्म,अर्थ,काम तथा मोक्ष में परम निःश्रेयस मोक्ष ही मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य है। इस अमृततत्त्व प्राप्ति के मार्ग का प्रतिपादन उपनिषद् दर्शन में हुआ है।

'दृश्यते इति दर्शनम्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो देखा या जाना जाय वह दर्शन है। अतः दर्शन शब्द परमतत्त्व या परमसत्ता के ज्ञान का सूचक है। एक अन्य व्युत्पत्ति के अनुसार 'दृश्यते अनेन इति दर्शनम्' अर्थात् जिसके द्वारा देखा या जाना जाय वह दर्शन है। इस प्रकार दर्शन शब्द से उन साधनों या प्रमाणों का बोध होता है जिनसे परमतत्त्व का ज्ञान होता है। भारतीय विचारधारा में दर्शन का जीवन के साथ अनिवार्य सम्बन्ध है। दर्शन मात्र तत्त्वज्ञान प्राप्ति ही नहीं है दूसरों के कल्याण का साधन है। इस विराट ब्रह्माण्ड के असंख्य एवं अद्भुत पदार्थों के समक्ष जीवन की स्थिति एवं उसकी सत्ता क्या है? यह जगत क्या है? इस जगत का कर्त्ता कौन है? सुख–दुःख, हँसना–रोना आदि विभिन्न क्यों का अभिप्राय क्या है? इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान हमें उपनिषद् दर्शन में प्राप्त होता है। छान्दोग्योपनिषद् के सप्तम अध्याय में नारद सनत्कुमार जी से निवेदन करते है– हे भगवन्! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इतिहास पुराण रूपी पंचम वेद, नीति, तर्कशास्त्र, नृत्य संगीत आदि अनेक विद्याओं का अध्ययन किया है परन्तु मैं केवल मन्त्रवेत्ता ही हूँ। आत्मवेत्ता नहीं हूँ। मैंने आप जैसे महात्माओं से सुना है कि जो आत्मा का साक्षात्कार करता है, वहीं शोक के पार जाता है। हे भगवन् मैं शोक मग्न हूँ। मुझे शोक से पार कर दीजिए '**तरति शोकमात्मवित्**'[1]।

अतः विभिन्न श्रुतियों तथा उपनिषदों द्वारा वर्णित आत्मा के स्वरूप को प्रस्तुत शोधपत्र में उदभासित करने का प्रयास किया गया है जो तत्त्वज्ञानियों तथा मुमुक्षु साधुजनों द्वारा आकांक्षित है। संसार के त्रिविध दुःखों – आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक की आत्यन्तिक निवृत्ति ही सुख का आधार है। इन त्रिविध दुःखों के आत्यन्तिक नाश एवं अखण्ड आनन्द की प्राप्ति ही उपनिषदों का लक्ष्य है।संसार के सभी प्राणियों को सुख अभीष्ट है परन्तु यह सुख कहाँ है तथा इसे कैसे प्राप्त किया जाए? यह प्रत्यक्ष दृष्ट है कि मनुष्य को कितना बड़ा कष्ट हो,

चिन्ता हो, मानसिक व्यथा अथवा थकान हो परन्तु निद्रा के पश्चात् उसके दुःख या कष्ट क्षणिक रूप से दूर हो जाते हैं। इन्द्रियाँ एक नवीन ऊर्जा से युक्त हो जाती है। परन्तु प्रश्न उठता है कि इन्द्रियों को यह शक्ति कहाँ से मिलती है? उत्तर में कहा जा सकता है कि वे एक आनन्द सागर में जहाँ शक्ति का भंडार है, जहाँ सब प्रकार की शान्ति है वहाँ पहुँचकर अपने सामर्थ्यानुसार अपने अनुरूप शक्ति का संचय कर लेते हैं। प्रश्नोपनिषद् में कहा गया है–

स यथा सोम्य वयांसि वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते।
एवं ह वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते।।[2]

हे सौम्य! जिस प्रकार पक्षी संध्या के समय अपने बसेरे में जाकर विश्राम करते है, ठीक उसी प्रकार सब इन्द्रियाँ पंचभूत,पंचतन्मात्राएँ मन सहित उस परब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। वैदिक स्थापना है कि जीव मूलतः दिव्य का अंश या रूप है और अपने दिव्यत्व को पूर्णता में विकसित कर वह दिव्य में परिणत हो सकता है–

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णदुच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।।[3]

पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है अर्थात् कारण स्वरूप ब्रह्म की पूर्णता से कार्यात्मक पूर्ण ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म सम्पूर्ण जगत का अधिष्ठानभूत कारण है। पृथ्वी पर अन्यत्र जितना भी दृश्यमान जगत है, वह तत्त्वतः उस ब्रह्म से ही व्याप्त है।सभी श्रुतियाँ इसमें प्रमाण हैं**–यत्र तु सर्वमात्मैवाभूत्**[4]**, सर्व खल्विदं ब्रह्म**[5]**, न तु तद द्वितीयमस्ति।**[6] अज्ञान का निरास हो जाने पर वह ब्रह्म ही सब कुछ हो जाता है**–'तस्मात् तत्सर्वमभवत्'**[7]**।**

आत्मतत्त्व स्वतः सिद्ध और स्वप्रकाश है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा का साक्षात् अनुभव करता है। 'मै हूँ' यह ज्ञान आलोचना अथवा संशय का विषय नहीं है तथा न ही आत्मा का निषेध किया जा सकता है क्योंकि निषेध कर्त्ता स्वयं आत्मा ही है। परन्तु व्यक्तिनिष्ठ आत्मा शुद्ध आत्मतत्त्व नहीं है। यह सत् असत् का मिथुनीकरण है। उपनिषदों मे विदेहमुक्ति के साथ जीवन्मुक्ति भी सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित है। मोक्ष साधन केवल ज्ञान है। आत्मज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान ही मोक्ष है। आत्मा नित्य मुक्त है, अतः मोक्ष किसी नई अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं है। वह तो आत्मा का ही निजी स्वरूप है।[8] आत्मतत्त्व रूपी रहस्य का ज्ञान हो जाने पर संसार में दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य शेष नहीं रह जाती है।

ऋषि शौनक ने महर्षि अंगिरा से उस परमतत्त्व के विषय में ही जिज्ञासा की जिसके जानने के पश्चात् कुछ शेष नहीं रह जाता – **'कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति।**[9] श्वेताश्वतरोपनिषद् में भी कहा है–[10]

एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्।

अविद्या निवृत्ति होते ही आत्मतत्त्व अपने शुद्ध चैतन्य और अखण्ड आनन्द स्वरूप में प्रकाशित होता है। जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है–'ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म की प्राप्ति यहीं इस लोक में और इसी जन्म में होती है। वृहदारण्यकोपनिषद् में भी कहा है कि मनुष्य को इसी शरीर में ब्रह्मप्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार सर्प केंचुल उतार के फेंकने के बाद उससे कोई मोह नहीं करता उसी प्रकार जीवन्मुक्त को अपने शरीर से कोई मोह नहीं रहता।[11] यही आत्मज्ञान हमें आत्यन्तिक दुःखों से निवृत्ति प्रदान करता है। इसको प्राप्त करने के लिए उपनिषद् हमें साधन रूप में साधना का निर्देश करती है। साधना के लिए विवेक और वैराग्य आवश्यक है। सत्–असत्, श्रेय–प्रेय का भेद ज्ञान विवेक है तथा आसक्ति का त्याग वैराग्य है। मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार उन्हें अपनाता है तथा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है–

अन्यच्छ्रेयोऽन्यद्रुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः।
तयोः श्रेय आददानस्य साधुर्भवति, हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते।।[12]

अर्थात् श्रेय और प्रेय दोनों भिन्न मार्ग हैं। ये दोनों भिन्न भिन्न प्रयोजन के विषय में पुरुष को बाँधते हैं। उन दोनों में से श्रेयस् मार्ग कल्याणकारी तथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है तथा प्रेय भोगों को प्राप्त कराने वाला मार्ग है। प्रेय का ग्रहण करने वाला पतित हो जाता है तथा अपने वास्तविक मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य से भटक जाता है। ये दोनों मार्ग एक दूसरे के विपरीत है। ये विद्या और अविद्या इस नाम से जाने गए हैं। ईशावास्योपनिषद् के कहा गया हैं।

'विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते।।[13]

जो विद्या और अविद्या इन दोनों को साथ साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पारकर विद्या से अमरता को प्राप्त कर लेता है। अतः मनुष्य का उदृेश्य श्रेय मार्ग है परन्तु प्रेय का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वह श्रेय का साधन बन जाय। कठोपनिषद् में नचिकेता यमराज द्वारा प्रदत्त समस्त प्रेय साधनों को अस्वीकार कर कहते हैं–

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो
लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा।
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्व
वरस्तु मे वरणीयः सः एव।।[14]

यहाँ धन एवं जीवन की समस्त भौतिक वस्तुओं के प्रति नचिकेता का विरोध नहीं है परन्तु भौतिक वस्तुओं की स्वीकृति अथवा आवश्यकता मात्र जीवननिर्वाह के लिए होने चाहिए। कल्याणप्रद मार्ग तो मात्र आत्मज्ञान ही है। वृहदारण्यकोपनिषद् में मैत्रेयी ने कहा कि जिससे मैं अमर न हो सकूँ, उसी लेकर मैं क्या करुँ –

येनाहं नामृता स्याम् किमहं तेन कुर्याम्।[15]

अतः धनादि को मात्र आत्मकल्याण का साधन ही बनाना चाहिए। जो मनुष्य विषय भोग की दृष्टि से केवल लोकोन्नति को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और श्रेय की चिन्ता नहीं करते वे दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति कभी प्राप्त नहीं कर पाते। ज्ञान और कर्म का समन्वय ही जीवन में धर्म का स्वरूप है। धर्म का लक्षण करते हुए महर्षि कणाद ने कहा है–

यतोऽभ्युदयनिः श्रेयस सिद्धिः स धर्मः।[16]

अर्थात् जिसके द्वारा अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म है। यहाँ अभ्युदय (उच्चतर लौकिक जीवन यापन का मार्ग) का हेतु है कर्मानुष्ठान तथा निःश्रेयस (आध्यात्मिक जीवन) का हेतु है ज्ञान साधना।

ईशावास्योपनिषद् में भी सांसारिक वस्तुओं के प्रति लोभ न करते हुए भौतिक वस्तुओं के त्यागपूर्वक उपभोग के लिए कहा गया है–

ईशावास्यमिदं सर्वं यतकिञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञजीथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम्।।[17]

उसी प्रकार इसके मंत्र में निर्देश दिया है कि इस संसार में कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए।[18] इससे भिन्न कोई मार्ग नहीं है। मनुष्य कर्म में लिप्त न हो। ईशोपनिषद् के दोनों मंत्र ज्ञान से परिपूर्ण हैं। जीव का स्वभाव कर्म है जो उसके सुख दुःख का कारण होता है। सफलता में सुख तथा विफलता में दुःख होता है। वस्तुतः फल की इच्छा दुःख अथवा बन्धन का कारण होती है, अतएव 'न कर्म लिप्यते नरे' के द्वारा मनुष्य को कर्मफल में आसक्त न होते हुए कर्म मात्र में उसका अधिकार बताया गया है। गीता में भी भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं–

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफल हेर्तुभू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि।।[19]

परन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो बिना फल की इच्छा के कोई कर्म किया नहीं जाता। मन्दबुद्धि पुरुष भी बिना किसी प्रयोजन के कर्म में प्रवृत्त नहीं होता–

प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते।

अतः यहाँ शंका होती है कि फलेच्छा न होने पर उस कर्म की इष्ट साधनता का ज्ञान कैसे हो? इष्ट साधनता न होने पर कर्म में प्रवृत्ति कैसे होगी? जब कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होगी तो फलेच्छा रहित निष्काम कर्म कैसे संभव होगा? इसका समाधान करते हुए भगवान् श्रीकृष्ण गीता में कहते है**–'तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर'।**[20] अर्थात् आसक्ति रहित कर्म करो। कर्म अगर अपने सुख के स्थान पर दूसरों के सुख के लिए किया जाय, दूसरों के हित में किया जाय तब उस कर्म का स्वरूप ही बदल जाता है। उसमें दुःख नहीं सुख होता है।

इस प्रकार त्यागभाव से किए हुए कर्म पाप या अधर्म हो ही नहीं सकते। वे बन्धन का कारण नहीं बनते। ऐसे कर्म करते हुए सौ वर्ष तक अर्थात् पूरा जीवन जनसेवा के भाव से अथवा त्याग भाव से जीने की कामना करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त औपनिषदिक दर्शन में मानव के लिए ऐहिक उन्नयन के भी तत्त्व दृष्टिगत होते हैं जो मानव को सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ मानव बनाने का कार्य करते हैं। कठोपनिषद् में नैतिकता पर जोर देते हुए कहा है कि यदि हम दुष्कर्म से नहीं बचते, हमारा मन शान्त एवं एकाग्रचित नहीं है तो हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते–

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः।
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्।।[21]

हमारा जीवन नैतिकता से परिपूर्ण तथा समस्त बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। श्वेताश्वतरोपनिषद् भी उपदेश देती है कि लक्ष्य तक पहुँचने के लिये हमें अपने स्वभाव को निर्मल करना चाहिए। अशुद्ध चंचल तथा चिन्ताग्रस्त अवस्था में ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार एक तेजोमय रत्न मिट्टी से लिप्त रहने के कारण छिपा रहता है, अपने असली रूप में प्रकट नहीं होता परन्तु वही जब मिट्टी आदि को हटाकर धो पोंछकर साफ कर लिया जाता है तब अपने असली रूप में चमकने लगता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी मानसिक कल्मषों के दूर होने के पश्चात् ही ज्ञान से प्रकाशित होती है–

यथैव बिम्बं मृदयोलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्।
तद्वाऽऽत्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः।।[22]

मनुष्य को स्वार्थपरता छोड़ अहंकार मुक्त होकर श्रेष्ठ पुरुषों से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने हेतु तत्पर रहना चाहिए, यद्यपि यह मार्ग छुरे की तीक्ष्ण धारा की भाँति लाँघना अथवा चलना कठिन है–

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत्।
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया।
दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति।।[23]

उपनिषदों में सदाचार पर विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। ब्रह्मसूत्र पर रामानुज भाष्य में लिखा है–**आचारहीनं च पुनन्ति वेदाः।**[24] जीवन की तुलना एक यज्ञ से की गई है जिसमें तप, दान, साधुता, अहिंसा और सत्यवादिता ही दक्षिणा है।[25] तैत्तिरीयोपनिषद् में ब्रह्मचारियों के कर्त्तव्यों की एक विस्तृत सूची मिलती है। उसमें कहा है कि उसे सत्य सद्गुण,कल्याण, अभ्युदय, स्वाध्याय और उपदेश की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे केवल वही कार्य करने चाहिए जो अनिंदनीय हो।

इस प्रकार उपनिषद् दर्शन क्रियात्मक विद्या है काल्पनिक नहीं। मनुष्य अपने जीवन में उपनिषद् शिक्षा को व्यावहारिक रूप में लाकर स्वयं निर्दोषत्व प्राप्त कर सकता है तथा समाज को भी उन्नति के शिखर पर पहुँचा सकता है। कामादि षड्रिपुओं से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर तथा शम दमादि साधन चतुष्ट्य से सम्पन्न होकर स्वयं आत्मज्योति पा लेता है। उपनिषदें बताती हैं कि मनुष्य अमृतपुत्र है, वह संयमी रहकर बड़ी सरलता से अमरता प्राप्त कर सकता है तथा ऐहिक अभ्युदय एवं पारलौकिक उन्नयन कर सकता है। उपनिषद् के प्रत्येक अमृत वचन कर्मफल का त्याग करके अथवा उसे ईश्वरार्पण करके निष्काम कर्मयोगी और लोकसंग्रही बनने की शिक्षा देते हैं। मात्र पुस्तक अध्ययन अथवा उपेदश श्रवण से ही आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मसूत्र कहते हैं कि– **आत्मज्ञान वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः।**[26] उपदेश श्रवण एवं दर्शन के पश्चात् मनन ही उस आत्मज्ञान का साधक है। उपनिषदों में मानव के ऐहिक एवं पारलौकिक उत्थान, जीवनमूल्यों तथा नैतिकता सम्बन्धी तत्त्व सर्वत्र दृष्टव्य है। वस्तुतः आत्मा और ब्रह्म का तादात्म्य उपनिषदों के ऋषियों की महान देन है। उपनिषदों के पठन, चिन्तन एवं मनन द्वारा मनुष्य स्व व्यक्तित्त्व का परिष्करण कर

अपने दायित्त्वों का निवर्हन करते हुए अपने लिए परम कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम हो सकता है।

सन्दर्भ

1. छान्दोग्योपनिषद्. 7.1
2. प्रश्नोपनिषद्—चतुर्थ प्रश्न, मंत्र 7
3. ईशावास्योपनिषद्— शान्तिपाठ
4. वृहदारण्यकोपनिषद्—2.4.1.3
5. छान्दोग्योपनिषद् —3.14.1
6. वृहदारण्यकोपनिषद्—4.4.30
7. वृहदारण्यकोपनिषद
8. छान्दोग्योपनिषद्, श्वेताश्वतरोपनिषद्
9. मुण्डकोपनिषद्—प्रथम मुण्डक.3
10. श्वेताश्वतरोपनिषद्
11. वृहदारण्यकोपनिषद्—4.4.7
12. कठोपनिषद् 1.2.1
13. ईशावास्योपनिषद्—मंत्र
14. कठोपनिषद्—1.27
15. वृहदारण्यकोपनिषद्. 2.4.3
16. कणाद सूत्र 1.1.2
17. ईशावास्योपनिषद्—प्रथम मंत्र
18. 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।
    एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे'।। ईशा. 2
19. श्रीमद्भगवद्गीता 2.47
20. श्रीमद्भगवद्गीता 3.19

21. कठोपनिषद् 1.2.24
22. श्वेताश्वतरोपनिषद. ् 2.14
23. कठोपनिषद् 1.3.14
24. वशिष्ठ धर्मशास्त्र 6.3
25. छान्दोग्योपनिषद्. 3.17
26. ब्रह्मसूत्र.4.1.1 वृहदारण्यकोपनिषद्–2.4.5

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

संस्कृत नाट्य–स्वरूप–निरूपण

डॉ0 (श्रीमती) मधु सत्यदेव
एसोसिएट प्रोफेसर
संस्कृत विभाग,
दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर,उत्तर प्रदेश, भारत

शोध आलेख सार– नाट्य या रूपक में एक प्रकार विशेष से संरचित कथा, उसका रंगमंच पर अभिनय, उसमें संगीत आदि का योग, उससे प्रेक्षकों को रसानुभूति, विनोद, शांति और उपदेश–यह सब होना आवश्यक है। इनमें से किसी एक पक्ष के भी न्यून रह जाने पर वह भारतीय नाट्य–शास्त्र के अनुसार नाट्य का आदर्श नहीं ठहरता, किसी नये अध्यवसायी का प्रयोग–मात्र रह जाता है।

मुख्य शब्द– संस्कृत, नाट्य, स्वरूप, रसानुभूति, प्रेक्षक, अभिनवगुप्त।

परम माहेश्वर अभिनवगुप्त ने नाट्य को लौकिक पदार्थ से भिन्न माना है। लौकिक पदार्थों की प्रतीति के दस प्रकार है–अनुकरण, प्रतिविम्ब, चित्र, सादृश्य, आरोप, अध्यवसाय, उत्प्रेक्षा, स्वप्न, माया और इन्द्रजाल। नाट्य की प्रतीति इन लौकिक प्रतीतियों से भिन्न है। नाट्य में जो नट, राम आदि का रूप धारण करके अभिनय करता है, उसमें नाटक देखते समय सामाजिक को यह अनुभव नहीं होता कि यह राम का अनुकरण है, या प्रतिबिम्ब है, या राम का चित्र देख रहा है, या राम के व्यक्ति के आरोप या अध्यवसाय या माया या स्वप्न या इन्द्रजाल आदि को देख रहा है। यदि इस प्रकार का अनुभव हो, तो उसे रसास्वाद नहीं होगा। इसलिए जितने प्रकार की लौकिक प्रतीतियाँ हो सकती हैं, नाट्य के नाम आदि का ज्ञान उन सबसे भिन्न प्रकार का होता है।[1]

लौकिक ज्ञान के पाँच प्रकार है – यथार्थ ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय, अनवधारण और अनध्यवसाय।[2] नाट्य का ज्ञान भी इन लौकिक ज्ञान–प्रकारों से भिन्न है। उसका ज्ञान साक्षात्कारात्मक होता है। अतः नाट्य–आस्वाद–रूप साक्षात्कारात्मक ज्ञान से ग्राह्य रसात्मक अलौकिक वस्तु है।

अभिनवगुप्त ने किसी अन्य आचार्य का मत भी उद्धृत किया है। उसके अनुसार नटनीय अनुकरण दशरूपक ही नाट्य है–''अन्ये तु नटनीयमनुकरणं दशरूपकमेव नाट्यम्।''[3]

पितामह ब्रह्मा से महेन्द्रादि देवों ने एक बार ऐसे क्रीडनीयक की इच्छा की थी, जो दृश्य और श्रव्य (श्राव्य भी) हो—''क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यद्भवेत्।''[4] अभिनवगुप्त के अनुसार दृश्य होने के कारण यह हृद्य (हृदय को भाने वाला) है और श्रव्य या श्राव्य होने के कारण व्युत्पत्तिप्रद। इस प्रकार नाट्य से प्रीति भी मिलती है और व्युत्पत्ति भी। इन्द्रादि देवों ने अपनी प्रसन्नता के लिए तो नाट्य की इच्छा की ही होगी, किन्तु इससे देव और मानुषसर्ग भी प्रसन्न हुआ होगा। जम्बूद्वीप या लोकपाल—प्रतिष्ठित वहाँ के 'लोक' यज्ञादि द्वारा स्वधर्म पर अवस्थित रहने के कारण स्वर्ग भी पहुँचते थे, अतः देव—मानुष—संमत क्रीडनक की आकांक्षा देवों ने की होगी। यह नाट्य मानुषलोक—संगत तो था ही, स्वर्ग में भी जब तक मानुष—सुलभ राजस धर्म के अभिसम्बन्ध से चित्रित यागादि के योग द्वारा देवों के हृदय भी 'सरस' हो जाते थे, सो देव भी ऐसे 'क्रीडनीयक' का अभिलाष करते थे।[5]

इस क्रीडनीयक की इच्छा हुई थी त्रेता युग में। अभिनवगुप्त ने बताया है—''सर्वेषु त्रेतायुगेषु नाट्य—प्रवृत्ति''[6] — सभी मन्वन्तरों के त्रेतायुगों में नाट्य—प्रवृत्ति होती है। जम्बूद्वीप है कर्मभूमि—स्थान, इसमें 'लोक' सुखी भी रहता है, दुःखी भी। तद्विषयक क्रीडनीयक की ही इच्छा की गयी। क्रीडनीयक, जिससे चित्त का विक्षेप हो, जिससे इधर—उधर भागते चित्त का मार्ग—नियोजन हो—जो क्रीडन के निमित्त हितकारक हो। यह क्रीडनीयक सुख—दुःख में ही संभव है। जहाँ एकान्त सुख हो, वहाँ क्रीड़ा से क्या लेना—देना ? इसी प्रकार एकान्त दुःखपूर्ण काल अथवा देश में क्रीडा संभव नहीं है, क्रीडनीयक सुख—दुःख—दोनों में ही होता है—हो पाता है। कृतयुग में एकान्त सुख होता है, और कलि प्रांत में इलावृत्तदिनिवासी जनों के बीच या नरक में दुःख—ही—दुःख, सो दोनों में क्रीडा की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती—''कृतुयगे कलिप्रान्ते वा इलावृत्ता—विनिवासिनि जने नारके वा न क्रीडोपपत्तिः।''[7] भावार्थ यह है कि —''न सत्त्वप्रधान दशा में नाट्य की उत्पत्ति होती है, न और तमःस्थिति में। राजस्—अवस्था में सुखदुःखात्मिका प्रवृत्ति रहती है। यही सुख—दुःख से समन्वित युग त्रेता है, जिसमें क्रीडनीयक की पूरी—पूरी सम्भावनाएँ रहती है। देव—अर्थात् शास्त्राधिकृत जन—भी नाट्य में सुख प्राप्त करते हैं और सामान्य जन भी, जो वेद शास्त्रोपयोग्य नहीं है। नाट्य सबको सुख देता है,'''यह सार्ववर्णिक है'''अधिकारी और अनधिकारी सुकुमारों को भी व्युत्पत्ति प्रदान करने वाला—'अधिकृतानामनधिकृतानापि सुकुमाराणं व्युत्पत्तिदायी।'[8] इसी कारण नाट्य वही है, जो धर्म, यश, उपदेश का प्रदाता, वेदविधि के साक्षात्करण में समर्थ (संग्रह), भावी लोक के सब कर्मों का अनुदर्शक, सब शास्त्रों के अर्थ से सम्पन्न, सब शिल्पों का प्रवर्तक, स—इतिहास पंचम वेद हो।[9] नाट्य की उत्पत्ति के मूल में अनुकरण हो सकता है, पर अनुकृति—मात्र नाट्य नहीं है। वह केवल पुरुषार्थी के उपाय का संकेतक नहीं है, शास्त्र—अर्थ की व्याख्या तथा गीत, नृत्त, वाद्य से युक्त समस्त शिल्पों का प्रवर्त्तक और एक ही यत्न से समस्त वस्तुओं की सिद्धि करने वाला है—''न केवलं प्रधानपुरुषार्थोपायदर्शकं यावत्सर्वेषां शास्त्राणां कलाप्रधानानां येऽर्था

गीतनृत्तवाद्यादयस्तैः सम्पन्नं युक्तम् तथा सर्वाणि शिल्पानि चित्रपुस्तादीनि प्रवर्तयति स्वोपयोगत्वे नाक्षिपतीत्येवमेकेन यत्नेन समस्तवस्तुनिसिद्धिर्यतो भवति तन्नाट्यमित्युक्तं भवति।''[10]

इस प्रकार नाट्यादि रूपक–स्वरूप गीत–वाद्य–प्रधान, अभिनय से परिपुष्ट, रसचर्वणात्मक पराप्रीति से पूर्ण ही नाट्य होता है–तदेवं नाट्यादि रूपकोपक्रमे गीतातोद्यत्राणाभिनयवर्गपरिपुष्ट–रसचर्वणात्मकं परप्रीतिमयमेव नाट्यम्।''[11] जिसमें ये गुण नहीं है, वह नाट्य संज्ञा का अधिकारी नहीं है। इन्हीं गुणों से यह दुःख, श्रम, शोक से पीड़ित जनों को विश्रान्ति देने वाला हो पाता है। समस्त ज्ञान, समस्त शिल्प, सब विद्या, सम्पूर्ण कला, ज्ञान और कला की सम्पूर्ण योजना–रूप सब कर्म इस नाट्य में आ जाते हैं। यह सप्तद्वीपानुकरण है। देव, राक्षस, राजा, उनके कुटुम्बी, ब्रह्मर्षि–सबका वृत्तान्त इसमें होता है। सुख–दुःख समन्वित लोकस्वरूप का अभिनय ही नाट्य है।[12]

धनंजय से नाट्य को अवस्था का अनुकरण कहा है–''अवस्थानुकृतिनट्यिम्''[13] पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नाट्य वानरी कला है,[14] काव्य में वर्णित नायकों की जो धीरोदात्तदि अवस्थाएँ होती है, उनका चतुर्विध अभिनय करके तादात्म्य की उत्पत्ति कर देना ही अनुकृति है, उसे ही नाट्य कहते है–''काव्योपनिबद्धधीरोदात्ताद्यवस्थानुकारश्चतुर्विधभिनयेन तादात्म्योपत्तिनट्यिम्''[15] अनृकृति का अर्थ है; अनुकार्य से अनुकर्त्ता की तादात्म्य–स्थिति। विद्यानाथ ने इसी की पुष्टि करते हुए कहा है कि सात्विकआंगिक आदि चतुर्विध अभिनय द्वारा धीरोदात्तादि नायकों की अवस्थानुकृति रसाश्रय नाट्य है–चतुर्विधैरभिनयैः सात्विकांगिकपूर्वकः। धीरोदात्ताद्यवस्थानुकृतिर्नाट्यं रसाश्रयम्।।[16] यह दृश्य होता है, इसी कारण यह रूप है–''रूपं दृश्यतयोच्यते।''[17] और नट में रामादि की अवस्था का इसमें आरोप कर लिया जाता है, इसलिए यह रूपक है–''रूपकं तत्समारोपात्''[18] अथवा विश्वनाथ के अनुसार, ''तद्रूपारोपात्तु रूपकम्।''[19] शारदातनय ने भी 'भावप्रकाशन'[20] में ऐसा ही कहा है–''समादितादात्म्यापत्तिर्नटे वा नाट्यमुच्यते। रूपक तद्भवेद्रूप दृश्यत्वात् प्रेक्षकैरिदम्।। रूपकत्वं तदारोपात् कमलारोपवन्मुखे।।'' प्रेक्षक इसे देख सकते हैं, इसलिए यह रूप है, और रूपक यह आरोप के कारण कहा जाता है। जैसे सुख में कमल का आरोप किया जाता है, वैसे ही इसमें अनुकार्य राम–सीतादि का अनुकर्त्ता–अभिनेता–अभिनेत्री में।

धनिक के अनुसार–नाट्य, रूप, रूपक–एक ही वस्तु के तीन नाम है। ये वैसे ही प्रवृत्ति के कारण व्यवहार में आते हैं, जैसे इन्द्र, पुरंदर, शुक्र, ये तीनों नाम एक ही देवता की प्रवृत्ति के निमित्त से व्यवहार में आते है।[21] विश्वनाथ ने नाट्य की दृश्यकाव्य कहा है।[22] पर नाट्य दृश्य–मात्र नहीं है, देखा भी जाता है, सुना भी। नाटकादि बहुभाषाओं में निबद्ध होते हैं और विचित्र होते हैं, क्योंकि उनमें नाना संधि, संध्यंग और अभिनय का योग

होता है–''नाटकाद्यन्यत् काव्यं तद्बहुभाषं विचित्रम्।''[23] जिस काव्य में ये सब गुण आ जाएंगे, वह अभिनय–काव्य बन जाएगा–दृश्य–श्रव्य–देखा भी जाएगा और सुना भी जाएगा।

वामन ने रूपक को प्रबन्धकाव्यों में श्रेष्ठ[24] बताते हुए कहा है कि यह चित्रपट की भांति भाषा–भेदादि रूप 'विशेषों' का साकल्य (समाहार) कर लेता हैं, इससे यह चित्र है, कथा–आख्यायिकादि की कल्पना दशरूपक से ही होती है–''तद्धि चित्र चित्रपटवद्विशेषसाकल्यात्। तद्दशरूपकं हि यस्मात् चित्र चित्रपटवत् विशेषाणां साकल्यात्। ततोऽन्यभेदक्लृप्तिः ततौ दशरूपकात् अन्येषां भेदानां क्लृप्तिः कल्पनमिति। दशरूपकस्य एवं हि इदं सर्व विलसितं, यच्च कयाऽऽख्यायिके महाकाव्यम् इति।''[25]

रामचन्द्र गुणचन्द्र ने नाट्य को 'अभिनेय काव्य' कहा है। अभिनेय इसलिए कि यह चतुर्विध अभिनयों से प्रत्यक्ष होने योग्य हो जाता है।[26] इसकी रचना सरल नहीं है। कथादि के अलंकार–मृदुपंथ में सुगमता से संचरण हो सकता है, किन्तु रस–लहरियों से संकुल होने के कारण नाट्य का पंथ दुःसंचार है। जो गीत, वाद्य और नृत्त के जानकार नहीं है और जो लोक की स्थिति को नहीं जानते, वे न तो नाट्य–प्रबन्ध का अभिनय कर सकते हैं, और न उसकी रचना। वही कवि है, उसी के काव्य से मर्त्य भी सुधांध देव बन जाते है, जिसके नाट्य में रसकल्लोलों में चक्कर खाती हुई भारती नृत्य करती है।[27]

नाटकादि का क्योंकि अभिनय होता है–वे रूपित होते है अतः उन्हें 'रूप' भी कहा जाता है–''रूपयन्ते अभिनीयन्ते इति रूपाणि नाटकादीनि।''[28]

भरत ने इस समस्त त्रिलोकी के भावानुकीर्तन को नाट्य कहा है–''त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भावानुकीर्तनम्''[29] किन्तु अभिनवगुप्त के अनुसार इस भावानुकीर्तन को 'अनुकार' समझने की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। यह अनुकीर्तन, जिसका नाम नाट्य है, अनुव्यवसाय–विशेष है। इसे देखकर ऐसी बुद्धि नहीं होती कि भांड राजपुत्र की या किसी अन्य की नकल कर रहा है। भांड के द्वारा किया गया अनुकरण हासमात्र का फल देता है–उसे विकरण कहते है–''तदिदमनुकीर्तनमनुव्यवसायविशेषो नाट्यापरपर्यायः। नानुकार इति भ्रमितव्यम्। अनेन भण्डेन राजपुत्रस्यान्यस्य वानुकृतेऽन्यादिबुद्धेरभावात्। तद्धि विकरणमिति प्रसिद्धं हासमात्रफलं मध्यस्थानाम्।''[30] भरतमुनि ने ऐसी ही परचेष्टानुकृति को हास की जननी माना है–''परचेष्टानुकरणाद्हासमुपजायते।''[31] नाट्य अनुव्यवसायात्मक, अनुकीर्तन–रूप विकल्प–प्रतीति से रहित है; उसका ग्रहण अनुव्यवसायात्मक निर्विकल्प प्रतीत–अर्थात् साधारणीकरण व्यापार के पश्चात् होने वाले अनुव्यवसायात्मक ज्ञान द्वारा होता है–''तस्मादनुव्यवसायात्मकं कीर्तनरूषितविकल्पसंवेदनं है–यह नकल से भिन्न है।

अन्य काव्यों से नाट्य की विवशेषता प्रतिपादित करते हुए अभिनवगुप्त ने बताया है कि गुण और अलंकारों से मनोहर शब्दार्थशरीरी लोकोत्तर–रस–प्राण नाट्यातिरिक्त काव्य में हृदय के तन्मयीभाव के कारण चित्तवृत्ति निमग्न तो हो जाती है, किन्तु उसमें प्रतयक्ष–सदृश साक्षात्कारात्मक प्रतीति नहीं हो पाती। नाट्य–प्रेक्षण करते समय ''आज मुझे कुछ पारमार्थिक लाभ होगा'' ऐसे अभिप्राय और संस्कार के अभाव के कारण, 'सम्पूर्ण परिषद् के लिए समान रूप से आनन्दप्रद तथा अंत तक सरस होने से लोकोत्तर वस्तु को देखने–सुनने का अवसर प्राप्त होगा', इस अभिप्राय तथा संस्कार से उसके योग्य गीत–नृत्य, वाद्य आदि की चर्वणा आदि के द्वारा सांसारिक भाव को भूलकर, स्वच्छ दर्पण के समान निर्मल हृदय हो, सूच्यादि अभिनय को देखने से उत्पन्न प्रमोद–शोकादि में तन्मय होकर पाठ्य–श्रवण तथा पात्रों के प्रवेश के कारण देश–काल के विशेष आवेश से अनार्लिगित तथा सम्यक् मिथ्या, संशय, संभावना आदि ज्ञान द्वारा विज्ञेयता के सम्बन्ध से रहित (अर्थात् साधारणीकृत तथा अलौकिक) राम–रावणादि–विषयक अध्यवसाय (ज्ञान) के हाने पर एवं उस प्रकार के संस्कार की अनुवृत्ति के कारणभूत तत्सहचर हृदय को भानेवाले गीत, वाद्य, प्रमदा आदि के अनुभवजन्य संस्कार से सूचित, तदनुगत, उक्त–रूप राम के अध्यवसाय और संस्कार का ग्रहण कर, चमत्कारयुक्त उन रामादि पात्रों के चरित के मध्य आत्मरूप–मति होकर–अर्थात् उनमें तादात्म्य का अनुभव कर–अपने माध्यम से समस्त विश्व को वैसा ही देखते हुए प्रत्येक सामाजिक देश–काल आदि के विशेषणों के परामर्श (संबंध) के बिना ही तत्तद्विषयक ज्ञान प्राप्त कर रसास्वादन करता है तथा शुभ का ग्रहण एवं अशुभ का परित्याग करने में समर्थ होता है।[32] इस प्रकार जो नाट्य है, वह अपने प्रेक्षकों को रोगादि के दुःख, मार्गादि के क्लेश से उत्पन्न श्रम, बंधु–मरणादि के कारण उत्पन्न शोक तथा खिन्नता से मुक्त कर उनके हृदय को विश्रांति प्रदान करता है तथा दुःख–प्रसार का विघातक होता है। जो दुःखी नहीं हैं, जिनके जीवन का अधिक भाग सुख में ही बीतता है, उन राजपुत्रादि को लोकवृत्त में धर्माचरण करने का उपदेश देता है। परन्तु यह उपदेश गुरू–उपदेश के समान नहीं होता, बुद्धि'विवर्धन कर उनकी प्रतिभा को ही वैसी बना देता है। जिसमें समस्त ज्ञान, समस्त शिल्प, समग्र विधाएँ और समूची कला, योग और कर्म का समावेश हो सके, वह नाट्य है।[33]

वह इसी अर्थ में 'सप्तद्वीपानुकरण' है–अनुकृति, अनुकीर्तन तथा अनुभावन है। कालिदास के शब्दों में, जिसमें त्रैगुण्योद्भव नानारस लोकचरित का दर्शन हो, वह नाट्य है, ऐसा ही नाट्य भिन्न–भिन्न रूचि रखने वाले अनेक जनों को प्रसन्न करने का एक साधन है–''त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते। नाट्यं भिन्नरूचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्''[34]

नाट्य या रूपक न केवल कवि–कर्म है, न गीत–वाद्य ही है, न सामान्य कथा–कहानी मात्र और न केवल अनुकरण है–वह केवल रंगमंच की यांत्रिक क्रिया भी नहीं है। वह एक समन्वित कला (कंपोजिट आर्ट) है। उसके मूल में चाहे जो रहा हो, पर भारतीय नाट्य जब शास्त्र–परिधि में समाया, तो वह कोई एक वस्तु नहीं था। पं0 सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार किसी प्रसिद्ध या कल्पित कथा के आधार पर नाट्यकार द्वारा रचित रचना के अनुसार नाट्य–प्रयोक्ता द्वारा सिखलाए हुए नट, जब रंगपीठ पर अभिनय तथा संगीतादि के द्वारा रस उत्पन्न करके

प्रेक्षकों का विनोद करते है, तथा उन्हें उपदेश और मनःशान्ति प्रदान करते हैं, तब उस प्रयोग को नाटक या रूपक कहते है।[35]

अतएवं ''नाटक शब्द का अर्थ है : नट लोगों की क्रिया। नट कहते हैं विद्या के प्रभाव से अपने वा किसी वस्तु के स्वरूप के फेर वा स्वयं दृष्टिरोचन के अर्थ फिराना। नाटक में पाठगण अपना स्वरूप परिवर्तन करके राजादिक का स्वरूप धारण करते है वा वेषविन्यास के पश्चात् रंगभूमि में स्वकार्य–साधन के हेतु फिरते हैं। दृश्यकाव्य वह है जो कवि की वाणी को उसके हृदयगत आशय और हाव–भाव–सहित प्रत्यक्ष दिखला दे। काव्य को दर्शकों के चित्त पर खचित कर देना ही दृश्यकाव्यत्व है। दृश्यकाव्य की संज्ञा ही रूपक है। रूपकों में नाटक ही सबसे मुख्य है। इससे रूपकमात्र को नाटक कहते हैं। इस विधा का नाम 'कुशीलवशास्त्र' भी है। प्राचीन समय में अभिनय नाट्य, नृत्य, नृत्त, तांडव और लास्य–इन पांच भेदों में बाँटा हुआ था। इसमें नृत्य भावसहित नाचने को, नृत्त्व केवल नाचने को और तांडव और लास्य भी एक प्रकार के नाचने को ही कहते थे। इससे केवल नाटकों में नाटक आदि का समावेश होगा, शेष चारों नाचने वाले पर छोड़ दिए जायंगे।''[36]

इस प्रकार नाट्य या रूपक में एक प्रकार विशेष से संरचित कथा, उसका रंगमंच पर अभिनय, उसमें संगीत आदि का योग, उससे प्रेक्षकों को रसानुभूति, विनोद, शांति और उपदेश–यह सब होना आवश्यक है। इनमें से किसी एक पक्ष के भी न्यून रह जाने पर वह भारतीय नाट्य–शास्त्र के अनुसार नाट्य का आदर्श नहीं ठहरता, किसी नये अध्यवसायी का प्रयोग–मात्र रह जाता है।

सन्दर्भः–

1. नाट्य नाम लौकिकपदार्थव्यत्तिरिक्ति तदनुकारप्रतिबिम्बालेख्यसादृश्यारोपाध्यवसायोत्प्रेक्षास्वप्नमायेन्द्रजालादिविलक्षणं तदग्राहकस्य सम्यगानभ्रान्तिसंशयानवधारणाध्यवसायविज्ञान भिन्नवृत्तान्तास्वादनरूपसंवेदनसंवेद्यं वस्तु रसस्वभावम्।... ना0शा0 1/1 पर अभिनवभारती।
2. तदेव पर आचार्य विश्वेश्वर का संजीवन भाष्य।
3. पूर्णतया अपरिचित वस्तु को प्रथम बार देखने पर उसके विषय में अनिश्चय अनध्यवसाय है तथा सुपरिचित वस्तु को देखने पर भी उसके पूर्णरूप से संमुख न आने पर तद्विषयक अनिर्णय अनवधारण।
4. ना0शा0 1/1 पर अभिनवभारती।
5. वही, 1/11 ।
6. वही, 1/11 पर अभिनवभारती।
7. वही, 1/8–9 पर अभिनवभारती
8. तदैव।
9. ना0शा0 1/12 पर अ0भा0।
10. धर्ममर्थ्य यशस्यं च सोपदेश्यं ससंग्रहम्। भविष्यतश्च लोकस्य सर्व कर्मानुदेर्शकम्।।
    सर्वशास्त्रार्थसम्पन्न सवशिल्पप्रवर्तकम्। नाट्याख्यं पंचमं वेदं सेतिहासं करोभ्यहम्।।
    – ना0शा0 1/14–15

11. ना0शा0 1/14 पर अ0भा0।
12. वही, 1/17 पर अ0भा0 ।
13. वही, 1/114, 116–119 ।
14. दशरूपक 1/7 द्रष्टव्य भाव–प्रकाशन, 7/1 ।
15. ''कला न वानरीवृत्ति का प्रतिरूप है और न वर्णसंकरी संतान है।''–सद्गुरुशरण अवस्थी (मंझली रानी, पृ0–31)
16. दशरूपक 1/7 पर धनिक को वृत्ति।
17. प्रतापरूद्रीय नाट्यप्रकरण।
18. दशरूपक 1/7 ।
19. तदैव।
20. साहित्यदर्पण 6/2 ।
21. भावप्रकाशन 7/2–3 ।
22. दशरूपक 1/7 का अवलोक।
23. दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्। दृश्य तत्राभिनेयम्। – साहित्यदर्पण, 6/7 ।
24. रूद्रट : काव्यालंकार, 16/36 ।
25. काव्यादर्श, 1/37 ।
26. तदैव, 1/31 ।
27. सन्दर्भेष दशरूपकं श्रेयः। सन्दर्भेषु प्रबन्धेषु दशरूपकं नाटकादि श्रेयः। – काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, 1/30 ।
28. काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, 1/31–32 ।
29. नाट्यदर्पण, 1/2 तथा वृत्ति।
30. वही, 1/विवरण, श्लोक–3–5/ ।
31. तदैव 1/1 की वृत्ति।
32. ना0शा0 1/107 ।
33. ना0शा0 तदैव पर अ0भा0 ।
34. ना0शा0 7/10 ।
35. ना0शा0 1/107 पर अ0भा0 ।
36. ना0शा0 1/114–117 तथा अ0भा0 ।

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

श्रीमद्भगवद्गीता में पुनर्जन्म की अवधारणा

पूनम यादव
शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश,भारत

शोध आलेख सार – भारतीय पुनर्जन्म का चिन्तन मानवमात्र को सन्मार्गोंन्मुखी बनाने के लिए एक शिव शिक्षा है। मानव के ज्ञान के उन्मेष उसकी सद्कृति से ही प्रस्फुरित होता है। व्यक्ति की सद्कृति उसे पुनर्जन्म में भी दैवीय वृत्ति प्रदान करती है। जो व्यक्ति विशेष के आत्मा की मुक्ति का साधन बनती है। इस दृष्टि से गीता का पुनर्जन्म चिन्तन मानव को सद्वृत्ति देते हुए उसके कल्याण का साधन है।

मुख्य शब्द– श्रीमद्भगवद्गीता, वेदव्यास, महाभारत, भीष्मपर्व, ब्रह्म।

''श्रीमद्भगवद्गीता'' श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासकृत महाभारत के भीष्मपर्व का पच्चसीवें अध्यास से बयालिस अध्याय तक का संग्रह है। अट्ठारह अध्यायों का यह ग्रंथ सात सौ श्लोकों में निबद्ध है। श्रीमद्भगवद्गीता प्रस्थानत्रयी में प्रसिद्ध है। गीता, उपनिषद् और ब्रह्मसूत्र। ये तीनों प्रस्थानत्रयी के अन्तर्गत प्रमाणित हैं। ये ग्रंथ मनुष्य को आत्मा से साक्षात्कार करने में सहायक सिद्ध हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता मानव जीवन को उत्कृष्ट, समुन्नत, सार्थक एवं श्रेष्ठ बनाने का मार्गदर्शन है। गीता के अनुसार मुक्ति या शान्ति वह व्यक्ति ही प्राप्त करता है, जिसकी समस्त कामनायें उसी में प्रविष्ट हो जाती है। वस्तुतः कामनाओं में रमा हुआ व्यक्ति कभी शक्ति नहीं पाता।

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे,
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।।[1]

अतः व्यक्ति को परब्रह्म से मिलन की शुभेच्छा करना चाहिये, जिससे पुनर्जन्म नहीं होता।

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्तम्।
नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमांगताः।।[2]

भौतिक जगत् में यह नियम सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अनिवार्यतः होती है। जो जैसा करेंगा, वैसा उसे भोगना पड़ेगा। प्रत्येक कर्म का उसके तदनुरूप फल भोगना ही पड़ता है। आत्मा की उन्नति

तथा जगत् में धार्मिक भाव–सुख, शान्ति एवं प्रेम विस्तार के लिए और पाप–ताप से बचने के लिए परलोक और पुनर्जन्म को मानना परम आवश्यक है।

प्राचीनतम् भारतीय वाङ्गमय वेद ब्राह्मण और उपनिषद् के आख्यान पुनर्जन्म के संदर्भों परिचित हैं। वाल्मीकीय रामायण और महाभारत भी पुनर्जन्म के विवरण को प्रस्तुत करते हैं। मनु–सतरूपा की तपस्या के, फलस्वरूप जन्मान्तर में उन्हें विष्णु रूप श्रीराम की पुत्ररूप में प्राप्ति हुई थी।

इसी प्रकार अष्ट वसुओं में से एक वसु जन्मान्तर में भीष्म के रूप में जन्म ग्रहण किया थे। इस प्रकार भारतीय संस्कृत वाङ्गमय में अनेक ऐसे कथा प्रसंग है जो पुनर्जन्म की पुष्टि करते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता में भी स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण अपने और अर्जुन के अनेकानेक जन्मों का उल्लेख करते हैं।

बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप।।[3]

पुनर्जन्म का माध्यम ''मृत्यु'' है। ''मृत्यु'' शरीर और आत्मा (नाशवान और अविनाशी) के संयोग की समाप्ति है। जबकि ''जननमिति जन्म'' पैदा होने का नाम जन्म है।

जनी प्रादुर्भावे दिवादि आत्मने सेट, धातु से ''सर्वधातुभ्यो मनिन्'' (4/144) इस उष्णादि मनिन् प्रत्यय होने पर ''जन्म'' शब्द बनता है। इसी के पर्याय वाचक **''जनुः जननं, जनिः उत्पत्तिः, उद्भवः''**[4] ये प्रसिद्ध है। पुनः जन्म = पुनर्जन्म।

इसके अन्य नाम– पुनर्जन्म, गतजन्म, पुनर्भव, परलोक, प्रेत्यभाव इत्यादि हैं। इनमें ''पुनर्जन्म'' का प्रयोग सब उपनिषदों की सारभूत ''श्रीमद्भगवद्गीता'' में मिलता है।

'तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।'[5]

आदि श्लोकों में नारायण के पुनर्जन्म की कथाएँ अनादिकाल से प्रसिद्ध हैं। अन्तर केवल इतना है कि जीव अविद्या में है और ईश्वर अविद्या से मुक्त है। बार–बार जन्म दोनों के होते हैं।

बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन।

तान्यहं वेद सर्वाणि नत्वं वेत्थ परन्तप।।[6]

भगवान् कहते हैं – हे, अर्जुन! हमारे और तुम्हारे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं, इन सबकों मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। (क्योंकि मैं विद्यातत्व से युक्त हूँ और तुम अविद्या में हो)।

दो पक्षी एक वृक्ष पर बैठे हुए हैं। एक वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को खा रहा है, दूसरा केवल साक्षी रूप से देख रहा है। राग, द्वेषमय अविद्या के साथ अभ्यास होकर अहं–मम के अभिमान से जीव संसारिक सुख–दुःखों में बंधा हुआ है। यह व्यवहार से हुआ, इसके आरम्भ का ज्ञान न होने से इसे अनादि कहा गया–

नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा।[7]

सत्य, रज, तम, त्रिगुणों के प्रभाव से जीव ऊँच–नीच कर्मों को करता है और उसी के अनुसार अनेक योनियों में घूम रहा है। यही पुनर्जन्म का कारण हैं। इसी को यम ने कहा हैं–

"पुनः पुनर्वशमाद्यते ये।"[8]

बार–बार रागद्वेषात्मक कर्मफलों में आसक्त रहने से जीव जन्म–मरण के चक्र में पड़े रहकर हमारे वश में रहते हैं।

जीवात्मा जब अपने पूर्व स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, तब सूक्ष्म शरीर के साथ ही जाता है। भगवान् कपिल मुनि माता देवहूति से जन्म, मृत्यु का रहस्य कहते हैं–

जीवो हास्यानुमो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः।

तन्निरोधोऽस्य मरणमाविर्भावस्तु सम्भवः।।[9]

जीव एक लोक से दूसरे लोक में जाता है, यह असम्भव नहीं है। वह अपने उपाधिमय लिङ्ग शरीर को धारण करके परलोक गमन करता है। नवीन देह में नवीन कर्मों में प्रवृत्त होता है और वह अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है।

भगवान् वेदव्यास जी ने प्राणी के असंख्य जन्म होने का उल्लेख किया है–

मातापितृ सहस्त्राणि पुत्रदारशतानि च।

संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे।।[10]

इसी प्रकार गीता में भी पुनर्जन्म की विस्तृत व्याख्या की गई है। भगवान् अर्जुन से कहते हैं।

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्।।[11]

किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद हम सब नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है।

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा।

तथा देहान्तर प्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्नति।।[12]

देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे (बालकपन) जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य और मोहित नहीं होता।

जीव स्वयं तो निरन्तर अमरत्व में ही रहता है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह क्रम आरम्भ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है, तो बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था मरती है, तो युवावस्था आती है। युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था मरती है तो देहान्तर अवस्था आती है। अर्थात् दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शरीर की अवस्थाएँ बदलती हैं, पूरे उसमें रहने वाला शरीरी ज्यों का त्यों रहता है।

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे।।[13]

यह आत्मा (शरीर) किसी काल में भी न हो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्म, नित्य, सनातन और पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। उत्पन्न होना, सत्तावाला दीखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना ये छः विकार शरीर में ही होते हैं। शरीरी (आत्मा) में वे विकार कभी हुए नहीं, कभी होंगे नहीं, कभी भी हो सकते नहीं है।

वासांसि जीर्णानि यया विहाय नवानि गृह्यति ग्रहवति नरोऽपराणि।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही।।[14]

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर दूसरे नये वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा (देही) पुराने शरीर को त्यागकर दूसरे नये शरीरों को प्राप्त होता है।

जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदल नहीं जाता, ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने और छोड़ने पर भी शरीरी (जीवात्मा) वहीं का वहीं रहता है, बदलता नहीं।

गीता में कहा गया है कि शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती। जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती।

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।

ने चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।।[15]

गीता में स्पष्ट कहा गया है कि–

''जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च।''[16]

जो जन्म लिया है उसकी जरूरी मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। इसलिए भगवान् कहते हैं कि–

बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप।।[17]

हे परन्तप अर्जुन! मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता।

भगवान् कृष्ण ने अनेक बार अर्जुन को जीवन मरण की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया है, जिससे पुनर्जन्म स्पष्ट सिद्ध होता है।

पुनर्जन्म का आधार कर्म ही है। उसका फल भोगने के लिए ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है।
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं–

अन्त समय में जिन–जिन भावों का स्मरण करते हुए मनुष्य देह त्याग करता है, अर्जुन! वह सदा उसी भाव से प्रभावित रहता है और वही सही भाव उस भाव के अनुरूप देह प्राप्त करत है।

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः।।[18]

मरण के समय प्राणी की भावनाएँ अपने–अपने कृत कर्मों तथ निर्मित वृत्तियों के अनुसार होती हैं और जिस–जिस भावना को लेकर जीव शरीर छोड़ता है, उसी भावना के अनुकूल उसे आगामी शरीर मिलता है।

हम जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही संस्कार बनता है, और उन्हीं संस्कारों के अनुसार हमें आगामी शरीर मिलती है।

वेदान्त, सांख्यदर्शन तथा योगदर्शन द्वारा प्रतिपादित बंधन और मोक्ष का सिद्धान्त भारतीय जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। अपने सांसारिक जीवन में मनुष्य प्रकृत के बन्धन में होता है। मनुष्य का निर्माण शाश्वत आत्मा और नश्वर शरीर के योग से हुआ है और मृतयु के बाद भी परलोक में उसका अस्तित्व विद्यमान रहता है। यह दार्शनिक सिद्धान्त का आधार पराइन्द्रिय ज्ञान है, जो योग साधना द्वारा समाधि अवस्था में प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार दार्शनिक दृष्टिकोण से लोक और पारलोक के बीच इस मानव चक्र (Human Cycle) अथवा आवागमन की इस प्रक्रिया को ही शास्त्रों में ''पुनर्जन्म'' का सिद्धानत कहा गया है। इस ''मानव–चक्र'' को अवरूद्ध कर निरपेक्ष सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना अथवा मोक्ष को प्राप्त हो जाना ही मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और इसके लिए योग साधना की आवश्यकता पड़ती है।

इस प्रकार कर्मसरिता प्रवाह में बहती हुई जीवन नौका के पूर्वजन्म और पुनर्जन्म दो किनारे हैं। पूर्वजन्मकृत कर्म इस जन्म के तथा इस जन्म के कृत कर्म पुनर्जन्म धारण कराने के हेतु है।

वाल्मीकि रामायण में श्री लक्ष्मण जी गुहराज से कहते हैं–

कः कस्य हेतुर्दुःखस्य कश्च हेतुः सुखस्य वा।

स्वपूर्वार्जितकर्मैव कारणं सुखदुःखयोः।

अर्थात् कौन किसके दुःख का हेतु है तथा कौन सुख का? दूसरा कोई किसी दूसरे के दुःख सुख में कारण नहीं होता। पूर्व जन्म में किये हुए अपने ही पुण्य या पापात्मक कर्म मनुष्य को सुख दुःख का भोग प्रदान करते हैं।

इस प्रकार कठोपनिषद् में कहा गया है, ''मृत्यु के पश्चात् इन जीवात्माओं में से अपने–अपने कर्मों के अनुसार कोई–कोई तो वृक्ष, पाषाण आदि अन्यत्र शरीर को धारण करते हैं।

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः।

स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्।।[19]

भोग और संग्रह की आसक्ति से ही पुनर्जन्म होता है। इसलिए जिस मनुष्य ने भोग और संग्रह की आसक्ति है, वह यदि पुण्य कर्मों के प्रभाव से ब्रह्मलोक तक चला जाय, तो उसे लौटकर जन्म–मरण में अर्थात् दुःखालय संसार में आना ही पड़ता है। ब्रह्मलोक तक सब कर्मों का फल है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर वहाँ से लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़ता। गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं–

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन।

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।।[20]

श्रीमद्भगवद्गीता कर्म के आधार पर ही पुनर्जन्म और विविध योनियों का विवरण प्रस्तुत करती है तथा कर्मानुसार ही दैवीय एवं आसुरी वृत्तियों का तथा उनके परिणामों का चिन्तन एवं विवेचन भी प्रस्तुत करती है। यह जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार ऊपर या नीचे आता है। अथवा मध्य में रहता है। प्रारब्ध में यदि सत्वगुण की प्रबलता रही, तो मृत्यु के बाद वह स्वर्गादि उच्च लोकों को जाता है, यदि रजोगुण प्रबल हुआ, तो वह मनुष्यलोक में ही रहता है, अर्थात् मृत्यु के उपरान्त पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, और यदि तमोगुण का प्राबल्य रहा तो वह अद्योगपति को प्राप्त होता है अर्थात् कीट, पशु आदि नीच योनियों में जन्म लेता है।

गीता में कहा भी गया है—

उर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्वे तिष्ठन्ति राजसाः।

जघन्यगुणवृक्षिस्था अधो गच्छन्ति तामसः।।[21]

पुनर्जन्म का सिद्धान्त इस बात को स्वीकार करता है, कि मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद भी जीव निम्न योनियों में जा सकता है। जीव अपने पुण्यकर्मों के भोग लिए स्वर्गादि उच्च लोकों में जाता है, वैसे ही जघन्य पाप कर्मों के फल भोग के लिए निम्न योनियाँ भी भोग योनियाँ हैं। एक मात्र मनुष्य योनि ही कर्मयोनि है, जहाँ मनुष्य कर्मों के द्वारा अपनी नियति का, अपने भावी जीवन का निर्माण कर सकता है।

इस प्रकार भारतीय पुनर्जन्म का चिन्तन मानवमात्र को सन्मार्गोन्मुखी बनाने के लिए एक शिव शिक्षा है। मानव के ज्ञान के उन्मेष उसकी सद्कृति से ही प्रस्फुरित होता है। व्यक्ति की सद्कृति उसे पुनर्जन्म में भी दैवीय वृत्ति प्रदान करती है। जो व्यक्ति विशेष के आत्मा की मुक्ति का साधन बनती है। इस दृष्टि से गीता का पुनर्जन्म चिन्तन मानव को सद्वृत्ति देते हुए उसके कल्याण का साधन है।

सन्दर्भ

1. गीता 2/70

2.गीता 8/15

3.गीता 4/5

4.अमरकोष – 1/4/30

5. गीता 8/16

6. गीता 4/5

7.गीता 15/3

8.कठ0 1/2/6

9. श्रीमद्भागवत 3/31/44

10. महाभारत

11. गीता 2／12

12. गीता 2／13

13.गीता 2／20

14. गीता 2／22

15. गीता 2／23

16. गीता 2／27

17. गीता 14／5

18. गीता 8／6

19.कठोपनिषद् 2／2／7

20. गीता 18／16

21.गीता 14／18

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का महिला सशक्तीकरण में योगदान

डॉ0 हमेलता
आडिटर, स्थानीय निधि लेखा
परीक्षा विभाग, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश : किसी भी राष्ट्र में 'विकास' उसकी उपलब्ध मानव शक्ति की कार्यक्षमता, सामर्थ्य, गुणवत्ता व शिक्षा आदि बातों पर निर्भर करता है। भारत में महिला सशक्तीकरण और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय नीति का अभिन्न अंग रहे हैं। इस दिशा में भारत सरकार ने एक महान पहल करते हुये 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नामक एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना को 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रारमी किया गया। भारत सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, विकास और सशक्तीकरण की दिशा में लिया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से निर्मित है। भारत के हरियाणा राज्य से उस महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि इस राज्य में लिंगानुपात बेहद संवेदनशील स्तर पर है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नामक योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है जिसका मकसद है लोगों में बेटियों के जन्म से सम्बन्धित जो रूढ़िगत धारणा है, उसे तोड़ा जाय।

मुख्य शब्द : लिंगानुपात, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' महिला सशक्तीकरण।

स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं के प्रति चिंता राष्ट्रीय लोकतंत्र में भी एक महत्वपूर्ण आयाम थी। यही कारण कि लगभग सत्तर से अस्सी के दशक के मध्य में ही यह महिलाओं के प्रति चिंता का विषय एक शैक्षणिक चर्चा के रूप में भी शामिल हो गया था परन्तु इन सब के बावजूद वर्तमान में भी भारत के कुछ राज्यों में महिला–पुरुष लिंगानुपात के बीच असन्तुलन बड़ी मात्रा में देखा जाता है। यही कारण है कि आज भी महिला सुरक्षा के प्रति सभ्य समाज की चिंता जाहिर है। इस दिशा में भारत सरकार ने एक अहम पहल करते हुये 'बेटी बेचाओं, बेटी पढ़ाओ' नामक योजना की शुरूआत की।[1] इस योजना को 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया। हरियाणा से इसे शुरू करने का उद्देश्य यह है कि इस राज्य में लिंगानुपात बेहद संवेदनशील स्तर पर है।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नामक योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है जिसका मकसद लोगों में बेटियों के जन्म से सम्बन्धित जो रूढ़िगत धारणा है उसे तोड़ा जाए। मुख्य रूप से भारतीय समाज में स्त्रियों को

प्रदान किया गया दोयम दर्जा समाप्त करने की दिशा में इस योजना का रूझान है। इसके अतिरिक्त भ्रूण हत्या, लिंग निर्धारण, बालिकाओं की रक्षा एवं सुरक्षा तथा उनका विकास करना भी इसकी प्राथमिकता है।[2]

महिला सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं को घर, परिवार, समाज व राष्ट्र में अपनी नैसर्गिक क्षमता, स्वतंत्रता व मुक्ति का बोध कराकर इतना सशक्त बनाना कि वे अपने जीवन में व्यक्तिगत व सामाजिक निर्णय लेने की हकदार हो। पुरूषों के बराबर महिलाओं को वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में स्वायत्तता व निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना है।[3] इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, विकास और सशक्तीकरण की दिशा में लिया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से निर्मित है।

'बेटी पढ़ाओ– बेटी बचाओ' जैसी योजना सामाजिक दायित्वों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और प्रेरित करती है कि वे समाज के उन संवेदनशील वर्गों के प्रति संवेदनशीलन नजरिया अपनाएं जिन्हें समाज ने ही संवेदनशील बनाया है। यह अपने आप में एक अभिनव पहल है। अक्सर योजनाओं और अभियानों का अंतिम परिणाम कई कारणों से असफल हो जाता है। किन्तु इस तरह की योजनाएँ सामाजिक बदलाव का संकेत अवश्य देती है। आज वैश्विक स्तर पर महिला अधिकार और महिला सशक्तीकरण की बातें हो रही हैं जिसका उद्देश्य आधी आबादी को समाज की मुख्यधारा से प्रत्यक्ष जोड़ना है। देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना के सहारे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना और महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना मलिला सशक्तीकरण की दिशा में एक अहम् और प्रभावशाली कदम हो सकता है। चूंकि शिक्षा ऐसा एक उपकरण है जो समाज में विचारों का संचार करती है और गलत–सही में फर्क सिखाती है। इसकी वजह से समाज में नैतिकता, स्थायित्व और बंधुता का विकास संभव है। सरकार की यह पहल निःसंदेह प्रशंसनीय है जिसमें महिला सशक्तीकरण जैसे गंभीर मसले पर एक मूल कारक को मजबूत करने का प्रयास आरम्भ किया गया हैं

भारत में संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न अनुच्छेदों में महिलाओं के कल्याण से सम्बन्धित व्यवस्था की गई है[4], यथा–

- अनुच्छेद 15 (1) – राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 15 (3) – राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 16 (2) – राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में कोई भी नागरिक लिंग के आधार पर न तो अपात्र होगा न ही उससे विभेद होगा।
- अनुच्छेद 39 (क) – महिला व पुरुष को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन मिले।
- अनुच्छेद 39 (घ) – पुरूष व स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो।
- अनुच्छेद 39 (ङ) – पुरुष व स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर उन्हें ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के प्रतिकूल हो।

- अनुच्छेद 42 – राज्य काम की न्यायसंगत व मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।
- अनुच्छेद 47 – पोषाहार और जीवन–स्तर सुधार के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार।
- अनुच्छेद 51 (क) (ङ) – (मूल कर्तव्य) ऐसी प्रथा का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो।
- अनुच्छेद 243 (घ) (3) – प्रत्येक पंचायत में एक तिहाई सीट स्त्रियों के लिए आरक्षित।
- अनुच्छेद 243 (घ) (4) – पंचायतों मे अध्यक्ष पद के लिए भी एक तिहाई सीट स्त्रियों के लिए आरक्षित।

इस संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की आधारशिला रखी गई थी जिसे आगामी योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के द्वारा और भी बल प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। इन संवैधानिक प्रावधानों का ही यह परिणाम रहा है कि आज महिला सशक्तीकरण की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं।

आज बुद्धिजीवी वर्ग में यह स्वीकार्य हो चुका है कि महिलाओं को उनके हक और समता से वंचित करना एक लोकतांत्रिक समाज के लिए घातक है। चाहे वह महिला के जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण हो या महिला के प्रति यौन हमला[3] । हमारा समाज ऐतिहासिक कारकों के आधार पर महिलाओं को समाज में उच्च या निम्न दर्जा देता रहा है। वह समय और वह समाज आज के समय और समाज से काफी भिन्न है। आज उस तरह के ना विचार है और ना वैसी परिस्थितियाँ फिर भी हम उसी पुरानी मानसिकता से क्यों ग्रसित है। क्योंकि हमारे समाज में स्त्री–पुरुष के बीच असमानता है। इसका मतलब हमारे समाज में कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी है औरबिना इसे ठीक किए हमारा समाज अपने प्राकृतिक रूप में कार्य नहीं कर सकता।[6] वह खुशी की बात है कि सरकार की तरफ से इस दिशा में पहल की गई है जो महिलाओं के प्रति सामाजिक मानसिकता में बदलाव को संबोधित है। इसके पहले की कई योजनाएं प्रमुखतः अभियानों, रैलियों और कागजी कार्यों तक सीमित रह गई। किन्तु इस योजना में एक सन्देश है जिसे समाज के लोगों तक सही रूप में पहुँचाने की भी चुनौती है।

यह सही है कि शिक्षा ऐसी चीज है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए एक अमूल्य निधि है। इसका संरक्षण, पोषण और वितरण भी उसी रूप में जरूरी है। शिक्षा मानव को उन तमाम मुद्दों पर एक दृष्टिकोण प्रदान करती है जहाँ एक अशिक्षित व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमता से नहीं पहुँच पाता। एक लड़की को शिक्षित करने का मतलब होता है कि एक पूरे परिवार को शिक्षित किया गया है और वह लड़की अपनी अगली संतान को भी शिक्षित कर सकती है। इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' योजना शुरू की गई है जो घटते लिंगानुपात को कम करने में सहायक तो होगी ही, दीर्घकाल में समाज के विकास में भी अपनी महत्ती भूमिका अदा करेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. योजना पत्रिका, भारत सरकार, जनवरी, 2017, पृ0 13
2. मासिक पत्रिका बनिता, मार्च, 2016, पृ0 38
3. कुरूक्षेत्र पत्रिका, भारत सरकार, अक्टूबर 2016, पृ0 25
4. पी0एन0प्रभू, हिन्दी सामाजिक संगठन, पृ0 117
6. www.wikipedia.com

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

ग्रामीण सशक्तीकरण में विज्ञान एवं तकनीक की भूमिका

डॉ0 राजन गुप्ता
समाजशास्त्र विभाग
मां गायत्री महाविद्यालय
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश : विज्ञान एवं तकनीक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वास्थ्य, यातायात, संचार, परिवहन, बिजली, कृषि, शिक्षा, मनोरंजन एवं उद्योग ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, जो कि विज्ञान और तकनीक के प्रभाव से वंचित हो। आज विज्ञान मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना सहयोग कर रहा है। गांव हो या शहर सभी जगह घर से लेकर उद्योग–धन्धों, व्यवसाय, सामाजिक एवं आर्थिक विकास सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक उपलब्धियों में जीवन को आसान, सुखमय और सुविधाजनक बना दिया है। हालांकि गांवों में सुविधाओं का प्रतिशत अभी शहरों के मुकाबले कम है। लेकिन धीरे–धीरे गांवों में भी इंटरनेट से लेकर प्रौद्योगिकी अपने पैर पसार रही है। कृषि क्षेत्र में जैन प्रौद्योगिकी, अत्याधुनिक कृषि यंत्रों, सौर ऊर्जा और आधुनिक सिंचाई पद्धतियों के चलते क्रांतिकारी परिवर्तन हुये है। प्रस्तुत शोध में ग्रामीण सशक्तीकरण में विज्ञान एवं तकनीक की भूमिका का विश्लेषण करना है।

परिभाषिक शब्द : ग्रामीण सशक्तीकरण, विज्ञान एवं तकनीक, सामाजिक आर्थिक विकास, मनोरंजन आदि।

ग्रामीा का अर्थ होता है, व्यक्ति विशेष का समूह जो गांव में निवास करता है। मैन्डलबाम ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत में गांव स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकने वाला पृथक अवधारणात्मक सम्बोधन नहीं है, बल्कि यह एक बृहत समाज का अंग है।[1] जबकि सशक्तीकरण का अर्थ है कि व्यक्ति को घर, परिवार, समाज व राष्ट्र में अपनी नैसर्गिक क्षमता, स्वतंत्रता व मुक्ति का बोध कराकर इतना सशक्त व सक्षम बनाना है कि वे अपने जीवन में व्यक्तिगत व सामाजिक निर्णय लेने के हकदार हो। सच्चे में लोकतंत्र तभी सार्थक होगा जब ग्रामीण क्षेत्रों का सही मायने में आधारभूत विकास होगा।

हमारा ग्रामीण समाज एक अज्ञात भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। जो संकट आज हमारे समाज के सामने है उनकी प्रबलता और आवृत्ति में वृद्धि सम्भव है। बढ़ती जनसंख्या और समाप्त प्रायः संसाधनों के साथ हमारे देश को नयी समस्याओं का सामना करना है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिये हमें ऐसे ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होगी जो हमारी समस्या समाधान की क्षमता में योगदान कर सके, न केवल विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बल्कि मानव सम्बन्धों और प्रबन्ध के क्षेत्र में भी।[2]

भारतीय ग्रामीण परिवेश में विज्ञान तथा तकनीक का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है, अगर हम वर्तमान स्थिति की तुलना कुछ दशक पूर्व की स्थिति से करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि वर्तमान में बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है। उदाहरणस्वरूप करीब एक शताब्दी पूर्व तक यह बस एक कल्पना मात्र थी कि मनुष्य आकाश में उड़ सकेगा। परन्तु अब यह केवल संभव नहीं है, बल्कि इतना सामान्य हो गया है कि कोई भी व्यक्ति थोड़ी रकम खर्च कर हवाई यात्रा कर सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोग फ्लू से मरते थे। इसकी रोकथाम के लिये प्रतिरक्षी दवाओं का अविष्कार दुनिया को विज्ञान एवं तकनीक की सबसे बड़ी देन है। कुछ समय पूर्व तक ऐसे रोग थे जिन्हें घातक माना जाता था। अगर किसी व्यक्ति को उस प्रकार का रोग हो जाता था तो लोग यह मान लेते थे कि वह व्यक्ति अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। परन्तु आज आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि असाध्य रोग, कैंसर, टी0बी0, हृदय रोग पर विजय विज्ञान के माध्यम से सम्भव हो सकी है।[3]

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि विश्व में, खासकर विकसित राष्ट्रों में तो बहुत कुछ हो रहा है। परन्तु क्या वह सब भारत में भी हो रहा है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। कारण यह है कि भारत को गांवों का देश ही माना जाता है। यह अवश्य है कि भारत में शहरीकरण तेजी से हो रहा है। नगर बन भी रहे हैं और बड़े भी हो रहे हैं। फिर भी देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में ही बसता है। सीधे या परोक्ष रूप में अभी भी देश की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है।

ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हम वह आंकलन करें कि विगत कुछ दशक में देश के ग्रामीण क्षेत्र को विज्ञान तथा तकनीक में होने वाले विकास का लाभ मिला है या नहीं? अगर मिला है तो किस हद तक तथा अगर कुछ कमी है तो वह किस प्रकार की है। बहुत से परिवर्तन ऐसे है जो हर व्यक्ति की समझ में बहुत आसानी से आ सकते हैं जैसे सड़कों का विकास, यातायात के साधनों का विकास, टेलीफोन का विस्तार इत्यादि। देश का बहुत कम भाग ऐसा है जहाँ यह सुविधाएँ नहीं पहुँची हैं। वैसे दूरदराज के क्षेत्रों के लिए प्रयास हो रहे हैं ताकि वहाँ भी इस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएं।

संचार क्षेत्र की दो–तीन दशक पूर्व तक टेलीफोन की सुविधा बहुत कम थी ग्रामीण क्षेत्र में। लोगों को किसी से टेलीफोन पर बात करने के लिए पास के शहर या कस्बे में जाना पड़ता था। आज संवाद एकदम सहज और तात्कालिक हो गया है। हर जगह सुदूर स्थानों पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। टेलीफोन और टेलीग्राफ से भी क्षणभर में किसी भी प्रकार के संदेश और विचारों का आदान–प्रदान किया जा सकता है। टेलीप्रिंटर, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट से कोई भी समाचार क्षण भर में प्रसारित किया जा सकता है। यही नहीं संचार माध्यमों टेलीविजन, रेडियों, इंटरनेट ने शिक्षा को भी बेहद सरल और सहज बना दिया है। शिक्षा के उजाले को गांवों में फैलाने के लिए 'इसरो' ने पहल की है। इनसेट उपग्रह की मदद से युवाओं में कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण किया जा रहा है। 'एडुसैट' की मदद से ग्रामीण स्कूल के बच्चों को अतिरिक्त शिक्षण–प्रशिक्षण दिया जा सकता है। 'एडुसैट' द्वारा टेलीशिक्षा देने का काम 'इसरो' कर रहा है।

अब अगर हम आवागमन की बात करें तो हर जगह बसों या दूसरे प्रकार की सवारी मिल जाती है। पहले लोगों को मीलों पैदल चलना पड़ता था या बैलगाड़ी, टांगा इत्यादि से जाना पड़ता था। अब स्थिति बदल चुकी है। जहां तक लोगों के निजी वाहनों का प्रश्न है उनकी संख्या भी तेजी से बढ़ रही है खासकर दुपहिया वाहन तो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में ही बिकते हैं। शायद ही पूरे देश में कोई गांव ऐसा होगा जहां ऐसे वाहन नहीं हो।

एक अन्य उदाहरण है स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं। कुछ दशक पूर्व तक मामूली समस्याओं के लिए भी लोगों को शहर की तरफ जाना पड़ता था। परन्तु अब ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पताल काम करने लगे हैं। अधिकतर समस्याओं का उपचार वहां हो जाता है। यह अवश्य है कि गम्भीर समस्या होने पर लोगों को शहर या महानगर की ओर जाना पड़ता है। सामान्य प्रकार की जांच, एक्स–रे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि की सुविधा अब ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध है। इन सब के कारण लोगों को सुविधा हो गई है। हालांकि अभी भी सिगनल की समस्या आड़े आती है लेकिन समय के साथ यह समस्या भी दूर हो जाएगी। उसी के साथ प्रसूति से सम्बन्धित सुविधाओं का विस्तार भी हुआ है उनमें से एक है नवजात शिशुओं एवं बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का टीका कार्यक्रम। और अब वह सुविधा गांवों में भी उपलब्ध है। परिणामस्वरूप गर्भवती महिलाओं के लिए परिस्थितियां आसान हुई है और बच्चों तथा शिशुओं की मृत्यु दर में बहुत कमी हुई है।[4]

कृषि भारतीय गांवों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आधुनिक तकनीक की सहायता से कृषि के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। किसानों ने इनकी उपयोगिता को समझ कर परम्परा से चले आ रहे यंत्रों को छोड़ नए कृषि यंत्रों के उपयोग से कृषि में सुधार आया है और उसे व्यापारिक–स्तर प्राप्त हुआ है। इससे औसत भारतीय किसान का जीवन–स्तर सुधरा है। कृषि में यंत्रों के प्रवेश से किसानों के शारीरिक श्रम का भार कम हुआ है तथा अतिरिक्त आय प्राप्ति के लिए उसने कृषि से संबंधित अन्य पेशों जैसे पशुपालन, मुर्गीपालन, मछली पालन आदि की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना प्रारंभ कर दिया है।

सोलर पम्प भी अब बड़े पैमाने पर उपलब्ध है जिसेस बिजली की निरंतर एवं कर्म खर्च पर सप्लाई सुनिश्चित हुई है। पिछले कुछ दशक में पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की तकनीक में बहुत सुधार हुआ है। पहले बहुत पानी बेकार जाता था। अब उसमें बहुत कमी हुई है।

वर्तमान में लगभग 20 मिलियन नलकूप इत्यादि है जिनसे पानी निकाला जाता है। पानी के लिए कोई कीमत नहीं है। उस कारण आवश्यकता से अधिक पानी निकलता है। अनुमान है कि भूमिगत जल भण्डार से लगभग 190 घन कि.मी. पानी एक वर्ष में निकलता है जबकि औसतन पूरे वर्ष लगभग 128 घन कि.मी. पानी ही भूमिगत भण्डार तक पहुंचता है। भारत में वर्षा से 4000 घन किमी. स्वच्छ जल वर्षा प्राप्त होता है। इसमें से 700 घन किमी. जल वाष्पीकृत होकर वायुमण्डल में लौट जाता है; 2150 घन किमी. मृदा में आर्द्रत के रूप में रहता है; तथा 1150 घन किमी. मिट्‌टी में धंसकर भूमिगत जल के भण्डार में मिल जाता है।[5]

पशुपालन के क्षेत्र में भी पिछले कुछ दशक में काफी सुधार हुआ है। आम लोगों को उनके विषय से अधिक ज्ञान नहीं भी हो सकता है क्योंकि उनका उन मामलों से सीधा सम्पर्क नहीं होता है। दूध का उत्पादन देश में बढ़ा

है। उसके पीछे संकरण एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। उसके अतिरिक्त पशुओं की बेहतर देखभाल, बेहतर स्वास्थ्य एवं उन्नत भोजन का भी योगदान रहा है। जमे हुए वीर्य का उपयोग, कृत्रिम गर्भाधान, उन्नत जनन–द्रव्य की विधि का उपयोग कर आमूल परिवर्तन लाया गया है। साथ ही साथ टीका लगाने की विधि को आम किया गया।

ग्रामीण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास में कई प्रकार की बाधाएं होती हैं। उनमें से दो प्रकार की बाधाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। एक प्रकार की वह बाधाएं होती हैं जो अन्तर्जात होती हैं। उनके पीछे उन लोगों की कमजोरी होती है जिन्हें उन्हें अपनाना होता है या उन लोगों की कमी होती है जो उस प्रकार की तकनीक का प्रबन्ध करते हैं या उन्हें तैयार करते हैं। दूसरे प्रकार की बाधा बहिर्जात होती है। उनके लिए वह लोग जिम्मेदार हो सकते हैं जो संसाधन तैयार करते हैं या उन्हें वितरित करते हैं। वह ग्रामीण क्षेत्र में काम करने से कतराते हैं। उसके अतिरिक्त सरकारी विभागों के लोग भी हो सकते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र पर भरोसा नहीं होता है। वित्तीय संस्थाएं भी ग्रामीण क्षेत्र में धन लगाने में अनिश्चयी होते हैं। परन्तु समय के साथ इन सबमें भी सुधार हो रहा है।

प्रत्येक राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीक के विकास के लिए अलग विभाग है। वह इसी विषय पर काम करते हैं कि किस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाया जाए और उनका लाभ जन–जन तक पहुंच सके। उनका प्रयास रहता है कि ऐसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जाए जिन्हें लोग आसानी से अपना सकें और जिनसे रोजगार के अवसर पैदा हो सकें।[6]

आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग और सशक्त तभी होंगे जब वे आगे आकर नई तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी को अपनायेंगे और इसका खुलकर समर्थन करेंगे। यद्यपि शिक्षा उसमें उनकी बहुत हद तक मददगार भी साबित हो सकती है।

यह सही है कि शिक्षा का विस्तार, खासकर बेहतर शिक्षा का प्रसार ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरह नहीं हुआ है। फिर भी जितना हुआ है उसका लाभ उठाकर लोगों को आगे बढ़ना होगा और साथ ही साथ शिक्षा के स्तर को भी बेहतर बनाना होगा। हर काम के लिए या हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भागने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। बहुत से लोगों ने ऐसा सफलतापूर्वक किया है। जैविक खेती की आजकल बहुत वर्षा है और उससे लाभ भी है। उसे अपना कर लोग अपनी आमदनी तथा जीवन–स्तर सुधार रहे हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से बहुत–सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ऐसी तकनीक को अधिक से अधिक अपनाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को लाभ तो मिलेगा ही साथ ही जो लोग उस प्रकार के विकास का काम करते हैं। उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. श्रीवास्तव, ए0आर0एन0, भारतीय समाज, शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ0 45
2. अहूजा राम, भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ0 243
3. कुरूक्षेत्र पत्रिका, भारत सरकार, 2017, पृ0 38
4. ओझा, एस0के0 जनसंख्या एवं नगरीकरण, बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ0 18
5. खन्ना आशा एवं श्रीवास्तव (2001) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं पर्यावरण, म0 प्र0, पृ0 45
6. मिश्रा दिनेश कुमार (2004), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृ0 21

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

भारतीय दर्शन में परमार्थस्वरुपानुभूति

डॉ0 वन्दना द्विवेदी
असि0 प्रोफेसर, संस्कृत
विभाग, नवयुग कन्या महाविद्यालय,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

शोध आलेख सार– साधक शास्त्राभ्यास एवं गुरुसपर्या के राहित्य से बौद्ध एवं पौरुष ज्ञानलाभ नहीं कर सकता, क्या उसको यथार्थ आत्मस्वरूप की अनुभूति कभई नहीं हो सकती? जबकि जीव शिव का ही रुप माना जाता है, तो एसी दशा में सीमित रुप से ही भले क्यों न हो, आत्मप्रकाश तो रहता ही होगा। जब यह रहता है तो सीमित रुप में ही क्यों न हो, अज्ञान(मल) का नाश करता ही होगा? इस प्रकार भारतीय दर्शन का प्रतिवाद्य ही आत्मावलोकन एवं आत्मानुभूति है। सभी शास्त्र अपने ढंग से इसी के प्रतिपादन में सन्नद्ध हैं।
मुख्य शब्द– भारतीय दर्शन, परमार्थस्वरुपानुभूति, शास्त्राभ्यास, गुरुसपर्या।

मानव जीवन अमूल्य एवं सभी जीवों से उत्कृष्ट माना जाता है। देवयोनि एवं तिर्यग् योनि भोगभूमियाँ मानी जाती है, जबकि मानव योनि कर्मक्षेत्र मानी जाती है। सन्तशिरोमणि तुलसीदास भी अन्य महापुरुषों की तरह कहते हैं- 'बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रन्थन गावा।' इसीलिये ईशादि श्रुति कहती हैं कि मानव को निष्कामभाव से सदा शुभकर्म करते हुये दीर्घजीवन की इच्छा करनी चाहिये।[1] जीव को परमात्मा की ही प्रतिकृति (Replica of the God) माना जाता है, जैसा भगवान् श्रीकृष्णा गीता में[2] और आद्य गुरु शड्.कराचार्य ब्रह्मसूत्रशाड्.करभाष्य में इस रहस्य की पुष्टि करते हैं, जो कठादि श्रुति के प्रतिपाद्य सिद्धान्त के अनुकूल हैं। परन्तु ब्रह्मरुप होते हुये भी जीव दुःखत्रय से क्यों प्रताड़ित हैE?[3] आवगमन चक्र के भँवर में क्यों फँसा रहता है? परमात्मा परमानन्दस्वरुप है, सर्वथा परिपूर्ण है, शुद्ध-बुद्ध-मुक्त निर्विकार चैतन्यरुप है, फिर उसी का प्रतिरुप जीव क्यों

अज्ञानतम से कलुषित रहता है? इत्यादि अनेक जिज्ञासाओं का समाधान करते हुये शास्त्र कहते हैं कि इसका मूल कारण अज्ञान है, जैसे सिंह शावक भेड़ो की संगति के स्वरुप अनभिज्ञता से कष्ट पाता है।

शैव शास्त्रों मेंयह अज्ञान दो प्रकार का बतलाया गया है-बोद्ध अज्ञान और पौरुष अज्ञान। बुद्धि के स्तर पर होने वाले अज्ञान को बौद्ध अज्ञान तथा पुरुष के स्तर पर होने वाले अज्ञान को पौरुष अज्ञान करते हैं।[4] वास्तव में आत्मपरमेश्वर सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, अपरिमित, अक्षर, परिपूर्ण, शुद्ध प्रकाशरूप है, परन्तु स्वेच्छा से अपनी स्वस्वरूगोपनात्मा माया शक्ति द्वारा अपने स्वरूप एवं शक्तियों में संकोच आभासित कर देता है। यह संकोच अथवा प्रकाश(बोध) की परिमतता ही मल कहा जाता है, जिसे जड़ता का पर्याय माना जाता है। इस मलरुपी अज्ञान(परिमित ज्ञान) को ही संसारी(बद्ध पशु) भाव का कारण माना जाता है। इस प्रकार आत्मपरमेश्वर की असीमित ज्ञान और क्रिया आदि शक्तियाँ मायावश अभिव्यक्त हुये जीवभाव में उसके अल्पज्ञ और अल्प शक्तियुक् समझने का कारण बनती है। अप्रतिहत स्वातन्त्रयरुपा इच्छाशक्ति संकुचित-ही हुई अपूर्णमन्यतारूप आणव मल, ज्ञान शक्ति क्रम से संकोच के कारण भेद(द्वैतभाव) में सर्वज्ञत्व से किञ्चिज्ज्ञत्व को प्राप्त होने से अन्तःकारण-बुद्धीन्द्रियता से सम्पन्न होकर अत्यन्त संकोच ग्रहण करने के कारण भिन्नेवेद्यप्रभारूप मायीय मल तथा क्रियाशक्ति सर्वकर्तृत्व से किञ्चित् कर्तृत्व को प्राप्त होने से कर्मेन्द्रयरूप संकोच ग्रहण से अत्यन्त परिमितता को प्राप्त हुई शुभाशुभ अनुष्ठानमय कार्म मल रुप को धारण कर लेती है। इसी प्रकार सर्वकर्तृत्व-सर्वज्ञत्व-पूर्णत्व-नित्यत्व-व्यापकत्व आदि शक्तियाँ संकोच ग्रहण करने में यथाक्रम कला-विद्या-राग-कला-नियतिरूप से भासित होने लगती हैं।

शिव(पति) की अवस्था की ज्ञान, क्रिया और माया शक्ति जीव(पशु) की दशा में क्रमशः सत्तव, रजत् और तमस् गुणों में परिच्छिन्न हो जाती हैं।[5] इस प्रकार चित्स्वरूप आत्म- परमेश्वर स्वरुप एवं निज शक्तियों में संकोच के कारण मल(अज्ञान) से ढक कर संसारी बन जाता है। ये अज्ञान(मल) बौद्ध एवं पौरुष-दोनों रुपों से बन्धन का कारण बनता है। स्वच्छन्दतन्त्र अनुसार मल(अज्ञान) से चैतन्य(आत्मा का सब कुछ जानने एवं करने का स्वातन्त्रय) दब जाता है एवं कला(किञ्चत् करने की सामर्थ्य और विद्या(किञ्चत् जानने की सामर्थ्य) से युक्त हो जाता है, राग से रञ्जित तथा भूत, वर्तमान, भविष्य की काल कलना से ग्रस्त हो जाता है। नियति (विशेष कारण से विशेष कार्य उत्पन्न करने की क्षमता) से नियन्त्रित हो जाता है; जिससे पुरुष विशेष के दृढ़ संस्कार तथा प्रकृति की वासना व गुणत्रय(सत्तव, रज, तम) से समन्वित होकर बुद्धि, अहंकार, मन, बुद्धीन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय, तन्मात्र और स्थूल भूतों के आवरण से युक्त

होने से मलावृत कहलाता है। वसुगुप्त भी स्पन्दकारिका में यही भाव अभिव्यक्त करते हुये कहते हैं कि जीव अपने वास्तविक स्वरुप की अनभिज्ञता के कारण मल(आणव, मायीय, कार्म मल) आवरण युक्त हुआ असमर्थता अनुभव करता है। अतएव यह मल (अज्ञान) ही बन्धन का कारण होता है। इसलिये इस द्विविध आवरण (बौद्ध-पुरूष) को अनावृत किये बिना स्वरुपानुभूति उसी प्रकार दुष्कर है, जैसे दर्पण के ऊपर से मैल हटाये बिना मुख स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। गुरु के उपदेश से और शास्त्रों के अभ्यास से जीव की बुद्धि का मल(अज्ञान) दूर जाता है। वह बुद्धि के स्तर पर समझ लेता है कि मैं असीम, परिपूर्ण सुद्ध संवित् हूँ। स्वभाव से ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् परमेश्वर हूँ। इस प्रकार के बौद्ध ज्ञान से बौद्ध अज्ञान दूर हो जाता है, परन्तु मूल (पौरुष) अज्ञान के निवृत्त हुये बिना अकेले बौद्ध ज्ञान से स्वरुपानुभूति नहीं होती। मानव का समस्त आचार-व्यवहार पौरुष अज्ञान से हो सकता है। अतएव पौरुष एवं बौद्ध दोनों प्रकार का ज्ञान यथार्थ स्वरुपानुभूति (शिवत्व प्राप्ति) के लिये अतीव आवश्यक होता है। जीव की आत्मा एवं बुद्धि दोनों निर्मल बन जानी चाहिये। अतः सच्छास्त्रों के सिद्धान्तों को बुद्धि से समझने द्वारा बुद्धि के स्तर की मल तथा गुरु के उपदेशपूर्वक शाम्भव आदि उपायों के अभ्यास से आत्मिक स्तर के आवरण को दूर करने से ही अपने वास्तविक, परमानन्द एवं शुद्ध आत्मदेव की स्वरूपानुभूति लाभान्वित हो सकती है। यह केवल समझने तक ही पर्याप्त नहीं है, अपितु क्रियात्मक रूप में अनुभूति आवश्यक है। जब कोई साधक क्रियात्मक रूप से अपने शिवभाव का साक्षात् अनुभव करता है, तभी उसे अपनी शिवता का पक्का विश्वास हो सकता है। गीतार्थसंग्रह और विंशतिशास्त्र टीका में इसी को विज्ञान कहा गया है।[6]

अब जिज्ञासा हो सकती है कि जो साधक शास्त्राभ्यास एवं गुरुसपर्या के राहित्य से बौद्ध एवं पौरुष ज्ञानलाभ नहीं कर सकता, क्या उसको यथार्थ आत्मस्वरूप की अनुभूति कभई नहीं हो सकती? जबकि जीव शिव का ही रुप माना जाता है, तो एसी दशा में सीमित रुप से ही भले क्यों न हो, आत्मप्रकाश तो रहता ही होगा। जब यह रहता है तो सीमित रुप में ही क्यों न हो, अज्ञान(मल) का नाश करता ही होगा? इस प्रकार भारतीय दर्शन का प्रतिवाद्य ही आत्मावलोकन एवं आत्मानुभूति है। सभी शास्त्र अपने ढंग से इसी के प्रतिपादन में सन्नद्ध हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1- कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेषच्छतं समाः। ईशा. उप. मन्त्र.2।

2- ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः भ.गी. 15/7।

3- दुःखत्रयाभिघातात्-सांरण्य कारिका-

4- तैत्तरीय आरण्यक- 1/36-37

5- स्वाङ्गरुपेषु भावेषु पत्युर्ज्ञानं क्रिया च या। ई. प्र. का 4/4।

6- विंशतिशास्त्रटीका पृष्ट 2।

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

साम्प्रतिकसमाजे प्रायश्चित्तस्योपयोगिता

डॉ. प्रीति पारेश्वरी महान्ति
सहाचार्या, धर्मशास्त्रविभागः,
राजकीयसंस्कृतमहाविद्यालयः
भागलपुरः, बिहारः।

सारांशः – स्मृतिशास्त्रेषु प्रमुखोऽलोचितविषयेषु आचार-व्यवहार-प्रायश्चित्तेषु प्रायश्चित्तम् अन्यतमम्। यदि कश्चित जनः ज्ञानतोऽज्ञानतः वा कामतोऽकामतो वा गुरुं लघुं वा पापमाचरति तदर्थं सः पापतारतम्येन प्रायश्चितम् आचरेदिति सर्वैः धर्मशास्त्रकारैः प्रतिपादितम्। यद्यपि ज्ञानकृतस्य कामकृतस्य च पापस्य निष्कृतिः प्रायश्चित्तेन नैव सम्भवति, तथापि प्रायश्चितं लोकसंव्यवहारार्थं कर्त्तव्यम्। अन्यथा तज्जनः समाजे निन्दनीयः स्यात्। प्रायश्चित्तस्याचरणेन पापं क्षीयते लोकश्च प्रसीदति समाजे निन्दा न लभ्यते, अन्तरात्मा शूद्धो भवति, मनश्च निर्मलं भवति, तस्मात् पापानां प्रायश्चितम् आचरणीयम्। अतः साम्प्रतिकसमाजे तादृशः प्रायश्चित्तस्य उपयोगिताविषये मनुगौतमादिस्मृतिसूत्रादि-ग्रन्थानुसारैः मया किञ्चिदालोच्यते।

मुख्य शब्दः – साम्प्रतिकसमाज, प्रायश्चित्त, उपयोगिता, स्मृतिशास्त्र, संस्कार।

संस्कारस्य, श्राद्धस्याशौचस्यापि दैनन्दिनलोकोपयोगित्वात् तेषां महत्त्वमावश्यकत्वं च जगति जनानां सम्यक् विद्यते, तद्वत् प्रायश्चित्तस्यापि आवश्यकता अस्ति। मानवः स्वज्ञातसारेणाज्ञानतो वा

यानि यानि कर्माणि करोति तेषां फलं स तस्मिन्नेव जन्मनि भुङ्क्ते यदि असमाप्य म्रियते, तर्हि परजन्मनि तत्कर्माणां फलं सः अवश्यं भुङ्क्ते। सुकर्मणः फलमुत्तमं पुण्याय कल्पते। किन्तु दुष्कर्मणः फलं पापाय कल्पते। उत्तमं कर्ण कृत्वा जनः सुखेन कालम् अतिवाह्य मरणादनन्तरं स्वर्गं प्राप्नोति। कुत्सितं च कर्म कृत्वा मानवः दुःखेन कालं यापयित्वा मरणानन्तरं नरकान् भुक्त्वा तदनन्तरमपि कुत्सितयोनौ जायते। यतो हि कर्म न क्षीयते। तत्र कर्म त्रिविधं भवति- प्रारब्धं, क्रियमाणं, संचितञ्च। पूर्वजन्मनि यत् कर्माचरितं तत् प्रारब्धरूपेण इह जन्मनि भुज्यते। इह जन्मनि क्रियमाणे कर्मणि ह्यभुक्ते सति यदि जनः म्रियते, तर्हि भुक्तावशिष्टं परजन्मनि पुनर्भुज्यते, इह जन्मनि यत् कर्म सञ्चितं भवति तदपि परजन्मनि तत्फलरूपेण भुज्यते। अतः वेदधर्मशास्त्रादिषु विहितकर्मणः अनुष्ठानं निन्दितकर्मणां च वर्जनम् उपदिष्टम्। विहितस्य कर्मणः अनुष्ठानेन निन्दितस्य च कर्मणः सेवनेन नरः पतनयोग्यो भवति। प्रसङ्गेऽस्मिन् [i]गौतमेन प्रतिपादितं यत्- अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन कर्मणा लिप्यते यथैतदयाज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमवद्यवदनं शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्धसेवनमिति। तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते न कुर्य्यादित्याहुः न हि कर्म क्षीयते इति। परन्तु प्रायश्चित्तकरणे पापक्षयो भवतीति शास्त्रसिद्धम्। अथ यदि कोऽपि पापी प्रायश्चित्तं नाचरन् म्रियते, तर्हि तत्परिणामस्वरूपं तामिस्रादीनेकविंशतिनरकान् प्राप्य परजन्मनि कुत्सितचिह्नयुक्तः सन् जायते, जनैश्च घृण्यो भवति। ते चैकविंशतिनरका [ii]मनुना प्रतिपादिताः यथा-

तामिस्रमन्धतामिस्रं महारौरवरौरवौ।
नरकं कालसूत्रं च महानरकमेव च।।
संजीवनं महावीचिं तपनं सम्प्रतापनम्।
संहातं च सकाकोलं कुड्मलं प्रतिमूर्तिकम्।।
लोहशङ्कुमृजीषञ्च पन्थानं शाल्मलीं नदीम्।
असिपत्रवनं चैव लोहदारकमेव च।। इति।।

ब्रह्महादिमहापातकिनः मन्वन्तरं यावदुक्तनरकेषु पर्य्यायेण पच्यन्ते। अनुपातकिनः महापातकतुल्यपातकिनः मन्वन्तरमेवोपपातकिनो गोहन्त्रादयः चतुर्युगपर्यन्तं कालम्, सङ्करीकरणकारिणः युगादिहचर्य्यात् दिव्यं वर्षसहस्रम्। जातिभ्रंशकरकर्मकारिणोऽपि अमुमेव कालं गृह्णीयुः। अपात्रीकरणकारिणोऽप्ययमेव कालः। मलिनीकरणकारिणोऽपि वर्षसहस्रम्, प्रकीर्णपापकारिणो वर्षशतं, प्रक्रमवशादुक्तेषु नरकेषु क्रमेण पच्यन्ते इति केशववैजयन्त्यां विवृताम्। ते च महापातकिनः घोरनरकेषु भयानकैर्यमदूतैः पीड्यमानस्तद्भोगानन्तरं तिर्यग्योनौ प्रपद्यन्ते विविधानि दुःखानि च प्राप्नुवन्ति। प्रसङ्गेऽस्मिन् [iii]मनुनोक्तं यत्-

श्वसूकरखरोष्ट्राणां गोऽजाविमृगपक्षिणाम्।
चण्डालपुक्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति।। इति।।

पुनश्च [iv]याज्ञवल्क्येनाऽस्मिन् विषये प्रतिपादितं यत्-

मृग(गा)श्वसूकरोष्ट्राणां ब्रह्महा योनिमृच्छति।
खरपुल्कसवेनानां सुरापो नात्र संशयः।। इति।।

एवं महतः पापस्य परिणामो यथा महान् तथा स्वल्पस्य पापस्यापि। अकृतप्रायश्चित्तो जनो भिन्नभिन्नक्षुद्रयोनौ जायते इति धर्मशास्त्रेषु प्रतिपादितम्। तद्यथा पररत्नापहारको हेमकारपक्षी, शाकं हृत्वा मयूरः, गन्धान् हृत्वा छुच्छुन्दरी, धान्यहारी मूषकः, यानहर्ता उष्ट्रः, फलहर्त्ता वानरः, जलापहरणे प्लवः, दुग्धमपहृत्य काकः, गृहोपस्करहरणे गृहकारिकीटविशेषः, मधु हृत्वा दंशः, मांसहरणे गृध्रपक्षी, गां हृत्वा गोधा, वस्त्रं हृत्वा श्वित्री, इक्ष्वादिरसापहरणे सारमेयः, लवणहारी च चीरी भूत्वा जायते। विषयेऽस्मिन् बहुभिधर्मशास्त्रकारैर्बहुधा प्रतिपादितम्। तत्र जनो यादृशं पापं करोति तत्सम्बन्धी भूत्वा पुनर्जायते इति सर्वेषामभिप्रायः। तत्रादौ महर्षिणा [v]याज्ञवल्क्येन प्रतिपादितं यत्-

मूषको धान्यहारी स्याद्यानमुष्ट्रः कपि फलम्।
जलं प्लवः पयः काको गृहकारी ह्युपस्करम्।।
मधु दंशः पलं गृध्रो गां गोधाग्निं बकस्तथा।

श्वित्री वस्त्रं श्वा रसं तु चीरी लवणहारकः।। इति।।

पुनश्च [vi] विष्णुस्मृतौ प्रसङ्गेऽस्मिन् प्रतिपादितं यत्- 1) पापात्मानो नरकेष्वनुभूतदुःखा तिर्यग्योनयो भवन्ति, 2)अतिपातकिनः पर्यायेण सर्वाः स्थावरयोनयः, 3) महापातकिनः कृमियोनयः, 4) अनुपातकिनः पक्षियोनयः, 5) उपपातकिनो जलयोनयः, 6) जातिभ्रंशकरा जलचरयोनयः, 7) सङ्करीकरणकर्माणः मृगयोनयः, 8) कृतापात्रीकरणकर्माणः पशुयोनयः, 9) कृतमलिनीकरणकर्माणः कृमिकीटादियोनयः, 10) प्रकीर्णहिंस्राः क्रव्यादा भवन्ति। एवं प्रकारेण नानादुःख नारकीययातनाश्च प्राप्य तिर्य्यग्योनौ च जन्म लब्धा कर्मक्षयानन्तरं रुजादिलक्षणयुक्ताः सन्तः पुरुषयोनौ पुनर्जायन्ते। प्रसङ्गेऽस्मिन् [vii]मनुना प्रदर्शितं यत्-

सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम्।
ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दौश्चर्म्यं गुरुतल्पगः।।
पिशुनः पौतिनासिक्यां सूचकः पूतिवक्त्रताम्।
धान्यचौरोऽङ्गहीनत्वमातिरेक्यं तु मिश्रकः।।
अन्नहर्त्ताऽऽमयावित्वं मौक्यं वागपहारकः।
वस्त्रापहारकः श्वैत्र्यं पङ्गुतामश्वहारकः।।
एवं कर्म विशेषेण जायन्ते सद्भिगर्हिताः।
जडमूकान्धवधिरा विकृताकृतयस्तथा।। इति।।

विषयेऽस्मिन् याज्ञवलक्योऽपि मनुना सहैकमतो भवति । महापातकिनः बहूनि वर्षाणि यावत् भयङ्करान्नरकान् प्राप्य तद्भोगान्तरं दुष्कृतशेषेण श्वसूकरयोनिषु जन्म लभन्ते। ततश्च स्तेनः कुनखीः भवति, श्वीत्री भवति ब्रह्महा, सुरापः श्यावदन्तस्तु दुश्चर्मा गुरुतल्पगः।। इति [viii]वसिष्ठधर्मशास्त्रे प्रतिपादितम् ।

अस्मिन् विषये [ix]याज्ञवल्क्यस्मृतेर्मितक्षराटीकायां शङ्खवचनत्वेन दृश्यते यत्- ब्रह्महा कुष्ठी, तैजसापहारी मण्डली देवब्राह्मणाक्रोशकः खलतिः, गरदाग्निदावुन्मत्तौ, गुरुं प्रतिहन्ताऽपस्मारी,

गोघ्नश्चान्धः धर्मपत्नीं त्यक्त्वाऽन्यत्र प्रवृत्तः शब्दभेदिप्राणिविशेषः, कुण्डाशी भगभक्ष्यः, देवब्राह्मणस्वापहारी पाण्डुरोगी, न्यासापहारी काणः, स्त्रीपण्यजीवी षण्ढः, कौमारदारत्यागी दुर्भगः, मिष्टैकाशी वातगुल्मी, अभक्ष्यभक्षको गण्डमाली, ब्राह्मणीगामी निर्बीजी, क्रुरकर्मा वामनः, वस्त्रापहारी पतङ्गः, शय्यापहारी क्षपणकः, दीपापहारी कौशिकः, मित्रध्रुक् क्षयी, मातापित्रोराक्रोशकः खञ्जकः इति। ततश्च तत्रैव गौतमवचनत्वेन दृश्यते यत्-अनृतवाग् गुग्वलः, दारत्यागी जलोदरी, कूटसाक्षी श्लीपदी, विवाहबिघ्नकर्त्ता छिन्नोष्ठः, मातृघ्नोऽन्धः, स्नुषागामी वातवृषणः, चतुष्पथे विण्मूत्रविसर्जकः मूत्रकृच्छ्री, कन्यादूषकः षण्ढः, ईर्ष्यालुर्मशकः, पित्रा विवदमानोऽपस्मारी, न्यासापहारी अनपत्यः, रत्नापहारी अत्यन्तं दरिद्रः, विद्याविक्रयी पुरुषमृगः, वेदविक्रयी द्विपः, बहुयाजको जलप्लवः, अयाज्ययाजको वराहः, अनिमन्त्रितभोजी वायसः, मिष्टैकभोजी वानरः, यतस्ततोऽश्नन्मार्जरः, कक्षवनदहनोत्सादी मण्डलकुष्ठी, शुद्राचार्य्यः श्वपाकः, गोहर्त्ता सर्पः, स्नेहापहारी क्षयी, अन्नापहारी अजीर्णी, ज्ञानापहारी मूकः, चण्डालीपुक्कसीगन्ता अजगरः, प्रव्रजितागमने मरुपिशाचः, शूद्रीगमने दीर्घकीटः, सवर्णाभिगामी दरिद्रः, जलहारी मत्स्यः, क्षीरहारी बलाकः, वार्धुषिकः, अङ्गहीनः, अविक्रेयविक्रयी गृध्रः, राजमहिषीगामी नपुंसकः, राजक्रोशको गर्दभः, गोगामी मण्डूकः, अनध्यायाध्ययने शृगालः, परद्रव्यापहारी परप्रेष्यः, मत्सयवधे गर्भवासी, इत्येतेऽनूर्ध्वगमनाः इति। यदि असौ जनः पापं कृत्वापि प्रायश्चितं न कुर्यात्, मरणादन्तरं नरके पतित। ततश्च कुत्सितलक्षणयुक्तः सन् संसारमायाति निन्दां च प्राप्नोति। यावत् सः जीवितो भवति प्रायश्चित्तस्याकरणात् लोकसंव्यहारयोग्योऽपि न भवति। तस्मात्समाजे तस्य स्थानं घृण्यं दयनीयं च भवति। अतः यदि कश्चित ज्ञानतोऽज्ञानतः वा कामतोऽकामतो वा गुरुं लघुं वा पापमाचरति तदर्थं सः पापतारतम्येन प्रायश्चितम् आचरेदिति सर्वैः मन्वादिस्मृतिकारैः गौतमादिसुत्रकारैः च प्रतिपादितम्। यद्यपि

ज्ञानकृतस्य कामकृतस्य च पापस्य निष्कृतिः नास्ति इति याज्ञवल्क्येन प्रतिपादितं, तथापि प्रायश्चितं लोकसंव्यवहारार्थं कर्त्तव्यम्। अन्यथा सः समाजे निन्दनीयः स्यात्, यदि अकामतः अज्ञानतो वा किंचित् पापम् आचरितम् तस्य परिणतिररूपं नरकादिकं मरणानन्तरं मा भूदिति हेतोः प्रायश्चित्तमाचरणीयम्। प्रायश्चित्तस्याचरणेन पापं क्षीयते लोकश्च प्रसीदति समाजे निन्दा न लभ्यते, अन्तरात्मा शूद्धो भवति, मनश्च निर्मलं भवति, तस्मात् पापानां प्रायश्चितम् आचरणीयम्। यदि पापकृत् कश्चिद् दुष्टः धुर्त्तो वा तर्हि स राज्ञापि दण्ड्यो भवति। राजदण्डं लब्ध्वापि सः निष्पापो न भवति। तस्मात् तस्य प्रायश्चित्तमावश्यकम्। यस्य च पापं न केनापि दुष्टं ज्ञातं वा तस्य साक्ष्यादिप्रमाणाभावात् राजदण्डाभावेऽपि पापाभावः इति न मन्तव्यम्। राजदण्डेन पापाक्षयाभावात् धर्मशास्त्रकारैः प्रच्छन्नपापानां कृते रहस्यप्रायश्चित्तानां विधानवयवस्था विहिता। तादृशैः कर्मभिरपि पापानाम् अपनोदनं भवति। अतो यदा मनुष्यः याप्येन कर्मणा लिप्यते, तदा अन्तर्गतं कल्मषं क्षालयितुं काले प्रायश्चितत्स्य व्यवस्था विहिताऽस्ति। या व्यवस्था मानवशुद्धत्वाद् परब्रह्मणि लीनं कर्त्तुं शक्नुयात्। अतः पापात् निवृर्त्यर्थं समाजे च शुद्धं शान्तं निष्कलङ्कं जीवनं यापयितुं प्रायश्चित्तानाम् आवश्यकता वर्त्तते, यथा व्यवस्थाया अशुभानां मलानां विनाशेन सह ब्रह्मसाक्षात्कारः कर्त्तुं शक्यते। अतः प्रायश्चित्तेन एतत्कर्म संपादयितुं शक्यते इति हेतोः प्रायश्चित्तानाम् इदमेव महत्वम् । मनुष्याणां कृते च सर्वासु अवस्थासु सर्वेषु कालेषु च शुद्धजीवननिर्वाहार्थं प्रायश्चित्तानामावश्यकता सुतरां विद्यते।

पादटिप्पणी

[i].गौतमधर्मसूत्रम् – 3-1-2-4

[ii].मनुस्मृतिः – 4/88-90

[iii].मनुस्मृतिः – 12-55

[iv].याज्ञवल्क्यस्मृतिः – 3-207

[v].याज्ञवल्क्यस्मृतिः – 3-214
[vi].विष्णुस्मृतिः – 44/1-10
[vii].मनुस्मृतिः – 11/49-52
[viii].वासिष्ठधर्मशास्त्रम् – 20-44
[ix].याज्ञ.मिताक्षरा पृष्ठा – 415-416

सन्दर्भग्रन्थसूची

गौतमधर्मसूत्रम् – हरदत्तकृतः मिताक्षरासहिता, चौखम्बा संस्कृत सिरिज्, वाराणसी, 1966.

मनुस्मृतिः – मन्वर्थमुक्तावलीसहिता, मोतिलाल वनारसीदास, दिल्ली, 1990

याज्ञवल्क्यस्मृतिः – मिताक्षराटीका सहिता, डा. गङ्गासागरराय सम्पादित, चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम्, दिल्ली।

वासिष्ठधर्मशास्त्रम् – इन्दोलजिकल वुक हाउस, वाराणसी, 1983

विष्णुस्मृतिः – चौखम्बा संस्कृतसिरीज अफिस, वाराणसी, 1962

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

Analytical Study of AD Hope's Poetry : Australia

Suman Kumari
Research Scholar,
Department of English,
L.N.Mithila University Darbhanga,
Bihar, India.

Abstract – The legacy of leading Australian poet A.D. Hope is unquestionable to the world literature. His works include eleven books of poetry, seven collections of critical essays and two plays. His writing, compelling in its originality and passion, and rigorous in its satirical edge and philosophical insights, embodies in its language both the greatness and the frailty of the human spirit. He will be remembered best and longest as a poet, though he wrote some works on criticism as well.

Keywords- Analytical, Study, AD Hope's, Poetry, Australia, collections.

Critical Appreciation simply means to evaluate and analyze the poem in order to have its better understanding. So to have the better understanding of the poetry of A.D. Hope, it requires to have a look on him as a poet.

Alec Derwent Hope is Australian poet, essayist, critic and editor. He is recognized as one of the most influential and celebrated Australian poets of the twentieth century. Critics classify him as a "Classic Poet", in that much of his work utilized traditional forms and rejected modernist and postmodernist poetic trends. He also incorporated mythology, legends and fables in his Verse.

Despite the anachronistic nature of Hope's poetic oeuvre, commentators praise his biting satire, the clarity of his language and sophistication of his poetic vision and view him as important contributor to traditional prosody in contemporary poetry.

Australian poet Hope was born on 21 July 1907 at Cooma in the Snowy Mountains area of southern New South Wales. His father was a Presbyterian minister His primary education was given at home and schooling in Tasmania and New south wales as the family moved around to different parishes. Matriculating to Sydney University, he graduated Bachelor of Arts with majors in English and Philosophy in 1928 and won a scholarship to University College, Oxford. His Oxford career, however, was not a distinguished one; he returned to Sydney in 1932 with a disappointing third- class degree and trained as teacher.In 1937 Hope married Penelope Robinson with whom he had three children. He was appointed lecturer in education at the Sydney Teachers' College in 1937, laterbecominglecturer in English there from 1938-44. During the 1940s, Hope took part in the Australian Broadcasting Commission's Children's Session, as "Anthony Inkwell"conducting the literary section of the Agonaut's Club. In 1945 he moved to the university of Melbourne and in 1951 was appointed professor of English at Canberra University College (Later The Australian National University) where he taught until his retirement in 1968.

In his poems A.D. Hope alwayspractices what he preached, he harmonized the natural rhythms of prose with the meters of verse.His lines can be read as easily as well written prose. Among his poems, here I give a look on his famous poem"Australia".

Australia

A Nation of tress, drab green and desolate grey
In the field uniform of modern wars,
Darkens her hills, Those endless, Outstretched paws Of Sphinx demolished or
Stone lion won away.

They call her a young country, but they lie:
She is the last of lands, the emptiest, A woman beyond her change
of life, a breast Still tender but within the womb is dry.

Without songs, architecture, History:

The emotions and superstitions of younger lands,
Her rivers water drown among inland sands,
The river of her immense stupidity

Floods her monotonous tribes from Cairns to Perth.
In them at last the ultimate men arrive
Whose boast is not: “we live” But “we survive“““,
A type who will inhabit the dying earth.

And her five cities, like five teeming sores,
Each drains her: a vast parasite robber- State
Where second hand Europeans pullulate Timidly on the edge of alien
shores.

Yet there are some like me turn gladly home
From the lush jungle of modern thought, to find
The Arabian desert of the human mind,
Hoping, if still from the deserts the prophets come,

Such savage and scarlet as no green hills dare
Springs in that waste, some spirit which escapes
The learned doubt, the chatter of cultured apes Which is called civilization
over there.

Australia is a poem by A.D. Hope. His major subjects are English and Philosophy. His collection of Poem is “Wandering Island” (1955). The first five stanzas deal with how the Australia is.

He says that Australia is a mechanical and Monotonous land. In this poem, he says that his country is intentionally traumatized. The poem gives a kind of negative perception regarding Australian Culture. The poem reflects the lack of individualism and spiritual poverty. It is the continent with an ambiguous state.

The first stanza conveys that the trees in Australia are dull and it stood in a desolate place. Generally, the term NATURE is a charming thing but in this continent it looks like a desolate one. Nobody cares about it. Many people give importance to their outer appearance. They do not care about inner beauty.
Appearances can be deceptive. The author compares this to a "Sphinx".

The people in Australia are heterogenous in their tradition. The author called them as young but it ironicallyconveys their immaturity. He points out the vulnerability of land and the theme of rebellion. By reading this poem, the readers come to know that he is against his country. He says that there is no proper sense with respect to their culture. He calls the vulnerability of land the theme of rebellion. By reading this poem, the readers come to know that he is against his country. He says that there is no proper sense with respect to their culture. He adds that they are not creative and independent. From the famous spot Cairns to Perth there is only Flow of stupidity. He says that the people are stupid and foolish. The people in this continent are not living, they are surviving. He calls five teeming Stores which denote Melbourne, Sidney, Perth. Canberra, Adelaide. The People in these places have not had their own identity. They are like parasites which depend on others. The author callstheir mind as "of Australian Dumb like". He says that their mind is dumb like people who lives in the Arabian desert. He is waiting for his prophecy to come true. They themselves call as civilized people but there is no civilization.

The Poem "Australia" by A.D Hope is a juxtaposition of people's or societies view of Australia, versus the patriotic stance of the writer. It also shows how A .D. Hope is trying to convey his perspective on the identity of Australia. A.D. Hope reveals his discontentment and scathing tone on Australia's identity through his descriptive imagery, "a Nation of trees, drab green and desolate grey",where the somber and bleak nature of Australia is divulged through the derogative language, "drab" and "desolate". Furthermore, the poet reflects his dislike towards the Australian Society which is built on trying to, "inhabit the dying earth", and to "survive",by the "ultimate men" and "Second-hand Europeans". As well as this, the sibilance of "savage and scarlet" reveals A.D. Hope's despise towards Australia"s Identity, as the words "savage" and"scarlet" are

recognized as negative and derogative terms, reflecting the poet's views. Through these various poetic devices, A.D. Hope has successfully revealed his negative perspective of the Australian image. Australia to him is devoid of culture. Which is "without songs, architecture, history" where he "rivers of water drown among inland sands, The river of her immense stupidity".The "her" he is referring to in this paragraph is Australia. He sees Australia as being a country that has neither historical background nor culture to speak off. Yet, he believes that it has the capabilities to do so, however, the ideas are drowned among "inland sands". This can be seen as he blames the detractors for the slow erosion of Australia, where it has become a country that is no longer as intelligent as it was before. This reflects the writer's patriotic view where Australia is the victim here. Australia is next portrayed as a country that is nothing at all, where there are "monotonous tribes from Cairns to Perth" and the five main cities, compared to "five teeming sores."

The legacy of leading Australian poet A.D. Hope is unquestionable to the world literature. His works include eleven books of poetry, seven collections of critical essays and two plays. His writing, compelling in its originality and passion, and rigorous in its satirical edge and philosophical insights, embodies in its language both the greatness and the frailty of the human spirit. He will be remembered best and longest as a poet, though he wrote some works on criticism as well.

Reference :-

1. Hope, A.D. Hope L Collected Poems 1930-1970. Sydney : Angus & Robertson, 1977
2. A.D. Hope : Selected Poems, David Brooks (ed.) Sydney : Angus & Roberts on, 1992.
3. Unpublished Notebooks : Hope Collection, The National Library of Australia, Books IX XII.
4. The New Cratylus : Notes on the craft of Poetry, Melbourne, Oxford University Press, 1979.
5. A.D. Hope, Chance Encounters, Melbourne Melbourne. University Press, 1992.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

व्याकरणशास्त्रस्य वैशिष्ट्यम् महत्त्वञ्च

विपिन कुमार
शोधच्छात्रः,
श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
भारतम्

सारांशः – व्याकरणं साधुशब्दानामन्वाख्यायकम्। साधुत्वञ्च वैयाकरणमते पुण्यजनकत्वम्–एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति। व्याकरणमपवर्गस्य अज्ञानबन्धनदुःखान्मोक्षस्य ब्रह्मसाक्षात्कारस्य साधनम् अस्ति। शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति। अस्य शास्त्रस्योद्देश्यं पदपदार्थज्ञानमेव न, अपितु धर्मार्थकाममोक्षश्च चतुर्विध पुरूषार्थस्य प्राप्तिरपि भवेदीति।

मुख्यशब्दः – व्याकरणं,शास्त्रम्, मुखम्, पाणिनिः,भाषा,सस्कृतम्।

व्याकरणं तु वेदपुरुषस्य मुखरुपेण कल्पितमस्ति। वेदानां मुख्यमङ्गं व्याकरणम्। अत एवोक्तम्–''मुखं व्याकरणं स्मृतम्।'' संस्कृतवाङ्मये प्रयुक्तानां शब्दानां साध्वसाधुशब्दयोः आहोस्वित् शुद्धशुद्धयोः विचारः व्याकरणेनैव क्रियते। ऋग्वेदकालतः एव व्याकरणशास्त्रस्य निर्देशः समुपलभ्यते, किन्तु व्याकरणस्य उत्पत्तिकथा तैत्तिरीयसंहितायां वर्णितास्ति। महर्षेः यास्कस्य निरुक्तग्रन्थे तु व्याकरणस्य अनेकेषां पारिभाषिकशब्दाानां प्रयोगः समुपलभ्यते। व्याकरणस्य लब्धप्रतिष्ठाचार्यः पाणिनिः स्वपूर्ववर्तिनां वैयाकरणानां नाम निर्देशं चकार। पाणिनिः अष्टाध्यायीग्रन्थद्वारा लौकिकसंस्कृतभाषां व्यवस्थापयामास। इत्थं शब्दानुशासनं अष्टाध्यायी वा व्याकरणवेदांगस्य प्रतिनिधिग्रन्थः अस्ति। अस्य वेदाङ्गस्यैकमात्रमुद्देश्यमस्ति वेदार्थावबोधनं वेदरक्षणञ्च। उक्तञ्च पतञ्जलिना महाभाष्ये–''**रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरणम्**'' इति।[1]

स्थूलरुपेण संस्कृतवाङ्मयं द्विधा विभक्तं –वैदिकं लौकिकञ्चेति। व्याकरणं तावद् द्विविधानामपि शब्दानुशासनं विदधाति–वैदिकानां लौकिकानां चेति। तथा चोक्तम्भाष्यकारेण –केषां शब्दानां ? **''वैदिकानां लौकिकानाञ्च।''**[2] तदिदं व्याकरणं वैदिकं व्याकरणम् लौकिकं व्याकरणं चेति द्विधा वक्तुम् शक्यते।

व्याकरणपदार्थः–

व्यारणशब्दः 'वि' इति उपसर्गेण 'आङ्' इति उपसर्गेण च 'कृ'धातोः करणकारके ल्युट् प्रत्यये कृते सति सिद्धयति। व्याक्रियन्ते=व्युत्पाद्यन्ते प्रकृतिप्रत्ययकल्पनया ज्ञाप्यन्ते पुण्यजनकाः शब्दाः येन तद् व्याकरणम् वर्तते

इति व्याकरणस्य यौगिकः अर्थः। यत् शास्त्रं प्रकृतिप्रत्ययविभागद्वारा साधुशब्दान् ज्ञापयति तदेव व्याकरणं कथ्यते। अस्यैव नाम शब्दशास्त्रम्,पदशास्त्रम्,लक्षणशास्त्रम्, करणशास्त्रम्,सूत्रशास्त्रम्,शब्दानुशासनं इत्यादि वर्तते। व्याकरणस्य अर्थः शब्दशास्त्रं विद्यते। अस्मिन् अर्थे अस्य शब्दस्य प्रयोगः प्राचीनतमः वर्तते। वाल्मीकिरामायणे व्याकरणस्य शब्दशास्त्ररूपेऽर्थे प्रयोगः दृश्यते। भगवान् रामः हनुमतः विषये कथयति यत् हनुमता सर्वं व्याकरणं पठितम्। अत एव हनुमतः वचने कापि अशुद्धिः नास्ति।

''नूनं व्याकरणं कृत्स्मनेन बहुधा श्रुतम्।

बहु व्याहरतानेने न किञ्चिदपभाषितम्।।[3]

एवं गोपथब्राह्मणे मुण्डकोपनिषदि महाभारते च व्याकरणशब्दस्य प्रयोगः शब्दशास्त्र रूपे अर्थे लभ्यते। व्याकरणविषये महाभारते एवं लिखितं वर्तते–

सर्वार्थानां व्याकरणाद् वैयाकरणं उच्यते।

तन्मूलतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत्तथा।।[4]

वैशिष्ट्यम् महत्त्वञ्च–

सर्वेषां मानवानां परस्परं व्यवहर्तुं साधनं भाषा। सा च द्विधा शाब्दिकी साङ्केतिकी च। तत्र शब्दशास्त्रं वाक्यानां प्रयोगो लेखने प्रबन्धनिर्माणे च नितरामपेक्षते। अन्यथा लिङ्गवचनोच्चारणादिषु दोषाः स्युः। शब्दसाधुत्वविषये यथोक्तं महामुनिना साधुत्वज्ञान विषया सैषा व्याकरणस्मृतिः साधुशब्दानां ज्ञानं व्याकरणादेव भवति। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते साधुशब्दा इति व्युत्पत्तिलाभात्। यथा–**एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति।**[5]

वैयाकरणा एव इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इत्यत्र समासस्वरं निश्चेतुं पारयन्ति। अत एव व्याकरणस्य पञ्चविधेषु प्रयोजनेष्वन्यतमं प्रयोजनं रक्षेति स्वीक्रियते।

रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्।[6]

रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरणम्। यो हि व्याकरणं जानाति स एव शास्त्रान्तरं विज्ञातुं शक्नोति। यो व्याकरणं न वेत्ति स कथमपि शास्त्रान्तरेषु प्रवेष्टुं न शक्नोति।

आचार्यः पतञ्जलिः व्याकरणस्यस्वरूपं तस्योपयोगिताश्च निरूपयति–

वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्मवर्तते।

तदर्थमिष्टबुद्ध्यर्थं लघ्वर्थं चोपदिश्यते।। महाभाष्यम् द्वि.आ,

अक्षरतत्वं ब्रह्मतत्वं प्रतिभासाक्षात्करणाय च व्याकरणस्य आवश्यता वरीवर्ति। व्याकरणशास्त्रमभीष्टसिद्धेः सरलसाधनमिति मन्यते। अन्यच्च सत्यासत्यज्ञानाय विवेचनाय वा, प्रकृतिप्रत्ययविभागज्ञानपूर्वकलौकिकवैदिकसमस्तशब्दानां स्वरूपज्ञानाय व्याकरणस्य अनिवार्यता अपरिहार्या। शब्दस्वरूपावबोधकत्वात् व्याकरणं शब्दज्ञानेन अज्ञानकृतपापं निवर्त्य अदृष्टस्योत्पादनं साधयति।

वैयाकरणा एव श्वनजः स्वजनः सकलम् शकलम् सकृत् शकृत् इत्येतेषां शब्दानामर्थभेदकं ज्ञातुं शक्नोति। यथाह–

यद्यपि बहुनाऽधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्।

स्वजनः श्वजनो मा भूत् सकलः शकलः सकृच्छकृत्।।[7]

अतः साधुशब्दज्ञानमूलकं व्याकरणम्। व्याकरणज्ञो नरः साधुशब्दप्रयोगे कुशलो भवति।

सर्वैरेव ज्ञायते यद् चत्वारो वेदाः सर्वज्ञानराशिः यथोक्तम्–

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्।

वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक्ब संस्थाश्च निर्ममे।।[8]

छान्दोग्योपनिषदि 'वेदानां वेद' इत्युक्त्वा व्याकरणस्य मुख्यत्वं निर्णीतम्। वैदिकलौकिकशब्दानां स्वरूपसंस्कारः व्याकरणेनैव संभवति। अतः शब्दस्वरूपः वेदब्रह्मणः साक्षादुपकारकः तथा च ब्रह्मचर्याधः शयन चान्द्रायणादि तपेभ्यो उत्तमं तप इति।

अतः पदपर्थविवेचनादिदृष्टस्यपरमार्थादिदृष्टस्य प्रतिपादकं व्याकरणं वेदस्य महत्त्वं प्रतिपादयत। तथोक्तं भर्तृहरिणा–

आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः।

प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुः व्याकरणं बुधाः।।[9]

''शब्दकारणमर्थस्य'' इति वचनेनार्थबोधाय शब्दानां प्रवृत्तिः। अर्थबोधस्य कारणं शब्द एव। भाष्यकारोऽपि उवाच–अर्थनिमित्तक एव शब्दः। इत्थं च यथार्थावबोधस्य कारणं साधुशब्द एव। साधुशब्दस्य कारणं व्याकरणं भवति। व्याकरणं विना शब्दानां तत्त्वावबोधस्यानुपपत्तेः।यस्य शब्दस्यस्वरूपज्ञानं भवति ते शब्दाः एव अर्थप्रवृत्तिविवक्षायाः कारणभूताः भवन्ति। यथा इन्द्रियेण अर्थ प्राप्त्यर्थं विषयविशेषे इन्द्रियविशेषस्य प्रयोगःतथैव अर्थविशेषस्य प्रतिपत्तये योग्यशब्दात्तस्यार्थविवक्षा विधीयते। एवं शब्दस्वरूपबोधेन व्याकरणं तस्यार्थबोधस्य योग्यतां स्पष्टीकरोति। यथोक्तं हरिणा–

अर्थप्रवृत्तितत्वानां शब्दा एव निबन्धनम्।

तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते।।[10]

शब्दार्थसम्बन्धशब्दप्रवृत्तिनिमित्तज्ञानं व्याकरणसाध्यमेव भवति।

शब्दार्थसम्बन्धनिमित्ततत्वं वाच्यविशेषेपि च साध्वसाधून्।

साधुप्रयोगान्मिताश्च शिष्टान् न वेद यो व्याकरणं न वेद।।

व्याकरणं मोक्षप्रदाय प्रवेशद्वारम्। मोक्षप्राप्तेः सोपानस्य विद्याश्रेण्याः प्रथमपदन्यासभूमिः राजमार्गश्च व्याकरणम्। भर्तृहरिः व्याकरणस्य दार्शनिकरूपं प्रददौ तथा शब्दस्वरूपस्यततात्विकज्ञानमिदं मोक्षदायकमिति तदुक्तं हरिणा–

इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम्।

इयं सा मोक्षमाणनामजिह्वा राजपद्धतिः।।[11]

अथ च शब्दसाधुत्वविचाराय प्रवृत्तं व्याकरणं तु औपनिषदं बह्म अपि प्रापयति। अनेन व्याकरणज्ञानेन मनुष्याः व्यवहारयोग्यतां प्राप्नुवन्ति। ततः पराप्रकृतेर्ज्ञानं भवति। व्याकरणज्ञानेन निःश्रेयः प्राप्तिः। यथा आयुर्वेदशास्त्रं शारीरिकदोषनिवारकमिति स्वीकुर्वन्ति व्याकरणं सकलदोषापहारकमिति प्रतिपादयन्ति। सकलविद्यासु पवित्रतमाविद्या उद्घोषयन्ति। तदाह हरिः–

तद्द्वारमपवर्गस्य वाङ्गलानां चिकित्सितम्।

पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते।।[12]

सर्वासां विद्यानां साधुशब्दोपगृहीतत्वात् शब्दशास्त्रं गृहीत्वैवं शब्दविग्रहाणामुत्तरोत्तरविद्याश्रृङ्खलानां सुखेन ज्ञानप्राप्तेः सुकरतत्वात्। शब्दविद्या मुमूक्षूणां कृते अकण्टकः सरलो सुगमः राजमार्गः सर्वासु विद्यासु राजमानां मोक्षस्यानपेक्षं साक्षात् साधनम्।

तदाह–

शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।[13]

यथा चिकित्साशास्त्रस्य प्रयोजनं रोगनिवृत्या कायशुद्धिः तथैव व्याकरणशास्त्रस्यापभ्रंशदोषनिवृत्या अन्तः करणशुद्धिः प्रयोजनम्। तथा व्याकरणशास्त्रस्यापभ्रंश दोषनिवृत्या शब्दसाधुत्वज्ञानं साक्षात् प्रयोजनं पर्यवस्यति। तदाह हरिः–

कायवाग्बुद्धिविषया ये मला समवस्थिताः।

चिकित्सालक्षणाध्यात्मशास्त्रैस्तेषां विशुद्धयः।।[14]

श्रुतयस्तु आनाद्विच्छिन्नाः प्रवाहपरम्पराविच्छेदशून्याः अकर्तृकाः। स्मृतयस्तु शिष्टजनैः निबद्धयन्ते अतः सनिबन्धनाः, किन्तु स्वरूपतः उपनिबध्यमानाः अपि प्रवाहपरम्परया विच्छिन्नाः नैव भवन्ति।

उक्तं च –

अनादिमव्यछिन्नां श्रुतिमाहुरकर्तृकाम्।

शिष्टैर्निबध्यमाना तु न व्यवच्छिद्यते स्मृतिः।।[15]

वेदविद्भिः आचार्यैः शब्दनिबन्धनत्वात् अशब्दनिबन्धनत्वात् स्मरणमूलकत्वात् दृष्टादृष्टप्रयोजनत्वात् वेदानामाश्रयत्वात् वैदिकलिङ्गाधारेण स्मृतयः उपनिबध्यते। इत्युक्तं–

स्मृतयो बहुरूपाश्च दृष्टादृष्टप्रयोजनाः।

तमेवाश्रित्य लिङ्गेभ्यो वेदविद्भिः प्रकल्पिताः।।[16]

समस्तस्मृतयः वेदमूलका इत्युक्त्वा आचार्येण भर्तृहरिणा प्रतिपाद्ययते यत् तर्कापेक्षया आगमस्य प्रबलत्वात् भ्रम–प्रमाद–विप्रलिप्सादिदोषैरनाक्रान्तस्य अकृतक अपौरुषेय–आम्नायरूपवेदशास्त्रस्य तथा पूर्वस्मृतिमूलकव्याकरणस्मृतीणां प्रमाणमाश्रित्य शिष्टाः पाणिन्यादयः आचार्याः शब्दानुशासनं चकार यथोक्तम्–

तस्मादकृतकं शास्त्रं स्मृतिं च सनिबन्धनात्।

आश्रित्यारभ्यते शिष्टैः शब्दानामनुशासनम्।।[17]

वेदविहित अपरापरा विद्ययोः शिक्षाकल्पव्याकरण–निरुक्तच्छन्दोज्योतींषि इति षड्ङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च प्रधानञ्च कृतो यत्नः फलवान् भवतीति व्याकरणमेव परिलक्ष्यते। अर्थात् षट्सु अङ्गेषु प्रधानं व्याकरणमेव। श्रूयते हि 'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च इति। निष्कारणो हि दृष्टकारणनिरपेक्षो नित्य इति यावत्। तथा च साङ्गवेदाध्ययनतदर्थज्ञानरूपोऽयं धर्मो नित्यः सन्ध्योपासनवदित्यर्थः। व्याकरणस्य वेदाङ्गत्वं चाङ्गत्वेन संस्तवादुपकारकत्वाद् वा। इदं हि अर्थविशेषामाश्रित्य स्वरविशेषादीन् विदधत् पदपदार्थविशेषनिर्णये समुपयुज्यते। व्याकरणं साधुशब्दानामन्वाख्यायकम्। यथोक्तं–

साधुत्वज्ञानविषया सैषा व्याकणस्मृतिः। पाणिनीय व्याकरण–सिद्धान्तानुसारेण पुण्यजनकत्वरूपसाधुत्ववतां शब्दानामुपदेशतया स्मृतिपदवी मारोहति। व्यवहारे च तदेव प्रसिद्धयति,यस्य प्रामाण्यं निःसन्दिग्धं भवति। वेदाः प्रमाणमितिवद् वेदमूलकत्वात् स्मृतेरपि प्रामाण्यं सम्मतम्। साधुशब्दानां धर्मसाधुत्वव्यवस्थायै तद्बोधकपाणिनीयव्याकरणस्याविच्छिन्नशिष्टसदाचारानुमितपूर्व स्मृतिमूलत्वेन प्रामाण्यमुपपन्नम्।

शब्दधर्मिकसाधुत्वप्रकारकप्रकारकज्ञानकरणमिदं शब्दानुशासनं नाम व्याकरणस्मृतिः। असाधुभ्यो विविच्य साधुशब्दनिर्वचमस्याः प्रतिपाद्यो विषयः। सा चैषा प्रवाहनित्या अविच्छिन्नस्वरूपा। यथा भक्ष्याभक्ष्यगम्यागम्यादिविधिनिषेधविषयाः स्मृतयो अनादिपरम्परातः सन्त्युपनिबद्धाः तथा च वाच्यावाच्यसाध्वसाधुशासनविषयेयं व्याकरणस्मृतिरपि। कः शब्दः पुण्यजनको को वा नेति लोकतोऽधारयितुमशक्यस्य व्याकरणस्मृतिद्वारैव ज्ञात्वाऽस्माभिः व्यवहि्रयते। कात्यायनमुनिनापि स्पष्टमुक्तम्–

लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः।[18]

अथ च –

दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।

य वाग्व्रजो यजमानं हिनस्ति यथेद्रशत्रुःस्वरतोऽपराधात्।। महाभाष्यम् प्र.आ.

शिक्षाग्रन्थेषु अपीदमुपलभ्यते। अत्र मिथ्याप्रयुक्तः यदर्थप्रतिपादनाय प्रयुक्तस्ततोऽर्थान्तरं स्वरवर्णदोषात्प्रतिपादयन् तमर्थं नाहेत्यर्थः। वागेव वज्रः हिंसकत्वात् यजमानं हिनस्तीति। यथाध्वर्युकृताद्धोमाद् यजमाने धर्मोत्पत्तिः,एवमाध्वर्युकृतादपशब्दप्रयोगाद् यजमाने प्रत्यवायोऽपि। यथा–इन्द्रशत्रुशब्दोऽत्र। तदेवं यज्ञादीनां विपरीतं फलमन्यथा वा फलं मा भूदित्येतदर्थं व्याकरणस्य प्रासङ्गिकत्वं सिद्धयति।

अपि च–लोकव्यवहार सम्पादनाय लोके कथमभिवादनं विधेयमिति निगदितम्। तदेव अभिवादनाय भगवता पाणिनिनापि ''प्रत्यभिवादेऽशूद्रे'' इति सूत्रं प्रणिनय। स्मृतिरपि अब्रवीत्–

आयुष्मान् भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने।

अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः।।

इदत्र्च व्याकरणशास्त्रं ज्योतिषामपि ज्योतिः, यतो हि शब्दो ज्योतिः,तस्य प्रकाशनं अन्वाख्यानं प्रकृतिप्रत्यय–तदर्थप्रतिपादनं व्याकरणमेव करोति।

इदमन्धतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते।। काव्यादर्शः

अपि च–

उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत्।

प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम्।।

रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले।

ये व्याकरणसंस्कारपवित्रितमुखाः नराः।।

व्याकरणेन शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तव्याख्यानम् आचार्यैरभिष्टम् इति।

तदाह–

व्याक्रियते इत्यनेन द्वारेण शब्दप्रवृत्तिनिमित्तमाचिख्यासन्नुपन्यासं करोति।

शब्दो हि कश्चित् तुल्यरूपः प्रवर्तमानो भिन्ननिमित्तः परस्परमनपेक्षमाणः प्रवर्तते।

एतत्तुल्यशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तस्य व्याख्या व्याकरणेन क्रियते। शब्दप्रवृत्तेः तत्वज्ञानेन शब्दब्रह्मणः उपलब्धिर्भवति।

लक्षणप्रपञ्चेन व्याकरणं वर्णपदवाक्यरूपसूक्ष्मवाण्याः परमसारभूतस्य पवित्रतमप्रकाशस्वरूपस्य शब्दब्रह्मणः तात्विकज्ञानस्य सुगमसाधनम्। यथोक्तम्–

प्राप्तरूपविभागायाः यो वाचः परमो रसः।

यत्तत्पुण्यतमं ज्योतिस्तस्य मार्गोऽयमाञ्जसः।।[19]

अत्र आञ्जसः इत्यस्यार्थः लघुतमः ऋजुतमः इति। भर्तृहरिराह यथा–व्याकरणं लघुरुपायः शब्दज्ञानं प्रति,अन्य उपायः एवं न सम्भवति। एवं हि लघुनोपायेन व्याकरणरूपेण साधुशब्दौघान् वयं जानीमहे।

उपसंहारः–

व्याकरणं साधुशब्दानामन्वाख्यायकम्। साधुत्वञ्च वैयाकरणमते पुण्यजनकत्वम्–एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति। व्याकरणमपवर्गस्य अज्ञानबन्धनदुःखान्मोक्षस्य ब्रह्मसाक्षात्कारस्य साधनम् अस्ति। शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति। अस्य शास्त्रस्योद्देश्यं पदपदार्थज्ञानमेव न, अपितु धर्मार्थकाममोक्षश्च चतुर्विध पुरूषार्थस्य प्राप्तिरपि भवेदीति।

सन्दर्भाः–

1. महाभाष्यम्,व्याख्याकारः–युधिष्ठिर मीमांसकः, 1.1.आह्निक–1
2. तदेव
3. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास,प्रथम भाग,पृष्ठ–60

4. तदेव, पृष्ठ–61
5. महाभाष्यम्, पस्पशाहिनकम्, पृष्ठ–6
6. तदेव
7. प्रकीर्णोऽयं श्लोकः,
   संस्कृतदिग्दर्शिका, डॉ अनिल कुमार झा, पृ–141
8. मनुस्मृतिः, श्लोक–21
9. वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्, श्लोक–11
10. वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्, श्लोक–13
11. तदेव श्लोक,16
12. वाक्यपदीयम् 1.14
13. ब्रह्मबिन्दुपनिषदि
14. वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्, श्लोक 44
15. वाक्यपदीयम्, 1.144
16. तदेव, श्लोक 17
17. तदेव श्लोक 1.43
18. महाभाष्यम्, प्रथमाह्निकम्
19. वाक्यपदीयम् 1.12

सहायकग्रन्थसूची–

1. वाक्यपदीयम्, सूर्यनारायण शुक्ल, चौखम्बा संस्कृत संस्थान,प्रकाशनवर्षम्,2016
2. महाभाष्यम्,युधिष्ठिर मीमांसक, रामलाल कपूर ट्रस्ट,सोनीपत, हरियाणा
3. संस्कृतवाङ्मयैतिह्येवैदिकवाङ्मयम्, डॉ अशोकचन्द्रगौड़ शास्त्री, नाग पब्लिशर्स
4. संस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सरलतम विधि,पं ब्रह्मदत्त जिज्ञासु,प्रकाशनवर्षम् 2000
5. काव्यमीमांसा, राजशेखरः
6. महाभाष्यम्, दूरस्थशिक्षा,राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नव दिल्ली

7- मनुस्मृतिः, डॉ सुरेन्द्र कुमार

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

कुमारसम्भवमहाकाव्ये पार्वतीदेव्याः पात्रचित्रणम् – व्यक्तित्त्वविकासः

Dr. B. Kamakshamma
Assistant professor
S.L.B.S.R.S.U
New Delhi, India

Article Info
Volume 3 Issue 3
Page Number: 76-80
Publication Issue :
May-June-2020

Article History
Accepted : 20 June 2020
Published : 30 June 2020

सारांशः - प्रत्येकस्य व्यक्तेः स्वजीवने लक्ष्यमेकं भवति। तद्दीर्घकालिकं वा ह्रस्वकालिकं वा भवतु। किन्तु लोके सर्वे लक्ष्यसाधने सफलतां प्राप्नुवन्ति वा? इत्युक्ते न इत्येव समाधानम्। असफलतायाः प्राधानकारणं किमिति विचार्यते चेत् – प्रत्येकस्य कार्यस्य एका क्रमपद्धतिः भवति। तां पद्धतिमनुसृत्य कार्यं कुर्मश्चेत् नूनं सफलाः भवामः। वयं किमपि प्राप्तुंमभिलषामश्चेत् प्रप्रथमं तस्य प्राधान्यं, तस्य गुरुत्त्वं च ज्ञातव्यम्। अत एव मौर्यचन्द्रोदयमहाकाव्यस्य कर्ता पण्डित प्रभुदत्तस्वामी कथयति यत् – "**कार्यं हि कर्तुं किमपि प्रवृत्तैः पुरानुमेया गुरुता तदीया**" इति। प्राप्तव्यवस्तुनः माहात्म्यं जानीमश्चेत् तत् कथञ्चित् प्राप्तव्यमिति तस्मिन् अभिरुचिः वर्धते, अभिलाषा दृढा च भवति। **प्रारभ्य विघ्नविहिताः विरमन्ति मध्याः** इतिवत् मध्ये कार्यविमुखाः न भवामः। कार्यसाधने कः क्लेशः इत्यपि ज्ञातव्यं भवति तथा ज्ञायते चेत् वयं फलप्राप्तिपर्यन्तं कार्यात् न विमुखीभवामः। एवं कृत्वा तदनु कार्यसाधनाय सामग्री सज्जी करणीया भवति। ततः उद्यमः आरब्धव्यः। मध्ये विघ्नाः आयान्त्येव तथापि वयं फलप्राप्तिपर्यन्तं कार्यात् न विमुखीभवामः। कार्ये कृते सत्यपि फलं न सिध्यति चेत् प्रयत्नलोपः अस्तीति ज्ञात्वा पुनः गुरुतरप्रयत्नं कुर्मश्चेत् निश्चयेन अभीष्टफलसाधकाः भवामः। कुमारसम्भवमहाकाव्ये पार्वतीदेव्या अनुसृतः महाकार्यसाधनाक्रमः शोधलेखे2स्मिन् परिशील्यते। अतः अयं शोधलेखः पाठकानां ज्ञानप्रयिनी, प्रेरणादायिनी भविष्यतीति दृढं विश्वसिमि।

मुख्यशब्दाः – प्रारब्धकार्यम् , विघ्नाः, प्रयत्नलोपः,गुरुतरप्रयत्नः,कुमारसम्भवमहाकाव्यम्, पार्वतीदेवी।

विषयप्रवेशः - जगत्यस्मिन् मानवजन्म अत्यन्तं दुर्लभं भवति। सर्वोत्कृष्टं मानवजन्म प्राप्य लक्ष्यरहितजीवनं यापयामश्चेत् तज्जन्म वृथैव। अत एव प्रत्येकं व्यक्तेः स्वजीवने उत्कृष्टं लक्ष्यमेकं भवेत्। प्रत्येकस्य कार्यस्य एका क्रमपद्धतिः भवति। तया क्रमपद्धत्या कार्यं कुर्मश्चेत् अनायासेन लक्ष्यं प्राप्तुं शक्नुमः। वयं किमपि प्राप्तुंमभिलषामश्चेत् प्रप्रथमं तस्य प्राधान्यं, तस्य गुरुत्त्वं च ज्ञातव्यम्। अत एव मौर्यचन्द्रोदयमहाकाव्यस्य कर्ता पण्डित प्रभुदत्तस्वामी कथयति यत् – "**कार्यं हि कर्तुं किमपि प्रवृत्तैः पुरानुमेया गुरुता तदीया**" इति। प्राप्तव्यवस्तुनः माहात्म्यं जानीमश्चेत् तत् कथञ्चित् प्राप्तव्यमिति तस्मिन् अभिरुचिः वर्धते, अभिलाषा दृढा च भवति। **प्रारभ्य विघ्नविहिताः विरमन्ति मध्याः** इतिवत् मध्ये कार्यविमुखाः न भवामः। कार्यसाधने कः क्लेशः इत्यपि ज्ञातव्यं भवति तथा ज्ञायते चेत् **विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमगुणाः न परित्यजन्ति** इत्युक्तरीत्या वयं फलप्राप्तिपर्यन्तं कार्यात् न विमुखीभवामः। एवं कृत्वा तदनु कार्यसाधनाय सामग्री सज्जी करणीया भवति। ततः उद्यमः आरब्धव्यः। अत एव मौर्यचन्द्रोदयमहाकाव्ये कविः वदति –

प्राप्यं पुरा निश्चिनुते मनस्वी
मार्गं पुनर्मार्गति मार्गणीयम्।
ततश्च सो2न्विष्यति सत्ससहायान्

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

सत्साधनान् साध्यनिबद्धबुद्धीन्॥ मौ.च.म.का.11.34॥

प्रयत्ने कृते2पि कार्यं न सिध्यति चेत् पुनः प्रयत्ने लोपः अस्ति वा इति परिशील्य ततः पश्चात् गुरुतरः प्रयत्नः करणीयः भवति। **श्रेयांसि बहुविघ्नानि** इत्युक्तरीत्या मध्ये मध्ये बहवः विघ्नाः आयान्ति चेदपि निश्चितार्थात् स्खालित्यं न भवेत्। **न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः,विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमगुणाः न परित्यजन्ति** इतिवत्। मध्ये मध्ये शल्यसारथ्यं कर्तुं बहवः आयान्ति परन्तु तेषां वचनानि न श्रोतव्यानि। यदि तेषां वचनप्रभावः अस्मासु पतति इति सन्देहो जायते तर्हि समनन्तरमेव ते दूरीकरणीयाः भवन्ति। अयं महाकार्यसाधनाक्रमः मौर्यचन्द्रोदयमहाकाव्ये कविना प्रोक्तमस्ति।

अयं महाक्रमसाधनामनुसृत्य कुमारसम्भवमहाकाव्ये पार्वतीदेवी अभिलषितं वस्तु कथं प्राप्तवती इति परिशीलयामः।

कुमारसम्भवमहाकाव्यपरिचयः

महाकविना कालिदासेन विरचितं सप्तदशसर्गात्मकं कुमारसम्भवमहाकाव्यं पञ्चमहाकाव्येष्वन्यतमत्वेन प्रसिद्धं भवति। अस्मिन् काव्ये तारकासुरनामकराक्षसवधनिमित्तं पार्वतीपरमेश्वरयोः कल्याणं भवति।

गतजन्मनि दक्षस्य पुत्री सतीदेवी स्वभर्तृविषये पित्रा कृतेन अवमानेन प्रेरिता सती योगमार्गेण शरीरं त्यक्त्वा पुनः जनिं प्राप्तुं हिमशैलवधूं मेनादेवीं प्रविशति।

अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता
दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी।
सती सती योगविसृष्टदेहा
तां जन्मने शैलवधूं प्रपेदे॥ कु.सं.5.1॥

अस्मिन् जन्मनि हिमशैलपुत्री पार्वतीदेवी परमशिवं भर्तृत्वेन प्राप्तुं दृढनिश्चया भवति। परन्तु परमेश्वरः पार्वतीदेव्याः अक्ष्णोः पुरतः एव कामदेवं भस्मीकरोति। एवं भस्मीकृता ईश्वरेण भग्नाभिलाषा सा पार्वतीदेवी धिङ् मे सौन्दर्यमिति स्वीयं सौन्दर्यं निन्दति। अपि च सा पार्वतीदेवी समाधिमवलम्ब्य तपोभिः आत्मानं सफलसौन्दर्यां कर्तुमिच्छति। अर्थात् तपसा शिवं वशीकर्तुमुद्युक्ता भवति।

कार्यसाधने पार्वतीदेव्या अनुसृतक्रमः -

तस्मिन् महाकार्यसाधने तस्याः दृढसंकल्पं, कर्तव्यनिष्ठागरिष्ठतां, फलप्राप्तिपर्यन्तं कठोरप्रयत्नं पश्यामश्चेत् अस्मासु रोमाञ्चः जायते। तस्मिन् विषये हिमशैलपुत्र्याः दृढसंकल्पः, अचञ्चलप्रयत्नः, महाकार्यसाधने कीदृशः प्रयत्नः भवेदिति अस्माकं कृते मार्गदर्शनं विधास्यति। कुमारसम्भवमहाकाव्ये हिमशैलपुत्र्या पार्वतीदेव्या अयं क्रमः कथमनुसृतः इति द्रक्ष्यामः।

प्राप्तव्यवस्तुनः सम्पूर्णज्ञानम् –

अत्र पार्वत्याः साध्यवस्तु परमेश्वरः। पार्वतीदेवी परमेश्वरस्य माहत्म्यं ज्ञात्वैव तं प्राप्तुमभिलषति। अर्थात् सा यत् प्राप्तुमभिलषति तस्मिन् तस्याः सम्पूर्णज्ञानमस्तीत्यर्थः। अत एव कुमारसम्भवमहाकाव्ये पञ्चमसर्गे कपटवेषधारिणं ब्रह्मचारिणमुद्दिश्य स्वयं पार्वतीदेवी ब्रवीति यत् –

त्वं शिवं तत्त्वतः न जानासि। अत एव मामुद्दिश्य एवं वदिष्यति। महनीयानां चरित्रमसाधारणं, ऊहातीतं च भवति। अविवेकिनः तेषु द्वेषं प्रदर्शयन्ति।

उवाच चैनं परमार्थतो हरं
न वेत्सि नूनं यत एवमात्थ माम्।
अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुकं
द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्॥ कु.सं.5.75॥

ऐश्वर्यकामी वा आपत्प्रतीकारपरो वा मङ्गलं निषेवते। लोकशरण्यस्य निरभिलाषस्य शिवस्य तेन किं प्रयोजनम्, सः स्वयम् अकिञ्चनः। तथापि सम्पत्प्रदाता। स्वयं त्रिलोकेश्वरः किन्तु स्मशाननिवासी। भीकररूपो2पि शिवः इत्युच्यते। शिवस्य तत्त्वं जनाः न जानन्ति। शिवस्य स्वरूपं कीदृशमिति न केना2पि निश्चेतुं शक्यते। चिताभस्मरजः तच्चरीरसम्पर्केण विशुद्धिं वितनोति। देवाः तत् शिरस्सु धारयन्ति। देवेन्द्रो2पि तं नमस्करोति। त्वया शिवदूषकेना2पि विषयमेकं सत्यमुक्तम्। ब्रह्मणः अपि कारणभूतः शिवः कथं लक्ष्यजन्मा भविष्यति। विवादो मास्तु। शिवः यादृशः त्वया उक्तः तादृशो भवतु तथापि मम तस्मिन्नेव प्रेम संसक्तं वर्तते।

विपत्प्रतीकारपरेण मङ्गलं
निषेव्यते भूतिसमुत्सुकेन।
जगच्चरण्यस्य निराशिषःसतः
किमेभिराशोपहतात्मवृत्तिभिः।।कु.सं.5.76।।
अकिञ्चनः सन्प्रभवः स सम्पदां
त्रिलोकनाथः पितृसह्मगोचरः।
स भीमरूपः शिव इत्युदीर्यते
न सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः।।कु.सं.5.77।।

एवंरूपेण कुमारसम्भवमहाकाव्ये पञ्चमसर्गे 75 आरभ्य 81 पर्यन्तं सप्तश्लोकेषु शिवस्य माहात्म्यं कथयति पार्वतीदेवी।

विघ्नाः –

श्रेयांसि बहुविघ्नानि इत्युक्तरीत्या महाकार्यसाधने बहवः विघ्नाः आयान्ति किल। पार्वतीदेव्याः निर्णयं श्रुत्त्वा माता मनुदेवी तां पार्वतीदेवीमेवं निवारयति।

हे वत्से! मनोभिलाषिताः देवताः अस्माकं गृहेष्वेव सन्ति। अत्यन्तं मृदुमधुरं तव शरीरं क्व? अतिकठोरतपः क्व? पेलवं शिरीषपुष्पं भ्रमरस्य पदस्थितिं सहते। पक्षिणः पदस्थितिं तु न सहते। अतः तपश्चरणं त्वयि न युज्यते इत्युक्त्वा दृढसंक्ल्पां तां पार्वतीदेवीं तपःकरणात् निवारयितुं प्रयतते। परन्तु तस्याः मेनायाः प्रयत्नः विफल एव जातः। यतो हि पार्वतीदेवी सामान्या न। दृढसंकल्पशीला, कृतनिश्चया। अतः तां निवारयितुं कः समर्थः भवति। अत एव स्वयं कालिदासः कथयति –

क ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मनः
पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्।। इति

साधनसामग्रीसज्जीकरणम् –

परन्तु पार्वतीदेवी मातुः वचनं न गणयित्त्वा पितुः हिमालयस्य अनुमतिं स्वीकृत्य वनं प्रविशति। इदानीं प्रयत्नात्पूर्वं साधनानि सज्जीकरोति।

विमुच्च सा हारमहारनिश्चया
विलोलयष्टिप्रविलुप्तचन्दनम्।
बबन्धबालारुणबभ्रुवल्कलं
पयोधरोत्सेधविशीर्णसंहति।। कु.सं.5.8.।।

सा दृढनिश्चया सति हारं तत्त्याज। बालसूर्यसदृशमुन्नतपयोधरसंस्पर्शेन शिथिलञ्च वल्कलं धारयामास। इतःपूर्वमलङ्कृतैः शिरसिजैः तस्याः वदनं यथा आसीत् तथैव जटाभिरपि शोभितमासीत्। पद्मं न केवलं भ्रमरैः किन्तु शैवलेनापि विराजते किल।

प्रतिक्षणं सा कृतरोमनिश्चयां...।।कु.सं.5.10.।।

विसृष्टरागादधरान्नि...... ।।कु.सं.5.10.।।

इतःपूर्वम् अधररञ्जनि प्रवृत्तः तस्याः करः अधुना ततः निवृत्तः आसीत्। तथैव इतःपूर्वं स्तनाङ्गरागसम्बन्धेन रक्तवर्णस्य कन्दुकस्य संस्पर्शेन मनोहरः तस्य करः अधुना दर्भाङ्कुरस्वीकारेण परीक्षिताङ्गुलिः जपमाला सम्बद्धश्च बभूव।

महार्हशय्यापरिवर्तनच्युतैः
स्वकेशपुष्पैरपि या स्म दूयते।
अशेत सा बाहुलतोपधायिनि
निषेदुषी स्थण्डिल एव केवले।। कु.सं.5.12.।।

इतःपूर्वमुत्तमशयने पार्वती शेते स्म। अधुना बाहुमेव उपाधानं कृत्वा भूमावेव शेते। एवंरूपेण सर्वं सज्जीकृत्य तपः चरन्तीं पार्वतीं द्रष्टुं ऋषयः समागताः। सा वयसा कनिष्ठाचेदपि। **न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्षते**। वयसा कनिष्ठाः धर्मेण वृद्धाः महात्मभिः आद्रियन्ते। अनेन प्रकारेण पार्वती साधनसम्पत्तिं सज्जीकृत्य तपश्चरणे प्रवृत्ता बभूव।

गुरुतरप्रयत्नम् –

एवं कृतवति सत्यपि फलं न प्राप्तं शिवसाक्षात्कारो न जातः अर्थात् मम प्रयत्ने नलोपः अस्तीति अभ्यूह्य कठिनतरः प्रयत्नः विधेयः इति निश्चित्य पुनः स्वशरीरमार्दवम् अलक्ष्यीकृत्य कठोरतपः कर्तुमारब्धवती।

यदा फलं पूर्वतपः समाधिना
न तावता लभ्यममंस्त कांक्षितम्।
तदानपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवं
तपो महत्सा चरितुं प्रचक्रमे।।कु.सं.5.12.।।

एवं रूपेण 18 श्लोकादारभ्य 29 पर्यन्तं पार्वत्याः कठोरतपः वर्णनं कृतं कविना कालिदासेन।

पुनः विघ्नाः -

एवं सति तां पार्वतीदेवीं स्वीयकठोरप्रयत्नात् दूरीकर्तुं कपटब्रह्मचारिवेषं धृत्वा साक्षात् परमशिवः आगत्य तस्याः आतिथ्यं स्वीकृत्य कुशलप्रश्नान् पृष्ट्वा किमर्थं त्वया तपः क्रियते इति पृष्ट्वा कथयति –

किमित्यपास्याभरणानि यौवने
धृतं त्वया वार्धकशोभिवल्कलम्।
वद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका
विभावरी यद्यरुणाय कल्पते।।कु.सं.5.44।।

हे गौरि! केन हेतुना आभरणानि विहाय वार्धकशोभिवल्कलं धृतम्। सन्ध्यासमये चन्द्रेण तारकाभिश्च शोभमानाः प्रदोषः सूर्यसाङ्गत्याय प्रभवति। अन्ततो गत्वा हे गौरि! कियच्चिरं श्राम्यसि ममापि पूर्वाश्रमसञ्चितं तपः विद्यते। तदर्धभागेन च कांक्षितं वरं लभस्व। तं साधु वेदितुं इच्छामि इति वदति **तदर्धभागेन लभस्व कांक्षितं वरं तमिच्छामि च साधुवेदितुम्।**

अनन्तरं तस्याः सखीमुखात् तपसः कारणं ज्ञात्वा 65 आरभ्य 73 पर्यन्तं 8 श्लोकेषु शिवनिन्दां करोति।

अयुक्तरूपं किमतः परं वद
त्रिनेत्रवक्षः सुलभं तवापि यत्।
स्तनद्वये2स्मिन् हरिचन्दनास्पदे
पदं चिताभस्मरजः करिष्यति।। कु.सं.5.69.।।

युवयोः विवाहानन्तरं सः भवतीमालिङ्गति चेत् हरिचन्दनास्पदे तव स्तनद्वये चिताभस्मरजः पदं करोति। विवाहानन्तरं तेन सह वृद्धवृषभमारुह्य त्वं गच्छसि चेत् जनानां परिहासपात्रं भविष्यसि। ईश्वरस्य समागमप्रार्थनया द्वयं शोचनीयतां गतम्। पुरा एका चन्द्रकला। सम्प्रति त्वं च। सः कीदृशः कुरूपो नाम विरूपाक्षः, सः अलक्ष्यजन्मा, दिगम्बरः। हे बालमृगाक्षि किं बहुना वरेषु यत् मृग्यते तद्येकमप्यस्ति किम् ?किमपि नास्ति। अतः सम्यक् विचिन्त्य अस्मात् प्रयत्नात् विरमतु इति कथयति।

तत् श्रुत्वा पार्वतीदेवी स्वीयसखीमुद्दिश्य – हे सखि! एषः वटुः पुनः किमपि वक्तुमिच्छति। निवार्यताम्। यः पूज्यान् अवभाषते न केवलं सः पापभाक् भवति, यः श्रुणोति सो2पि पापभाक् भवति।

निवार्यतामालि किमप्ययं वटुः
पुनर्विवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः।
न केवलं यो महतो2पभाषते
शृणोति तस्मादपि यस्स पापभाक्।।कु.सं.5.83.।।

इत्युक्त्वा सा अग्रे गन्तुमुद्युक्ता भवति तदानीं परमेश्वरः स्वीयनिजस्वरूपं प्रदर्श्य **अद्यप्रभृत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः क्रीतः तपोभिः** इति कथयति। तत्च्छृत्त्वा पार्वतीदेवी तपोनियमपालनक्लेशं सर्वं विस्मरति। **क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते** इतिवत्।

एवं रूपेण सा हिमशैलपुत्री पार्वतीदेवी महद्वस्तु प्राप्तुं निश्चित्य तदर्थं साधनानि सज्जीकृत्य मध्ये आगतान् विघ्नान् अवतीर्य फलप्राप्तिपर्यन्तमुद्यमं कृत्वा स्थिरचित्ततां , दृढसंकल्पां, दृढनिश्चयां प्रकटीकृत्य अस्माकं कृते मार्गदर्शिका सञ्जाता।

इच्छन्ति यत् तन्न विदन्ति सर्वे
सर्वे विदित्वा2पि भजन्ति नेष्टम्।
इच्छन्ति जानन्ति भजन्ति ये ते
व्रजन्ति सिद्धिं न हि कामकामाः।।मौ.च.11.33।।

एवं न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः इति भर्तृहरिप्रोक्तरीत्या यदि वयं अप्रतिहतं प्रयत्नं विधास्यामः तदा सफलमनोरथाः भविष्याम इत्यत्र न संशयः।।

उपयुक्तग्रन्थसूची

1.श्री प्रभुदत्तस्वामिविरचितस्य मौर्यचन्द्रोदयमहाकाव्यस्य
अलङ्कारशास्त्रदृष्ट्या अध्ययनम् (शोधप्रबन्धः)
राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
तिरुपतिः - 2008
2.कुमारसम्भवम्
3.भर्तृहरिसुभाषितानि

सङ्केताक्षरसूची

मौ.च. – मौर्यचन्द्रोदयमहाकाव्यम्
कु.सं. – कुमारसम्भवम्
भ.सु.- भर्तृहरिसुभाषितानि

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

सल्तनतकालीन मिथिला में शिक्षा का विकास

विजय कुमार मिश्रा

S/o- बैद्यनाथ मिश्र

ग्राम–लदारी, पो0–समैला लालगंज

भाया–केवटी, जिला–दरभंगा, बिहार

Article Info

Volume 3 Issue 3

Page Number: 81-86

Publication Issue :

May-June-2020

Article History

Accepted : 20 June 2020

Published : 30 June 2020

सार–संक्षेप

मिथिलांचल के बहुत से गांव विद्वान नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक संस्कृत विद्यापीठ विश्रुत कार्यरत रहे हैं वहाँ सुदूर प्रांतो के मेघावी विद्वान आकर अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त की है। जिस तरह विश्वविद्यालय नालन्दा महाविहार से पुराण दर्शन काव्य साहित्य अनेक विषयों पर मेधावी छात्र पारंगत विद्वान हुए थे। उसी तरह उदयन विद्यापीठ, कुमारिल विद्यापीठ, प्रभाकर विद्यापीठ आदि संस्थानों में बहुत से विद्वान तैयार हुए थे। यहाँ कला के क्षेत्र में भी विद्वानों की हमेशा रूचि रही है जिससे कला के क्षेत्र में भी यहाँ के विद्वानों ने अनेक विधा की रचना की है। शान्त वातावरण होने के कारण मिथिलांचल में साहित्यिक प्रसार की धारा हमेशा प्रवाहित हुई है। मिथिलांचल के शासक द्विज सेवी होने के कारण संस्कृत विद्वानों के बहुत ही पूर्ण संतोषक रहे हैं। जिससे धर्मशास्त्र के क्षेत्र में भी यहाँ बहुत निबन्धक ग्रंथों का निर्माण हुआ है। प्रत्येक काल में भारतीय संस्कृति के पक्षपाती मिथिलांचल के विद्वानों ने संस्कृत साहित्य का जोरदार प्रचार–प्रसार किया।

शब्द कुंजी : शिक्षा, साहित्य, गुरूकुल, गुरू–शिष्य संबंध

प्रस्तावना

मिथिलांचल में यहाँ की बौद्धिक परम्पराए व निरन्तरता कभी अवरूद्ध या बाधित नहीं हुई। सर्वत्र स्त्रोतस्विनी सी, जाह्नवी की धारा सी जो हिमालय की कोर से हरहराती बहती गंगोत्री के रूप में चलती भारत की उतरी सीमा से लगभग दक्षिणी पूर्वी सीमा तक चली जाती है और तब कहीं सागर के

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

शयनागार में पहुँचकर गंगा से गंगा सागर तक जाती है ठीक उसी प्रकार का है यह मिथिलांचल में प्रवाहित संस्कृत का स्त्रोत जो प्राचीन एवं अति प्राचीनकाल में मध्यकाल की कालसीमा को पार करती हुई आधुनिक कालसीमा में प्रवेश पाकर भी अपने उद्देश्यपूर्ण लक्ष्यों को रखती हुई चलती ही जा रही है। यह भाषा खासकर ब्राह्मण शिक्षा तथा ब्राह्मण परिवेश में ही सदा उठती बैठती सोती जागती अपना विकास पाती रही है। अन्य जाति वर्ग के विधि व्यवस्था को स्वीकार करना ही पड़ा है। इस ब्राह्मणीय शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है उसके अन्तर्गत गुरू शिष्य संबंध की उत्तमता। गुरू का शिष्य सेवा आत्मिक संबंध होता था। आधुनिक काल में विद्यार्थी प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र भर कर अपरिचित शिक्षक के समक्ष जा बैठता है और उनका संबंध रूपये–पैसे से जुड़ता है, जिसमें आन्तरिक विनय प्रेम व श्रद्धा का पूर्ण अभाव रहता है। किन्तु प्राचीनकाल में शिष्य गुरू के समक्ष हाथ में समिधा लेकर उपस्थित होता था। इसका अभिप्राय था कि वह गुरू की सेवा करने के लिए उद्यत है। गुरू भी विद्यार्थी को अपना पुत्र समझकर जो कुछ उसे आता था बिना भेद के बता देता था। अधिकतर पिता अपने पुत्रों को भी स्वयं ही शिक्षा देते थे। श्वैत केतु को उसके पिता के द्वारा महान ज्ञान देने की कथा सर्व विख्यात है। अधिकतर विद्यार्थी अपने आपको गुरू सेवा में अर्पण कर देते थे। ऐसे उदाहरण भी हैं कि जो विद्यार्थी गुरू को अन्य भेट देने में असमर्थ थे वह रात–दिन उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे और अवकाश मिलने पर रात को विद्याध्ययन करते थे। यहॉ तक की सम्पन्न घरानों के विद्यार्थी भी गाय चराना, ईंधन लाना, अग्नि जलाना, भिक्षा मांगना तथा अन्य गृहस्थी के कार्य करके गुरू सेवा करते थे। गुरू सेवा आध्यात्मिक उन्नति का एक शक्तिशाली साधन था।[1]

गुरूकुल प्रथा ब्राह्मणीय शिक्षा की एक अनूठी देन है। उपनयन से लेकर दीक्षांत तक विद्यार्थी गुरू गृह पर रहकर विद्याध्ययन करता था। शिक्षक को पर्याप्त धन अपने शिष्य की मनोवैज्ञानिक अवस्था तथा अन्य योग्यताओं को समझने को मिलता था। फिर उसी के अनुसार वह शिक्षा कार्य संचालित करता था। शिष्य उषाकाल में गुरू जागरण से पूर्व उठता था और रात को गुरू शयन के पश्चात् सोता था। इस प्रकार हर समय शिक्षक और शिष्य का सीधा व्यक्तिगत सम्पर्क रहता था जिसमें पारस्परिक परिचय के लिए पर्याप्त सुअवसर था। इस प्रकार प्रायः 12 वर्ष तक गुरूकुल में रहकर विद्या समाप्त होने पर शिष्य अपने घर के लिए विदा होता था। विदा होते समय भी गुरू अपना दीक्षांत उपदेश उसे देता यथा सत्य बोलो, कर्त्तव्य का पालन करो, वेद अध्ययन में प्रमाद मत करो इत्यादि। किन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि विद्या समाप्ति के उपरान्त भी गुरू शिष्य के संबंध उसी प्रकार रहते थे।[2]

कहना न होगा कि अद्यतन भी मिथिला में सामान्य शिक्षा में भी गुरू–शिष्य के बीच का संबंध कुछ कमोवेश वैसा ही है जहाँ इन दोनों के बीच आचार–विचार एवं स्नेह–श्रद्धा का पारस्परिक स्वरूप समदृश्य ही है। किन्तु संस्कृत शिक्षा का जहाँ तक संबंध है विश्वविद्यालयीय व्यवस्था उस समय नहीं थी। बावजूद भी विद्यापीठीय व्यवस्था कायम है, गुरू गृह में ही पूर्णतः भारतीय रूप, अन्तेवासी का स्वरूप न रह गया हो किन्तु आचरण से व्यवहार से कर्म से गुरू और शिष्य का संबंध पूर्ववत् ही दृष्टिगोचर होता है और इस प्रकार प्रारंभ से आजतक यही बौद्धिक निरन्तरता शिक्षा के रूप में कायम है। बौद्ध समय के प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासवेता डॉक्टर रीजडैविड के अनुसार–राजनीतिक सत्ता के साथ–साथ भारतवर्ष में भाषा के प्रमुख का केन्द्र भी बदलता गया है। पहले यह केन्द्र पंजाब में, उसके बाद कौशल में फिर उसके बाद मगध में हुआ और अन्त में जब संस्कृत समस्त भारतवर्ष की भाषा हो गई तब पश्चिमी भारत में सबसे प्रसिद्ध प्रान्तीय भाषा पायी जाती थी। बौद्धधर्म और बौद्ध साम्राज्य के ह्रास के उपरान्त जब वैदिक धर्म और वैदिक जाति का फिर उत्थान हुआ तब उस उत्थान के साथ ही साथ संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य का भी पुनरूत्थान देखा जाता है।[16] इसे ही प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर भंडारकर ने भी इस प्रकार लिखा है कि बौद्धधर्म के कमजोर पड़ते ही ब्राह्मणों का जोड़ पड़ने लगा और उस समय तक पाली भाषा के द्वारा जो कुछ हो रहा था वह सब संस्कृत के द्वारा किया जाने लगा। संस्कृत और–प्रांतीय भाषाओं के इतिहास तथा साहित्य के द्वितीय बार हिन्दू धर्म की स्थापना हो गई और गुप्तवंश के राजाओं का अधिकार या प्रमुख स्थापित हो गया तब फिर संस्कृत साहित्य का पुनरूत्थान हुआ और उसी समय कालिदास और वाणभट्ट जैसे कवियुगलों का आविर्भाव हुआ।[3]

बौद्धिक निरन्तरता के ही क्षेत्र में यह भी उल्लेखित करना है कि आज मिथिलांचल में चार विश्वविद्यालय कार्यरत है और इनमें बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर से भी संस्कृत का अध्ययन–अध्यापन तथा प्रकाशन चलता ही है। विशेषतया दरभंगा शहर में ही स्थित महाराजाधिकार कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा तथा इसी महाराज के पूर्वज दरभंगा राज के संस्थापक पं. महेश ठाकुर के नाम पर नामाधित महेश नगर दरभंगा के मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध–संस्थान, दरभंगा इस बौद्धिक निरन्तर को कायम रखने में संलग्न है। इस मिथिला शोध–संस्थान के द्वारा लगभग 70 कीर्तिमान, अमूल्य तथा मूल्यवान पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसके माध्यम से

आज भी मिथिलांचल के विद्वान संस्कृत भाषा साहित्य के साथ–साथ संस्कृति का भी प्रचार विदेशों तक में करते हैं। इस संस्थान द्वारा प्रकाशन के माध्यम से भी कविशेखर बद्रीनाथ झा, पं. महेश झा, त्रिलोकनाथ झा, प्रो. बाबू मिश्र, मंडलपति झा, प्रो. चन्द्रनारायण मिश्रा, पं. श्री रूपनाथ झा पं. श्री शशिनाथ झा, पं. रामान्तार शर्मा, पं. दयानाथ झा, प्रो. रमानाथ झा, डा. उपेन्द्र ठाकुर, प्रो. एस.एन. झा, श्री धीरानन्द मिश्र, प्रो. उपेन्द्र झा, डा. उमेश मिश्र प्रभृति विद्वानों की सेवा संस्कृति साहित्य की अभिवृद्धि में तथा मिथिलांचल के बौद्धिक विकास में अपना योगदान दे रही है।[4]

मिथिला के विद्वान मिथिला की सीमाओं से बाहर जाकर भी अन्य स्थानीय राजा महाराजाओं के दरबारों में अपनी–अपनी प्रतिभा का उपयोग उन नृपतियों या राज कुमारों के निर्देश एवं आज्ञानुसार पुस्तकों का निर्माण करते थे। इन पुस्तकों में आश्रयदाताओं की प्रशस्तियाँ तथा यशोगान भी है। अभिलेख उत्कीर्ण कराने में भी इन विद्वानों की सरस सुन्दर तथाकर्ण सुखद भाषा का प्रयोग होता था। न्याय दर्शन के पारंगत विद्वान पं. पदुमनाथ आश्रयदाता भूति की प्रशंसा में वीरभद्र चम्पू तथा पं. रघुवंश मिश्र ने कागज के बड़े–बड़े 14 पृष्ठों में मिथिला के खण्डवाला कुल के भूपतियों की विरूदावलियों का अंकन किया। कवीन्द्र गंगानन्द ने भ्रंग–इतिहास तथा भंडार मजरी नाटक की रचना की। जगन्नाथ मिश्र ने सोमातरंगिणी लिखा। कालिदास के कुमार संभव, मेघदूत, शिशुपाल वध जैसे ग्रंथों पर भी भाष्य प्रस्तुत किया गया। व्याकरण कोष छन्द एंव अलंकार पर भी अनेको पुस्तकों की रचना की है। गंगानन्द ने कालडाकिनी की रचनाकर काव्य रचना में आलंकारिक दोषों का दिग्दर्शन कराया। रामानन्द ने इस तरंगिणी की रचना कर सभी प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया, जिसके उदाहरणों में स्वरचित रचनाओं का प्रयोग किया। इसी कोटि के लेखकों में बेनीदत्त, चित्रघर तथा वताधार के लेखक रमापति की व्याकरण की पुस्तकों में गिरिधर उपाध्याय की विमश्त्पर्थ निर्णय ग्रंथ शिक्षा जो भाष्य होने पर भी स्वतंत्र ग्रंथ कहा गया में तर्क एवं व्याकरण का समन्वित रूप मिलता है। प्रियमणि का अमरकोष पर भाष्य तथा परमानन्द का कोष निर्मित हुआ। लोचन शर्मा ने राजतरंगिणी के द्वारा रानी का वर्णन कर संगीत क्षेत्र की रिक्तता पूर्ण की। वनमणि ने अभिलाष प्रतीत संगीत चन्द्र पर संगीत क्षेत्र की रिक्तता पूर्ण की। वनमणि ने अभिलाषा प्रणीत संगीत चन्द्र पर भाष्य प्रस्तुत किया। ज्योतिष के ग्रंथों में नक्षत्रों एवं ग्रहों को चाल के संबंध में वैज्ञानिक ढ़ंग से गणित के नियमानुसार गणना कर ग्रंथों का प्रणवन हुआ। पं. महेश ठाकुर ने यतिवार निर्णय नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। इनके पुत्र परमानन्द ठाकुर ने गणित ज्योतिष पर सिद्धांत सुधा का निर्माण किया, हेमानन्द ठाकुर ने ग्रहणमाला का सृजन किया। भरत

उपाध्याय ने 17वीं शताब्दी में रसालनामक पुस्तक लिखी, जिसका संबंध फलित एवं गणित ज्योतिष से है। भाष्कराचार्य के ग्रंथ लीलावती पर भवेश ने अपने विचारानुसार भाष्य प्रस्तुत किया। 'अद्भूत दर्पण' में माधव शर्मा ने शुभ एवं अशुभ शकुनों का फलाफल निवेश किया। शत्रुध्न शर्मा ने मंत्रार्थ दीपिका में संध्या श्राद्ध आदि कर्मो के विषय में प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का विवेचन कर उनका स्पष्टीकरण किया। राजा धीर सिंह के पुत्र राजकुमार शदाघर ने तंत्र प्रदीप तथा देवनाथ ठाकुर ने मंत्र कौमुदी तथा जगदानन्द ने कुलदीपक का सृजन किया। नरसिंह ठाकुर ने शंकराचार्य की आनन्द लहरी पर विद्वतापूर्ण भाष्य लिखा। धर्मशास्त्र की पुस्तकों में मानव जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए धार्मिक, सामाजिक, वैयक्तिक तथा नित्य नैमित्तिक आचार संबंधी नियम बनाया गया, श्रुति स्मृति एवं पुराण वाक्यों का विश्लेषण विवेचन किया गया। इसके अलावे विभिन्न विषयों में शपथ ग्रहण, मांस भक्षण, नामकरण, अन्न प्रासन्न, चूड़ाकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, मृतक दाह संस्कार आदि विषयों पर भी विचारपूर्ण निर्णय दिया गया। भवदेव मिश्र ने पातंजलि के योग सूत्र पर भाष्य लिखने के अतिरिक्त शांडिल्य के भक्ति सूत्र पर भी भाष्य ग्रंथ लिखा। सर्वदेशवृत्तान्त संग्रह में महेश ठाकुर ने बादशाह अकबर एवं उनके उत्तराधिकार का इतिहास संस्कृत गद्य में लिखना प्रारंभ किया था जो पूर्ण नहीं हो सका। महेश ठाकुर स्वयं ही अप्रतिभ विद्वान एवं लेखक थे। महेश कुल का शासन मिथिला पर भारत में मुसलमानी शासन के अन्त के पश्चात् की अंग्रेजी शासन की समाप्ति तक बना रहा। मुसलमान शासक के समय से लेकर अंग्रेज शासक के काल तक मिथिला पर विद्या व्यसनी ब्राह्मण कुल के इस हिन्दू राजा का शासन कायम रहने की वजह से संस्कृत साहित्य के विकास मार्ग मे बाधा नहीं आ सकी। ब्राह्मण कुल का यह शासन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही समाप्त हुआ। इस बीच की अवधि में यानी 1765 ई. में इस्ट–इण्डिया कंपनी के द्वारा दिल्ली के बादशाह शाहआलम से बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेने से 1947 ई. के बीच हुई मिथिला में संस्कृत साहित्य के विकास पर विचार प्रस्तुत किया जा रहा है।

निष्कर्ष :

मिथिला बहुत ही प्राचीनकाल से यथा अपने आदिकाल से ही शिक्षा तथा तीर्थों का भी केन्द्र रही है। यहाँ के सभी वर्गों या जातियों में उच्च शिक्षा व्याप्त थी। साहित्यों, पुराणों, महाभारत आदि में वर्णित मिथिला में शिक्षा की स्थिति एंव स्तर देखने से स्पष्ट होता है कि मिथिलांचल में अधिकांश लोग

शिक्षित ही हुआ करते थे। एक–एक गुरूकुल में दस–दस हजार विद्यार्थी रहते थे जिनकी शिक्षा एवं भोजन का भी प्रबंध गुरूकुल में ही होता था। महर्षि दुर्वासा की शिष्य की संख्या दस हजार कही गई है। अन्नदान के साथ विद्यादान देनेवाले को कुलपति कहा जाता था। महाभारत में मिथिला का उल्लेख एक वृहत्तर शिक्षा केन्द्र के रूप में तो है किन्तु तीर्थ के रूप में नहीं। महाभारत में उल्लिखित ब्रह्मचारिणी सुलभ तथा जनक का संवाद मिथिला की राजसभा में ही हुआ था। ऋषि याज्ञवलक्य का जनक से घनिष्ठ संबंध था। वशिष्ठ, पराशर, माण्डव्य, अष्टावक्र तथा श्वेत केतु आदि मिथिला में शास्त्र चर्चा में संलग्न पाये जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिथिला में अतिप्राचीन काल से शिक्षा का अपना स्वतंत्र स्वरूप था।

संदर्भ :

1. शर्मा, डॉ. राम प्रकाश, मिथिला का इतिहास, पृ.–514
2. मिथिला तत्त्व विमर्ष– पृ–194
3. शर्मा, डॉ. राम प्रकाश, मिथिला का इतिहास, पृ.–531
4. एको दस सहस्त्राणि योडन्नमंदाता दिना भरते सर्व कुलपतिः 1 महाभारत 111

माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास का अध्ययन

मनोज कुमार,
शोधकर्त्ता,
एम.ए., एम.एड्., नेट, शोध–छात्र (शिक्षाशास्त्र)
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
डॉ0 रेखा शुक्ला
शोध निर्देशिका, विभागाध्यक्ष (शिक्षा संकाय)
हण्डिया पी0जी0 कालेज, हण्डिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 3 Issue 3
Page Number : 87-92

Publication Issue :
May-June-2020

Article History
Accepted : 20 June 2020
Published : 30 June 2020

सारांश – अध्ययन के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान शोध विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में जनसंख्या के रूप में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को जनसंख्या माना गया है। न्यादर्श के रूप में 100 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक न्यादर्शन विधि से किया गया जिसमें कक्षा–9 के 50 छात्र एवं कक्षा–10 के 50 छात्रों को चयनित किया गया। छात्रों में लोकतांत्रिक विकास का अध्ययन करने के लिए स्वनिर्मित लोकतांत्रिक मूल्य मापनी का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में विश्लेषण हेतु प्रतिशत विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। प्राप्त अध्ययनों से ज्ञात होता है कि कक्षा–10 के छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्य के अन्तर्गत लोगों की जरूरत पर सहयोग, मित्रों का सम्मान, समूहों में लिये जाने वाले निर्णयों का सम्मान, धर्म–निरपेक्षता की भावना, सभी धर्मों का सम्मान, खेल भावना, मित्रों की आवश्यकता पड़ने पर मदद, राष्ट्र गान के समय एवं राष्ट्रगीत के समय आदरभाव एवं सम्मान के साथ गायन, शिक्षकों का सम्मान एवं उनके बातों का अनुसरण, सभी के बातों को सम्मान, गरीबों एवं असहाय लोगों के प्रति दुःखी होना, धैर्यता, सभी के अधिकारों को समझना के साथ मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता कक्षा–9 के छात्रों की अपेक्षा उच्च पाया गया। अतः कहा जा सकता है कि उम्र के साथ बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है।

की–वर्ड – माध्यमिक विद्यालय, छात्र, लोकतांत्रिक मूल्य–स्वतंत्रता, समानता, समता, धर्म–निरपेक्षता, सहयोग इत्यादि।

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

प्रस्तावना—लोकतांत्रिक मूल्यों के रूप में प्रमुख रूप से स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बन्धुता आदि मूल्यों को लिया जा सकता है। इन लोकतांत्रिक मूल्यों के द्वारा शिक्षा का विकास सरलता से एवं सही दिशा में किया जा सकता है। लोकतांत्रिक मूल्यों के द्वारा ही समाज के सभी वर्गों तक शिक्षा को कम समय, कम खर्च, कम श्रम के द्वारा पहुँचाया जा सकता है।

प्रत्येक कार्य का कोई कारण अवश्य होता है क्योंकि कारण के अभाव में कार्य प्रकट नहीं होता है। जब तक किसी कार्य के मूल कारण का सम्यक् ज्ञान न हो, उसके सम्बन्ध में कोई न्याय संगत निर्णय नहीं लिया जा सकता। जीवन के विविध स्रोतों; यथा— सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, राजनीतिक, शिक्षा आदि कोई भी क्षेत्र हो, आज युवा समस्याओं से घिरा है। आज हमारे देश को जातिवाद, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, छुआछुत जैसी कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इससे देश की एकता, अखण्डता साथ ही साथ देश के एक आम नागरिक की स्वतंत्रता तथा उसके अधिकार भी खतरे में पड़ गये हैं। देश की एकता, अखण्डता तथा सभी नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता को बनाये रखना हमारे संविधान का उद्देश्य है। लोकतंत्र और पंथनिरपेक्षता हमारे भारतीय गणराज्य के प्रमुख आधार स्तम्भ है। हमारे देश में अधिकांश छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा की अन्तिम सीढ़ी है। बहुत से बालक माध्यमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई बन्द कर देते हैं। ऐसे बालक जब किसी व्यवसाय में पदार्पण करते हैं तो वहाँ उनकी माध्यमिक शिक्षा उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुँचाती है। ऐसे में आवश्यक है कि उन छात्रों को विद्यालयी जीवन के दौरान मूल्य परक शिक्षा प्रदान की जाय जिससे आने वाले जीवन में वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। प्रस्तुत अध्ययन हमारे समाज की भयावह एवं ज्वलंत समस्या से संबंधित है। आज हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर संकीर्ण मनोवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में हमारे देश की गंगा यमुनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए समाज द्वारा लोकतंत्रात्मक तथा पंथनिरपेक्ष दृष्टि को अपनाया जाना जरूरी हो गया है।

समस्या कथन—

''माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास का अध्ययन।''

अध्ययन का उद्देश्य—

अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है—

1. माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों के अन्तर्गत समानता, समता, स्वतंत्रता, सहयोग, धर्मनिरपेक्षता आदि विकास का अध्ययन करना।

शोध—प्रविधि— अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान शोध विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में जनसंख्या के रूप में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को जनसंख्या माना गया है। न्यादर्श के रूप में 100 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक न्यादर्शन विधि से किया गया जिसमें कक्षा—9 के 50 छात्र एवं कक्षा—10 के 50 छात्रों को चयनित किया गया। छात्रों में लोकतांत्रिक विकास का अध्ययन करने के लिए स्वनिर्मित लोकतांत्रिक मूल्य मापनी का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में विश्लेषण हेतु प्रतिशत विश्लेषण का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या–

1. माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास का अध्ययन–

लोकतांत्रिक मूल्य मापनी

क्र0 सं0	कथन	कक्षा	हमेशा	प्रायः	कभी–कभी	बहुत कम	कभी नहीं
1.	आप जरूरत पड़ने पर लोगों का सहयोग करते हैं।	कक्षा–9	36.00%	34.00%	17.00%	13.00%	0.00%
		कक्षा–10	57.00%	38.00%	4.00%	1.00%	0.00%
2.	आप अपने मित्रों का सम्मान करते हैं।	कक्षा–9	39.00%	29.00%	19.00%	13.00%	0.00%
		कक्षा–10	61.00%	34.00%	3.00%	2.00%	0.00%
3.	आप अपने समूह के द्वारा लिए गये निर्णय को स्वीकार करते हैं।	कक्षा–9	14.00%	28.00%	28.00%	16.00%	14.00%
		कक्षा–10	41.00%	31.00%	20.00%	6.00%	2.00%
4.	आप जाति–पात में विश्वास नहीं करते हैं।	कक्षा–9	20.00%	34.00%	18.00%	12.00%	16.00%
		कक्षा–10	47.00%	36.00%	7.00%	7.00%	3.00%
5.	आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।	कक्षा–9	49.00%	26.00%	21.00%	4.00%	0.00%
		कक्षा–10	76.00%	21.00%	0.00%	3.00%	0.00%
7.	आप खेल के मैदान में अपने मित्रों के साथ खेल भावना से खेलते हैं।	कक्षा–9	20.00%	26.00%	24.00%	18.00%	12.00%
		कक्षा–10	52.00%	31.00%	7.00%	7.00%	3.00%
8.	अपने मित्रों की आवश्यकता पड़ने पर मदद करते हैं।	कक्षा–9	27.00%	22.00%	25.00%	18.00%	8.00%
		कक्षा–10	56.00%	30.00%	4.00%	8.00%	2.00%
10.	आप राष्ट्र गान के	कक्षा–9	61.00%	14.00%	14.00%	11.00%	0.00%

क्र0 सं0	कथन	कक्षा	हमेशा	प्रायः	कभी–कभी	बहुत कम	कभी नहीं
	समय एवं राष्ट्रगीत के समय अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं।						
		कक्षा–10	86.00%	14.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11.	आप शिक्षकों का सम्मान करते हैं एवं उनकी बातों का अनुसरण करते हैं।	कक्षा–9	33.00%	36.00%	17.00%	14.00%	0.00%
		कक्षा–10	51.00%	37.00%	12.00%	0.00%	0.00%
13.	आप हर जगह अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं।	कक्षा–9	31.00%	34.00%	28.00%	7.00%	0.00%
		कक्षा–10	17.00%	13.00%	30.00%	17.00%	23.00%
15	गरीबों एवं असहाय लोगों के प्रति आप दुःखी होते हैं।	कक्षा–9	27.00%	30.00%	23.00%	18.00%	2.00%
		कक्षा–10	40.00%	37.00%	13.00%	8.00%	2.00%
18	आप सामने वालों की बातों को धैर्य से सुनते हैं और सम्मान करते हैं।	कक्षा–9	21.00%	17.00%	40.00%	14.00%	8.00%
		कक्षा–10	41.00%	27.00%	30.00%	2.00%	0.00%
19	आप मानते हैं कि इस देश में सबके अधिकार समान है।	कक्षा–9	20.00%	21.00%	19.00%	23.00%	17.00%
		कक्षा–10	53.00%	32.00%	10.00%	3.00%	2.00%
20	आप मौलिक अधिकरों के प्रति जागरूक है।	कक्षा–9	21.00%	22.00%	37.00%	11.00%	9.00%
		कक्षा–10	32.00%	21.00%	21.00%	17.00%	9.00%

1. कक्षा–9 के छात्रों 70% छात्रों द्वारा जबकि कक्षा–10 के छात्रों द्वारा 95% छात्रों द्वारा लोगों की जरूरत पर सहयोग करते हैं।
2. 68% कक्षा–9 के छात्रों द्वारा मित्रों का सम्मान किया जबकि कक्षा–10 के छात्रों द्वारा 95% छात्रों द्वारा मित्रों का सम्मान करते हैं।
3. कक्षा–9 के छात्रों द्वारा 42% छात्रों द्वारा तथा कक्षा–10 के 82% छात्रों द्वारा समूहों में लिये जाने वाले निर्णयों का सम्मान करते हैं।
4. कक्षा–9 के 54% छात्रों एवं कक्षा–10 के 83% छात्रों द्वारा जाति–पात में विश्वास नहीं किया जाता है।
5. कक्षा–9 के 75% छात्रों द्वारा सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है जबकि कक्षा–10 के 76% हमेशा एवं 21% प्रायः सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है।
6. कक्षा–9 के छात्रों द्वारा 46% खेल भावना से खेलते हैं जबकि कक्षा–10 के 83% छात्रों द्वारा खेल के मैदान में अपने मित्रों के साथ खेल भावना से खेलते हैं।
7. कक्षा–9 के 47% छात्रों द्वारा अपने मित्रों की आवश्यकता पड़ने पर मदद करते हैं जबकि कक्षा–10 के 86% छात्रों द्वारा।
8. कक्षा–9 के 75% छात्रों जबकि कक्षा–10 के 100% छात्रों द्वारा राष्ट्र गान के समय एवं राष्ट्रगीत के समय अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं।
9. कक्षा–9 के 69% छात्रों द्वारा शिक्षकों का सम्मान एवं उनके बातों का अनुसरण करते है जबकि कक्षा–10 के 88% छात्र शिक्षकों का सम्मान एवं उनके बातों का अनुसरण करते हैं।
10. कक्षा–9 के 31% छात्र हमेशा तथा 34% छात्र प्रायः कुल 65% छात्र हर जगह अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं जबकि कक्षा–10 के 17% छात्र हमेशा तथा 13% प्रायः कुल 30% छात्र हर जगह अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं।
11. कक्षा–9 के 27% छात्र हमेशा तथा 30% प्रायः अर्थात् कुल 57% छात्र गरीबों एवं असहाय लोगों के प्रति दुःखी होते हैं जबकि कक्षा–10 के छात्रों द्वारा 40% हमेशा तथा 37% प्रायः गरीबों एवं असहाय लोगों के प्रति दुःखी होते हैं।
12. कक्षा–9 के 21% छात्र हमेशा एवं 17% प्रायः कुल 38% छात्र अपने सामने वालों की बातों को धैर्य से सुनते हैं और सम्मान करते हैं जबकि कक्षा–10 के 41% हमेशा तथा 27% प्रायः कुल 68% छात्र अपने सामने वालों की बातों को धैर्य से सुनते हैं और सम्मान करते हैं।
13. कक्षा–9 के 20% हमेशा एवं 21% प्रायः कुल 41% छात्रों द्वारा देश में सबके अधिकार को समान मानते हैं जबकि कक्षा–10 के छात्रों द्वारा 53% हमेशा एवं 32% प्रायः कुल 85% छात्र मानते हैं कि इस देश में सबके अधिकार समान है।
14. मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता के संदर्भ में कक्षा–9 के छात्रों द्वारा 21% हमेशा तथा 22% प्रायः कुल 43% छात्र जागरूक है जबकि कक्षा–10 के 32% हमेशा एवं 21% प्रायः कुल 53% छात्र मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक है।

निष्कर्ष– प्राप्त अध्ययनों से ज्ञात होता है कि कक्षा–10 के छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्य के अन्तर्गत लोगों की जरूरत पर सहयोग, मित्रों का सम्मान, समूहों में लिये जाने वाले निर्णयों का सम्मान, धर्म–निरपेक्षता की भावना, सभी धर्मों का सम्मान, खेल भावना, मित्रों की आवश्यकता पड़ने पर मदद, राष्ट्र गान के समय एवं राष्ट्रगीत के समय आदरभाव एवं सम्मान के साथ गायन, शिक्षकों का सम्मान एवं उनके बातों का अनुसरण, सभी के बातों को सम्मान, गरीबों एवं असहाय लोगों के प्रति दुःखी होना, धैर्यता, सभी के अधिकारों को समझना के साथ मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता कक्षा–9 के छात्रों की अपेक्षा उच्च पाया गया। अतः कहा जा सकता है कि उम्र के साथ बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- चौधरी, फूलचन्द्र (2013). ''माध्यमिक स्तर एवं उच्च स्तर के कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं में जीवन मूल्यों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन'', अप्रकाशित लघुशोध प्रबन्ध, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- शर्मा, अशोक एवं गुप्ता, प्रतिभा (2018). विद्यालय एवं पारिवारिक परिवेश के सन्दर्भ में विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों एवं राष्ट्रीय भावना का अध्ययन, *लोकविशेकर इण्टरनेशनल ई–जर्नल*, वॉल्यूम–7, इश्शू–01, पृ0 25–30
- सिंह, प्रियंका (2017). शिक्षा आधुनिकीकरण के साधन यंत्र के रूप में, *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एकेडमिक रिसर्च एण्ड डेवेलपमेण्ट*, वॉ0 2, इश्शू–4, पृ0 784–786
- सिंह, रजनी रंजन एवं नामदेव, हेमन्त (2015). शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति पर अध्ययन, *परिप्रेक्ष्य, शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक–आर्थिक संदर्भ*, वर्ष 22, अंक 3, दिसंबर 2015
- सिंह, ओंकार (2010). मूल्य संवर्द्धन में विद्यालयों की भूमिका, *मूल्य विमर्श*, वर्ष–5, अंक–10 जुलाई, 2010, मालवीय मूल्य अनुशीलन केन्द्र, वाराणसी, पृ0 26–28

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

गरीबी एवं उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास : आलोचनात्मक विश्लेषण

डॉ.मनमोहन प्रसाद पाण्डेय
भूतपूर्व शोध छात्र,
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश,भारत।

Article Info

Volume 3 Issue 3

Page Number : 93-111

Publication Issue :

May-June-2020

Article History

Accepted : 20 June 2020

Published : 30 June 2020

सारांश— प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों के विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा इन योजनाओं का वित्तीय भार राज्य एवं केन्द्र सरकार संयुक्त रूप से वहन कर रहीं हैं। साथ ही प्रदेश में गरीब परिवारों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं वित्तपोषित योजनाएं भी संचालित है। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में गरीबों के लिए विकास के लिए कई योजनओं का संचालन किया गया है जिसको प्रदेश सरकार का पूरक प्रयास माना जा सकता है। गरीबी निवारण हेतु संचालित विभिन्न योजनाएं मुख्यतः मानव के न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित है जिसके अन्तर्गत रोज़गार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा एवं कृषि व्यापक जैसे क्षेत्रों को समाहित किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत पूर्व के अध्यायों में लिए गये विश्लेषण के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों एवं प्राप्त उपलब्धियों को क्षेत्र—वार निष्कर्ष रूप में निम्नवत प्रस्तुत किये गये है।

मुख्यशब्द—गरीबी, योजनाएं, संचालित, राजनीतिक, मानव, आवश्यकता।

मानव की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। जब तक मानव के पास ये तीनों चीजें नहीं होती हैं वे अपना जीवन—यापन समुचित ढंग से नहीं कर पाता हैं। सरकार ने इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गरीब परिवरों के लिए अनेक कार्यक्रमों को समय—समय पर लागू करती रही है। गरीबों हेतु संचालित कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए प्राथमिक सूचनाओं का संकलन सर्वेक्षण विधि के द्वारा उत्तर प्रदेश के चारों भौगोलिक क्षेत्रों (पूर्वी उत्तर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य व बुन्देल खण्ड) से एक—एक जनपद यथा इलाहाबाद मथुरा, बाराबंकी, चित्रकूट का चयन किया गया तथा तथा चयनित प्रत्येक

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

जनपद से दो–दो विकास खण्डों एवं चयनित विकास खण्डों से दो–दो ग्रामों तथा प्रत्येक चयनित ग्राम से दस–दस गरीब परिवारों को प्रतिदर्श के रूप किया गया जिसमें पाया गया कि चयनित परिवारों में से 17.5 प्रतिशत परिवार इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए हैं जबकि वहीं 18.8 प्रतिशत परिवारों को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना के अन्तर्गत स्वरोज़गार के लिए ऋण देकर लाभान्वित किया गया तथा 5 प्रतिशत परिवारों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्ते ब्याज दर पर पम्पिंग सेट, डेरी, दुकान लगाने के लिए ऋण देकर लाभान्वित किया गया। 11.3 प्रतिशत परिवारों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना के अन्तर्गत 100 दिन का रोज़गार (सड़क निर्माण, तालाब की खुदाई) देकर लाभान्वित किया गया है। जबकि 0.6 प्रतिशत परिवारों का जवाहर रोज़गार योजना के अन्तर्गत रोज़गार दिया गया तथा 2.5 प्रतिशत परिवारों को काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया। जबकि 33.8 प्रतिशत परिवारों को सस्ते दर पर अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत अनाज दिया जा रहा है। साथी ही 10.6 प्रतिशत गरीब वृद्ध परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। इस प्रकार प्राथमिक आँकड़ों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि चयनित सभी 160 परिवार किसी न किसी योजना का लाभ पा चुके हैं दूसरी ओर जब हम परिवारों की आर्थिक स्थिति और रहन–सहन के स्तर को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि इनकी गरीबी के स्तर में किसी प्रकार का कोई सार्थक सुधार नहीं हुआ है।

ग्रामीण विकास : उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ

प्रदेश में पिछले चार दशक से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक विकास योजनाएं संचालित की गयी है। इन योजनाओं के नाम, स्वरूप, उद्देश्यों तथा क्रियान्वयन विधियों में सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जाता रहा है। यद्यपि प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु सशक्त रणनीति बनाने के क्रम में नियोजन, योजना–निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं संशोधन की प्रक्रिया पिछले पचास वर्षो से लगातार चलती आ रही है किन्तु गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास के वांछित लक्ष्यों को संतोषजनक स्तर पर भी नहीं लाया जा सका है। प्रतिदर्श जनपदों में पिछले एक दशक के दौरान संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का आलोचनात्मक विवेचन निम्नवत प्रस्तुत है–

इन्दिरा आवास योजना

सारणी 1: वर्षवार इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	इलाहाबाद			चित्रकूट			मथुरा			बाराबंकी		
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत
2000-01	2606	1880	72.1	468	468	100.0	1727	1727	100.0	3250	3250	100.0
2001-02	2648	2119	80.0	624	624	100.0	2308	2308	100.0	3541	3541	100.0
2002-03	2710	2710	100.0	551	551	100.0	1793	1793	100.0	3733	3733	100.0
2003-04	3069	1682	54.8	633	633	100.0	2030	2030	100.0	3848	3848	100.0
2004-05	2763	1893	68.5	489	489	100.0	2130	2130	100.0	5141	5141	100.0
2005-06	2510	2800	111.6	451	451	100.0	1056	1056	100.0	4140	4140	100.0
2006-07	2663	2345	88.1	384	384	100.0	1121	1121	100.0	7292	7292	100.0
2007-08	3988	4069	102.0	574	574	100.0	1555	1555	100.0	8710	8710	100.0
औसत	2870	2437	84.6	522	522	100.0	1715	1715	100.0	4957	4957	100.0

स्रोतः– कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि चयनित जनपदों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000–01 में 72.1 प्रतिशत ही लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि प्राप्त हुई जबकि वर्ष 2003–04 में यह उपलब्धि स्तर घटकर 54.8 प्रतिशत हो गयी तथा वर्ष 2007–08 में उपलब्धि का स्तर शत–प्रतिशत रहा। दूसरी ओर बुन्देलखण्ड के चित्रकूट जनपद तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद व मध्य क्षेत्र के बाराबंकी जनपद में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि शत–प्रतिशत प्राप्त हुई। इस प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली आवासीय सहायता का प्रतिशत अन्य जनपदों की तुलना में कम दिखाई देती है।

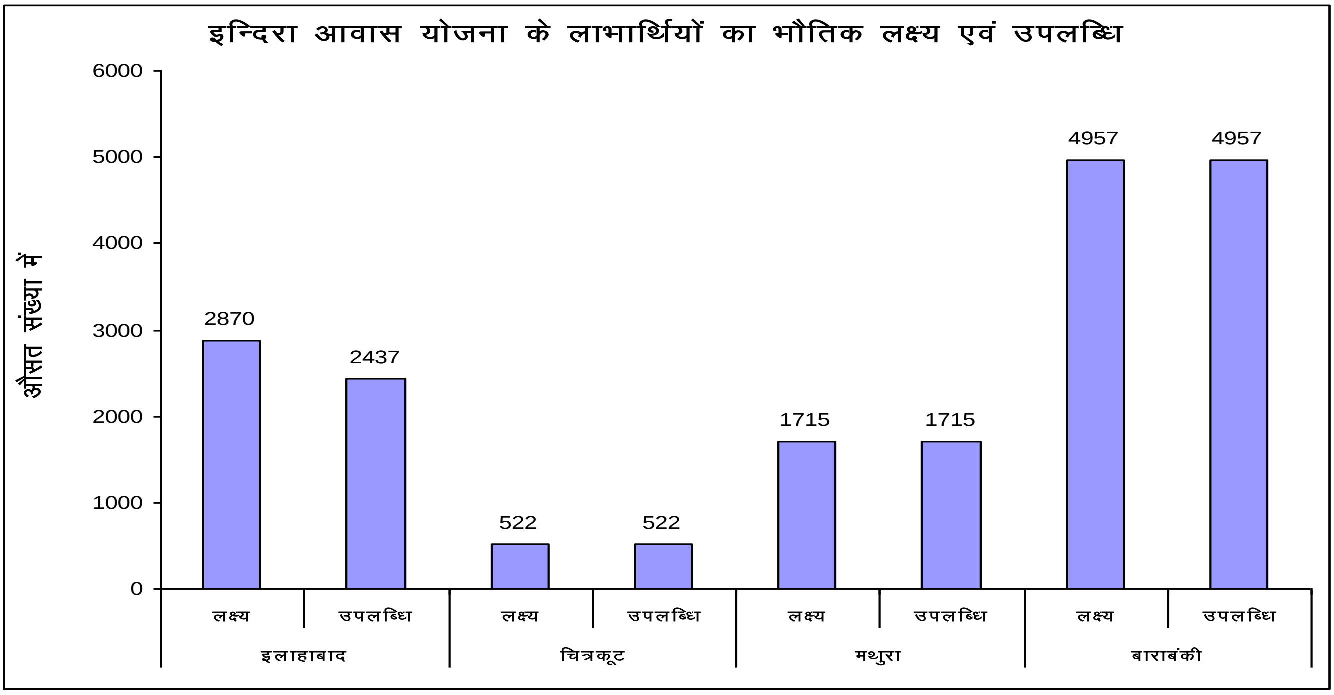

जवाहर रोज़गार योजना

सारणी 2 : वर्षवार जवाहर रोज़गार योजना के लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

(लाख में)

वर्ष	इलाहाबाद			चित्रकूट			मथुरा			बाराबंकी		
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत
2000-01	8.2	8.2	100.0	2.7	2.51	93.0	3.75	2.74	73.1	12.6	10.77	85.5
2001-02	10.72	10.72	100.0	4.5	3.88	86.2	4.15	4.1	98.8	11.7	10.95	93.6
2002-03	12.32	11.03	89.5	5.6	4.99	89.1	5.75	5.85	101.7	18.17	17.5	96.3
2003-04	13.4	12.42	92.7	4.2	2.93	69.8	6.15	6.84	111.2	12.32	10.32	83.8
औसत	11.2	10.6	95.6	4.3	3.6	84.5	5.0	4.9	96.2	13.7	12.4	89.8

स्रोतः– कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि जवाहर रोज़गार योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद जनपद में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि वर्ष 2000–01 व 2001–02 में शतप्रतिशत रही है जबकि इसके बाद वर्ष 2003–04 में घटकर 92.7 प्रतिशत हो गयी। जबकि मध्य उत्तर प्रदेश के बाराबंकि जनपद में वर्ष 2000–01 में लक्ष्य

की तुलना में उपलब्धि 85.5 प्रतिशत थी जो घटकर वर्ष 2003–04 में 83.8 प्रतिशत हो गयी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि में लगातार वृद्धि दर्ज की गयी जबकि बुन्देलखण्ड के चित्रकूट जनपद में लक्ष्य की तुलना पूर्ति में लगातार कमी दर्ज की गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अन्य जनपदों की तुलना में चित्रकूट जनपद में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि काफी कम रही।

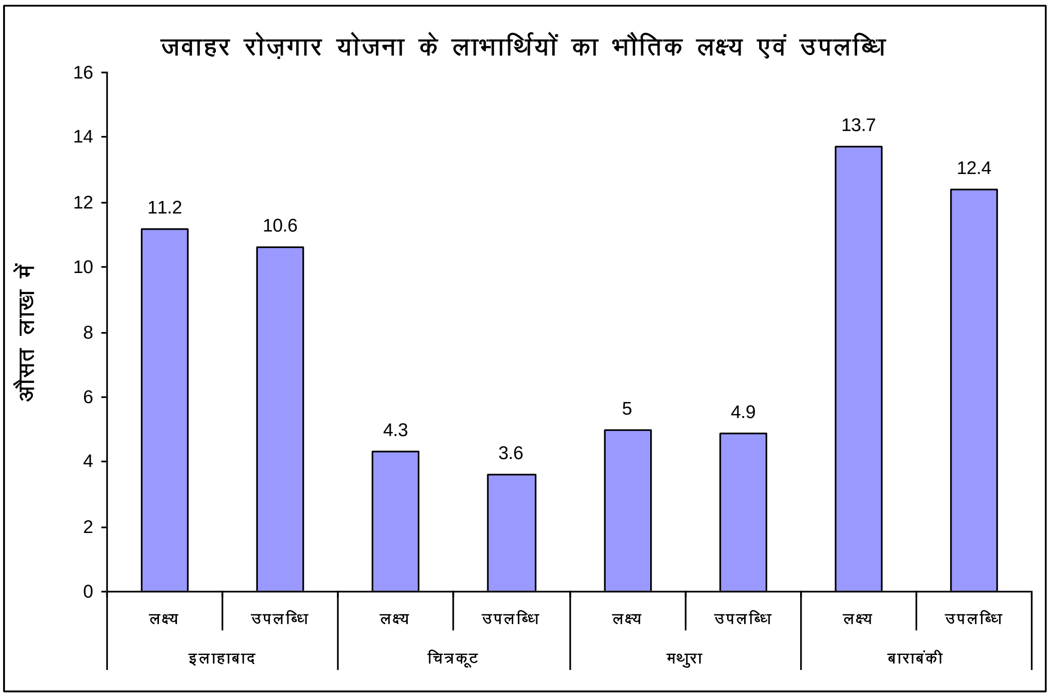

सुनिश्चत रोज़गार योजना

सारणी 3 : वर्षवार सुनिश्चत रोज़गार योजना के लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

(लाख में)

वर्ष	इलाहाबाद			चित्रकूट			मथुरा			बाराबंकी		
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत
2000-01	10.09	11.6	115.0	2.3	1.18	51.3	5.72	4.78	83.6	10.2	8.28	81.2
2001-02	8.59	8.59	100.0	4.32	3.24	75.0	4.89	3.27	66.9	6.28	4.75	75.6
2002-03	16.69	16.69	100.0	7.5	6.2	82.7	3.37	2.82	83.7	5.2	3.78	72.7
2003-04	NA	NA	-	6.34	5.08	80.1	3.12	2.89	92.6	4.92	3.37	68.5
औसत	11.8	12.3	105.0	5.1	3.9	72.3	4.3	3.4	81.7	6.7	5.0	74.5

स्रोतः– कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़े स्पष्ट करते है कि चयनित इलाहाबाद जनपद में सुनिश्चित रोज़गार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000–01 में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि शत–प्रतिशत से भी अधिक रही है जो वर्ष 2002–03 में घटकर शत–प्रतिशत हो गयी तथा इसके बाद वर्ष 2003–04 में इस जनपद में यह योजना बन्द कर दी गयी। जबकि चित्रकूट जनपद में वर्ष 2000–01 में लक्ष्य की पूर्ति 51.3 प्रतिशत थी जो वर्ष 2003–04 में बढ़कर 80.1 प्रतिशत हो गयी। दूसरी ओर मथुरा जनपद में लक्ष्य की पूर्ति वर्ष 2000–01 में 83.6 प्रतिशत थी जो वर्ष 2003–04 में बढ़कर 92.6 प्रतिशत हो गयी। जबकि बाराबंकी जनपद में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि वर्ष 2000–01 में 81.2 प्रतिशत थी जो आगे के वर्षो में घटकर 68.5 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि इलाहाबाद जनपद में इस योजना के अन्तर्गत लक्ष्य की पूर्ति अधिक रही है।

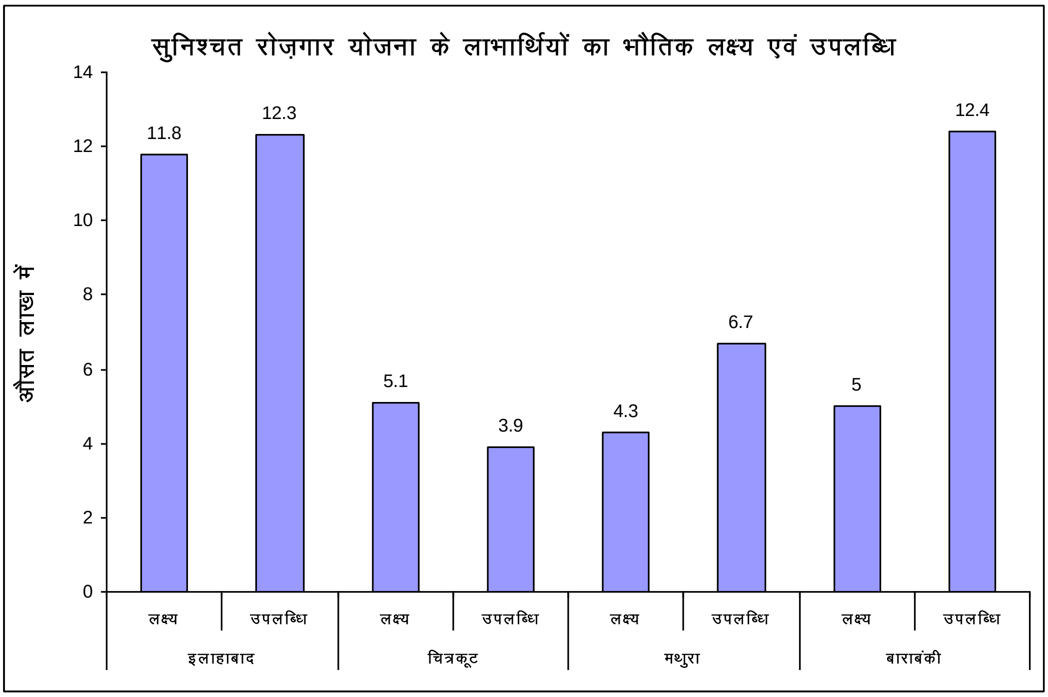

स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना

सारणी 4: वर्षवार स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना के लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	इलाहाबाद			चित्रकूट			मथुरा			बाराबंकी		
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत
2000-01	10163	2119	20.9	1750	1165	66.6	1210	1243	102.7	2724	2724	100.0
2001-02	7110	1598	22.5	1738	548	31.5	1100	1126	102.4	2161	2161	100.0
2002-	7110	124	17.5	175	105	60.4	120	122	101.	675	181	26.8

03		6		0	7		0	0	7	0	0	
2003-04	7110	2793	39.3	1750	1148	65.6	1414	1465	103.6	6750	4223	62.6
2004-05	7110	3142	44.2	1750	1477	84.4	1230	1232	100.2	7783	5676	72.9
2005-06	7116	7116	100.0	1662	1553	93.4	1400	1418	101.3	8565	8540	99.7
2006-07	7824	5380	68.8	1925	1560	81.0	1400	1410	100.7	8565	8555	99.9
2007-08	8175	8187	100.1	2263	2017	89.1	1230	1239	100.7	8939	8910	99.7
औसत	7715	3948	51.7	1824	1316	71.5	1273	1294	101.7	6530	5325	82.7

स्रोतः– कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि चयनित चारों जनपदों में स्वरोजगारियों को दिया जाने वाला स्वरोज़गार लक्ष्य की उपलब्धि काफी कम है। चयनित इलाहाबाद जनपद में वर्ष 2000–01 में निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि 20.9 प्रतिशत थी जो वर्ष 2009–10 में घटकर 17.5 प्रतिशत हो गयी जबकि वर्ष 2004–05 में बढ़कर लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 44.2 प्रतिशत तथा वर्ष 2007–08 में लगभग शत–प्रतिशत हो गयी। दूसरी ओर बुन्देलखण्ड के चित्रकूट जनपद में 2000–01 में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 66.6 प्रतिशत थी जो वर्ष 2004–05 में घटकर 54.4 प्रतिशत हो गयी तथा वर्ष 2007–08 में बढ़कर लगभग शत–प्रतिशत से अधिक रही है। जबकि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में वर्ष 2000–01 तथा 2001–02 में लक्ष्य की तुलना में शत–प्रतिशत रही है जबकि इसके बाद वर्ष 2004–05 में घटकर 72.9 प्रतिशत हो गयी जबकि वर्ष 2007–08 में बढ़कर लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि शत–प्रतिशत रही है।

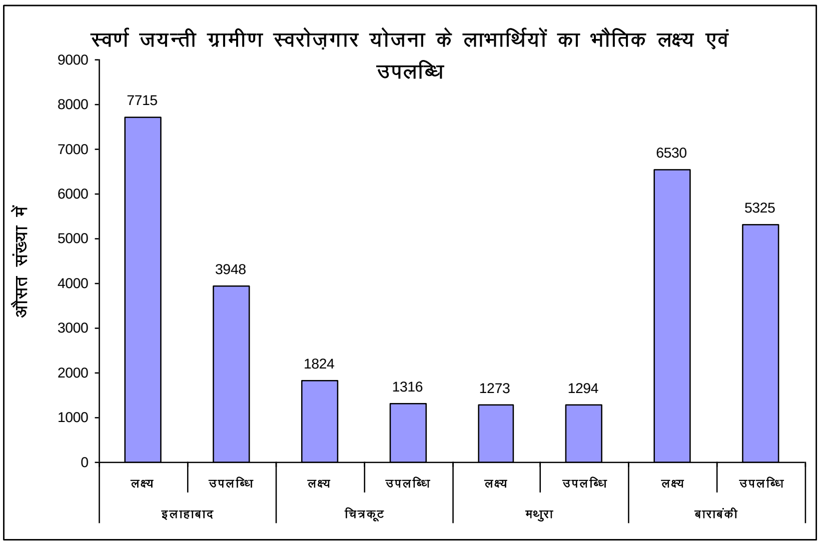

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी योजना

सारणी 5 : वर्षवार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जाब कार्ड धारक

वर्ष	इलाहाबाद			चित्रकूट			मथुरा			बाराबंकी		
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत
2006-07	NA	NA	-	62386	50361	80.7	385000	385000	100.0	334591	334591	100.0
2007-08	NA	NA	-	86911	55312	63.6	505000	505000	100.0	352949	352949	100.0
2008-09	526900	475900	90.3	87376	78835	90.2	874000	874000	100.0	304879	304879	100.0
औसत	526900	475900	90.3	78891	61503	78.2	588000	588000	100.0	330806	330806	100.0

स्रोतः– कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि इलाहाबाद जनपद में वर्ष 2006–07 व 2007–08 में मनरेगा को लागू नही किया गया। वर्ष 2008–09 में 90.3 प्रतिशत जॉब कार्ड धारकों को लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि प्राप्त की गयी। जबकि चित्रकूट जनपद में वर्ष 2006–07 में 80.7 प्रतिशत जॉब कार्ड धारकों के लक्ष्य तुलना में रोज़गार किया गया जो वर्ष 2008–09 में बढ़कर 90.2 प्रतिशत हो गयी। वही मथुरा व बाराबंकी जनपदों में शत–प्रतिशत लक्ष्य की आपूर्ति की गयी। इससे स्पष्ट होता है कि अभी भी इलाहाबाद और चित्रकूट जनपदों में लगभग 10 प्रतिशत कार्डधारक काम की तलाश में भटक रहे हैं.।

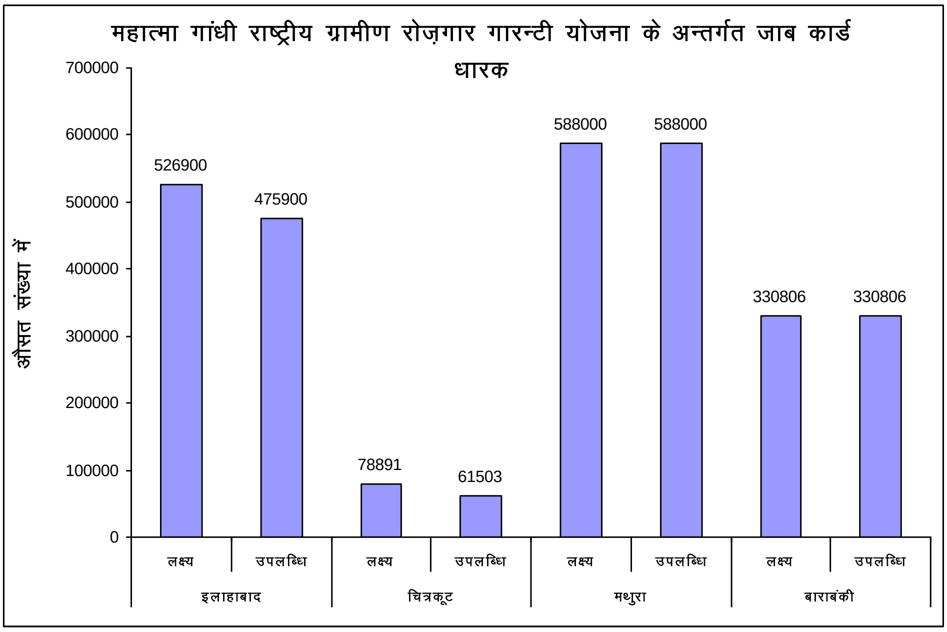
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जाब कार्ड धारक
औसत संख्या में
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
526900
475900
78891
61503
588000
588000
330806
330806
लक्ष्य
उपलब्धि
इलाहाबाद
चित्रकूट
मथुरा
बाराबंकी

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

सारणी 6 : वर्षवार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	इलाहाबाद			चित्रकूट			मथुरा			बाराबंकी		
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत
2000-01	36000	40202	111.7	14722	12637	85.8	18355	56883	309.9	36784	31366	85.3
2001-02	45000	51215	113.8	12878	10232	79.5	61000	63611	104.3	38278	34380	89.8
2002-03	45000	49319	109.6	15646	13784	88.1	45000	45527	101.2	40248	36362	90.3
2003-04	65200	71115	109.1	20000	14779	73.9	42587	46806	109.9	42546	37234	87.5
2004-05	57600	29089	50.5	34318	25778	75.1	26331	26461	100.5	55660	51352	92.3
2005-06	57600	24042	41.7	14848	16739	112.7	29500	30075	101.9	60000	56197	93.7
2006-07	47367	23643	49.9	13392	12294	91.8	24208	32748	135.3	40702	37538	92.2
2007-08	48314	28578	59.2	13392	14758	110.2	33922	34298	101.1	46813	40407	86.3
औसत	50260	39650	80.7	17399	15125	89.6	35113	42051	133.0	45129	40605	89.7

स्रोतः– कार्यालय, जिला कृषि अधिकारी।

उपरोक्त सारणी स्पष्ट करता है कि वर्ष 2000–01 में इलाहाबाद जनपद में शतप्रतिशत से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य की पूर्ति की गयी जबकि वर्ष 2004–05 में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि घटकर 50.5 प्रतिशत हो गयी तथा वर्ष 2007–08 में यह प्रतिशत बढ़कर 59.2 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार चित्रकूट जनपद में वर्ष 2000–01 में लक्ष्य की तुलना में 85.8 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गयी जबकि वर्ष 2004–05 में यह प्रतिशत घटकर 75.1 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में शत–प्रतिशत से अधिक उपलब्धि अर्जित की गयी। मथुरा जनपद में वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक शतप्रतिशत किसान क्रेडिट कार्डो के लक्ष्य की पूर्ति की गयी। जबकि बाराबंकी जनपद में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2000–01 में 85.3 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य की आपूर्ति की गयी जो वर्ष 2007–08 में घटकर 86.3 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि मथुरा जनपद में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक की अवधि में शत–प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि प्राप्त की गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान प्रदेश के अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की

तुलना में ज्यादा सजग है यही कारण है कि मथुरा जनपद में किसान क्रेडिट कार्ड लक्ष्य से कहीं ज्यादा उपलब्धि अर्जित की गई जबकि अन्य जनपदों में निर्धारित लक्ष्य से उपलब्धि का प्रतिशत बहुत कम है।

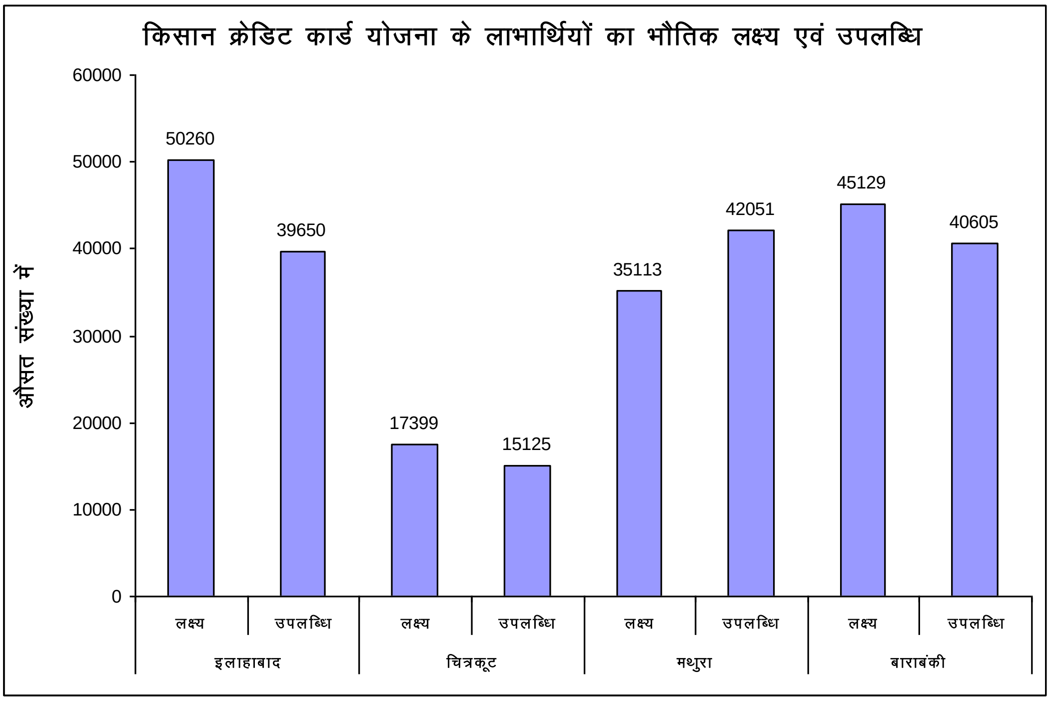

जननी सुरक्षा योजना

सारणी 7 : वर्षवार जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	इलाहाबाद			चित्रकूट			मथुरा			बाराबंकी		
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत
2005-06	28262	25362	89.7	2822	2285	81.0	1027	1027	100.0	1583	1583	100.0
2006-07	37562	31348	83.5	3145	2147	68.3	6763	6763	100.0	13302	13302	100.0
2007-08	46477	37612	80.9	6745	6511	96.5	17090	17090	100.0	37192	37192	100.0
औसत	37434	31441	84.7	4237	3648	81.9	8293	8293	100.0	17359	17359	100.0

स्रोतः– कार्यालय, जिला मुख्य चिकित्साधिकारी।

उपरोक्त सारणी स्पष्ट करता है कि इलाहाबाद जनपद में वर्ष 2005–06 में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 89.7 प्रतिशत की गयी जो वर्ष 2007–08 में घटकर 80.9 प्रतिशत हो गयी इसी प्रकार से चित्रकूट जनपद में वर्ष 2005–06 में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 81.0 प्रतिशत थी जो वर्ष 2007–08 में बढ़कर 96.5 प्रतिशत हो गयी।

दूसरी ओर मथुरा और बाराबंकी जनपदों में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि शत–प्रतिशत थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि इलाहाबाद व चित्रकूट जनपदों की तुलना में मथुरा व बाराबंकी की जनपदों में उपलब्धि शत–प्रतिशत रही।

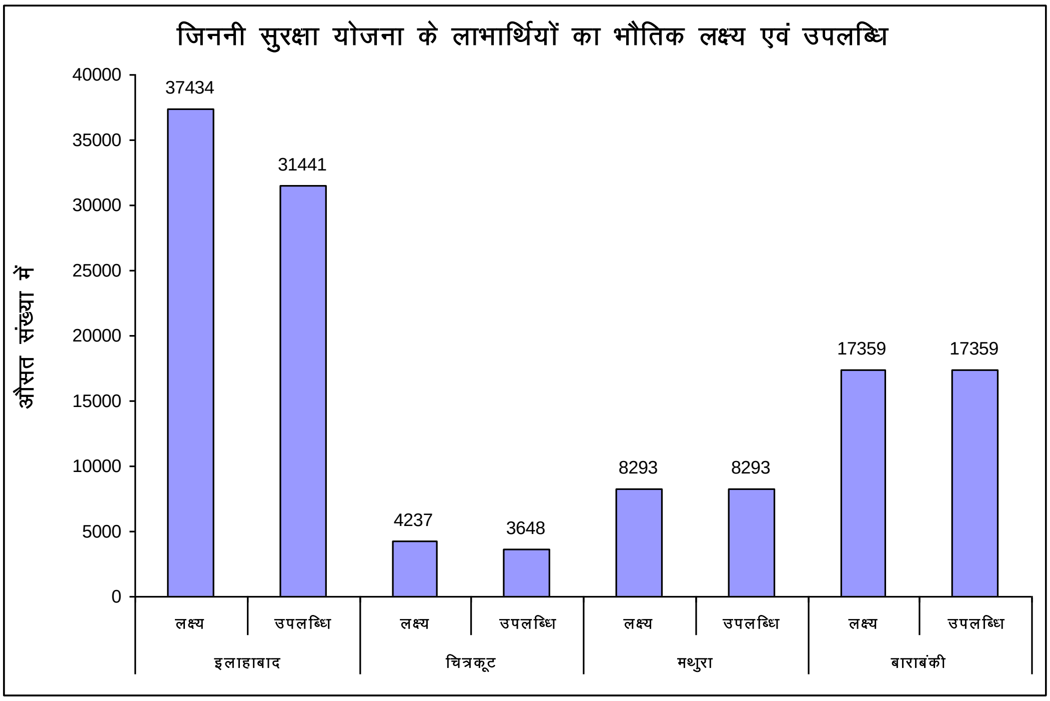

राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

सारणी 8 : वर्षवार टी0बी0 से पीढ़ित पंजीकृत व उपचारित मरीज

वर्ष	इलाहाबाद			चित्रकूट			मथुरा			बाराबंकी		
	पंजीकृत	उपचारित		पंजीकृत	उपचारित		पंजीकृत	उपचारित		पंजीकृत	उपचारित	
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	संख्या	प्रतिशत
2000-01	1546	1032	66.8	1032	385	37.3	562	522	92.9	1284	377	29.4
2001-02	2563	1543	60.2	943	322	34.1	737	372	50.5	1262	351	27.8
2002-03	3262	2150	65.9	1243	445	35.8	756	214	28.3	1227	335	27.3
2003-04	4820	2568	53.3	1123	402	35.8	2344	832	35.5	1349	382	28.3
2004-05	5476	3006	54.9	1248	486	38.9	2423	956	39.5	1332	398	29.9
2005-06	7539	4030	53.5	1522	645	42.4	3012	1356	45.0	1667	443	26.6
2006-07	8030	3981	49.6	1620	886	54.7	3177	1387	43.7	1683	489	29.1

2007-08	8598	4814	56.0	1620	952	58.8	3906	1698	43.5	1923	535	27.8
औसत	5229	2891	57.5	1294	565	42.2	2115	917	47.4	1466	414	28.3

स्रोतः– कार्यालय, जिला मुख्य चिकित्साधिकारी।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि इलाहाबाद जनपद में वर्ष 2000–01 में टी0बी0 के कुल पंजीकृत मरीजों की तुलना में संख्या का 66.8 प्रतिशत मरीजों का उपचार किया गया जो वर्ष 2004–05 में घटकर 54.9 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया। जबकि चित्रकूट जनपद में वर्ष 2001–02 में कुल पंजीकृत रोगियों की संख्या की तुलना में 37.3 प्रतिशत मरीजों का उपचार किया गया जो वर्ष 2007–08 में बढ़कर प्रतिशत 58.8 हो गया। जबकि मथुरा जनपद में वर्ष 2000–01 में कुल पंजीकृत मरीजों की संख्या की तुलना में 92.9 प्रतिशत मरीजों का उपचार किया गया जो घटकर वर्ष 2004–05 में 39.5 प्रतिशत हो गया तथा पुनः बढ़कर वर्ष 2007–08 में 43.5 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार बाराबंकी जनपद में वर्ष 2000–01 में कुल पंजीकृत मरीजों की संख्या की तुलना में 29.4 प्रतिशत मरीजों का उपचार किया गया तथा यह उपलब्धि वर्ष 2007–08 में घटकर प्रतिशत 27.8 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि टी.वी. के मरीजों के उपचार के मामले में इलाहाबाद जनपद की स्थिति अन्य जनपदों की तुलना में अच्छी है।

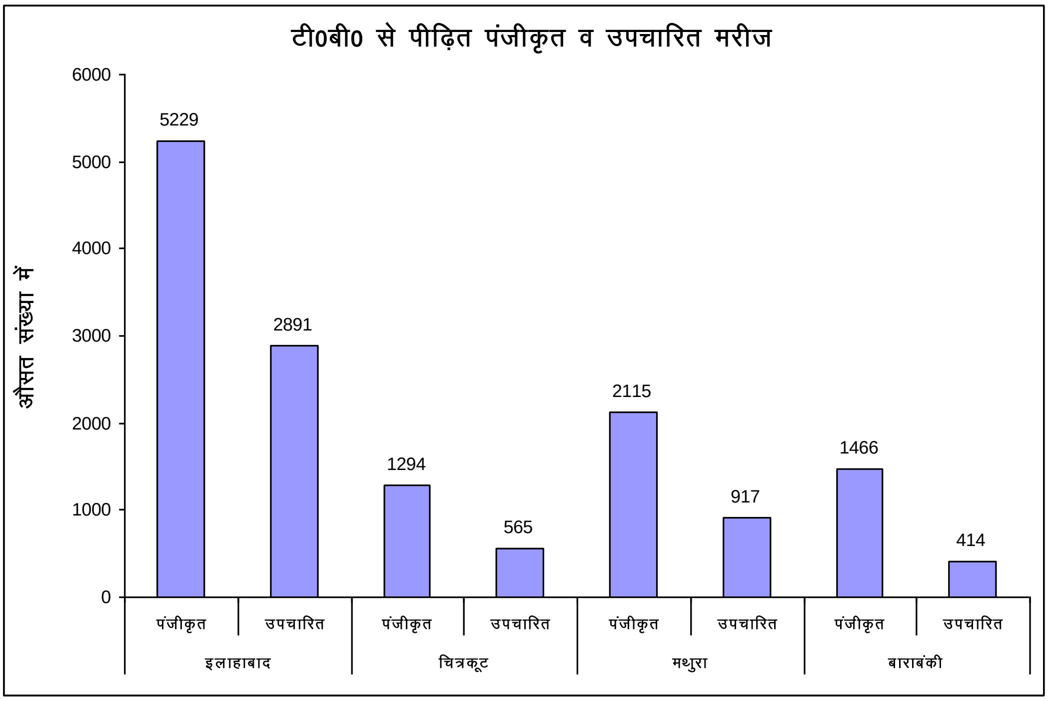

वृद्धा पेंशन योजना

सारणी 8: वर्षवार वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	इलाहाबाद				चित्रकूट				मथुरा				बाराबंकी			
	लक्ष्य	उपलब्धि		बीपीएल सर्वे 2002 पर प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि		बीपीएल सर्वे 2002 पर प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि		बीपीएल सर्वे 2002 पर प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि		बीपीएल सर्वे 2002 पर प्रतिशत
	संख्या	संख्या	प्रतिशत		संख्या	संख्या	प्रतिशत		संख्या	संख्या	प्रतिशत		संख्या	संख्या	प्रतिशत	
2000-01	30598	30598	100.0		3610	3610	100.0		14755	14755	100.0		22678	22678	100.0	
2001-02	30598	30598	100.0		3610	3610	100.0		14755	14755	100.0		22678	22678	100.0	
2002-03	39501	39501	100.0	14.13	5083	5083	100.0	6.51	18327	18327	100.0	15.51	27650	27650	100.0	8.80
2003-04	39501	39501	100.0	14.13	7795	7795	100.0	9.99	18327	18327	100.0	15.51	27650	27650	100.0	8.80
2004-05	39501	39501	100.0	14.13	7795	7795	100.0	9.99	18327	18327	100.0	15.51	30640	30640	100.0	9.75
2005-06	56739	56739	100.0	20.30	10334	10334	100.0	13.24	23212	23212	100.0	19.64	30640	30640	100.0	9.75
2006-07	77904	77904	100.0	27.87	14934	14934	100.0	19.13	28952	28952	100.0	24.49	32262	32262	100.0	10.26
2007-08	122346	122346	100.0	43.77	16999	16999	100.0	21.18	28952	28952	100.0	24.49	32262	32262	100.0	10.26

स्रोतः– कार्यालय, जिला समाज कल्याण विभाग।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2002–03 में इलाहाबाद जनपद में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों में से 14.13 प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवारों को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिया गया जबकि वर्ष 2004–05 में दी जाने वाली वृद्धा पेंशन के प्रतिशत में कोई बढ़ोत्तरी नही हुयी तथा वर्ष 2007–08 में यह प्रतिशत बढ़कर 43.77 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर चित्रकूट जनपद में वर्ष 2002–03 में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों में से 6.51 प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवारों को वृद्धों को वृद्धा पेंशन प्रदान किया गया जबकि वर्ष 2004–05 में यह प्रतिशत बढ़कर 9.99 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में फिर बढ़कर 21.78 प्रतिशत हो गया, वही मथुरा जनपद में वर्ष 2002–03 में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों में से 15.51 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वृद्धा पेंशन दी गयी जो वर्ष 2004–05 में बढ़कर 19.64 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में फिर यह बढ़कर 24.49 हो गया। बाराबंकी जनपद में वर्ष 2002–03 में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों में से 8.8 प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवारों को वृद्धा पेंशन दी गयी जबकि वर्ष 2004–05 में यह बढ़कर 9.75 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में फिर बढ़कर यह 10.26 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि चयनित चारों जनपदों में वृद्धा पेंशन योजना का प्रतिशत काफी कम है जो यह प्रदर्शित करता है कि ऐसे निःसहाय वृद्धों की संख्या काफी कम है जिनका कोई पालनहार न हो।

6.1.16 विधवा पेंशन योजना

सारणी 6.16: वर्षवार विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	इलाहाबाद				चित्रकूट				मथुरा				बाराबंकी			
	लक्ष्य	उपलब्धि		बीपीएल सर्वे 2002 पर प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि		बीपीएल सर्वे 2002 पर प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि		बीपीएल सर्वे 2002 पर प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि		बीपीएल सर्वे 2002 पर प्रतिशत
	संख्या	संख्या	प्रतिशत		संख्या	संख्या	प्रतिशत		संख्या	संख्या	प्रतिशत		संख्या	संख्या	प्रतिशत	
2000-01	7015	7015	100.0		1032	1032	100.0		5216	5216	100.0		7497	7439	99.2	
2001-02	7015	7015	100.0		1466	1466	100.0		5216	5216	100.0		7497	7497	100.0	
2002-03	12364	12364	100.0	4.42	1832	1832	100.0	2.35	6283	6283	100.0	5.32	8871	8871	100.0	2.82

2003-04	7015	7015	100.0	2.51	2034	2034	100.0	2.61	6283	6283	100.0	5.32	8871	8871	100.0	2.82
2004-05	9945	9945	100.0	3.56	2478	2478	100.0	3.18	10428	10428	100.0	8.82	8871	8871	100.0	2.82
2005-06	11461	11461	100.0	4.10	4134	4134	100.0	5.30	10428	10428	100.0	8.82	16382	16382	100.0	5.21
2006-07	20539	20539	100.0	7.35	5212	5212	100.0	6.68	16057	16057	100.0	13.58	16382	16382	100.0	5.21
2007-08	32344	32344	100.0	11.57	6531	6531	100.0	8.37	16057	16057	100.0	13.58	36965	36965	100.0	11.76

स्रोतः– कार्यालय, जिला समाज कल्याण विभाग।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2002–03 में इलाहाबाद जनपद में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों में से 4.42 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे की विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन दी गयी, जबकि वर्ष 2004–05 में यह घटकर 3.56 प्रतिशत हो गयी तथा वर्ष 2007–08 में यह पुनः बढ़कर 11.57 प्रतिशत हो गयी। चित्रकूट जनपद में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों में से 2.35 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ दिया गया जो वर्ष 2004–05 में बढ़कर यह 3.18 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में यह प्रतिशत बढ़कर 8.37 प्रतिशत हो गया। वहीं मथुरा जनपद में वर्ष 2002–03 में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों में से 5.32 प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवारों की विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन दी गयी जबकि वर्ष 2004–05 में बी0पी0एल0 परिवारों की विधवा महिलाओं की विधवा पेंशन का प्रतिशत बढ़कर 8.32 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में यह प्रतिशत बढ़कर 13.58 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार बाराबंकी जनपद में वर्ष 2002–03 में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों मे से 2.82 प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवारों की विधवा महिलाओं को पेंशन दी गयी, जबकि वर्ष 2004–05 में कोई बढ़ोत्तरी नही हुयी तथा वर्ष 2007–08 में यह प्रतिशत बढ़कर 11. 76 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि बी0पी0एल0 परिवारों के निःसहाय विधवा महिलाओं को दी जाने वाली विधवा पेंशन का प्रतिशत चयनित चारों जनपदों काफी कम है जो कि एक अच्छा संकेत है।

व्यक्तिगत प्रेक्षण

शोधार्थी का व्यक्तिगत प्रेक्षण योजनाओं का लाभ प्राप्त होने के बावजूद गरीब परिवारों के गरीबी की स्थिति में सुधार न होने के कारणों की वजह को समझने के लिए सर्वेक्षण के दौरान लाभार्थियों से किए गये साक्षात्कार, ग्राम प्रधानों व प्रबुद्ध लोगों से अनौपचारिक परिचर्चा योजनाओं के दिशा–निर्देश व उद्देश्यों, चयन प्रक्रिया, चयन में पारदर्शिता आदि के साथ–साथ अध्ययन के दौरान अनुभव किए गये प्रेक्षणों को ध्यान में रखकर विश्लेषण करने पर पाया कि किसी भी गरीब परिवारों को केवल एक योजना का लाभ दे देने भर से उसकी गरीबी दूर नहीं हो सकती। यथा किसी गरीब परिवार को यदि हम केवल भोजन दे दें या केवल आवास दे दें तो इससे उस गरीब परिवार की गरीबी कभी भी दूर नहीं हो सकती। जब तक कि इन गरीब परिवारों की कम से कम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न किया जाए। दूसरी ओर यह देखा गया कि योजनाओं के लाभार्थियों के चयन में भी पक्षपात पूर्ण तरीका अपनाया जाता है। यथा जिस गरीब परिवार को गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए वह गरीबी रेखा के ऊपर में दिखा दिया जाता है तथा वास्तव में जो परिवार गरीबी रेखा के ऊपर है उन्हें गरीबी रेखा से नीचे दिखा दिये जाने से योजना के पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।

गरीबी दूर करने के लिए शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन उचित ढंग से किया जाना अति आवश्यक है। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता का होना आवश्यक है अर्थात योजनाओं का लाभ उन गरीब परिवारों को मिले जो उसके लिए पात्र हैं। दूसरी ओर लाभार्थियों का चुनाव करते समय पात्र लाभार्थियों के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं होनी चाहिए। यथा अति गरीब परिवार जिन्हें योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उन्हें न मिलकर, उन गरीब परिवारों को दे दिया जाता है जो योजना के पात्र तो हैं लेकिन अति–गरीब परिवार की तुलना में नहीं है। यह बात प्राथमिक सर्वे के दौरान स्पष्ट रूप से देखने को मिली। इसके लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण स्तर पर कार्यशील सरकारी मशीनरी (खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम सचिव व प्रधान) को और सशक्त बनाया जाय तथा इनका कार्य पद्वति स्पष्ट एवं पारदर्शी हो, जिससे योजना के लिए अपात्र परिवारों का चयन न हो सके और पात्र परिवारों को ही योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्यों को विधिवत प्रशिक्षण दिया जाए। विशेषकर योजनाओं के सन्दर्भ में यथा योजना का उद्देश्य, क्रियान्वयन आदि के संदर्भ में जिसका वर्तमान अध्ययन में अभाव पाया गया। इसके अभाव में ग्रामीण स्तर पर व्याप्त गरीबी को दूर करने की बात सोचना भी गलत होगा। अतः इसे प्राथमिक आवश्यकता के रूप में लेना चाहिए। किसी भी नये योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व उसके उद्देश्य व क्रियान्वयन के तरीकों की जानकारी ग्राम पंचायत एवं सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों को देना अनिवार्य की जानी चाहिए।

गरीबी दूर करने के साथ ही भ्रष्टाचार को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान यह बात पायी गयी की ग्राम प्रधान व सरकारी सेवक, बैंक मैनेजर योजनाओं का लाभ देने के लिए पात्र परिवारों से घूस की मांग करते हैं। घूस की धनराशि न देने पर अपात्र परिवारों को लाभ दे दिया जाता है इसके लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र परिवार को ही योजना का लाभ मिले।

योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों को देने के पूर्व उन गरीब परिवारों का जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनकी सूची तैयार की जानी चाहिए जिससे योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को ही मिले। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव आपस में मिलकर ऐसे परिवारों का जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की श्रेणी में नहीं आते हैं अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर श्रेणी में आते हैं। उनका चयन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की श्रेणी में कर देते हैं। ऐसा वे इस लिए करते हैं क्योंकि ये परिवार चुनाव के समय ग्राम प्रधान के पक्ष में बोटिंग की थी या उनके अपने बहुत ही नजदीकी होते है। ऐसा भी देखा गया है कि गॉव के कुछ दबंग परिवार जिनका गॉव में दबाव होता है वे ग्राम सचिव से मिलकर जबरन अपना व अपने नजदीकी परिवारों का नाम गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची में डलवा लेते हें जिससे गलत परिवारों का चयन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची में कर लिया जाता है। सर्वेक्षण के दौरान यह भी देखा गया है कि गॉवों में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हुए

भी वे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का लाभ ले रहे हैं। जबकि कुछ परिवार ऐसे हैं जो वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे हैं लेकिन फिर भी उन्हें गरीबी रेखा से नीचे की सूची में न दिखाकर गरीबी रेखा के ऊपर की सूची में दिखाया गया है जिससे वे गरीब परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उपरोक्त कारणों से योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर इस समस्या को दूर करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का चयन उस गॉव के ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से न करवा कर दूसरे गॉव के ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से या सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकृत व्यक्ति से ही कराया जाना चाहिए। जिससे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची में पारदर्शिता बरती जा सके। दूसरी ओर इन गरीब परिवारों, जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं उनके नाम की सूची तैयार करके ग्राम–वार प्रकाशित करवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिससे योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाया जा सके।

गरीबी दूर करने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि गरीबों के लिए जो योजनायें बनायी गयी हैं उनका क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाना चाहिए। योजनाओं को क्रियान्वित करने के समय उनमें पारदर्शिता का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योजनाओं का लाभ उन्हीं गरीब लाभार्थियों को मिले जो वास्तव में गरीब हैं और जो योजनाओं का लाभ पाने के योग्य हैं। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण स्तर पर सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी मशीनरी को और सशक्त बनाया जाए और इनका समय–समय पर निरीक्षण किया जाए। सर्वेक्षण के दौरान गॉवों के प्रबुद्ध नागरिकों से चर्चा के दौरान यह बात पायी गयी कि ग्राम प्रधान अपने नजदीक के परिवारों जो उनके यहां काम करते हैं या उन्हें चुनाव में वोटिंग की है या उनके यहां उठते बैठते हैं उन्हें इन योजनाओं का लाभ दे देते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव।

प्रस्तुत शोध अध्ययन ''उत्तर प्रदेश में गरीबी निवारण योजनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन'' के सन्दर्भ में किया गया है। प्रदेश के गरीब समुदाय के लोगो पर विकास योजनाओं के प्रभाव की वास्तविकता को जानने के लिए प्रदेश के सभी चार भौगोलिक क्षेत्रों से एक–एक जनपद का चयन किया गया अर्थात बुन्देलखण्ड से चित्रकूट, पूर्वी क्षेत्र से इलाहाबाद, मध्य क्षेत्र बाराबंकी तथा पश्चिमी क्षेत्र से मथुरा जनपद को अध्ययन हेतु चयनित किया गया। इन चयनित प्रत्येक जनपद से दो विकास खण्डों का चयन किया गया तथा प्रत्येक चयनित विकास खण्ड से दो ग्रामों को प्रतिदर्श के रूप में चुना गया। चयनित प्रत्येक गांवों से दस ऐसे परिवारों को चुना गया जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन–यापन करते है। इस प्रकार प्रत्येक जनपद से 40 बी0पी0एल0 परिवारों से व्यक्तिगत साक्षात्कार संरचित अनुसूची के माध्यम से लिए गए हैं और प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कई आयामों से किया गया है। देश एवं प्रदेश में गरीबी का स्वरूप, परिणाम, कारण एवं सरकारी तथा गैर–सरकारी स्तर पर किए गए प्रयासों का अवलोकन एवं विश्लेषण उपनिवेशिक काल तथा स्वतन्त्रोत्तर काल से अब तक की अवधि के विशेष संदर्भ में किया गया है। शोध अध्ययन से प्राप्त प्राथमिक एवं द्वितीयक सूचना का विश्लेषण अनेक सच्चाइयों को उद्घाटित करता है

अध्ययन से प्राप्त परिणामों का 'निष्कर्ष' शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए हैं।

आवासीय योजनाएं

- लक्ष्यों के निर्धारण के लिए गरीब परिवार हेतु बनाई गई बी0पी0एल0 सूची त्रुटिपूर्ण पायी गयी जिसमें अनेक वास्तविक गरीब परिवारों के नामों को सम्मिलित नहीं किया गया है। जिसके कारण अनेक लक्षित समूह के परिवार योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे है।
- लाभार्थियों की सूची के निर्माण के दौरान स्थानीय राजनीति व प्रभावशाली व्यक्ति का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में सार्थक स्तर पर पाया गया।
- विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित देय धनराशि वर्तमान महंगाई की तुलना में अत्यधिक कम है यही कारण है कि अनके परिवार योजना का लाभ प्राप्त करने के पश्चात भी अपने आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करा पाते हैं।
- योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तर पर में व्याप्त भष्ट्राचार के कारण लाभार्थियों को प्राप्त सहायता धनराशि का एक बड़ा हिस्सा इस तन्त्र में व्यय हो जाता है जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति सहायता मिलने के बाद भी खराब हो जाती है।
- अध्ययन स्पष्ट करता है कि प्रतिदर्श में लगभग 54 प्रतिशत परिवार कच्चे मकानों एवं झोपड़ियों में निवास कर रहे, जिनकी आवासीय स्थिति बहुत दयनीय है।
- प्रतिदर्श क्षेत्र में चयनित कुल परिवारों में आधे से अधिक लोगों के घरों में पेयजल का स्रोत नही पाया गया जबकि 83.1 प्रतिशत परिवार आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित है और शौच के लिए खुले स्थान का प्रयोग करते है। इसी प्रकार लगभग 81 प्रतिशत परिवारों के घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं पाया गया। यह परिणाम गरीबों हेतु संचालित योजनाओं की उपलब्धी को झूठलाते हुए प्रतीत होते हैं।
- लाभार्थियों का चयन करते समय (सूची तैयार करते समय) पंचायत के निर्वाचित सदस्यों (यथा प्रधान, व ग्राम सचिव) द्वारा राजनीतिक आधार पर भेद–भाव किया जाता है।
- द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि अभी भी काफी मात्रा में बी.पी.एल. परिवार ऐसे हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की खाद्य सुरक्षा संबन्धी सहायता नही दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा

- ग्रामीण स्तर पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्रता सूची तैयार करते समय अनेक बी0पी0एल0 परिवारों को इस सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता है जिससे वास्तविक पात्र परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।

- ग्रामीण स्तर पर स्थापित राशन की दुकानों में सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनाज व मिट्टी तेल को खुले बाजार में अधिकारियों व कोटेदार की मिली भगत से बेच दिया जाता है। जिससे गरीब परिवारों को खाद्यान्न व मिट्टी तेल निर्धारित मात्रा में नहीं मिल पाता है।
- राशन की दुकानों पर कोटेदार द्वारा खाद्यान्न व मिट्टी के तेल को कम नापने से गरीब परिवारों को पर्याप्त खाद्यान्न व तेल लेने में आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।
- राशन की दुकानों से एक निश्चित अवधि के दौरान खाद्यानों का वितरण किया जाता है जिसके कारण अनेक गरीब परिवार धनाभाव के कारण अपनी सामग्री उस अवधि में नहीं ले पाते है तथा शेष बची हुई सामग्रियों का खुले बाजार में कोटेदार ब्लैक कर देता है और गरीब परिवार इस लाभ से वंचित रह जाते हैं।
- गरीबी रेखा के नीचे व ऊपर के परिवारों को दी जाने वाली खाद्य सम्बन्धी सहायता आम लोगो के समुचित जानकारी के अभाव में सही ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाती है।
- संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली खाद्यान्नों की गुणवत्ता में खराबी पायी गयी साथ ही इन खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तर पर गठित समितियाँ बनाई गयी है वे स्थानीय लोगो के प्रभाव के कारण निष्क्रय रूप में देखे गये।
- अध्ययन स्पष्ट करता है कि प्रतिदर्श सभी परिवार आय की दृष्टि से गरीबी रेखा के नीचे के पाये गये तथा एक परिवार अपनी कुल आवश्यकता का 30.8 प्रतिशत गेंहूँ तथा 52.4 प्रतिशत चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रतिमाह प्राप्त करता है जबकि अपनी आवश्यकता का 34.2 प्रतिशत गेहूँ तथा 29 प्रतिशत चावल खुले बाजार से खरीदता है।

रोज़गार सम्बन्धित योजनाएं

- अधिकांश ग्रामों में योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करते समय स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों की ओर ध्यान में नहीं गया जिसका परिणाम यह हुआ कि क्षेत्र में आवश्यक रोज़गार की माँग को पूरा करना कठिन हो जाता है और जिन लोगो के लिए यह योजनाएं बनाई गयी वे रोज़गार के लिए इधर–उधर भटकते रहते है। अधिकांश गरीब परिवार के लोग ऐसी स्थिति के कारण अल्प पराश्रमिक पर मजदूरी करने पर विवश पाए गए। अतः सम्बन्धित योजनाएं को असफल माना जा सकता है।
- सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को स्वरोजगार के अवसर लगाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता की धनराशि समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। जिससे लाभार्थी का सम्पूर्ण प्रयास एवं ऊर्जा असफल हो जाता है।
- रोज़गार सम्बन्धित चलाये जा रहे कार्यक्रम में सबसे बड़ी कमी यह पायी गई कि इसके अन्तर्गत प्रदान किये

जाने वाले रोजगार की प्रकृति अल्पकालीन होती है। इसका परिणाम यह होता है कि जब तक ये कार्यक्रम चलते रहते तब तक उन्हें रोजगार मिलता रहता है इसके बाद उनकी स्थिति पुनः उसी प्रकार की हो जाती है।

- ग्रामीण स्तर पर रोजगार से सम्बन्धित कार्यक्रमों का लाभ स्थानीय लोगो की जानकारी एवं जागरुकता के अभाव के कारण अनेक परिवारों को लाभ नहीं मिल पाता है जिसके परिणामस्वरूप ये योजनाएं अपने लक्ष्य समूह से कोसो दूर हो जाती है।
- प्राथमिक सूचनाएं प्रमाणित करती है कि खण्ड विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी योजनाओं का लाभ देते समय सम्बन्धित गांव के ग्राम प्रधानों से घूस की मांग करते हैं और न देने पर उनके लाभों को लम्बित कर देते हैं जिससे त्वरित स्थानीय माँग सीधे प्रभावित होती है।
- प्राथमिक आँकड़े बताते है कि चयनित गरीब परिवारों को रोज़गार सम्बन्धी योजनाओं का लाभ बहुत अल्प स्तर पर प्राप्त हुआ है जबकि सम्पूर्ण प्रतिदर्श में लगभग 90 प्रतिशत परिवारों की निर्भरता कृषि एवं मजदूरी क्षेत्र पर है और औसतन एक परिवार अपनी कुल आय का लगभग 55 प्रतिशत धनराशि भोजन पर खर्च कर देता है। जबकि भूमिहीनता का स्तर इन परिवारों में 61 प्रतिशत पायी गय है।

सन्दर्भ–

1.कार्यालय, जिला समाज कल्याण विभाग।

2.कार्यालय, जिला समाज कल्याण विभाग।

3. कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।

4. सुनिश्चत रोज़गार योजना

5. मूल्यांकन निर्देषिका, 2000, पृष्ठ–5, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान योजना आयोग, भारत सरकार।

6.मूल्यांकन निर्देषिका, 2000, पृष्ठ–6, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान योजना आयोग, भारत सरकार।

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

इतिहास और पर्यटन

डॉ0 अभिजात ओझा
असिस्टेंट प्रोफेसर,
प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग,
नेहरु ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत।

Article Info
Volume 3 Issue 3
Page Number : 112-126
Publication Issue :
May-June-2020
Article History
Accepted : 20 June 2020
Published : 30 June 2020

सारांश – इतिहास का प्रमुख स्थान है हम अपने तीर्थों, ऋषि मनीषियों, महात्माओं जैसे बुद्ध, महावीर, गुरूनानक की दी हुई धरोहर और इतिहास पर गर्व कर सकते है, आज ये पर्यटन का अहम हिस्सा है शायद इनके बिना पर्यटन सम्भव ही नहीं है या अधूरा सा है।

मुख्य शब्द – इतिहास, पर्यटन, महात्मा, मानव, जीवन, प्रागैतिहासिककाल, पुरापाषाणकाल, मध्यपाषाणकाल, नवपाषाणकाल।

मानव पृथ्वी का निवासी है और हमारी पृथ्वी का इतिहास 4.6 अरब वर्ष पुराना है। यहीं से हमारे जीवन का हर पक्ष, हर पहलू और इतिहास का भी श्री गणेश होता है। 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी एक गर्म गैस का गोला थी। यह गैसें धीरे–धीरे ठंडी हुई और जमकर ठोस हो गई। पृथ्वी पर मानव का आगमन 14 लाख वर्ष पूर्व प्लाएस्टोसीन काल में हुआ। यहीं से मानव ने अपनी सभ्यता की दौड़ शुरू की, मानव बन्दर से विकसित होकर प्रज्ञा मानव बना। मानव के प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाणकाल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल से गुजरता हुआ नदियों के किनारे विभिन्न सभ्यताओं का निर्माता बना। वह चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, ह्वांगहो की सभ्यता हो अथवा सिन्धु की सभ्यता हो। मानव के सभ्य होने के इतिहास में ही पर्यटन के विकसित स्वरूप का इतिहास दिखाई पड़ता है। यह अपने प्राचीनतम स्वरूप में तीर्थाटन या देशाटन के रूप में जाना जाता था। हमारा इतिहास पर्यटन से किस सीमा तक अभिन्न है या जुड़ा है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुरास्थल आज पर्यटन के प्रमुख स्थल बन चुके हैं। सैन्धव सभ्यता से सम्बन्धित स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तो आज पाकिस्तान में हैं किन्तु बणावली, आलमगीरपुर, सुरकोटडा, कालीबंगा, लोथल, धौलाबीरा, देसलपुर अब भी भारत में है जहाँ मानव के प्रारंभिक जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। ये सभी स्थल आज पुरातात्विक पर्यटन के अन्तर्गत आते हैं।

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

पुरातत्व के विषय में विचार करते समय सबसे पहले इसकी परिभाषा के विषय में विचार करना आवश्यक है। हिन्दी भाषा का पुरातत्व शब्द अंग्रेजी भाषा के आर्कियोलॉजी (Archaeology) शब्द के पर्यायवाची के रूप में व्यवहृत होता है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक हो जाता है पुरातत्त्व से क्या आशय है ? हिन्दी के इस पुरातत्व शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञात करने के लिए अंग्रेजी में इस शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विचार कर लेना असंगत नहीं होगा। लेकिन आजकल पुरातत्व शब्द का उसके शाब्दिक अर्थ से किंचित भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पुरातत्त्व को पर्याप्त संरक्षण, बढ़ावा दिये जाने के अतिरिक्त इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है जिससे हम अपनी बहुमूल्य विरासत को हानि पहुंचाने से बच सकें।

यूनान और रोम के अतीत की खोज के साथ पाश्चात्य जगत में पुरातत्व का विकास हुआ। पुनर्जागरण काल में यूरोप के विभिन्न देशों के जनमानस में प्राचीन यूनान और राम की क्लासिकल कृतियों, पुरावशेषों के अध्ययन तथा खोज की एक सहज जिज्ञासा एवं इच्छा उत्पन्न हुई। राष्ट्रीय भावना ने अहुति में घी का काम किया। परिणामस्वरूप देखते ही देखते प्राचीन यूनान और रोम की आकर्षक, दर्शनीय कलाकृतियों एवं बहुमूल्य पुरानिधियाँ यूरोप के विभिन्न देशों के संग्रहालयों की शोभा बढ़ाने लगीं। वस्तुतः संग्रहालयों के पुरावशेषों को सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से सजाने–सवाँरने की प्रक्रिया से ही यूरोप में पुरातत्व का उद्‌भव एवं विकास हुआ। आज पुरातत्व से सम्बंधित शोधार्थी और विद्वान इन पुरास्थलों को देखने जाते हैं तथा यहाँ से प्राप्त सिक्के, मृण मूर्तियाँ पाषाण, औजार, मानव कंकाल तथा अन्यनान्य साक्ष्यों को संग्रहालयों में ही देखने जाते हैं जिससे सरकार को बड़ी आमदनी होती है जो Educational Tourism या Archaeological Tourism का हिस्सा या रूप है। जब बात नदी घाटी सभ्यताओं की हो रही है तो संसार की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक सिन्धु घाटी की बात भी जरूर होनी चाहिए। तिब्बत के पठार में स्थित मानसरोवर झील से शुरू होकर यह नदी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के लद्‌दाख से होती हुई गिलगिट फिर बाल्टिस्तान होते हुए सीधे पाकिस्तान के लरकाना जिला यानी प्राचीन मोहन जोदड़ो से होती हुई 3,610 किलोमीटर का सफर तय कर अरब सागर में जा गिरती है। हमारे देश में आज भी लद्‌दाख में सिन्धु नदी के किनारे सिन्धु दर्शन उत्सव मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है जो इसे पर्यटन से जोड़ता है। इस दिन इस क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन गतिविधियों का आयोजन होता है।

यदि हम इतिहास और पर्यटन के सम्बन्धों का सूक्ष्म अवलोकन करे तो पायेंगे की दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। पर्यटकों के लिए बहुत कुछ ऐसा भी है जो दर्शनीय तो है ही साथ ही प्राचीन है ऐतिहासिक महत्व का है कला की दृष्टि से, स्थापत्य की दृष्टि से गौरवपूर्ण आश्चर्य भी है।

इतिहास को खंगाला जाय तो बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो हमें आश्चर्य से भर देगा या चकित कर देगा। इतिहास को हमने अपनी सुविधा के लिए कई कालों में वाट दिया है। उदाहरण के लिए जब हम भीम बैठका की गुफाओं में उस काल के मानव द्वारा की गई चित्रकारी को देखते हैं तो हम

उसको प्रागैतिहासिक काल का कहते हैं। यदि हमें कोई इमारत, मूर्ति, शिलालेख या स्तूप 322 ई0पू0 से 261 ई0पूर्व का मिलता है तो हम कह सकते हैं कि यह मौर्य युग है यहाँ तक तो इतिहास में सब कुछ ठीक है किन्तु इतिहास का प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजन पर विद्वानएक मत नहीं है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय मानता है कि कोई भी इमारत वर्ष 1950 के पहले की है तो धरोहर इमारत मानी जाएगी जिसमें पर्यटन व्यवसाय करने वाले को छूट भी दी जाएगी। आज पुराने किलों में पंचसितारा आलीशान होटल चलाए जा रहे है जिनसे भारत सरकार को अच्छा कर प्राप्त होता है। इतिहास के किसी भी कालक्रम में बनी इमारत पर्यटन और पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक है, चाहे वो मौर्य युग में बना सारनाथ का धमेख स्तूप हो या सल्तनत काल में बना कुतुबमीनार मध्यकाल में बना ताजमहल, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, या आधुनिक युग में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया इण्डिया गेट, तत्कालीन बंबई का शिवाजी टर्मिनल ये सब इमारते हमारी स्थापत्य कला के उदाहरण है। हमारा देश ऐसी उत्कृष्ट स्थापत्य वाली भवनों, किलों, महलों, मन्दिरों से भरा पड़ा है।

मंदिरों की बात करे तो मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में विधिवत होने लगा था। हमारे यहाँ तीन शैलियों के मंदिर पाए जाते है। उत्तर भारत में नागर शैली तथा दक्षिण भारत में द्राविण शैली के मंदिर पाए जाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार मंदिर के भी विभिन्न अंग होते जिनसे मिलकर मंदिर बनता है। ये 8 अंग निम्न है[1]–

1. आधार या चौकी (इसका एक अन्य नाम जगती पीठ भी है)।
2. वेदिबन्ध (आधार के ऊपर का गोल अथवा चौकोर अंग)।
3. अन्तर पत्र (वेदिबन्ध के ऊपर की कल्पबल्ली या पत्रावली या पत्रावली पट्टिका)।
4. जंघा (मंदिर का मध्यवर्ती धारणास्थल)।
5. वरंडिका (ऊपर का बरामदा)।
6. शुकनासिका (मन्दिर के ऊपर का बाहर निकला हुआ भाग)।
7. कण्ठ या ग्रीवा (शिखर के ठीक नीचे का भाग)।
8. शिखर (शीर्ष भाग जिस पर खरबुजिया आकार का आमलक होता था)।

मन्दिर निर्माण के उपर्युक्त आठ अंग संपूर्ण देश में प्रचलित हो गये। प्रवेश–द्वार (तोरण) को कई शाखाओं में विभाजित करने तथा उसे विविध प्रकार के अलंकरणों से सजाने की परम्परा चल पड़ी।

सातवीं शताब्दी से सम्पूर्ण भारत में स्थापत्य कला में क्षेत्रीयता का एक नया आयाम आया तथा उत्तर, मध्य और दक्षिण की कलाकृतियाँ अपनी निजी विशेषताओं के साथ प्रस्तुत की गयीं। अनेक शास्त्रीय ग्रन्थों– मानसोल्लास मानसार, समरांगणसूत्रधार, अपराजितपृच्छा, शिल्पप्रकाश, सप्रभेदागम्,

कामिनिकागम् आदि की रचना हुई तथा इनमें मन्दिरवास्तु के मानक निर्धारित किये गये। इनके अनुपालन में कलाकारों ने अपनी कृतियाँ प्रस्तुत की। शिल्पग्रन्थों में मंदिर के स्थापत्य में तीन प्रकार के शिखरों का वर्णन है।

1. नागर शैली
2. द्राविड़ शैली
3. वेसर शैली

भौगोलिक दृष्टि से ये शैलियाँ विभिन्न क्षेत्रों में बंटी है। नागर शैली उत्तर भारत की शैली थी जिसका विस्तार हिमालय से विन्ध्य पर्वत तक दिखाई पड़ता है। द्रविड़ शैली का प्रयोग कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक मिलता है। विन्ध्य तथा कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में वेसर शैली प्रचलित हुई। चूँकि इस क्षेत्र में चालुक्यों का अधिपत्य रहा है अतः इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है।

नागर शैली का विकास अधिकतम निखरे रूप में उड़ीसा के मन्दिरों में सामने आता है। यहाँ आठवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक कई मन्दिरों का निर्माण हुआ। यहाँ के कलात्मक रूप से उत्कृष्ट मंदिर इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि यह स्थान पहाड़ियों से घिरा होने के कारण शत्रुओं से सुरक्षित रहा।

उड़ीसा के मंदिर प्रमुख रूप से भुवनेश्वर, पुरी तथ कोणार्क में हैं जिनका निर्माण आठवीं से तेरहवीं शताब्दी के बीच हुआ। भुवनेश्वर के मंदिर के मुख्य भाग के सम्मुख चौकोर कक्ष बनाया गया है। इसे जगमोहन (मुख्यमण्डप अथवा सभामण्डप) कहा जाता है। यहाँ उपासक एकत्रित होकर पूजा–अर्चना करते थे। जगमोहन का शीर्ष भाग पिरामिडाकार होता था। इनके भीतरी भाग सादे हैं किन्तु बाहरी भाग को अनेक प्रकार की प्रतिमाओं तथा अलंकरणों से सजाया गया है। गर्भगृह की संज्ञा देउल थी। बड़े मन्दिरों में जगमोहन के आगे एक या दो मण्डप और बनाये जाते थे जिन्हें नरमन्दिर तथा योगमन्दिर कहते थे। शैली की दृष्टि से उड़ीसा के मन्दिर तीन श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं–

1. रेखा देउल– इसमें शिखर बनाये गये हैं।
2. पीढ़ा देउल– इसमें शिखर क्षितिजाकार पिरामिड प्रकार के हैं।
3. खाखर (खाखह)– इसमें गर्भगृह दीर्घाकार आयतनुमा होता है तथा छत गजपृष्ठाकार बनती है।

मन्दिरों में स्तम्भों का बहुत कम प्रयोग किया गया है। इनके स्थान पर लोहे की शहतीरों का प्रयोग मिलता है। यह एक आश्चर्यजनक तथा प्राविधिक आविष्कार था। मन्दिरों की भीतरी दीवारों पर खजुराहो के मन्दिरों जैसा अलंकरण प्राप्त नहीं होता है। भुवनेश्वर के मन्दिरों में लिंगराज मन्दिर

उड़ीसा शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। लिंगराज मंदिर के अतिरिक्त पुरी का जगन्नाथ मन्दिर तथा कोणार्क स्थित सूर्य–मन्दिर दोहरी दीवारों वाले प्रांगण में स्थित है। चारों दिशाओं में चार विशाल द्वार बने हैं। मन्दिर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर स्थित है तथा उसके सामने स्तम्भ है। मंदिर की 400 x 350 फुट की परिधि में छोटे–छोटे अनेक मंदिर बने हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की गणना हिन्दू धर्म के पवित्रतम तीर्थों में होती है। गुजरात या राजस्थान के मंदिरों की बात की जाय तो प्रतिहार शासकों के निर्माण कार्यों का कुछ संकेत उनके लेखों में हुआ है। वाऊक की जोधपुर प्रशस्ति से ज्ञात होता है उसने वहाँ सिद्धेश्वर महोदव का मन्दिर बनवाया था।[2] इसी प्रकार मिहिरभोज की ग्वालियर प्रशस्ति से सूचित होता है कि उसने अपने अन्तःपुर में भगवान विष्णु के मन्दिर का निर्माण करवाया था।[3]

प्रतिहार नरेशों ने मंदिर निर्माण में रूचि ली और गुप्तोत्तर काल (आठवीं शती में राजस्थान) वास्तुकला की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध रहा। मन्दिरों तथा भवनों के अवशेष जोधपुर के उत्तर पश्चिम में 56 किलोमीटर दूरी पर स्थित ओसिया नामक स्थान से प्राप्त होते है। प्राचीन मंदिरों में शिव, विष्णु, सूर्य, अर्धनारीश्वर, हरिहर, कृष्ण तथा महिषमर्दिनी दुर्गा के मन्दिर उल्लेखनीय है। इन पर गुप्त स्थापत्य कला का प्रभाव है।

राजस्थान की भूमि जैन धर्म से विशेष प्रभावित है, राजस्थानी, मारवाड़ी व्यापारी वर्ग जैन धर्म को विशेष रूप से मानने वाला है जैन संप्रदाय ने व्यापार को कृषि या अन्य आजीविका के साधन से बेहतर माना है। गुजरात और राजस्थान में जैन मंदिरों की अच्छी संख्या जहाँ जैन तीर्थयात्री आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। राजस्थान के जोधपुर के ओसिया ग्राम के भीतर तीर्थंकर महावीर का एक सुन्दर मन्दिर है जिसे वत्सराज के समय (770–800 ई0) में बनवाया गया था। यह परकोटे के भीतर स्थिर है। इसमें भव्य तोरण लगे हैं तथा स्तम्भों पर तीर्थंकरों की प्रतिमा खुदी है।

ओसिया के मन्दिर यद्यपि छोटे हैं, फिर भी उनकी बनावट की स्पष्टता एवं अनुपात में आदर्श है। ओसिया के मन्दिरों में सूर्य मंदिर सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इस मन्दिर की प्रमुख विशेषता इसके अग्रभाग में है। यह भी पंचायतन प्रकार का है। मुख्य मन्दिर के चारों ओर छोटे मन्दिर हैं जिन्हें जोड़ते हुए अन्तराल बनाए गए हैं। शिखर का आकार तथा अलंकरण प्रशंसनीय है। यह ओसिया के मन्दिरों का सिरमौर माना जाता है तथा अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शिव को समर्पित था क्योंकि इसका ललाट बिम्ब उमामहेश्वर के रूप में है।

राजस्थान के मंदिरों में आबू पर्वत के जैन मंदिर के उल्लेखनीय हैं। राजस्थान प्रान्त में यह पर्वतीय नगर स्थित है। यह स्थान जैन मन्दिरों एवं मूर्तियों के लिए जगप्रसिद्ध है। यहाँ दो प्रसिद्ध संगमरमर के मंदिर है जिनहें दिलवाड़ा मंदिर कहा जाता है। इनका निर्माण गुजरात के चौलुक्य

(सोलंकी) शासक भीमदेव प्रथम के सामन्त विमल ने करवाया था। प्रथम मन्दिर में आदिनाथ की मूर्ति है जिनकी आँखें हीरे की बनी हैं। प्रवेश द्वार पर स्तम्भ तथा दस गज–प्रतिमाएं है। मंदिर के गर्भगृह में ध्यानावस्थित जिन की प्रतिमा है। पाषाण की शिल्पकला का इतना उत्कृष्ट उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। दूसरा मंदिर जो तेजपाल कहा जाता है, इसी के पास स्थित है। यह भी अत्यन्त भव्य एवं सुन्दर है। पहाड़ी पर तीन अन्य जैन मंदिर भी बने हुए हैं। इस प्रकार आबू पर्वत जैन वास्तु एवं तक्षण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

ऐलिफैन्टा :

मुम्बई जिसका नाम मुम्बा देवी के नाम पर मुम्बई किया गय से 7 मील उत्तर–पूर्व की दूरी पर एलिफैन्टा नामक छोटा–सा द्वीप स्थित है। सोलहवीं शती में मुम्बई (बम्बई) तट पर बसने वाले पुर्तगालियों ने यहां से प्राप्त हाथी की एक विशाल मूर्ति के कारण इस द्वीप का नाम एलिफैन्टा रख दिया।

एलिफैन्टा पहाड़ी से पांच गुफायें प्राप्त होती हैं जिनका समय पांचवी–छठी शताब्दी ईस्वी है। इनमें हिन्दू धर्म से सम्बन्धित मूर्तियां, विशेषकर शिव मूर्तियां प्राप्त होती हैं। इनमें त्रिमूर्तिशिव की प्रतिमा सबसे प्रसिद्ध है जिसमें इन्हें तीन विभिन्न रूपों में दिखाया गया है। महायोगी नटराज, भैरव, अर्धनारीश्वर। कैलाश–धारी, रावण आदि की मूर्तियां भी कलात्मक दृष्टि से उच्चकोटि की हैं। एलिफैन्टा की शिल्पकारी अजन्ता और एलोरा के ही समान है।

अजन्ता :

महाराष्ट्र प्रान्त के औरंगाबाद जिले में अजन्ता की पहाड़ी है। औरंगाबाद के समीप जलगाँव नामक रेलवे स्टेशन से लगभग 37 मील की दूरी पर फरदापुर नामक ग्राम है। यहाँ से दो मील दक्षिण–पश्चिम की ओर अजन्ता नामक ग्राम बसा है। इसी के नाम पर पहाड़ी का नाम अजन्ता पड़ गया। यहाँ पर्वत को काटकर 29 गुफाओं का निर्माण किया गया जिनकी छतों दीवारों पर अत्यन्त सुन्दर चित्रकारियाँ मिलती हैं। अजन्ता में अब केवल 6 गुफाएं पाई जाती हैं जिनकी संख्या गुफा संख्या 9, 10,16, 17, 1–2 के चित्र अवशिष्ट हैं, अन्य नष्ट हो गये हैं। इनका समय ईसा–पूर्व प्रथम शती से लेकर सातवीं शती ईस्वी तक है। 9वीं–10वीं गुफाओं के चित्र सर्वप्राचीन है जिसका समय ईसा प्रथम शती है। इन गुफाओं के चित्रों में एक राजकीय जुलूस का चित्र प्रसिद्ध है। 16वीं–17वीं गुफाओं के चित्र गुप्तकाल के हैं और वे कला की दृष्टि से सर्वोत्तम है। मरणासन्न राजकुमारी (Dying Princess) तथा माता शिशु (Mother and Child) नामक चित्र अत्यन्त मनोहारी और प्रभावित करने वाला है।[4] पहली–दूसरी गुफाओं के चित्र सातवीं शती के हैं। यहाँ के नरेशों में चालुक्य नरेश

पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारसी दूत मण्डल का स्वागत करते एक चित्र भी है। इसके अतिरिक्त मूर्तिकला के सुन्दर उदाहरण भी है।

ऐलोरा :

महाराष्ट्र प्रान्त के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा नामक स्थान अपने गुहा–मंदिरों (Cave Temples) के नाम से विख्यात है। यहाँ पहाड़ी को काटकर अनेक गुफायें बनाई गयी हैं जो बौद्ध, हिन्दू तथा जैन सम्प्रदायों से सम्बद्ध है। बौद्ध गुफाए 12 है जिनमें विश्वकर्मा का गुहा मन्दिर (संख्या 10) सबसे सुन्दर है। यह विशाल चैत्य के प्रकार का है जिसमें ऊँचे स्तम्भ बने है। स्तम्भों में अनेक बौनों की प्रतिमायें बनी हैं।[5]

ऐलोरा के सत्रह गुहा मन्दिर प्राप्त होते हैं जिनमें से अधिकतर राष्ट्रकूट शासकों के समय (7वीं–8वीं शताब्दी) में बने थे। इनमें 'कैलाश' मन्दिर सर्वप्रसिद्ध है। यह प्राचीन वास्तु एवं तक्षण कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। विशाल पहाड़ी को काटकर मनुष्यों, पशुओं, देवी–देवताओं की सुन्दर एवं बारीक मूर्तियाँ बनाई गई हैं इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने (750–793 ई0) में अत्यधिक धन व्यय करके बनवाया था।

यहाँ के अन्य मन्दिरों में रावण की खाब, देववाड़ा, दशावतार, लम्बेश्वर, रामेश्वर, नीलकण्ठ आदि उल्लेखनीय हैं। दशावतार मन्दिर का निर्माण आठवीं शती में दन्तिदुर्ग ने करवाया था। इसमें विष्णु के दस अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित की गयी है। स्थापत्य एवं तक्षण की दृष्टि से यह मन्दिर उत्कृष्ट है।

ऐलोरा से पाँच जैन मन्दिर भी मिलते हैं जिनका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें इन्द्रसभा मन्दिर प्रमुख है जिसमें जैन तीर्थंकरों की कई सुन्दर मूर्तियाँ है। तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की समाधिस्थ प्रतिमा मिलती है। मन्दिर के स्तम्भों एवं छतों पर अदभुत चित्रकारियाँ है। कलात्मक दृष्टि से एलोरा मंदिर कला के चर्मोत्कर्ष पर है।

तीर्थाटन के इतिहास में जाकर हमने अनेक दर्शनीय स्थलों मंदिरों मूर्तियों बौद्ध, जैन, हिन्दू धर्म के संगम स्थलों तीर्थों की चर्चा से स्पष्ट है कि हमारा देश विभिन्न धर्मों, जातियों, मतों, मान्यताओं, त्यौहारों का देश है। अगर इस चर्चा में सिक्खों और मुस्लिमों के पवित्र स्थानों की चर्चा न हुई तो यह चर्चा अधूरी रह जाएगी।

स्वर्ण मन्दिर :

पंजाब प्राचीन काल का सप्त सिन्धु प्रदेश सात नदियों का प्रदेश है महाजनपद काल का मद्र देश। सिक्ख मतलब शिष्य, सीखने वाला, सिक्ख धर्म के प्रतिपादक गुरुनानक जी थे। यह धर्म पंजाब

की धरती पर 15वीं शताब्दी में पनपा। इस धर्म के अन्तिम गुरु गोविन्द सिंह जी थे। सिक्खों का सबसे पवित्र तीर्थ अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है। अमृतसर का पवित्र सरोवर और मंदिर सिक्खों के चौथे गुरू रामदास ने बनवाया थौ इसी पवित्र सरोवर के नाम पर अमृतसर शहर का नाम पड़ा। स्वर्ण मंदिर के गुरूद्वारे में उपस्थित पवित्र गुरू ग्रन्थ साहब के दर्शन और सबद कीर्तन करने सिक्ख धर्मावलम्बी अमृतसर जाया करते हैं और पवित्र सरोवर में स्नान कर स्वर्ण मंदिर में गुरू ग्रन्थ साहिब का वाचन करते हैं।

इस्लाम को भारत में लाने का श्रेय अरबों को दिया जाता है। यह भारत में 11वीं–12वीं शताब्दी में आया। मुस्लिमों का प्रमुख तीर्थ स्थल मक्का और मदीना है जो अरब में है। भारत में सल्तनत और मुगल काल के दौरान अनेक बड़े सूफी सन्त हुए जिनकी मजारों और दरगाहों पर आज भी उनके मानने वाले जाते हैं और चादर चढ़ाते हैं। भारत में ऐसे प्रमुख दरगाह हैं–

कश्मीर का हजरत बल मस्जिद

मुम्बई में हाजीअली की दरगाह

पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद

अजमेर (राजस्थान) में अजमेर शरीफ इस्लाम का एक पवित्र स्थल है जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ मांगी मन्नत खाली नहीं जाती। यह गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जहाँ सभी धर्मों, मतों के लोग मन्नत मांगने आते हैं। शेख मोईनुद्दीन चिश्ती दुनिया की भौतिकता से दूर ही रहे गरीबों, मजदूरों पर इनकी विशेष कृपा दृष्टि रही है। मोईनुद्दीन का जन्म अफगानिस्तान के चिश्त प्रान्त में हुआ और वहाँ से आकर ये अजमेर में बस गए। ख्वाजा चिश्ती की दरगाह सम्पूर्ण दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी और पुरानी दरगाह है।

इतिहास के पन्ने पलटने पर सिन्धु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति का उल्लेख आता है। किन्तु सिन्धु जैसी नगरीय सभ्यता के बाद आर्यों की ग्रामीण वैदिक संस्कृति का क्रम औचित्यपूर्ण नहीं लगता। सभ्यता कैसे चली आई इस पर इतिहासकारों का मतभेद बना हुआ है।[6]

वैदिक संस्कृति या आर्यों संस्कृति में ही 'जन' का उल्लेख आता है, 'राजन्' शब्द आता है, रथ दौड़ और वाजपेय यज्ञ की बात आती है। ऋग्वेद के वर्णन से प्रकट होता है कि आर्य अनेक जनों में विभक्त थे। 'जन' अपने को किसी एक पूर्वज की सन्तान मानते थे। प्रत्येक जन में अनेक कुटुम्ब होते थे। अतः एक ही जाति–पुरुष से उत्पन्न विभिन्न कुटुम्बों के समुदायों का नाम 'जन' था। प्रारम्भ में इन जनों का कोई एक निश्चित स्थायी स्थान न था। ये एक स्थान से दूसरे को घूमा करते थे। ऋग्वेद में जनों का उल्लेख आता है परन्तु जनपदों (स्थायी राज्यों) का नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय तक जनों ने अपने स्थायी राज्य स्थापित नहीं किए थे। वैदिक संहिताओं में भी जनपद

शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। सर्वप्रथम इसका प्रयोग ब्राह्मण ग्रन्थों में हुआ है। अतः यह निकर्ष निकलता है कि जनपदों का उदय ब्राह्मण काल से हुआ। महात्मा बुद्ध के समय तक आते—आते इन जनपदों का पूर्ण विकास हो गया था।[7]

डॉ0 वासुदेवशरण अग्रवाल कहते हैं कि ''लगभग एक सहस्त्र ईसवी पूर्व से पाँच सौ ईसवी पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा जा सकता है। समस्त देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जनपदों का तांता फैल गया था। एक प्रकार से जनपद राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की इकाई बन गए थे।

जिस प्रदेश में एक जन स्थायी रूप से बस गया वहीं जनपद (राज्य) हो गया। प्रारम्भ में जनपद में किसी एक वर्ग विशेष के मनुष्य ही रहते थे। अतः उनका जीवन एक ही जातीय, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परम्परा के ऊपर संगठित था। परन्तु कालान्तर में अन्य वर्गों और जातियों के लोग भी आकर उनके जनपदों में बसने लगे। इससे सांस्कृतिक आदान—प्रदान तो हुआ परन्तु बहुत समय तक राजसत्ता एकमात्र आदि जन के प्रतिनिधियों के हाथ में ही रही।

धीरे—धीरे जनपदों की संख्या कम होने लगी। छोटे जनपद बड़े जनपदों में निमज्जित होने लगे। इस भाँति देश में महाजनपद—काल का उदय हुआ। महात्मा बुद्ध के आविर्भाव के पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभक्त था।[8] बौद्ध ग्रन्थ अगुत्तर निकाय में इनके नाम मिलते हैं—

1. अंग
2. मगध
3. काशी
4. कोशल
5. वज्जि
6. मल्ल
7. चेदि
8. वत्स
9. कुरू
10. पंचाल
11. मत्स्य
12. सूरसेन
13. अस्सक

14. अवन्ति
15. गान्धार
16. कम्बोज

जन, जनपद और महाजनपद का सफर तय करके बड़े और शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई। इन तमाम राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध– वर्तमान बिहार के पटना और गया जिले इस राज्य के अन्तर्गत थे।[9] प्रारम्भ में इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। महात्मा बुद्ध के काल के पूर्व बृहद्रथ और जरासंध मगध के दो प्रसिद्ध राजा थे।

महाजनपद काल का मगध यानी उत्तरी भारत के पूर्वी गांगेय मैदान भौगोलिक दृष्टि से भारत की सबसे उपजाऊ भूमि थी। ऐतिहासिक दृष्टि से भी सबसे उपजाऊ (उर्वर भूमि) जिसका सीधा सम्बन्ध भगवान बुद्ध से है।

यहाँ तक की बिहार (मगध) ने अपना नाम भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाए गए विहार से प्राप्त किया है। विहार वह स्थान था जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। आधुनिक बिहार राज्य के गया तथा पटना जिले आज भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के बौद्ध सर्किट का अहम हिस्सा है। गया वह स्थान जहाँ के उरुवेला ग्राम के पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने साधना की और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बने, ज्ञान प्राप्त किया। वह पीपल वृक्ष बौद्ध वृक्ष कहलाया जो बौद्ध धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। जहाँ न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी बौद्ध धर्मावलंबी और सैलानी आते हैं। गया में सम्राट अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित महाबोधि मंदिर भी एक दर्शनीय स्थल है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार सातवीं शताब्दी में बंगाल के पाल शासकों ने किया था। चीनी यात्री ह्वेनसाँग ने भी इसे देखा और अपने ग्रंथों में इसका उल्लेख किया है। आज यह मंदिर UNESCO यूनेस्कों के विश्व विरासत सूची में दर्ज है।

बिहार का गया वह पवित्र स्थान है जो जितना बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही हिन्दू धर्मावलंबियों के लिए भी पूजनीय है। एक ओर जहाँ बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था तो दूसरी ओर हिन्दू यहाँ अपने पितरों (Fore Fathers) के अर्पण–तर्पण के लिए यहाँ आते हैं। यहीं पर फाल्गू नदी के किनारे विष्णुपाद मंदिर भी है जो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। महाजनपद काल का एक और शक्तिशाली राज्य काशी जिसकी राजधानी वाराणसी नगरी थी जो वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसी थी। गुत्तिल जातक के अनुसार यह नगरी 12 योजन विस्तृत थी और भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। महावग्ग में काशी राज्य की शक्ति और समृद्धि का वर्णन मिलता है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। काशी का सीधा सम्बन्ध भगवान शिव से है। कथाओं में वर्णित है कि काशी शिव के त्रिशूल पर टिका है जो धरती से कुछ ऊपर है। इसे अविनाशी, शहर भगवान का शहर इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसका

इतिहास बहुत पुराना है इसे विश्व का प्राचीनतम नगर माना जाता है। पूरी दुनिया से लोग वाराणसी घूमने आते हैं, समस्त भारत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सैलानियों का वर्ष भर ताँता लगा ही रहता है। शहर का प्रमुख आकर्षण काशी विश्वनाथ का मन्दिर, अन्नपूर्णा माता का मन्दिर, कालभैरव का मंदिर है जिन्हें बनारस का कोतवाल कहा जाता है। वाराणसी के प्राचीनतम घाटों के कारण इसे घाटों का भी शहर कहा जाता है। यहाँ के कुछ प्रमुख घाट हैं– अस्सी घाट, तुलसी घाट, शिवाला घाट, हनुमान घाट, प्राचीन हनुमान घाट, कर्नाटक घाट, हरिश्चन्द्र घाट, दशाश्वमेध घाट इत्यादि।

आज काशी में पर्यटन अपने चर्मोत्कर्ष पर यूँ ही नहीं पहुँचा है इसके पीछे प्रमुख कारक इस शहर की प्राचीनता है, इसके प्राचीन मंदिर, प्राचीन घाट हैं। काशी को यदि भारतीय आध्यात्म जगत की राजधानी कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह भारतीय आध्यात्म, दर्शन कला का जीता जागता उदाहरण है। बड़े–बड़े कलाकार और कलाओं के घराने यहाँ हैं, गुदई महराज, रामजीमिश्र आदि बनारस घराने के तबला वादक है। स्व0 पंडित रविशंकर, राजभाव सिंह, वीरेन्द्र कुमार मिश्र बनारस घराने के सितार वादक रहे हैं। राजन–साजन मिश्र, छन्नूलाल मिश्र, शिव–पशुपति मिश्र आदि बनारस घराने के ध्रुपद गायक रहे हैं।

इसी काशी से 10 किमी0 की दूरी पर स्थित है सारनाथ जो बोध गया के बाद बौद्ध धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। सारनाथ यानी वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश देकर धर्म चक्र को प्रवर्तित किया। परवर्ती काल में सम्राट अशोक ने यहा अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया। 640 ई0 के आसपास सारनाथ का स्वर्ण काल था। सारनाथ बौद्धधर्म के पुरावशेषों का खजाना है यहाँ बुद्ध से संबंधित एक संग्रहालय भी है जहाँ अशोक के काल से लेकर 1200 ई0 तक के पुरावशेष मिलते हैं।

यहाँ सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया चौखण्डी का स्तूप भी है जो वास्तव में ईटों का बना हआ है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तूप धमेख स्तूप है जिसकी ऊंचाई 110 फिट है और जो ठीक उसी स्थान पर निर्मित है जहाँ से भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। वर्तमान धमेख स्तूप 50 ई0 में बना था और उसके बाद अब तक कई बार बन चुका है समय–समय पर इसकी मरम्मत का काम किया गया है। स्तूप पर ज्यामीतिय डिजाइन की पुष्पाकृतियाँ गुप्त काल की बनी हुई है। यहाँ खुदाई के दौरान ईटों का काम भी मिलता है, ईटों की दीवार मिली है जो कि 200 ई0पू0 में निर्मित हुई है। यही पर एक स्तूप के पुरावशेष के पास मौर्य युग का शानदार अशोक स्तम्भ खड़ा है। इस स्तंभ के शीर्ष पर एक चौकी पर चार सिंह चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं। यह अशोक स्तम्भ अब सारनाथ के संग्रहालय में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण बना हुआ है। जो आज भारत सरकार का प्रतीक चिह्न है।

अगर 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद काशी प्राचीन काल से ही हिन्दुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है जहाँ श्रद्धालु तीर्थाटन के लिए आते थे तो काशी से सटे सारनाथ में बौद्ध धर्मावलंबी तीर्थाटन के लिए पूजा अर्चना के लिए ही आते थे। यहीं काशी से 67 कि0मी0 की दूरी पर बसा मिर्जापुर नगर हिन्दुओं के लिए तीर्थाटन का एका और स्थल है जहाँ विन्ध्याचल पर्वत पर माता विंध्यवासिनी देवी, अष्टभुजी देवी और काली खोह के मंदिर प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल तीर्थाटन या भ्रमण आज आधुनिक युग में पर्यटन का रूप ले चुका है, यह धार्मिक पर्यटन का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। पर्यटन अपने आप में एक वृहद विचार है। पर्यटन में वह सब कुछ है जो हमारा मनोरंजन कर सके, हमें स्फूर्ति दे, हमें हमारे रोजमर्रा के दैनिक जीवन से अलग कुछ नए अनोखे एहसास करा सकें। पर्यटन फुरसत के क्षणों का आनन्द उठाने के उद्‌देश्य से किया जाता है। विश्व पर्यटन संगठन (World Tourism Organization) के अनुसार पर्यटक वे लोग है जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं। यह दौरा ज्यादा से ज्यादा एक साल के लिए मनोरंजन व्यापार, सांस्कृतिक ज्ञान अर्जित करने, अन्य उद्‌देश्यों से किया जाता है, यह उस स्थान पर किसी खास क्रिया से सम्बन्धित नहीं होती है। चूँकि पर्यटन एक विस्तृत संकल्पना है और इसका दायरा व्यापक है इसके अन्तर्गत अपने देश या संसार के किसी भी देश की विभिन्न चीजें इसके उत्पाद हैं, जैसे उस देश की स्थापत्य (महल, किले, मीनारे, मकबरे, मंदिर); कला (संगीत, वादन, चित्रकारी, मूर्तिकला, पच्चीकारी, कसीदाकारी इत्यादि); संस्कृति (शादी ब्याह, उत्सव, खान–पान, रहन–सहन, सम्मेलन, महोत्सव)। यदि इसे बाजार के शब्दों में समझे और एक विदेशी पर्यटन को ग्रहक माने तो वह हमारे देश से विभिन्न तरह के अनुभव खरीद कर ले जाता है जिनसे उसका भरपूर मनोरंजन होता है। वह पर्यटक खरीद कर ले जाता है ग्वालियर के विशाल काय किले को भीतर और बाहर से देखने की शानदार अनुभूति, राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करने का लुत्फ और राजस्थान के काल बेलिया नृत्य की मनोरम छटा, उत्तर प्रदेश के कत्थक नृत्य का आनन्द और केरल के डोसे का स्वाद तथा गोवा के समुद्र तट के लहरों की मौज। चूँकि भारत विशाल देश है प्राकृतिक सम्पदा से समृद्ध है तो पर्यटकों के लिए यहाँ बहुत कुछ है। मुम्बई जैसे आधुनिक शहर, हिमालय की चोटियों की ऊंचाई, मध्यप्रदेश के जंगल और बाघ, राजस्थान के राजपूताने की झलकी दिखाते किले।

भारत का आध्यात्मिक पक्ष भी बहुत मजबूत रहा है। यहाँ का दर्शन समृद्ध रहा है, यहाँ का योग अब जग प्रसिद्ध है। काशी और प्रयाग जैसी धर्म की नगरी भी यहीं है। काशी प्राचीन काल से तीर्थाटन का केन्द्र रहा है वही प्रयाग की गिनती तीर्थराज के तौर पर हुई। यहाँ संगम में स्नान कर भक्त स्वयं को मोक्ष का उत्तराधिकारी समझने लगता है। प्रयाग में लगने वाले हर छठें वर्ष अर्द्ध कुंभ और हर बारहवें वर्ष लगने वाले महाकुम्भ के मेले को देखने पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं और सम्पूर्ण भारत से तीर्थ धाम करने वाले श्रद्धालु आकर यहाँ कल्पवास करते हैं। यदि हम प्रयाग या

मध्यकाल के इलाहाबाद को वापस 16 महाजनपद काल में ले जाए तो इसका सम्बंध बुद्ध से भी निकलेगा। महाजनपद काल में प्रयाग–बघेलखण्ड क्षेत्र में स्थित था। इसमें मूल रूप से उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद मिर्जापुर और बांदा जिले का कुछ भाग सम्मिलित था। गंगा नदी के दक्षिण की ओर का वह प्रदेश जो यमुना नदी के तट पर स्थित था, वत्स–राज्य के अन्तर्गत आता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो इलाहाबाद से 30 मील दूरी पर है।[7] दीघ निकाय में कौशाम्बी की गणना बुद्ध युगीन भारत के छह महानगरों में की गई है। ओल्डेनबर्ग महोदय ने ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित वंशस को वंश अथवा वत्स बताया है, परन्तु यह समीकरण संदिग्ध है। पुराणों में वत्स राज्य का वर्णन है। गंगा की भयानक बाढ़ से जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया तो जनमेजय के प्रपौत्र निचक्षु ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। स्वपनवासवदत्ता और प्रतिज्ञायौगन्धरायण नामक नाटकों में वत्सराज के वर्णन का उल्लेख है।

वत्सराज उदयन की राजधानी कौशाम्बी नगर में जाकर बुद्ध ने कई बार धर्मोपदेश किया तथा लोगों को अपना शिष्ट बनाया था। यहाँ अनेक विहार थे जिनमें सर्वप्रमुख था घोषिताराम।[10] इसका निर्माण श्रेष्ठि घोषित ने करवाया था। इस विहार के निकट ही अशोक का स्तूप था। बौद्ध धर्म को केन्द्र होने के साथ–साथ कौशाम्बी एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था, जहाँ अनेक धनी व्यापारी निवास करते थे। मौर्य शासक अशोक ने यहाँ अपने स्तम्भ लेख उत्कीर्ण करवाये थे। मौर्यकाल में पाटलिपुत्र का महत्व बढ़ने से कौशाम्बी का गौरव घट गया। गुप्त युग तक इस नगर का अस्तित्व सुरक्षित रहा। सातवीं शती में जब ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की तब उसने इस नगर को उजड़ा हुआ पाया था। घोषिताराम की खुदाई से एक विहार मिला है जिसके चारों ओर ईट की दीवारें बनी हुई है। विभिन्न स्तरों से सूचित होता है कि इस विहार का निर्माण कई बार किया गया। विहार के प्रांगण से एक बड़े तथा तीन छोटे स्तूपों के अवशेष मिलते हैं। इस विहार का निर्माण ई0पू0 पाँचवी शताब्दी में हुआ था। बिहार से पाषण तथा मिट्टी की मूर्तियां, सिक्के तथा कुछ लेख मिलते हैं। इसी क्षेत्र से हूणनरेश तोरमाण की मुहर मिली है। इससे सूचित है कि हूणों का कौशाम्बी के ऊपर आक्रमण हुआ तथा उन्होंने यहाँ बड़े पैमाने पर आगजनी लूटपाट की। यहाँ से मिली पत्थर की मूर्तियों पर बुद्ध का अंकन प्रतीकों में किया गया है। इसका समय मौर्य काल से गुप्त काल तक निर्धारित किया गया है, पाषाण मूर्तियाँ ई0पू0 200 से 500–600 ई0 तक की हैं। इनसे ज्ञात होता है कि भरहुत तथा साँची के समान कौशाम्बी भी कला का एक प्रमुख केन्द्र था। यहाँ की प्रसिद्ध मूर्तियों में कुबेर, हारीति तथा गजलक्ष्मी की मूतियाँ उत्कृष्ट हैं। जी0आर0 शर्मा यहाँ से मिले हुए सिक्कों को आहत सिक्कों से भी प्राचीनतर मानते हैं तथा इनकी तिथि ईसा पूर्व नवीं शताब्दी निर्धारित करते है। इन तमाम प्रमाणों से सिद्ध होता है कि बुद्ध के काल में घोषिताराम विहार एक प्रमुख विहार था। वत्सराज उदयन, बिम्बिसार तथा अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे तथा बिम्बिसार और बुद्ध के सम्बंध तो मित्रवत् थे। इन सम्राटों का सहयोग सदैव बुद्ध को प्राप्त होता रहा है। बुद्ध अपने जीवन काल में धम्म और संघ

के प्रचार–प्रसार हेतु विश्व भ्रमणशील रहे वे विभिन्न स्थानों पर धर्म का प्रचार–प्रसार करते थे तथा बरसात के समय जिन आश्रमों में विश्राम करते थे आज वे सारे स्थल बौद्ध धर्मावलम्बियों के तीर्थ है। उदाहरण के लिए–

लुम्बिनी

श्रावस्ती

कुशीनगर

सारनाथ

वाराणसी (काशी)

बोध गया

राजगीर

नालंदा

बुद्ध से सम्बंधित ये ऐतिहासिक स्थल आज भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में विकसित कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा विशेष रेल जिसका नाम परिनिर्वाण एक्सप्रेस है, के द्वारा इन सभी स्थानों की यात्रा करायी जाती है। आज बौद्ध तीर्थ स्थलों में पर्यटन इतना आसान हो गया है कि घर बैठे ई टिकट और रहने खाने की व्यवस्था इन्टरनेट और एटीएम कार्ड से हो जा रही है।

प्राचीन काल का तीर्थाटन आज पर्यटन में समाहित हो चुका है। पहले अनेक कष्ट उठा महीनों यात्रा करके मनुष्य अपने मनचाहे तीर्थ या धाम पहुँचता था धर्मशालाओं और सरायों में ठहरता था। आज मनुष्य द्रुत गति के साधनों ट्रेन, बस, हवाई जहाज द्वारा घंटों में अपने मनचाही जगह पहुँच जाता है। धर्मशालाओं सरायों की जगह पंच सितारा होटलों ने ले ली है। शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, साफ सुथरी जगह आवास आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हमारा पर्यटन उद्योग भी इतिहास से बहुत कुछ पाता है, लोककथाएं, लोकगीत, लोकनृत्य, धार्मिक पौराणिक ग्रन्थ, ऐतिहासिक किले, प्राचीन मंदिर, प्राचीन पवित्र नदिया, राजेमहाराजे, किले, हस्तकला सामग्री, पहनावा, त्यौहार, खानपान, ज्ञान–विज्ञान और दर्शन ये सब पर्यटन उत्पाद हैं स्पष्ट है कि पर्यटन इतिहास का ऋणी है।

पर्यटन विशेषज्ञ प्रो0 मनोज दीक्षित का मानना है चन्दन की लकड़ी भारत में पांई जाती तो मैसूर का बना चन्दन का साबुन पर्यटन उत्पाद है। इस उत्पाद को शहर का नाम दे सकते है। मैसूर संडल सोप दिल्ली, आगरा, जयपुर, राजस्थान का प्रसिद्ध संगमरमर का काम मूर्तियाँ खिलौने। तमिलनाडु का समुद्री सीपी का काम, सेवा नाम की (NGO) संस्था भी पर्यटन उत्पाद हो सकता है।

सितार वादक पंडित रविशंकर भी उत्पाद है। खजुराहो का नृत्य महोत्सव इस प्रकार केरल का हाथी परेड भी पर्यटन उत्पाद है। स्पष्ट है कि पर्यटन के लगभग सभी उत्पाद देश की कला, संस्कृति, इतिहास से प्राप्त किए गए है।

यहाँ इतिहास का प्रमुख स्थान है हम अपने तीर्थों, ऋषि मनीषियों, महात्माओं जैसे बुद्ध, महावीर, गुरूनानक की दी हुई धरोहर और इतिहास पर गर्व कर सकते है, आज ये पर्यटन का अहम हिस्सा है शायद इनके बिना पर्यटन सम्भव ही नहीं है या अधूरा सा है।

संदर्भ :

1. नागरं तु चतुस्रंस्यात् वृत्तं स्यात् वेसरम्। द्रविड़ च अण्टस्रतुं........ – सुप्रभेदागम्
2. पुण्कारिणी कारिता सेनत्रेतो तीर्थेच पत्तनम्। सिद्धेश्वरी महादेवः कारितस्तुंग मन्दिरं।।
   – जोधपुर प्रशस्ति
3. राजातेन स्व देवीनां यशः पुण्य–अभिवृद्वये। अन्तः पुर–पुरं नाम्ना व्यवधयि नरक–द्विपः।।
   – ग्वालियर प्रशस्ति
4. ग्रिफिथ, बर्गेस और फर्गुसन ने इस चित्र की भूरि–भूरि प्रशंसा की है। यू0एन0 राय, गुप्त सम्राट और उनका काल, इलाहाबाद, 1971, पृ0 375
5. वही
6. जी0सी0 पाण्डे, वैदिक संस्कृति, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद–2001
7. वही
8. एच0सी0 रायचौधरी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ऐंश्यिेण्ट इण्डिया
9. वही
10. इपिग्राफिया इण्डिका

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

भवभूति के रूपकों में पूजाविधान

अनुपम सिंह
ग्राम-माझा सोनौरा, पोस्ट-चौरे बाजार,
तहसील-बीकापुर, जिला-अयोध्या,
उत्तर प्रदेश, भारत।

Article Info
Volume 3 Issue 3
Page Number : 127-132

Publication Issue :
May-June-2020

Article History
Accepted : 20 June 2020
Published : 30 June 2020

सारांश – भौतिकतावादी मनुष्य ने पूजा–धूम के स्थान जहरीले एवं दमघोटू गैस को वायुमण्डल में उत्सर्जित कर सम्पूर्ण मानवीय सभ्यता और वातावरण को विनाश के कगार पर पहुँचा दिया है। प्राकृतिक असंतुलन के कारण आज हम ओजोन पर्त में छिद्र, ग्लोबल वार्मिंग, अतिवृष्टि और अनावृष्टि जैसी भयावह समस्याओं से जूझ रहे हैं। यदि इन समस्याओं से बाहर निकलना है तो मनुष्य को पूजा विज्ञान को समझते हुए यह जानना होगा कि प्रकृति के दोहन और शोषण में बड़ा अन्तर है।

मुख्य शब्द – भवभूति, रूपक, पूजा, वायुमण्डल, विनाश, विज्ञान, संस्कृति, संस्कृत, काल।

भारतीय संस्कृति सनातन काल से ''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तुनिरामया'' के सिद्धान्त को आत्मसात करती चली आ रही है। पूजा विज्ञान का आधार भी यही भावना है। ऐहिक और पारलौकिक सुख एवं विश्वकल्याण की भावना ही पूजा विज्ञान की मूल आत्मा है। पूजा की यह परम्परा भारतीय संस्कृति का अनुपम वैशिष्ट्य है जैसा कि कहा है: **''अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम।''**[1] किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए पूजा से उत्तम कोई अन्य साधन हो ही नहीं सकता। कहा भी गया है **''यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म''**। हमारे धर्मग्रन्थों में पूजा एवं महापूजा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन है जैसे **''पंचैव महयज्ञाः''। तान्येव महासत्राणि भूलयज्ञो मनुष्यज्ञः पितृयज्ञो ब्रह्मपूजाइति।''**[2] ये महापूजा वस्तुतः महासत्र है। ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतपूजातथा नृपूजाये पाँच महापूजाहै। इन महायज्ञों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी सम्पन्नता के लिए व्यक्ति अपने विधाता, ऋषियों, पितरो, जीवों, एवं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण कर सकता है।

देवता को उद्देश्य करके मंत्रों के द्वारा अग्नि में हविर्द्रव्य का प्रक्षेपण पूजा है। यही कारण है कि अग्नि को श्रुतियों में पूजा का मुख कहा गया है **''अग्निर्वै यज्ञः''**[4], **''अग्निर्वै योनिर्यज्ञस्य''**[5], **''अग्नि वै यज्ञमुखम''**[6]

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

आदि। प्रत्येक गृहस्थ के घर में पाँच ऐसे स्थल होते है जहाँ प्रतिदिन जीव हिंसा की संभावना बनी रहती है जैसा कि कहा गया है–

पंøासूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः।

कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाह्यन्।।[7]

इन स्थलों पर होने वाले प्रतिदिन के हिंसा के पाप से मुक्ति के लिए ऋषियों ने पाँच महायज्ञों की व्यवस्था की। वेद अध्ययन व अध्यापन ब्रह्मपूजा है, तर्पण पितृपूजा है, हवनादि से सत्कार करना नृप पूजा है–

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्। होमो दैवोबलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथि पूजनम् पøौतान यो महायज्ञान् न हापयति शक्तितः। स गृहेऽपि वसन् सूनादोषैर्नलिप्यते।[8]

भवभूति कालीन समाज एक ऐसा समाज था जहाँ धर्म सबमें प्राण रूप में बसता था। सर्वत्र वैदिक संस्कृति अपने चरम पर थी, सबका वेदों के प्रति सम्मान था, वेद–वाक्य लोगों के लिए भगवत आदेश की तरह थे जिन्हें पूर्ण करना समाज अपना परम धर्म समझता था। वस्तुतः वेदों को ही सर्व धर्म का मूल स्वीकार किया गया– **''वेदोऽखिलो धर्म मूलम्''**। भवभूति के साहित्य हमें यत्र–तत्र वेदों और मन्त्रों के प्रति उनकी सहज श्रद्धा देखने को मिलती है। वैदिक काल की ही तरह भवभूति के समय में भी वेद निर्दिष्ट यज्ञानुष्ठान लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ करते थे। प्रमुख रूप से निम्नलिखित वैदिक अनुष्ठान किये जाते थें–

1. ब्रह्मयज्ञ– जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि लोगों में वेदों के प्रति पूर्ण निष्ठा थी जो उनके वेदों के अध्ययन एवं अध्यापन में परिलक्षित एवं व्यक्त होती थी। प्रतिदिन होने वाले वेदाध्ययन को ही ब्रह्म पूजा कहते थे। वेदों के साथ–साथ अन्य धर्म ग्रन्थों का भी अध्ययन होता था। लोगों का ऐसा विश्वास था कि इनके अध्ययन से ईश्वर व देवता प्रसन्न होकर लोगों के कष्ट व पाप दूर करते थे। ऐसे धर्म व कर्म में संलग्न व्यक्ति ही इस सम्पूर्ण जगत् का कल्याण करता है–

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद् दैवे चैवेह कर्मणि।

दैवकर्मणि युक्तो हि बिभर्तीदं चराचरम्।।[9]

इस पूजा का उल्लेख भवभूति ने उत्तररामचरितम् के प्रारम्भ में कि पूजा है जब वह कहते हैं– **''यं ब्रह्मर्णमयं देवी वाग्वश्येवानुववर्तते''**[10] जृम्भकारत्त जो वेद धर्म के हित के लिए वर्णित है उसकी प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की जाती थी।[11] ये तप ही ब्रह्म पूजा था। तत्कालीन समाज में क्षत्रिय भी वेदों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। लव वं चन्द्रकेतु के युद्ध के प्रसंग में राम ने लव को क्षात्रधर्म के बारे में बताया है।[12] जहाँ तक स्त्रियों का सवाल था वे भी यज्ञों में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी।[13] इसका

प्रमाण है कि आत्रेयी निगमान्तक विद्या सीखने के लिएर अगस्त्य ऋषि के आश्रम को जाना चाहती है जो उसके और वासन्ती के वार्तालाप के क्रम में हमें ज्ञात होता है–

अस्मिन्नगस्त्यप्रमुखाः प्रदेशे भूयांस उद्गीथविदो वसन्ति।

तेभ्योऽधिगन्तुं विगमान्तविद्यां वाल्मीकिपार्श्वादिह पर्यटामि।।[14]

वस्तुतः वह समय सारस्वत साधन के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा का समय था जो स्त्री व पुरुष सभी में देखने को मिलता है। लव व कुश के निगमान्तक विद्या में कुशलता का भी वर्णन मिलता है।[15]

2. पितृयज्ञ–इस पूजा के द्वारा ऋषियों ने यह व्यवस्था दी कि मनुष्य पितरों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सके क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद के जीवन सफल नहीं हो सकता था। तर्पण में सोना, चाँदी, तांबा, कांसा के पात्र के प्रयोग का विधान है जबकि मिट्टी व लोहे का पात्र–प्रयोग निषिद्ध था। तपर्ण के उपरान्त ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान था।[16] वस्तुतः यह पूजा पितरों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए था। उत्तररामचरितम् में हमें इसका प्रसंग देखने को तब मिलता है जब लव–कुश के 12 वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में भागीरथी सीता से अपने हाथों के द्वारा सूर्य देवता को तर्पण अर्पित करने को कहती है।17

3. देवयज्ञ– देवपूजा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता था। इस पूजा के द्वारा मनुष्य देवताओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता था। इस पूजा को करने के लिए अग्नि में मन्त्रों के द्वारा समिधा डाला जाता था। आपस्तम्बधर्म सूत्र, बौधायनधर्मसूत्र के अनुसार देवता विशेष के नामोच्चारण के साथ अग्नि में हवि डालना देवपूजा के रूप में जाना जाता है।[18] हवि डालते समय 'स्वाहा' शब्द का उच्चारण आवश्यक था। महावीर चरित के मंगलाचरण में ब्रह्म की, मालतीमाधव[19] में शिव की व उत्तररामचरितम्[20] में सरस्वती की स्तुति की गयी है। भागीरथी[21] तथा वनदेवता आदि की पूजा–अर्चना भी उस समय के लोगों का देवताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करती है। भवभूति कालीन समाज में मूर्तिपूजा को भी पूर्ण मान्यता प्राप्त थी जो हमें कवि के द्वारा शंकर कामदेव एवं चामुण्डा के मन्दिरों के वर्णन में देखने को मिलता है।

(4) भूतयज्ञ– इस पूजा को बलिवैश्वदेव भी कहते हैं। वैश्वदेव का तात्पर्य देवताओं को सुन्दर–सुन्दर पक्वान अर्पण करने से है। इस पूजा में सभी गृहस्थ अपने सामर्थ्यानुसार देवताओं, पितरों, मनुष्यों यहाँ तक कि कीडे–मकोड़ों, जन्तुओं आदि को भी भोजन के द्वारा तृप्त करना चाहता है। बलि के द्वारा देवी और देवता को प्रसन्न करना धार्मिक अनुष्ठान का मुख्य भाग था। जीवों के अतिरिक्त मनुष्य–बलि भी प्रचलित थी। इस तरह बलि देना समाज में प्रचलित था जिसका प्रसंग राम के उस कथन से मिलता है, जब वे सीता को लक्ष्य करके कहते है– **''क्रव्याद्भ्यो बलिमिव दारूणः क्षिपामि।'**[23]

5. नृयज्ञ–भारतीय संस्कृति में सदा से ही 'अतिथि देवो भव' अर्थात् अतिथि में देवता के दर्शन की परम्परा रही है। अतिथि सत्कार को भी इस देव संस्कृति में पूजा का दर्जा प्राप्त है। अतिथि वह है जो किसी घर में कुछ समय के लिए अर्थात् दिन पूजा रात से लेकर कुछ दिन तक निवास करता है–

"अनित्यास्य स्थितिर्यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते।"[24]

भवभूति कालीन समाज में भी अतिथियों के सम्मान की परम्परा थी। अतिथियों का आगे बढ़कर स्वागत करना, जल से पैर धोना, आदर के साथ आसन देना, भोजन कराना तथा जाते समय कुछ दूर तक छोड़कर आना– ये सभी कर्म हमारी संस्कृति में आतिथ्य के अभिन्न अंग हैं। भवभूति के उत्तररामचरित में आतिथ्य पूजा की झलक हमें कई स्थानों पर देखने को मिलती है यथा– 'वनदेवता वासन्ती के द्वारा तापसी का सत्कार करना।[25] चित्रवीथी में राम लक्ष्मण को चित्र दिखाते हुए कहते हैं कि यमनियमादि का पालन करने वाले ये वैखानसाश्रित वे तपोवन है जिसमें अतिथि सत्कार में निपुण गृहस्थ निवास करते हैं।[26]

स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज में लोगों का यज्ञों में बड़ा विश्वास था और वे लोग उनका आयोजन पूर्ण निष्ठा व कर्तव्यपरायण के साथ करते थे। उपर्युक्त यज्ञों के अतिरिक्त कुछ अन्य पूजा भी प्रचलित थे, जो निम्न है–

1. धनुष यज्ञ– भवभूति कालीन समाज में पाणि ग्रहण संस्कार में भी पूजा की परम्परा प्रचलित थी। राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए धनुष पूजा का आयोजन किया था जिसकी प्रेरणा स्वयं विश्वामित्र ने दी थी। इसीलिए उत्तररामचरित में विश्वामित्र को कन्यादाता और दशरथ को ग्रहीता के रूप में वर्णित किया है। इस वैवाहिक पूजा की पूर्णता गोदान के विधान के साथ सम्पन्न होती थी।[27]

2. अश्वमेध यज्ञ– राजा जब अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था तो वह इस पूजा का आयोजन करता था जिसमें राजा के द्वारा एक अश्व छोड़ दिया जाता था और जो भी राजा इस अश्व को पकड़ता था, उससे युद्ध किया जाता था। राजा सगर ने यह पूजा किया था। परशुराम ने भी अपने यश की वृद्धि के लिए इस पूजा के माध्यम से क्षत्रियों को कई बार परास्त किया था।

3. सोम यज्ञ– जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस पूजा में सोमलता के रस को आहुति के रूप में दिया जाता था। कई जगह ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि मतंग मुनि के आश्रम में इस पूजा का आयोजन खूब होता था। इस आश्रम के निकट पम्पासरोवर में सोमपात्र चमस आदि यत्र तत्र बिखरे हुए हैं जिनसे आज्य की गंध सवत्र प्रसारित हो रही है ऐसा शब्द चित्र महाकवि ने प्रस्तुत किया है।

4. वाजपेय यज्ञ– इस पूजा को आप्तोर्याम पूजा भी कहते हैं जो अहर्निश चलता था। इसका उद्देश्य यश की प्राप्ति था। यह विशेष रूप से प्रजापति देवता के लिए आयोजित होता था। पवित्र धूम से व्याप्त आकाश में

सूर्य भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखता था। राम के वनगमनावसर पर आयोजित वाजपेय पूजा में प्राप्त छत्र से राम को धूप से बचाते हुए वर्णित किया गया है–

स्कन्धारोपितयज्ञपात्रनिचयाः स्वैर्वाजपेयार्जितै–
श्छात्रैर्वारयितुं तवार्ककिरणांस्ते ते महाब्राह्मणाः।
साकेताः सह मैथिलैरनुपतत्पत्नीगृहीताग्नयः
प्राक्प्रस्थापितहोमधेनव इये धावन्ति वृद्धा अपि।।[28]

तत्कालीन समाज का ऐसा दृढ़ मत था कि सृष्टि में सन्तुलन का एक मात्र उपाय पूजा साधना ही है। इसलिए उस समय लोग पूरी निष्ठा से पूजाादि कर्म करते थे। सभी धर्मग्रन्थों ने मानव योनि को कर्म प्रधान माना है। कर्म ही मनुष्य जीवन का सनातन पूजा है और मनुष्य को अपने हर श्वांस के साथ इस कर्मपूजा में पूर्णतः प्रवृत्त होना चाहिए। पूजा जहाँ एक ओर मनुष्य जीवन को उदात्तता प्रदान करते हैं वही वायुमण्डल की शुद्धता को भी अक्षुण्ण बनाये रखते हैं। परन्तु आज का भौतिकतावादी मनुष्य ने पूजा–धूम के स्थान जहरीले एवं दमघोटू गैस को वायुमण्डल में उत्सर्जित कर सम्पूर्ण मानवीय सभ्यता और वातावरण को विनाश के कगार पर पहुँचा दिया है। प्राकृतिक असंतुलन के कारण आज हम ओजोन पर्त में छिद्र, ग्लोबल वार्मिंग, अतिवृष्टि और अनावृष्टि जैसी भयावह समस्याओं से जूझ रहे हैं। यदि इन समस्याओं से बाहर निकलना है तो मनुष्य को पूजा विज्ञान को समझते हुए यह जानना होगा कि प्रकृति के दोहन और शोषण में बड़ा अन्तर है।

सन्दर्भ

1. ऋग्वेद–1/1.
2. शतपथ ब्राह्मण– 11/5/6/1.
3. यज्ञमीमांसा– पृ0 51.
4. शतपथ ब्राह्मण– 3/4/3/11.
5. शतपथ ब्राह्मण– 1/5/2/11.
6. तैत्तिरीय ब्राह्मण– 1/6/1/8.
7. मनुस्मृति– 3/75.
8. मनुस्मृति– 3/70–71.
9. मनुस्मृति– 3/75.
10. उत्तररामचरित् – 1/2.
11. वही, 1/15.
12. वही, 5/38.
13. वही, द्वितीय अंक।

14. उत्तररामचरित् 2/3.
15. वही, द्वितीय अंक।
16. मनुस्मृति– 3/36.
17. उत्तररामचरित्, पृ0–217.
18. महावीरचरित् 1/1.
19. मालती माधव– 1/1.
20. उत्तररामचरित् 1/1.
21. वही, पृ0 143.
22. मालतीमाधव– 5/21–22–25.
23. उत्तररामचरित्, 1/49.
24. मनुस्मृति– 3/102.
25. वही, 2/1.
26. उत्तररामचरित् 1/25.
27. महावीर चरित्, पृ0 54.
28. महावीरचरित्– 4/57.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

आदर्श कृषि योजना में परम्परागत स्रोतों की प्रासंगिकता

डॉ0 विमलेश मिश्र
असिस्टेण्ट प्रोफेसर
अर्थशास्त्र विभाग
कृषक (पी0जी0) कॉलेज, मवाना, मेरठ
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 3 Issue 3
Page Number : 133-138

Publication Issue :
May-June-2020

Article History
Accepted : 20 June 2020
Published : 30 June 2020

सारांश—वर्तमान समय में ऐसी कृषि पद्धति की आवश्यकता है जो हमारी पर्यावरण प्रणाली के अनुकूल हो जिससे हमारा पारिस्थितिकी सन्तुलन बना रहे। कृषि ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम से कम पर्यावरणीय सन्तुलन बिगड़े। मानव स्वास्थ्य के अनुकूल एवं गुणवत्तापूर्ण हो। भारत में दीर्घकाल से परम्परा और अपने अनुभवों के आधार पर कृषक जैविक—कृषि व्यवहार में लाते रहे हैं। हरित क्रान्ति आरम्भ होने के बाद जैविक कृषि प्रणाली में लगातार कमी आई है। इस प्रणाली में एकल फसलों का प्रयोग बढ़ा। हरित क्रान्ति के आधारिक स्तम्भ रूप में उर्वरक एवं कीटनाशक प्रयुक्त होने लगे हैं। रासायनिक कीटनाशकों का 1960—61 में अत्यन्त कम प्रयोग होता था जो बदलकर अब लगभग 0.45 किग्रा प्रति हेक्टेयर हो गया। हरित क्रान्ति आरम्भ होने के समय कृषकों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग के लिए सहमत कराना पड़ता। अब कृषक और कृषि इनकी अभ्यस्त बन गई है। भारत यद्यपि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग में कई देशों से पीछे है। तथापि कृषि उत्पादन के वृद्धि के सन्दर्भ में पृथक युक्ति की आवश्यकता हैं उपज वृद्धि, कीट नियंत्रण एवं सतत कृषि विकास के लिए जैविक कृषि की ओर अग्रसर होना आवश्यक है।

मुख्य शब्द — आदर्श, कृषि, योजना, परम्परागत, स्रोत, प्रासंगिकता।

प्रस्तावना—कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के अन्तर्गत जैविक ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा के बहुआयामी उपयोग के कारण आय वृद्धि तथा फसलोत्पादकता में वृद्धि के फलस्वरूप आज इन ऊर्जा स्रोतों के अन्तर्गत आदर्श कृषि योजना की आवश्यकता है। कृषि क्रियाएँ हमारे देश के लिए आधारभूत है। आदिकाल से ही हमारे देश में ऐसी कृषि प्रचलन में रही है जिसमें कि समस्त उपकरण और पोषक तत्व खेतों से ही प्राप्त किये जाते थे। इस कृषि प्रणाली को देशी कृषि प्रणाली कहा जाता रहा है। प्रकृति की क्रियाविधि से न्यूनतम हस्तक्षेप

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

के साथ भूमि को मातृवत सम्मान देते हुए कृतज्ञता के भाव के साथ कृषि की जाती रही है। इस प्राचीन पद्धति में फसल पैदा करने के लिए जैवकीय माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इसमें रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता था। फसलों की वृद्धि के लिए गोबर की खाद, कम्पोस्ट खाद, हरी खाद, नीम की खली, नीम की पत्ती, निमकौर, करंज, हरित शैवाल आदि का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए करंज, मदार, नीम, धतूरा आदि का प्रयोग किया जाता था। इस कृषि प्रणाली से उत्पादित फसलें पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचाती, मानव एवं पशु–पक्षियों तथा मिट्टी के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती तथा इससे सतही तथा भूमिगत जल का प्रदूषण नहीं होता था तथा मिट्टी की जीवन्तता बनी रहती थी। नव–पाषाण काल से फसल उत्पादन का कार्य आरम्भ हुआ तब से यही कृषि प्रणाली समाज की जरूरतें पूरी करती रही।

किन्तु तीव्र जनसंख्या वृद्धि से नगरीकाल और औद्योगिक काल को बढ़ावा दिया परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र कम होता गया तथा कृषि जोत का आकार सिमटता गया। बढ़ती खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह आवश्यक हो गया कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जाये। परिणामस्वरूप कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ने लगा। यह प्रवृत्ति बढ़ती रही। देश में 1965–66 में हरित क्रान्ति आरम्भ हुई जिसे बीज, सिंचाई एवं उर्वरक क्रान्ति भी कहा जाता है। वस्तुतः नार्मन बोरलाग द्वारा विकसित की गई गेहूँ की बौनी किस्म लरमा रोजो और अन्तर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, फिलीपीन्स से विकसित धान की बौनी किस्म टाइप चुंग नेटिव–1 और आई.आर.–8 से अधिक उर्वरक द्वारा ही अधिक उत्पादन किया जा सकता था और फिर इसी प्रकार की पम्परा चल पड़ी। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं का अविवेचनात्मक प्रयोग होने लगा। देश में रासायनिक उर्वरकों का 1960–61 में कुल प्रयोग 0.3 मिलियन टन था जो 2005–06 में प्रति हेक्टेयर लगभग 105.5 किग्रा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ था। जो वर्ष 2009–10 में बढ़कर 128.6 किग्रा हो गया है। अब रासायनिक उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों का भयानक जहर खेती की नियति बन गया है। मिट्टी की प्राकृतिक रूप से उर्वर बनाये रखने वाले अनेकों मिट कीट विलुप्त हो गये हैं। सघन कृषि में वीर–बहूटी, तितली और अनेकों रंग–बिरंगे जीव विलुप्त हो रहे हैं। गिद्धराज का अस्तित्व समाप्त प्रायः है। मछलियों की कई प्रजातियाँ समाप्त हो रही है। समग्र रूप से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता समाप्त हो रही है। इसलिए बार–बार सिंचाई करनी पड़ रही है। भूमि पर क्षारीयता बढ़ रही है। भूमि क्षरण की समस्या अत्यन्त भयावह हो रही है। फसल उत्पादन के प्रत्येक चरण के अतिरिक्त अब भण्डारण के स्तर पर भी जहरीले कटीनाशकों के प्रयोग किया जा रहा है। इस समय आम, केला, पपीता, चीकू, सेब, आलू बुखारा, अनार, अनानास आदि फलों को पकाने के लिए बहुतायत में कार्बाइड का प्रयोग किया जा रहा है। फल संरक्षण के लिए या अचार, मुरब्बा, सिरका, चटनी, शरबत आदि को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए जहरीले रसायनों और रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। इनके कारण स्वास्थ्य पर अत्यन्त खराब प्रभाव पड़ रहा है।

रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के जहर से उपभोक्ता त्रस्त हैं और इनके प्रति दुनिया में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। इससे मानव स्वास्थ्य पर अत्यन्त खराब तात्कालिक और दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंश फसल और दाने के माध्यम से मनुष्य के शरीर में पहुँच रहे हैं। जिससे अनेक बीमारियाँ बढ़ रही हैं। कई रासायनिक तत्व लम्बे समय तक मिट्टी में पड़े रहते हैं और क्रमशः जल स्रोतों को विषाक्त कर देते हैं अब तो भूमिगत जल स्रोत भी प्रदूषित होते जा रहे हैं। जो एक भयानक क्षति है। पश्चिम बंगाल के नदियाँ सहित कई जिलों के भूमिगत जल में संखिया

का संकेन्द्रण पाया गया है। इनके कारण नयी प्रकार की घात बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। यह प्रवृत्ति सार्वात्रिक है। इस कारण वर्तमान कृषि प्रणाली के प्रति विरोध भी सार्वत्रिक हैं। इसलिए जैविक कृषि प्रणाली की ओर लौटना आवश्यक हो गया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में जैविक कृषि प्रणाली से उत्पादित खाद्य पदार्थों की कीमतें अपेक्षाकृत अधिक होती हैं और लोग अधिक भुगतान करने को तत्पर भी हैं। प्रमुख विदेशी बाजारों में उन कृषि उत्पादों के लिए अब कोई स्थान नहीं है जिनमें हानिकारक रसायनों अथवा कीटनाशकों का प्रयोग किया गया है। विश्व व्यापार संगठन का स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता प्रावधान हानिकारक रसायनों वाले तथा पौधों को क्षति पहुँचाने वाले तत्वों से युक्त पदार्थों के आयात का निषेध करता है। विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्थानुसार कृषि उत्पादों के निर्यातकों को निर्यात की जाने वाली कृषि वस्तुओं के संदर्भ में उत्पाद के स्थान पर उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयाग इसी प्रकार होता रहेगा तो कृषि एवं सम्बद्ध वस्तुओं के निर्यातों की सम्भावना अत्यन्त क्षीण हो जायेगी।

अतः वर्तमान समय में ऐसी कृषि पद्धति की आवश्यकता है जो हमारी पर्यावरण प्रणाली के अनुकूल हो जिससे हमारा पारिस्थितिकी सन्तुलन बना रहे। कृषि ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम से कम पर्यावरणीय सन्तुलन बिगड़े। मानव स्वास्थ्य के अनुकूल एवं गुणवत्तापूर्ण हो।

हमें जैविक कृषि प्रणाली व्यवहार में लानी चाहिए ताकि कृषि के समस्त उपकरण एवं पोषक तत्व खेती से ही प्राप्त किये जा सकें। इस कृषि प्रणाली को देशी कृषि प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें प्रकृति की क्रियाविधि में न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ भूमि की मातृवत सम्मान देते हुए कृतज्ञता के भाव के साथ कृषि की जाती है।

जैविकीय कृषि प्रणाली में फसल पैदा करने के लिए जैविकीय माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जैविक प्रणाली में रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है। फसलों की वृद्धि के लिए गोबर का खाद, कम्पोस्ट खाद, हरी खाद, नीम की खली, नीम की पत्ती, निमकौर (नीम का फल) करंज, हरित शैवाल आदि का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए करंज, मदार, नीम, धतुरा आदि का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि प्रणाली से उत्पादित फसलें पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचाती, मानव एवं पशु–पक्षियों तथा मिट्टी के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। इसमें सतही एवं भूमिगत जल का प्रदूषण नहीं होता तथा मिट्टी की जीवन्तता बनी रहती है। नव–पाषाण काल से फसल उत्पादन का कार्य आरम्भ हुआ तब से ही जैविक कृषि प्रणाली समाज की जरूरतें पूरी करती हैं। भूमि का उपयोग और पोषण साथ–साथ होता है।

फसल विविधता की दृष्टि से भारत अत्यन्त सम्पन्न राष्ट्र है। इसलिए कृषि निर्यातों के लिए भारत को नैसर्गिक सुविधा प्राप्त है। जैविक कृषि प्रणाली से उत्पादित खाद्य पदार्थों की माँग पूरे विश्व में बढ़ रही है। जैविकीय कृषि प्रणाली से उत्पादित खाद्य पदार्थों की कीमत अपेक्षाकृत अधिक होती है और लोग अधिक भुगतान करने को तत्पर भी हैं। भारत में अभी भी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग अन्य देशों की तुलना में कम होता है। शुष्क कृषि क्षेत्रों, उत्तर–पूर्व के राज्यों और पर्वतीय राज्यों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग अत्यन्त कम है। इसलिए भारत जैविकीय कृषि प्रणाली से उत्पादित खाद्य पदार्थों द्वारा घरेलू माँग पूरा कर सकत है और विश्व बाजार में भी अधिक अंश ले सकता है। जैविक खादें, फसल चक्र, मिश्रित कृषि, जैविक कीटनाशक, न्यूनतम जुताई, प्रकृति क्रियाविधि में न्यूनतम हस्तक्षेप आदि जैविक कृषि के प्रमुख आधार है।

यही कारण है कि हाल के वर्षों में जैविक कृषि प्रणाली की ओर पुनः ध्यान दिया जाने लगा है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में 1986 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। नवीं पंचवर्षीय योजना में जैविक कृषि के लिए प्रावधान किये गये थे। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में फसल सघनता बढ़ाने के लिए बहु फसल और अंतर्फसल के विकास पर जोर दिया गया है, राष्ट्रीय कृषि नीति में जैविक कृषि के प्रसार और कृषि विकास में परम्परागत ज्ञान के उपयोग पर जोर दिया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में जैविक कृषि के प्रोत्साहन हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि कम लागत पर जैव उर्वरकों का उत्पादन किया जाना चाहिए ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाई जा सके। अब देश में कई संगठन जैव उर्वरक और जैविक कीटनाशकों का उत्पादन करने को अग्रसर हैं। इनमें नेफेड, इफ्को और कृभकों विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कई संगठन अब रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किये बिना संविदा कृषि के आधार पर जैविक कृषि को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में जैविक कृषि को बढ़ावा देना तथा जैविक कृषि उत्पादों के लिए समुचित बाजार व्यवस्था करना है। पिछले पाँच दशकों में कृषि उत्पादन और उत्पादित वृद्धि के लिए उत्तरोत्तर वृद्धिमान दर से उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। इस युक्ति को अचानक बदलने पर कृषि उत्पादन में कमी की सम्भावना है। देश के कृषि क्षेत्र पर बहुत बड़ा जनसंख्या के भरण–पोषण का भार है। कृषि सर्वथा स्त्रातजिक क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र को प्रतिरक्षा के समतुल्य देखा जाना चाहिए। खाद्यान्नों की गम्भीर कमी की अवस्था में बहुधा अतिरेक वाले राष्ट्रों का भी व्यवहार तटस्थ हो जाता है। ब्रिटिश शासन काल में तो अकाल पड़ने पर लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती थी। 1964–65 और 1965–66 में अनाज की गम्भीर कमी हो गई थी। पी.एल. 480 के अन्तर्गत अत्यन्त निम्न कोटि का अनाज आया था जो सामान्य देशों में उपयोग योग्य नहीं था। अतः अत्यन्त सावधानी रखते हुए कृषि प्रविधि परिवर्तन की आवश्यकता है।

कृषि में ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, कोदों, रागी, मसूर, सावाँ आदि परम्परागत फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र अत्यन्त कम हो गये हैं। अंग्रेजों के शासन काल में इन अति पौष्टिक अनाजों को मोटा अनाज कहकर उनका महत्व कम कर दिया गया और कुछ अनाजों को श्रेष्ठ अनाज कह दिया गया। इनका उत्पादन कम उर्वरक और कम कीटनाशकों द्वारा होता है। इनमें अधिक पोषक तत्व भी होता है। इन्हें अब 'मोटा' अनाज न कहकर 'अधिक' पौष्टिक अनाज कहना चाहिए। इसलिए गेहूँ और धान जो पानी, उर्वरक और कीटनाशकों का भारी उपभोग करते हैं के प्रति झुकाव कम करने की आवश्यकता है और अन्य परम्परागत फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है। सामान्य कृषि प्रणाली में क्रमशः रासायनिक तत्वों का प्रयोग कम करने और जैविक तत्वों का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष अत्यन्त बड़ी चुनौती है कि वे ऐसे बीजों का प्रचलन बढ़ायें कि कम उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों के साथ उत्पादन बढ़ा सकें।

निष्कर्ष–

अतः ऊर्जा प्रयुक्त क्षेत्रों में वर्तमान एवं स्थगित ऊर्जा स्रोतों के अन्तर्गत एक आदर्श कृषि योजना के लिए कृषि में जैविक ऊर्जा संसाधन का प्रयोग आवश्यक हो गया है। ऊर्जा के जैविक संसाधनों में गोबर की खाद, कम्पोस्ट खाद, हरी खाद, खली की खाद मुख्य हैं। उचित फसल चक्र अपना कर भी फसलों की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। वस्तुतः खाद शब्द का प्रयोग इन्हीं जैविक खाद के लिए किया जाता है। जैविक खादों के प्रयोग से कृषि को अधिक समर्थ बनाया जा सकता है। जैविक खादों के प्रयोग से फसल को सभी आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इनके प्रयोग से कृषि लागत भी कम हो जाती है।

फसलों के लिए पानी की आवश्यकता भी अपेक्षाकृत कम पड़ती है। साथ ही फसलों को रोगों से बचाने के लिए जैविक कीटनाशकों का ही प्रयोग किया जाये। जैविक कीटनाशकों का प्रभाव अधिक दूरगामी और पर्यावरण पोषक होता है। नीम सर्वप्रमुख जैविक कीटनाशी है। यह बहुगुणकारी पौधा है। इसके सभी भागों में कीटनाशक गुण पाये जाते हैं। नीम की पत्ती, नीम की खली सड़ा कर बनाई गई खाद, नीम का फूल सड़ाकर बनाया गया घोल आदि फसलों की बीमारी से बचाता है। इसके अतिरिक्त कनेर, धतुर, करंज, महुआ, शरीफा, गुलदाउदी आदि भी कीटनाशक गुण पाये जाते हैं। गो–मूत्र एक प्रभावी कीट नियंत्रक है। अब गो–मूत्र से कीटनाशक बनाये जा रहे हैं।

जैविक खादें और जैविक पदार्थ न केवल फसलों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे भूमि के भौतिक और जैविकीय गुणधर्म से स्थाई सुधार करते हैं। कृषि उत्पादन का सातत्य बने रहने के लिए जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाया जाना आवश्यक है। जैविक पदार्थों के अभाव में रासायनिक उर्वरकों की उपादेयता अत्यन्त कम हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों के कम प्रयोग से भी खाद मिट्टी वाली भूमियों पर खेती करके अच्छी फसल उगायी जा सकती है।

यद्यपि भारत में दीर्घकाल से परम्परा और अपने अनुभवों के आधार पर कृषक जैविक–कृषि व्यवहार में लाते रहे हैं। हरित क्रान्ति आरम्भ होने के बाद जैविक कृषि प्रणाली में लगातार कमी आई है। इस प्रणाली में एकल फसलों का प्रयोग बढ़ा। हरित क्रान्ति के आधारिक स्तम्भ रूप में उर्वरक एवं कीटनाशक प्रयुक्त होने लगे हैं। रासायनिक कीटनाशकों का 1960–61 में अत्यन्त कम प्रयोग होता था जो बदलकर अब लगभग 0.45 किग्रा प्रति हेक्टेयर हो गया। हरित क्रान्ति आरम्भ होने के समय कृषकों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग के लिए सहमत कराना पड़ता। अब कृषक और कृषि इनकी अभ्यस्त बन गई है। भारत यद्यपि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग में कई देशों से पीछे है। तथापि कृषि उत्पादन के वृद्धि के सन्दर्भ में पृथक युक्ति की आवश्यकता हैं उपज वृद्धि, कीट नियंत्रण एवं सतत कृषि विकास के लिए जैविक कृषि की ओर अग्रसर होना आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. इण्डिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलेपमेंट (1991), ''बायोगैस प्लान्ट्स इन नैनीताल एण्ड रामपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल–ऐन एक्सपोस्ट इवोल्यूशन स्ट्डी''।
2. धवन, के0सी0, मित्तल, जे0पी0 और अरोरा, बी0एस0 (1992). ''रोल ऑफ एनीमल ह्यूमन एनर्जी इन द विलेज इकोसिस्टम इन इण्डिया'', इकोनॉमिक्स, अफेयर्स, (कोलकाता) 37(1), 31–45
3. भाटिया, आर0सी0, बाबा, आर0एस0, इतिन्दर, सरकारिया, डी0एस0 (1992), एनर्जी यूस पैटर्न इन पंजाब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इण्डिया, 47, 9, 699–713
4. मिश्रा, टी0एन0, सिंह, एल0आर0, सिंह, विजेन्द्र, गुप्ता, ओ0पी0 (1983), ''रिसर्च रिपोर्ट ऑन एनर्जी रिक्वायरमेन्ट्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सपेरीमेन्ट्स स्टेशन। जी0बी0 पन्त यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, पन्तनगर, उत्तरांचल।

5. विलियम, जे0 स्टॉब (1974). ''लांग इन पासिबिलिटीज फार इनक्रीसिंग इन्कम्स एण्ड इम्प्लायमेंट इन द फार्म सेक्टर ऑफ डेवलपिंग कन्ट्रीज'', इण्डियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स।
6. शर्मा, आर0के0 (1992). ''एनर्जी यूटिलाइजेशन इन सम मेजर क्राप्स– ए केस स्टडी इन द फार्म ऑफ बाजाली डेवलपमेंट ब्लाक ऑफ असम।'' एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इण्डिया, 46(10), 737–740
7. सिंह, आर0एस9, सिंह, आर0पी0, सिंह, जे0एन0 (1988), ''एनर्जी यूस पैटर्न ऑफ सिरिअल क्राप्स ऑन डिफरेन्ट साइज ऑफ फार्म इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। (कोलकाता) इकोनामिक अफेयर्स, 33(4), 249–256
8. सिंह, एल0आर0, सिंह, विजेन्द्र (1976), ''लेविल एण्ड पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्शन इन एन एग्रीकल्चरडली एडवान्स एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश'', इण्डियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। (Revised Edition-2009)
9. सिंह, गजेन्द्र एण्ड चान्सलट, डब्ल्यू0जे0 (1976). ''चेन्जेस इन एनर्जी यूस पैटर्न फ्राम 1976 टू 1974 ऑन द सलैक्टेड इन ए फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन नार्दन इण्डिया''। मैकेनाइजेशन।

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

काव्यप्रस्थानवादियों के मत में अलंकार विमर्श : रुद्रट के विशेष सन्दर्भ में

गरिमा यादव
संस्कृत विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
प्रयागराज,उत्तर प्रदेश,भारत।

Article Info
Volume 3 Issue 3
Page Number : 139-143

Publication Issue :
May-June-2020

Article History
Accepted : 20 June 2020
Published : 30 June 2020

काव्य–सौन्दर्य की परख करने वाले शास्त्र का नाम 'काव्यशास्त्र' है। काव्यशास्त्र के प्रारम्भिक युग में इसके लिए मुख्य रूप से 'काव्यालंकार' शब्द का प्रयोग होता था। भामह का कारिका–रूप में लिखा हुआ काव्यशास्त्र का आदि ग्रन्थ 'काव्यालंकार' नाम से ही प्रसिद्ध है। उद्भट ने भी अपने ग्रन्थ का नाम 'काव्यालंकारसारसंग्रह' रखा है। रुद्रट के काव्यशास्त्र विषयक ग्रन्थ का नाम भी 'काव्यालंकार' है। वामन ने **''सौन्दर्यमलंकारः''**[1] सूत्र लिखकर अलंकार शब्द का सौन्दर्यपरक प्रतिपादन किया है। अन्य सब आचार्यों ने भी काव्य के सौन्दर्याधायक धर्मों को अलंकार नाम से व्यवहृत किया है। **''काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते''**[2] आदि वचन भी इसी मत की पुष्टि करते हैं।

बाद में इस शास्त्र के लिए 'काव्यालंकार' के बजाय केवल 'अलंकारशास्त्र' नाम का ही प्रयोग पाया जाता है। 'प्रतापरुद्रीय' की टीका में 'अलंकारशास्त्र' नाम के प्रतिपादन के लिए 'छत्रिन्याय' का अवलम्बन किया गया है, यद्यपि **'रसालङ्काराद्यनेकविषयमिदं शास्त्रं तथापि छत्रिन्यायेन अलंकार शास्त्रमुच्यते'**[3]। इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि इस शास्त्र में रस, गुण, दोष, अलंकार आदि अनेक विषयों का विवेचन किया गया है तथापि छत्रिन्याय से उसे केवल 'अलंकारशास्त्र' कहा जाता है।

ग्यारहवीं शताब्दी में 'सरस्वतीकण्ठाभरण' के रचयिता भोजदेव ने मुख्य रूप से इस शास्त्र के लिए 'काव्यशास्त्र' पद का प्रयोग किया है परन्तु उन्होंने शास्त्र शब्द की विधि निषेधपरक **'शासनात् शास्त्रं'** इस पहली व्युत्पत्ति को लेकर ही शास्त्र शब्द का प्रयोग माना है। उन्होंने लिखा है

''यदविधौ च निषेधे च व्युत्पत्तेरेव कारणं ।
तदध्येयं विदुस्तेन लोकयात्रा प्रवर्तते ।।''[4]

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

अर्थात् विधि या निषेध का ज्ञान कराने वाला या शासन करने वाला 'शास्त्र' है उसका अध्ययन करना चाहिए क्योंकि उसी से लोकव्यवहार का संचालन होता है।

काव्यशास्त्र के लिए (1) काव्यालङ्कार (2) काव्यशास्त्र (3) अलंकारशास्त्र (4) साहित्यशास्त्र (5) क्रियाकल्प, इन पाँच नामों का प्रयोग होता रहा है। भामह, उद्भट, रुद्रट, वामन और कुन्तक ने इनमें 'काव्यालङ्कार' शब्द को अधिक पसन्द किया है इसलिए अपने ग्रन्थों का नाम काव्यालङ्कार रखा है।

संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में रुद्रट प्रणीत काव्यालङ्कार यद्यपि भरत, भामह, दण्डी, वामन, कुन्तक, आनन्दवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ के ग्रन्थों के समान अत्यन्त प्रख्यात तो नहीं है तथापि ध्वनिपूर्ववर्ती आचार्यों और ध्वनिप्रर्वतक आनन्दवर्धन के ग्रन्थों के बीच एक अनिवार्य कड़ी के रूप में विद्यमान यह ग्रन्थ अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है।

आचार्य रुद्रट का समय वामन के बाद का है। इनका दूसरा नाम शतानन्द था किन्तु वह नाम अधिक प्रसिद्ध नहीं है। इनकी प्रसिद्धि रुद्रट नाम से ही है। इनके पिता का नाम वामुकभट्ट था। इनके नाम से ही प्रतीत होता है कि ये कश्मीरी थे। प्रस्तुत ग्रन्थ के टीकाकार नमिसाधु ने पंचम अध्याय के **'चित्रकाव्य–प्रकरण'** में आचार्य रुद्रट के वंश का परिचय इस प्रकार उल्लिखित किया है

अत्र च चक्रे स्वनामाङ्कभूतोऽयं श्लोकः कविनान्तर्भावितो यथा–

'शतानन्दपराख्येन भट्टवामुकसूनुना।

साधितं रुद्रटेनेदं समाजा धीमतां हितम्।।"[5]

इनके मत का उल्लेख धनिक, मम्मट, प्रतीहारेन्दुराज, राजशेखर आदि अनेक आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में किया है। किन्तु इनमें सबसे पूर्ववर्ती उल्लेख राजशेखर द्वारा किया गया है। राजशेखर ने 'काव्यामीमांसा' में **'काकुवक्रोक्तिर्नाम शब्दालङ्कारोऽयमिति रुद्रटः'**[6] लिखकर रुद्रट के मत का उल्लेख किया है। राजशेखर का काल 920 ई0 के लगभग माना जाता है। इसलिए रुद्रट का काल उनके पूर्व नवम् शताब्दी में 850 ई0 के लगभग पड़ता है।

रुद्रट की मनोवैज्ञानिकता तथा स्पष्टवादिता का परिचय उनके द्वारा निषिद्ध प्रसंगो के सम्बन्ध में दिये गये श्लोक से हो जाता है–

दारिद्रयव्याधिजराशीतोष्णाद्युद्भवानि दुःखानि।

बीभत्सं च विदग्ध्यादन्यत्र न भारताद्वर्षात्।।[7]

वर्षेष्वन्येषु यतो मणिकनकमयी मही हितं सुलभम्।

विगताधित्याधिजराद्वन्द्वा लक्षायुशो लोकाः ।।[8]

इन पद्यों में रुद्रट ने अपने युग के प्रति सजगता तथा भावुकता से दूर हटकर अन्य कवियों के असमान भारत की वास्तविक दशा का वर्णन किया है। इन चारों पद्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई दशम शती का व्यक्ति नहीं अपितु आज का ही व्यक्ति प्राचीन प्रसिद्ध आख्यानों, को केवल कथानक मात्र समझाते हुए उन्हें उसी रूप में वर्णित करने और भारत की अधुनातम अवस्था का चित्रण वास्तविक रूप में ही करने का परामर्श दे रहा हो।

काव्यालङ्कार में 16 अध्याय है जिसमें कुल 734 पद्य हैं। बारहवें अध्याय के 40 वें पद्य के उपरान्त 14 पद्य प्रक्षिप्त माने जाते हैं यदि उनको भी सम्मिलित किया जाए तो यह पद्य–संख्या 748 हो जाती है।[9] इनमें 495 कारिकाएं हैं और शेष 253 उदाहरण हैं।

प्रथम अध्याय में 22 पद्य हैं। इसमें मंगलाचरण में गणेश एवं गौरी के स्तवन के उपरान्त काव्यप्रयोजन और काव्य हेतु का निरूपण किया गया है और कविमहिमा की चर्चा की गई है। द्वितीय अध्याय में काव्यलक्षण, रीतियों तथा शब्दालंकारों का निरूपण किया गया है। तृतीय अध्याय में शब्दालंकारों का निरुपण है तथा चतुर्थ और पंचम अध्याय में भी यमक, श्लेष तथा चित्र नामक शब्दालंकारों का ही निरूपण है।

षष्ठ अध्याय में दोष–प्रकरण निरूपित हुआ है। सप्तम अध्याय में अर्थालंकारों का निरूपण किया गया है तथा अष्टम अध्याय में औपम्यगत और नवम अध्याय में अतिशयगत अलंकारों का निरूपण किया गया है।

दशम अध्याय में अर्थश्लेष के दस भेदों के लक्षणोदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। एकादश अध्याय में 9 अर्थदोषों का निरूपण है, द्वादश से लेकर चतुर्दश अध्यायों में श्रृंगार रस तथा उसके अन्तर्गत नायक–नायिका–भेद का निरूपण किया गया है।

पंचदश अध्याय में श्रृंगारेतर नौ रसों का वर्णन है, इनमें शान्त रस के अतिरिक्त प्रेयान् रस भी सम्मिलित है। षोडश अध्याय में विभिन्न काव्यभेदों की चर्चा है और अन्त में भवानी, मुरारि और गणेश का स्तवन किया गया है।

इस प्रकार इस ग्रन्थ में प्रायः सभी प्रचलित काव्यांगों को स्थान मिला है। कलेवर की दृष्टि से ग्रन्थ का बहुभाग अलंकारों को समर्पित हुआ है।

अलंकार प्रकरण–

भामह के 'काव्यालङ्कार' के व्याख्याकारों में भामह–विवरण निर्माता उद्भट, दण्डी तथा रुद्रट का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अलङ्कारसम्प्रदायवादी काव्य में अलंकारों को ही प्रधान मानते हैं और इसका अन्तर्भाव रसवदलंकारो में करते हैं। भामह और दण्डी दोनों ने रसवदलंकारों के भीतर ही रस का अन्तर्भाव किया है–

'रसवद्दर्शितस्पष्टश्रृङ्गारादिरसं यथा।'[10]–भामह

'मधुरे रसवद्वचि वस्तून्यपि रसस्थितिः।'[11] –दण्डी

रुद्रट का 'काव्यालङ्कार ग्रन्थ आर्या छन्द में लिखा गया है। ग्रन्थ 15 अध्यायों में विभक्त है जिनमें से 11 अध्यायों में अलंकारों का वर्णन है। अलङ्कारों के विवेचन में इनका नवीन दृष्टिकोंण यह है कि, इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर अलङ्कारों का विभाजन करने का प्रयत्न किया है। वास्तव, औपम्य, अतिशय तथा श्लेष इन चार को इन्होंने अलङ्कारों का विभाजक तत्व माना है और इसी के आधार पर अलङ्कारों को चार भागों में विभक्त किया है। रुद्रट ने अलङ्कार के क्षेत्र में 1. मत 2. साम्य 3. पिहित और 4. भाव नाम के चार बिल्कुल नवीन अलङ्कारों की कल्पना की है जिनका उल्लेख प्राचीन और नवीन किन्हीं ग्रन्थों में नहीं मिलता है। कुछ प्राचीन अलङ्कारों का इन्होंने नवीन रुप में नामकरण किया है। जैसे भामह आदि के व्याजस्तुति के लिए इन्होंने **'व्याजश्लेष'** शब्द का प्रयोग किया है।[12]

रुद्रट ने प्रस्तुत शब्दालङ्कारों में वक्रोक्ति अलंकार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है। विशेष बात यह है कि वक्रोक्ति को अलंकार रुप में सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रस्तुत किया है। यमक, श्लेष तथा चित्र अलंकारों के भेदोपभेदों का उल्लेख यद्यपि रुद्रट से पूर्व भामह तथा दण्डी द्वारा प्रतिपादित किया जा चुका था, किन्तु रुद्रट ने इनके नवीन उपभेदों का समावेश किया तथा सभी भेदों को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक व्यवस्थित, विशद तथा स्पष्ट रुप में प्रस्तुत किया।

प्रतिपादन शैली के अतिरिक्त उदाहरणों की दृष्टि से भी ये प्रसंग सर्वप्रथम स्पष्ट रीति में निरूपित हुए हैं और परवर्ती आचार्यों में भोजराज तथा विश्वनाथ के ग्रन्थों में जो एतद्विषयक स्वच्छता है उसमें रुद्रट का साक्षात् अथवा प्रकारान्तर से योगदान स्वीकार किया जा सकता है।

रुद्रट ने 57 अर्थालंकारों का निरूपण किया है, इनमें से केवल 26 अलंकार भामह, दण्डी आदि द्वारा निरुपित हो चुके थे। शेष 31 अलंकारों की आविष्कृति का श्रेय रुद्रट को है या नहीं? निस्सन्देह इतना विशाल कृतित्व सामान्यतः एक व्यक्ति द्वारा सम्भव नहीं है। सम्भवतः रुद्रट ने काव्यशास्त्रीय विषयों पर विचार विमर्श करने वाले आचार्यवर्ग की विचारधारा से प्रभावित होकर अलंकारों का इस प्रकार वर्गीकरण किया। सभी नवीन अलंकारों को तथा वर्गीकरण को एक ग्रन्थ के माध्यम से सर्वप्रथम काव्यशास्त्रीय जगत के समक्ष प्रस्तुत करने का श्रेय निःसंदेह रुद्रट को ही दिया जा सकता है जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्तुत्य एवं उपादेय प्रयास है तथा काव्यशास्त्र के अध्येता के लिए अनिवार्यतः अध्येतव्य विषय है।

अर्थालङ्कार को चार वर्गों में विभक्त किया गया है—वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। वास्तवमूलक अलंकारों की संख्या 23 और औपम्यमूलक अलंकारों की संख्या 21, अतिशयमूलक अलंकारों की संख्या 12 और श्लेषमूलक अलंकारों की संख्या 1 है।[13] इस प्रकार कुल 57 अर्थालंकारों को इस ग्रन्थ में स्थान मिला है।

इस प्रकार रुद्रट के ग्रन्थ के सम्यक् अध्ययन से यह स्पष्टतः लक्षित होता है कि वे अपने से पूर्ववर्ती किसी भी प्रख्यात काव्याचार्य अर्थात् आचार्य भरत, भामह, दण्डी तथा उद्भट्ट से प्रभावित नहीं थे।

इनके ग्रन्थ के अवलोकन से कुछ इस प्रकार के आभास मिल जाते हैं कि अब अलंकारवादी एवं रीतिवादी सिद्धान्त परम्परा समाप्त हो चुकी है तथा किसी ऐसे सिद्धान्त का प्रतिस्फुटन होने जा रहा है जो काव्य का बाह्यपरक तत्व न होकर आन्तरिक तत्व है—हमारा संकेत ध्वनि—सिद्धान्त की ओर है। इस दृष्टि से रुद्रट एक ओर अलंकारवादी तथा रीतिवादी आचार्य और दूसरी ओर ध्वनिवादी आचार्य आनन्दवर्धन के बीच एक श्रृंखला का कार्य करते हैं।

निष्कर्षतः रुद्रट ध्वनिपूर्ववर्ती आचार्यों तथा ध्वनिवादी आचार्य आनन्दवर्धन एवं उनके अनुयायियों के बीच एक अनिवार्य कड़ी के रूप में विद्यमान एक सफल संग्रहकर्ता आचार्य हैं।

संदर्भ—सूची

1. काव्यालङ्कारसूत्र— 1—2
2. काव्यादर्श— 2—1
3. प्रतापरुद्रीय टीका— पृ0 3
4. सरस्वीकण्ठाभरण— 2—138

5. काव्यालङ्कार, रुद्रटकृत, पंचम अध्याय– 12–14 की टीका
6. काव्यमीमांसा, सप्तम अध्याय–पृ0 31
7. काव्यालङ्कार, रुद्रटकृत– 1/1
8. काव्यालङ्कार ग्रन्थ समाप्ति सूचक टिप्पणी
9. काव्यालङ्कार, रुद्रटकृत– सप्तम अध्याय
10 काव्यालङ्कार, भामहकृत– 3–6
11. काव्यादर्श, दण्डीकृत– 3–51
12. काव्यालङ्कार भामहकृत– 10–11
13. काव्यालङ्कार रुद्रटकृत– सप्तम अध्याय

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

कवि केदारनाथ सिंह की काव्यभाषा का विश्लेषण

अनुसुइया मिश्रा'
शोधार्थी, हिन्दी,
का.सु.साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या,
उत्तर प्रदेश,भारत।

डॉ. अनुराग मिश्र
एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी–विभाग,
का.सु.साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या,
उत्तर प्रदेश,भारत।

Article Info

Volume 3 Issue 3

Page Number : 144-151

Publication Issue :

May-June-2020

Article History

Accepted : 10 June 2020

Published : 20 June 2020

शोधसार : तीसरा सप्तक से प्रारम्भ होकर समकालीन कविता तक की अंतर्यात्रा में केदारनाथ सिंह हर पड़ाव के महत्त्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें नागार्जुन के बाद हिन्दी कविता का सबसे लोकप्रिय कवि माना जाता है जो यह सिद्ध करता है कि कविता की क्लासिकी परम्परा से लेकर आधुनिकता व लोकजीवन की बहुवर्णी रंगतें उनकी कविता की संरचना के भीतर कितने गहरे तक मौजूद हैं। समाज, लोकजीवन, राजनीति, सांप्रदायिकता, संस्कृतिबोध और देशज जीवन के अनगिनत पक्ष उनकी कविताओं में उभरते हैं और एक अर्थपूर्ण उपस्थिति में बदल जाते हैं। अपने समग्र काव्य–चिन्तन में केदार जी ने भाषा को सर्वाधिक महत्त्व दिया है। भाषा का सौंदर्य, उसकी बिम्बात्मकता, व्यंजनात्मक स्वभाव, स्मृतिराग और शब्दों का सधा– संतुलित प्रयोग उनके काव्य की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं के अंतर्गत आता है। वह अनुभूति और सम्प्रेषण दोनों को महत्त्व देते हैं। समकालीन हिन्दी कविता की विशेषताओं को केदार जी की कविताओं पर विचार किये बिना नहीं समझा जा सकता।

बीजशब्द : तीसरा सप्तक, नयी कविता, समकालीनता, बिम्बधर्मिता, सम्प्रेषणात्मकता, देशज व लोकजीवन।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

भाषा को भाव व विचारों के आदान–प्रदान का प्रमुख साधन कहा जाता है। किसी विचारक का कथन है कि – भाषा मानवीय विचारों और भावों का सर्वाधिक सहज–सरल एवं सशक्त माध्यम है। भाषा एक स्वतःस्फूर्त प्रतीक–योजना द्वारा विचारों, भावावेगों तथा इच्छाओं के सम्प्रेषण का एक विशुद्ध मानवीय आयासजन्य माध्यम है। काव्य–भाषा में कवि अपनी संवेदनाओं, भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए 'शब्द' में परिवर्तन कर सकता है। काव्यभाषा में एक सामान्य शब्द विशेष अर्थ का परिचायक होता है। समय के साथ काव्य–भाषा के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है।

केदारनाथ सिंह को भाषा का जादूगर कहा जाता है। उनके लिए भाषा का सवाल एक अहम सवाल है उतना ही अहम जितना कि मनुष्य। वे कहते हैं – ''भाषा का सवाल एक बड़ा सवाल है और यदि मैं कहूँ तो एक कवि के लिए वह जीवन–मरण का सवाल है। मैं भाषा को लोगों की जबान पर लाने की कोशिश करता हूँ और साथ यह भी कोशिश करता हूँ कि हिन्दी का जो अपना खास मिजाज है, उससे छेड़छाड़ न की जाए। एक चीज की ओर मेरा ध्यान बराबर रहा है कि शब्दों को उनकी जड़ों से ही लाया जाए। जड़ों से मेरा मतलब जीवन के उन स्रोतों से है, जहाँ से शब्द नया अर्थ ग्रहण करते हैं। यहाँ यह कहना जरूरी समझता हूँ कि मेरे निकट शब्द अपने आप से महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि वे अपने पूरे विन्यास में रच–खपकर ही अर्थवान होते हैं। समकालीन हिन्दी कविता की भाषा में जो कई बार एक अनुवादपन की गन्ध आती है, मैं उसे अस्वास्थ्यकर मानता हूँ। यह देखकर मुझे अच्छा लगता है कि नए उभरते हुए और खासतौर से ऐसे रचनाकार जो हिन्दी के अलग–अलग क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं, उनमें भाषा के इस खतरे के प्रति एक चुपचाप सजगता और सक्रियता दिखलाई पड़ती है।''[1]

केदार जी की कविताओं को पढ़ते समय पाठक की संवेदना सीधे कविता से जुड़ जाती है। उनमें वह अपनी ही भावानुभूति का अनुभव करता है और यही कविता की सफल सम्प्रेष्णीयता मानी जाती है। कवि के काव्य में यह विशेषता उसके भाषिक कौशल के कारण दृष्टिगत होती है वे कहते हैं – भाषा की पटरी के बिना कविता की रेलगाड़ी दौड़ ही नहीं सकती।

केदार जी की आरम्भ की कविताओं में लोक रंग की छटा के दर्शन होते हैं–

''एक दिया वहाँ
जहाँ अभी–अभी
नए चावल का गन्ध भरा पानी फैला है
एक दिया उस घर में
जहाँ नई फसलों की गन्ध छटपटाती है
एक दिया उस जंगले पर –

जिससे दूर नदी की नावें अक्सर दिख जाती हैं।''[2]

उनकी कविताओं में संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग बखूबी देखने को मिलता है –

''क्या लिखा है उस सुनहले पत्र में –
जो तुम्हारी ग्रीवा बंधा है !
पर रुको तो,
भूलता हूँ मैं कि मैंने कब, कहाँ, किस सिन्धु तट पर
तुम्हें छोड़ा था
कब दिये थे पंख ये तुमको ?''[3]

यूँ तो उनकी कविताओं के शब्द साधारण से प्रतीत होते हैं परन्तु उसके आशय अत्यन्त गहरे। उनकी काव्य–भाषा अज्ञेय की काव्य–भाषा से प्रभावित है। 'नए वर्ष के प्रति' कविता का एक उदाहरण इस बात की पुष्टि करता है –

''अनछुए तट
याकि रास्तों के नए भटकाव
धूप गन्धी पंख चिड़ियों के
कि टूटे आंधियों के पाँव !
लाओगे ! क्या लाओगे !''[4]

कवि की भाषा में नई संवेदना व नई चमक दिखाई देती है। उनकी भाषा केवल अर्थ को व्यक्त नहीं करती अपितु वस्तु और स्थिति को भी प्रकट करती है। वे भाषा को नई गत्यात्मकता प्रदान करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि गत्यात्मकता परिवर्तन की साक्षी है–

''मुझे आदमी एक सड़क पार करना
हमेशा अच्छा लगता है
क्योंकि इस तरह
एक उम्मीद–सी होती है
कि दुनिया जो इस तरफ है
शायद उससे कुछ बेहतर हो
सड़क के उस तरफ।''[5]

केदार जी एक सजग कवि होने के कारण भाषा के प्रति सदैव सचेत रहते हैं। भाषा शुरू से ही उनके लिए एक खास समस्या रही है। वे कहते हैं – ''सामाजिक विकास के साथ–साथ हमने भाषा का जो ढर्रा

विकसित कर लिया है, उसकी इस कठोर, सफलताकामी और अर्थकामी संसार में अलग–अलग व्यक्ति के नितान्त अपने जीवन को समझने और समझाने की शक्ति क्षीण होती गई है। 'जिल्दाना कहाँ है' – इसी चिन्ता के वशीभूत लिखी गई अत्यन्त ही सशक्त कविता है जिसमें कवि को सपने में जिल्दाना नामक एक अनजान जगह दिखलाई पड़ती है। उसमें उसे पत्थर के बाजे पर समुद्री धुन बजाता एक परेशान कवि दिखाई देता है। वे लिखते हैं –

> ''मुझे मिलना ही होगा
> उस दढ़ियल कवि से
> जानना ही होगा उसकी भाषा का दुख
> उसकी लय के झटके
> उसकी चुप्पी की चीर–फाड़।''[6]

कवि को भोजपुरी से अत्यधिक लगाव था, जिसके कारण उनकी कविताओं में भोजपुरी शब्दों की भरमार है। इन शब्दों से काव्य में गीतात्मकता व कोमलता का भाव उत्पन्न होता है साथ ही देशज संवेदना की झलक भी दृष्टिगोचर होती है –

> ''छोटे से आँगन में
> माँ ने लगाए हैं
> तुलसी के बिरवे दो
> पिता ने उगाया है
> बरगद छतनार।''[7]

बाद के संग्रहों में धीरे–धीरे कवि की भाषा में कोमलता के स्थान पर कठोरता एवं परुषता की झलक दिखाई देने लगी। इसका कारण यथार्थता को प्रस्तुत करना था। 'रोटी' कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है –

> ''वह आगे बढ़ रही है
> धीरे–धीरे
> झपट्टा मारने को तैयार
> वह आगे बढ़ रही है
> उसकी गरमाहट पहुँच रही है आदमी की नींद
> और विचारों तक''।[8]

केदार जी भाषा की विश्वसनीयता एवं सम्प्रेषणीयता को विशेष महत्व देते हैं। नई कविता के जन्म के साथ भावों के सम्प्रेषण की समस्या सामने आई। वे कहते हैं –''कई बार हम अपनी सारी भाषा की अर्जित क्षमता के बावजूद पाते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें कहनी थी, वहीं नहीं कह पाए। भाषा सम्बन्धी प्रयोग, संप्रेषण की प्रक्रिया का बड़ा ही जटिल स्वरूप है, यह कई बार परेशान करता है आदमी को, और मेरा ख्याल है कि यह आधुनिक मनुष्य को ज्यादा ही परेशान करता है।''[9]

कवि की कविताओं में चुप्पियाँ बहुत कुछ कहती हैं। ''वे जानते हैं कि लोग कई बार चुप हो जाते हैं जिन्हें भाषा आती है और वे चुप्पी की तह में जाना चाहते हैं। –

वे क्यों चुप–चुप हैं जिनको आती है भाषा

वह क्या है जो दिखता है धुआँ–धुआँ सा।[10]

'उत्तर कबीर और अन्य कविताएँ' काव्य–संग्रह में संगृहीत 'कुछ टुकड़े' कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है –

''अकेली चुप्पी
भयानक चीज है
जैसे हवा में गैंडे का
अकेला सींग
पर यदि दो लोग चुप हों
पास–पास बैठे हुए
तो उतनी देर
भाषा के गर्भ में
चुपचाप बनती रहती है
एक और भाषा''[11]

कवि की भाषा में दुरूहता व रूखेपन के लिए कोई स्थान नहीं है। भाषा में आकर्षण है जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती है। ''केदार जी की काव्य–भाषा उदय प्रकाश की कहानियों की भाषा की भाँति एक अजीब सम्मोहन में बांध लेती है। भाषा में प्रश्नानुकूलता तथा कथन–भंगिमा केदारनाथ सिंह की निजी और अनूठी विशेषता कही जा सकती है। भाषा का यह विलक्षण प्रयोग चमत्कार नहीं अपितु संश्लिष्ट शब्द–चित्र और भाव–लोक का निर्माण करता है। कविता प्रश्न–प्रतिप्रश्न करती हुई कौतूहल और जिज्ञासा के एक ऐसे परिदृश्य का निर्माण करती है जो पाठक की अनुभूति–जगत से सीधे जुड़ जाता है।''[12]

'अकाल में सारस' काव्य–संग्रह में काव्य–भाषा अत्यन्त संवेदनशील एवं सक्रिय दिखाई पड़ती है। इस संग्रह की पहली कविता 'मातृभाषा' है। इस कविता के माध्यम से कवि की न केवल मातृभाषा के प्रति आस्था का भाव दिखाई देता है बल्कि इस संवेदन–शून्य होते संसार में रागात्मक ऊष्मा के संचार की भावना भी दिखाई देती है। कवि अरुण कमल 'अकाल में सारस' की काव्य–भाषा के विषय में कहते हैं – ''केदारनाथ सिंह ने भाषा के अनेक स्तरों को पकड़ा है शब्दों के अनेकानेक चेहरों और रंगों को पहचाना है और अन्त में जब कवि को पाँच–छह सुन्दर शब्द घेर लेते हैं तो रक्षा के लिए आता है खून से लथपथ एक मामूली शब्द ('ठंड से नहीं मरते शब्द')। यह शब्द नयी, भिन्न प्रकार की जीवन–स्थिति का प्रतिनिधि है। नयी जीवन–स्थितियाँ नयी भाषा भी साथ लाती हैं। यह आकस्मिक नहीं है कि केदार जी का यह संग्रह उन्हीं के पिछले संग्रहों के मुकाबले ज्यादा साफ और सरल है – यह अलग बात है कि सरल रेखा जैसी कोई चीज नहीं होती।''[13]

केदार जी का कहना है कि सभी वस्तुओं एवं प्राणियों की अपनी अपनी भाषाएँ होती हैं और सभी उन्हीं के अनुसार अपनी बात कहते हैं बस उन्हें सुनना आना चाहिए –

''और पत्थर के भी होंठ होते हैं
बालू के भी
राख के भी
पृथ्वी तो यहाँ से वहाँ तक
होंठ ही होंठ है।''[14]

केदार जी इस बात पर सदैव विचार करते हैं कि जिन बातों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से न हो सके, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। और वे ऐसी वर्णमाला की रचना करना चाहते हैं जिनसे उन भावों की अभिव्यक्ति हो सके। साथ ही वह यह भी जानना चाहते है कि वर्णमाला के अक्षरों की रचना किसने की होगी–

''किसने बनाये
वर्णमाला के अक्षर
ये काले–काले अक्षर
भूरे–भूरे अक्षर
किसने बनाये
खड़िया ने
चिड़िया के पंख ने

दीमकों ने

ब्लैक बोर्ड ने

किसने

आखिर किसने बनाये

वर्णमाला के अक्षर।''[15]

'उत्तर कबीर और अन्य कविताएँ' संग्रह में केदार जी की भाषा में पारदर्शिता दिखाई देती है। उनकी भाषा में कुछ भी अग्राह्य नहीं है। नागर एवं ग्रामीण इन दो संस्कृतियों की आवाजाही शब्दों के संयोजन के ताव का आख्यान, यह काव्य–भाषा का नया तेवर है। आलोचक ''नामवर सिंह ने इस संग्रह में केदार जी द्वारा प्रयुक्त शब्द 'धारोंष्ण' के बहाने यह बताया है कि वे शब्दों को मूल स्रोत से जीवंतता के साथ ग्रहण करते हैं।''[16]

काव्यभाषा के मुद्दे पर केदारनाथ सिंह खास तौर पर चौकन्ने हैं और हों भी क्यों नहीं जब कि भाषा को लेकर उनका रुख एकदम स्पष्ट हो, बकौल कवि, ''भाषा के सूत्र पकड़ने के लिए शब्द महत्वपूर्ण हो उठते हैं। कविता शब्दबद्ध है, शब्द से पहले कविता नहीं है और शब्द में जो उतरकर आता है वह जरूरी नहीं कि हमारे मनोवेग का हिस्सा हो। भाषा केवल माध्यम नहीं है और सजावट की वस्तु तो बिल्कुल नही, इसलिए पूरी प्रक्रिया में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा बाहर यानी समाज की ओर से आती है, जिसे हम अपने साँचे में ढालने की कोशिश करते हैं। जब भाषा आती है तो बहुत कुछ लेकर आती है और जो चीज लेकर आती है उसका उस समुदाय से गहरा रिश्ता होता है जिसके द्वारा वह ली जाती है – आखिर भाषा स्मृतियों का पुंज है और विलक्षण यह है कि स्मृतियाँ पुरानी से पुरानी और एकदम ताजा भाषा में घुली–मिली होती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि किसी रचना की प्रक्रिया की पड़ताल वस्तुतः वह जिस तरह से भाषा में ढली है, उसकी पड़ताल है।''[17]

किसी कविता की लोकप्रियता के लिए जितना भाव–पक्ष महत्वपूर्ण है उतना ही शिल्प–पक्ष। काव्य के शिल्प से तात्पर्य कविता की भाषा, बिंब, प्रतीक, छंद, अलंकार इत्यादि सभी तत्वों से है। एक श्रेष्ठ कविता में कवि इन सभी तत्वों के उचित समाहार का पूर्ण ध्यान रखता है। काव्य–शिल्प के सम्बन्ध में डॉ. प्रकाश चन्द्र भट्ट लिखते हैं –''कविता में शिल्प का विशेष महत्व होता है। कवि कविता में शब्दों के रख–रखाव, सजावट तथा वाक्य–निर्माण द्वारा जो कारीगरी करता है वही शिल्प होता है। शिल्प का संबंध पूरी तरह कला से है। भाव, अनुभूति, संवेदना, विचार आदि का शिल्पन कर कविता का शृंगार करता है। काव्य को कला और शिल्प की कसौटी पर परख कर उसकी श्रेष्ठता की जाँच की जाती है। शिल्प के माध्यम से कवि अपनी अभिव्यक्ति को प्रखर बनाता है और कविता को एक रूप देता है।''[18]

केदार जी की कविताओं में अपनी शिल्पगत विशेषता है। उनकी कविता की पहली पंक्ति में जो लम्बी पृष्ठभूमि होती है वह अन्त में भी दिखाई देती है, जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती है। कवि की काव्य–कला इतनी बेजोड़ है कि कविताएँ सीधे हृदय में उतर जाती हैं। उनके काव्य में भाषा, बिंब, प्रतीक, छंद, अलंकारों का जो ताल–मेल है वह केदार जी की कविताओं को अनुपम स्वरूप प्रदान करता है।

सन्दर्भ ग्रंथ :

1. मेरे साक्षात्कार, संपादक केदारनाथ सिंह, किताबघर प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 166
2. अभी बिल्कुल अभी, केदारनाथ सिंह, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 50
3. अभी बिल्कुल अभी, केदारनाथ सिंह, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 39
4. अभी बिल्कुल अभी, केदारनाथ सिंह, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 64
5. मिट्टी की रोशनी, (सं.) अनिल त्रिपाठी, शिल्पायन प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 70
6. मिट्टी की रोशनी, (सं.) अनिल त्रिपाठी, शिल्पायन प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 117
7. अभी बिल्कुल अभी, केदारनाथ सिंह, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 26
8. जमीन पक रही है, केदारनाथ सिंह, प्रकाशन संस्थान, दिल्ली, पृ. 24
9. मेरे साक्षात्कार, संपादक केदारनाथ सिंह, किताबघर प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 61
10. यहाँ से देखो, केदारनाथ सिंह, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 37
11. उत्तर कबीर और अन्य कविताएँ, केदारनाथ सिंह, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 98
12. मिट्टी की रोशनी, अनिल त्रिपाठी, शिल्पायन प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 173
13. केदारनाथ सिंह और उनका समय, निरंजन सहाय, शिल्पायन पब्लिशर्स, दिल्ली, पृ. 230
14. अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 24
15. अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 12
16. केदारनाथ सिंह और उनका समय, निरंजन सहाय, शिल्पायन पब्लिशर्स, दिल्ली, पृ. 230
17. मेरे साक्षात्कार, संपादक केदारनाथ सिंह, किताबघर प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 68
18. नागार्जुन : जीवन और साहित्य, डॉ. प्रकाशचन्द्र भट्ट, पृ. 113

The Latin Tradition in English Literature

Dr. Raghuvansh Mani Tripathi
Associate Professor, Department of English, Shiv Harsh Kisan PG College, Basti, U.P., India

Article Info
Volume 3 Issue 3
Page Number : 152-155

Publication Issue :
May-June-2020

Article History
Accepted : 20 June 2020
Published : 30 June 2020

Abstract
The Latin language was the most influential language in Europe during the middle ages. As a language of scholars and Church, it was prominent among the reading public in England. English literature remained under the impact of the language for a long time. This article traces the Latin tradition in English literature from the Anglo-Saxon period to the beginning of the Modern Age. It also underlines the contribution of this tradition in the development of English literature.
Keywords :- Latin Tradition, Latin Language, Philosophy, Christianity, English Literature, Anglo-Saxon

Latin language and literature has remained a long lasting and powerful force in the European literature from the very beginning of the middle ages. The reason for this influence was the spread of the Roman Empire and Christianity. Not only in literature, but its great impact was felt on the European political history too. In the most of the Europe Latin remained the language of scholars for a long time. Church, the symbol of power in the mediaeval period, also used Latin as its language. The influence of Latin was so great that it existed as a cultural continuity in the European history and acquired the form of a great tradition. A big part of the literature written during the Anglo-Saxon period is in Latin. [1] Thus, the impact of Latin on English literature is seen from the very beginning of its history.

It was in the year 597 that Augustine came from Rome to England to teach Christianity. The revered man of charismatic personality landed in Kent and got soon 10,000 people converted into Christianity. The commonality of that time was not familiar with the Latin language. Therefore, the evangelizing had to be done in vernacular. It was in the same period that monks came from Ireland with Christian message. Thus, started the Latin tradition in English, one of the longest traditions in the literature.

Venerable Bade [672-735] was the great Christian Latinist before the Norman Conquest. The great **Ecclesiastical History of English Race** which he wrote in the monastery of Jarrow, has remained an oft quoted book by the historians. There is no period in the history of English Church in which Bede is antiquated. In every generation he speaks familiarity. The seventeenth century is less intelligible to the eighteenth, the eighteenth century more in opposition to the nineteenth than Bede to any of them. His good sense is everywhere at home. [2] Latin remained the language of Christendom until the Reformation. At the same

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

time, it existed as the language of reading and contemplation in later centuries of many ecclesiastics, including the protestant belief.

In the works of King Alfred, [848-899], the most remarkable of all English Kings, the influence of English and the importance of Latin appears. He had to face the invasion of Danes, the ruining of towns, villages, and churches by pillaging. No other king of the Dark Ages ever set himself like Alfred, to explore whatever in the literature of the Christian antiquity, might explain the problems of fate and free will, the divine purpose of the world and the ways by which a man comes to knowledge.[3] Alfred was helped by learned associates in his translations from Latin. The King had to develop English into a prose instrument because of some practical political motives too. He wanted to revive scholarship among the priests to lead them back from his English translation to Latin. Alfred was not thinking of the English language replacing Latin. It is obvious by his writings that he accepted the superiority of the foreign tongue as the lingua franca of England. The admiration was reserved for Latin scholarship of the period in the country. The aim of his translations was that he wanted his works to be the basis from which men could be led back to Latin, and this actually happened in the generation after his death. So Alfred's triumph in the vernacular remains an isolated and unintended incident. But beyond doubt, Anglo-Saxon chronicle inspired by him is a contemporary history of England, with vivid and authentic description of struggles against the Danes.

The continuity of the Latin tradition is obvious in the writings of the 15th and the 16th century prose authors. The greater influence of Latin was on the secular thought and writings of English literature that was produced in the age of Renaissance. Even in the late sixteenth century, Francis Bacon [1561-1626], who was himself a master of English, was anxious to translate his more important works into Latin. He thought that he could secure permanence of his works in that way alone. He was afraid that English would be bankrupt in the future. In the early centuries much of the Latin writing seems to be of unexciting character from the point of view of literature. It consists of books of instruction, philosophy and history. Yet the strength of the Latin tradition can be seen in the popularity and in the survival through the centuries of a volume such as Boethius's **Consolation of Philosophy**.

Boethius [470-525] was a Roman. His work **Consolation of Philosophy** was circulated in England in the Latin original. It was translated into English by King Alfred. The popularity of the Latin version of the book caught the attention of Geoffrey Chaucer in the 14th century, and he made it a point to translate it again. The force and power of the book was also felt in the 16th century and, as a result, the third translation appeared in the time of Queen Elizabeth. This book remained an example of consistent popularity in the flux of literary history of England. It is conspicuous that this book remained popular among the scholars over a period of seven hundred years.

The fact remains that the craze of the book of Boethius continued in the eighteenth and the nineteenth centuries. The reprint of Chaucer's translation of the book by William Morris shows that the book was a part of the readings of curious readers and scholars of the nineteenth century. Morris wrote in the preface of the reprint of the book, "No philosopher was so bone of the bone and the flesh of the flesh of the Middle Age writers as Boethius." The famous historian W.P. Ker, tracing the literary immense impact of the book, underlined, Boethius has been traced in English literature from Beowulf to Hamlet and Lycidas. "The last infirmity of human mind" is a quotation in Hemet taken from this book.[2]

Boethius's work was an allegory of philosophy and contemplation. He pictures philosophy visiting him in prison. It was such a good book of the history of philosophy that in Italy Dante remembered him with great honour. That is to say, England naturally could not escape the influence of the book which was powerful enough to overpower the thinking of continental intellectuals.

Apart from this book, there was also the widely diffused influence of Latin in the education and in the reading of writers in England even to the beginning of the twentieth century. The only grammar that the sixteenth century authors could be taught at school was Latin grammar. The first conscious thinking of the sentence as in literature was the form of inflected Latin sentence. The influence of the Latin classic studies can be seen in the prose of John Milton. John Milton was a profound scholar and elegant writer of Latin poems too. His poems in Latin were the expressions of a poet who used the unfamiliar language to artistic accomplishment. "Indeed in all the Latin poems of Milton the artificial manner indispensable to such works is admirably preserved, while, at the same time, his genius gives to them a peculiar charm, an air of nobleness and freedom, which distinguishes them from all other writings of the same class."[4] It is a well known fact that Milton was a great Latiniser in English literature. Latin was a living language for Dr. Johnson too.

It was through Latin language that England was able to be a part of the Christendom of the Western Europe. Latin language could enable England to join the community of scholarship which existed in the Western Europe up to the reformation. But later on after the revival of learning, the scholars remained interested only in some classical authors rather than in the whole tradition of Latin as a living language within the cultural and educational system.

The arbitrary restrictions hardened itself into a discipline of classical instruction which concentrated upon an artificially selected group of authors, particularly Cicero in prose and Virgil, Horace and Ovid in verse. It can be claimed that from an educational point of view much was gained because those studies led to a lucidity of thought and presented young minds with pattern of precise grammatical structures which their own language did not possess. On the other hand, it had certain adverse effects in that it limited the number of Latin authors that were to be studied. It also insisted that all Latin authors who were to claim attention must belong to a classical period.

It is also conspicuous that there was no professorship of English Literature in England until University College, London established one in the early nineteenth century, and it was left to the same college in the middle of the twentieth century to found a chair which includes the study of the contemporary English Language. It may have been this artificiality in the study of Latin that left the subject so vulnerable that in the twentieth century modern studies began to make their major claim upon the pattern of instruction. And thus the new generation of poets and authors are separated altogether from the study of Latin and from the major long continued tradition in English Literature. But this was the inevitable result of the development of history. This was the same fate that Sanskrit met in India with the advancement of the vernaculars.

REVERENCES

1. Ifor Evans, English Literature: Values and Tradition, [Unwin Books, London, 1962], p.24.

2. W.P.Ker; The Dark Ages, [Charles Scribner's Sons, New York, 1904], p.105.
3. F.M. Stenton; Anglo-Saxon England, [Oxford, London, 1947], p.267.
4. H.B. Cotterill, Macaulay's Essay on Milton, [Macmillan, London, 1936], p. 10.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

Tribes and Tribal Cultures Reconsidered

Dr. S. Mehdi Abbas Zaidi
Associate Professor, Shia P.G. College, Lucknow, U.P., India

Article Info
Volume 3 Issue 3
Page Number : 156-163

Publication Issue :
May-June-2020

Article History
Accepted : 20 June 2020
Published : 30 June 2020

Abstract
People in today's society are interested in a variety of things, and they have differing perspectives about the nature of the cosmos and the things that exist within it, as well as how those things are related and work. These elements influence people's perspectives in such a way that any universally applicable understanding of the world order is unlikely. It is difficult for a metro dweller to picture trees and their utility because one's perception is limited by the surroundings to which one is exposed. Despite these variances, there is a common cultural classification. Each culture has its own set of economic, social, and political institutions, as well as religious beliefs, marriage and etiquette standards, and language and technology. No one goes hungry as long as food is accessible everywhere within a predetermined kinship circle, according to the oxiom.
Keywords : Social Development, Habitat Establishment, Progenitor, Generation, Communicate.

1. According to palaeoanthropology, the earth was the exclusive province of full-time hunter-foragers until about 10,000 years ago, who nourished themselves with meat, fruits, seeds, roots, and tubers from the forest, and wore fibres and skins for clothing and shelter. Domestication of plants (agriculture) and animals (animal husbandry) marked the end of this period, which was built on millennia of human experience in planting the right kind of seeds in the right place, at the right time, and in the right way; storing seeds for consumption and future plantation for the right duration and in the right method; and rearing the right kind of animal. This period of cultural transformation is known as the "Neolithic revolution" by archaeologists (Childe 1936). These two activities, dubbed "the double barreled acquisition" by Kroeber (1923/1967 690), not only allowed humans to break free from their parasitic dependence on nature and become food producers, but also ushered in a period of social development, non-forest habitat establishment, and non-forest economies. Before Ethnography could document the process, it was completed in Europe. However, in a large part of the world, the process is still underway, and some people continue to cling to their hilly and forest habitats, viewing the forest as a safety net against food insecurity, in conjunction with their small and marginal farming as permitted by their habitats' geomorphological constraints. These are the individuals who have earned the moniker "tribes."

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

2. "There are tens of billions of known kinds of organic molecules," according to biology. However, only around fifty of them are used for life's necessities. For various functions, the same patterns are used cautiously and ingeniously over and over again. And at the very heart of life on Earth – the proteins that control cell chemistry and the nucleic acids that transmit hereditary instructions – we find that these molecules are largely same in all plants and animals. We share a common progenitor if we go back long enough" (Sagan 1980:24)
3. Nonhuman primates have no apparent dividing line between them and humans, according to research. Instead of isolating Homo sapiens from other mammals, their ability to learn, communicate with one another, transmit acquired behaviour from generation to generation, and possession of social as well as biological heredity binds them together. The distinctions between humans and animals in all of these areas, while significant, are primarily quantitative rather than qualitative. The human situation is such in each of these areas that it may rationally be expected to come from the orderly working out of subhuman tendencies (Linton 1936;78-79)
The current genetic and archaeological evidence, as well as findings from mitochondrial DNA research, suggest a single origin of modern humans in East Africa (Stringer 2003, Liu et al 2006 Balter 2011)
1. A region's social history, such as that of India, also appears to hint to a common human ancestor. For example, according to Manusmrti's social history of India, the first Indian civilization was made up of Brahmana Ksatriya, Vaisya, and Sudra, who were claimed to have manifested from the corpse of a "Purusa" (Rgveda X.90). Each was given the name varna. Varna membership was initially and ideally based on the quality and calling of persons in organisations, rather than on birth (guna and karma; Gita IV.12). The varnas solidified into isogamous but functionally interdependent groups as time passed. As a result of intermarriage among the varnas, the offspring's social position was decreased, leading to the development of new groupings known as sankara varnas. The formation of additional sankara varnas resulted through further intermarriage between the varnas and the sankara varnas, as well as among the sankara varnas (Manu: chapter X). Chandala, for example, is the offspring of a sudra father and a vaisya mother (Manu: X.12). In modern-day Andhra Pradesh, Karnataka, Odisha, and Tamilnadu, the chandala is a scheduled caste (GOI 2001: 5,22,47,58). The Adi Andhra community was founded as one of the scheduled castes of Andhra Pradesh and Karnataka. Kerala, Odisha, and Tamilnadu (IBID: 5,22,27,47,58) may trace their ancestors back to a hypogamous union of a vaisya man and a Brahmana woman, resulting in the sankara varna vaideha (X.11), and then between a Vaideha father and a Nisada mother (X.36), the Nisada being the progeny of a hypergamous (Manu x.8). Meda (IBID 36, 8 and 13), a modern scheduled tribe in Karnataka, is the offspring of a vaideha father (a hypogamous offspring of vaisya father and Brahmana mother) and a Karavara mother (GOI IBID: 26). The origins of a chenchu community among Andhra Pradesh's major scheduled tribes could be traced back to cunchu forefathers who hunted (Manu ibid 48). Andhra and Meda were required to live on the edges of a village (x.36), and their occupation was hunting (x.48). Thus, among the communities listed in Manu, we find names of social structures that have been known as castes, scheduled tribes, and scheduled castes in modern times.
India (Bharata) is described as one country and one people in a poem in the Vishnu Purana (II:3.1):
2. As a result, most Indian societies, whether tribes or castes, can be viewed as socio-genetic extensions of the varnas. Throughout its lengthy history, Indian society has taken on the shape of a jumble of interdependent

isogamous groupings. As the name varna lost its strength and was eclipsed by Jati, each group became known as Jati. Until 1950, no Indian language had a counterpart for the word tribe.
3. Modern research appears to indicate to a shared heritage for the whole human population on the planet on all counts. As a result, there is no biological foundation for dividing humans into tribes and non-tribes. "Vasudhyaiba Kutumbakam" (Notes 2), a two-word remark made centuries ago by an Indian, has finally been proven by science.
1. As members of the same species, all human beings are physically identical. Individually, each person, on the other hand, has an own personality. Despite their differences, human beings are discovered to live in groups, overcoming their distinctions and each occupying a defined position in a web of inter-personal interactions. Culture is what holds them together as a group and distinguishes them from other similar groups.
2. Simply put, culture refers to a group of people's shared way of life. It is a set of beliefs and attitudes, as well as shared understandings and behavioural patterns, that facilitates peaceful group living and distinguishes a group from others. Culture is what distinguishes some Indians from Americans; Odias from Malayales; tribes from non-tribes, one tribe from another, or one community from another. Culture can be defined in a variety of ways. Kroeber and Kluckhohn (1952) compiled 160 cultural definitions and discussed their applicability to anthropology. For more than a century, the finest definition of culture employed in anthropology has been a Tylor definition (1891). "Culture is that complex whole which comprises knowledge, belief, art, morals, law, conventions, and any other capacities and habits acquired by man as a member of society," the definition states. Three notions are intertwined in the definition: "a complicated totality," "acquired by man," and "as a member of society."
Culture is "a complicated totality," an integrated unit, not a collection of disparate elements. Material or physical or tangible (housing, equipment, clothing, etc.) and non-material or intangible (art, morals, law, conventions, and any other capacities and habits) components of any civilization constitute a whole, an integrated entity. All of this is founded on belief and knowledge. They are reflected in the persons in the group to which they belong's inter-personal behaviour.
Culture is "acquired by man," according to the second part of the definition. It implies that culture is unique to humans, that it is taught behaviour, and that it is not passed down via the generations. This is the reason why individuals act the way they do. One who was born and nurtured in an Odia-speaking family in Kataka speaks Odia differently than one who was raised in Brahmapur or Bhawaipatna. There is no biological basis for such differences.
"As a member of society" is the third section of the definition. It suggests that culture is shared among group members, and that culture is learned inside the group. As a result, culture is a collective phenomenon in which the individual is only a small role.
1. All living beings, including humans, are influenced by their physical, biotic, and social environments. Climate, rainfall patterns, and geomorphologic features are all part of the physical environment. All plants and animals are included in the biotic section. Interactions with members of one's own species are part of the social environment.The human part of the environment in each given location must adapt to these various environmental variables in order to preserve its survival. The conscious or unconscious plans of action carried out by individuals of a population in response to their surroundings, in order for all aspects of the environment to remain connected in a complex and systematic manner. The action plan represents a flexible strategy (Moran 1979:325 referred to by Howard 1989:8). Adaptive strategies are both biological and non-

biological. They can be temporary or permanent. Humans sweat when the temperature rises. This is a short-term plan. Long-term biological strategies entail changes to a population's physical traits as a whole. Organic evolution refers to changes that occur throughout generations.

2. Natural selection is the central mechanism of organic evolution. Natural selection, a process in which the best-adapted members of a population gain genetic dominance and are better able to survive and reproduce, is what connects biological changes with environmental changes. It is an important part of most species' adaptation strategies.

3. Physical alterations are not always required for pleasant living in a place. Humans have the ability to change their living habits, such as clothing, food, and shelter, to create a comfortable microenvironment for oneself. Some environments may be simpler to adapt to than others. It is not always easy to find a pleasant working atmosphere. But, unlike any other organism, culture allows humans to adapt to practically any earthly environment and survive almost everywhere. Human societies have learned to utilise specific environments/surroundings for survival and wealth through adaption tactics. Technology, social organisation, and ideology are three interrelated characteristics of culture that they rely on.

The skills and knowledge that humans use to shape or manufacture objects and use resources are the most visible components of an adaptive strategy. The manner in which people organise themselves socially are also crucial. An important social factor of an adaptation strategy in gender and age division of labour. The division of labour in a community reflects the society's adaptive strategy and available resources. The ideological component of adaptive strategy is made up of a people's values and beliefs, as well as a cultural area that directs individuals on how to live in a world that is not based on observable facts. People's interactions with the environment are influenced by their beliefs about the nature of the cosmos. Many societies around the world, particularly those known as tribes, emphasise harmonious relationships with their natural environment in their religious beliefs. Mine diggers and industrialists are unconcerned when such communities encourage the well-being of plants and animals in their neighbourhood.

4. People in today's world have a wide range of interests; they hold differing viewpoints on the nature of the cosmos and its contents; and they hold differing viewpoints on how those things are related and work. These elements influence people's perspectives in such a way that any universally applicable understanding of the world order is unlikely. The circumstances in which one is exposed restrict one's vision. Forests and their value are difficult to imagine for a city resident. Despite these disparities, civilizations share a common denominator. Every culture has its own economic, social, and political structures, as well as religious beliefs, marriage and etiquette standards, and language and technology.

5. The environment's deterministic role in shaping culture is universal. As a result, any civilization is constrained by time and location. Communities that live near hills and woods and augment their food supplies through hunting, fishing, and foraging have a worldview that sees them as inextricably linked to nature. They feel obligated to protect the natural order because they are a vital part of it.

1. What distinguishes tribal cultures from other cultures? Yes, they are similar in the sense that each culture is distinct from the other, as each is a product of its unique environment. Despite their disparities, certain cultural universals exist. Murdock (1945:123) offers a list of cultural universals, or solutions to life's difficulties that can be found in one form or another in all civilizations (Note 3).

2. Do tribal cultures have a disadvantage over non-tribal cultures? The answer is a resounding "No." Similarly, no culture is superior or inferior to any other. The context of a culture's occurrence must be considered when

evaluating it. Franz Boas (1858-1942), Professor of Anthropology at Columbia University in the United States (1899-1942), is credited with liberating anthropology from ethnocentric moorings and advocating for all civilizations to be treated equally, each as a unique entity with its own integrity. Each culture's history, according to Boas, is unique. Whatever a culture is today, it was formed as a result of its own evolution. As a result, it cannot be compared to a civilization with a different history. Culture is ever-changing. Every culture evolves over time, some more quickly than others. Some cultures change as a result of external pressures that others do not. As a result, each civilization has its unique story to tell. As a result, cultures cannot be compared on a scale of excellence when ranks are determined by a single culture's norms. There is no set model to which a culture must adhere. No culture is superior to, inferior to, or even equal to another. Each culture, tribal or non-tribal, has its own distinct character, which is effective in the framework of its own existential situation.

3. As a result, there is no way to categorise cultures as tribal or non-tribal. Every culture has a community and/or geo-ethnic foundation. Tribal cultures, on the other hand, have specific characteristics that draw admiration and respect.

Kinship, a system of classifying and categorising one's own relatives, is the foundation of all societies. It suggests that the group's main relationships are organised in a methodical, regular, and predictable manner. In all societies, it is the foundation of social organisation. Tribal societies, on the other hand, are "kinship oriented," with kinship serving as the guiding factor in all social relationships. "... it can be used to underpin economic interactions like as food distribution and task assignment, as well as political interactions such as the allocation of authority over other members of society….Kinship can refer to a group of people's relationship with the land they live on, as well as the manner in which land and other goods are handed from one member of the group to another. It has the power to determine who is eligible to marry whom. It offers the context in which new members are educated about the culture of the society. .....kinship has an impact on all aspects of social conduct......" (IBID:220-21 fried) No one goes hungry among the Karbi of Assam as long as food is available everywhere within a recognised kinship circle (Note 4)

In tribal societies, the effect of plants and animals can be plainly seen. The majority of tribal communities consider their physical surroundings to be alive. They don't distinguish between human-human, human-plant, and human-animal relationships. This kinship is expressed in the tribal idea, known as totemism, that natural objects, both animate and inanimate, are viewed as ancestors. A totem can be a living thing, such as a plant or animal, or even an inanimate object. Groups that identify with them make sure they are not harmed. The group's well-being is linked to the well-being of the totemic object. This idea is critical in keeping flora and animals in a certain area, hence preserving eco-diversity (Ratha and Behera 1990). The Kutia and Dhulia tribal people, for example, spread over the Andhra Pradesh-Odisha border, regard their physical landscape as a constellation of Gods and goddesses. The hill, the forest, and the river are all gods. The Naga tradition opposes indiscriminate tree felling. The wood used to construct houses is not used as a source of energy (Hutton 1921:190). South Odisha's Sora never harms edible fruit-bearing plants.

Agricultural operations and house construction are cooperative ventures within the village in some communities. When someone requires assistance, a worker from each household is dispatched. The participants are treated to a drink of rice beer by the mistress of the household once the assignment is completed. The ritual is known as Husari among the Assamese Bodo Kachari (Ratha 1969). It is known as rida among the Kandha of Kandhamal, Odisha.

Women in tribal communities have a great deal of autonomy. A matrilocal and matrilineal communal property goes from mother to daughter chosen by the parents among the Garo of Meghalaya. The youngest daughter inherits the home property among the Khasi and Jayantia.
Children are also lavished with attention. The Sora custom forbids physical punishment of the child.
Tribal communities, whom he pompous ethnocentric English speakers refer to as savages, have such a value orientation.
Notes :

1. Uttaram yat samudrasya, himadreschaiva daksinam !
   Varsam tad Bharatam nama Bharati yatra santatih !!

(Bharat is the name of the country to the north of the sea and south of the Himalayas, and Bharati is the name of its progeny.)

The following aphorism from Barhaspathya sastra, written in the Middle Ages, conveys the same sentiment.

Himalayam samarabhya yavadindu sarovaram

Tam devanirmitam desham Hindusthanam prachaksate !!

2. Ayam nijoparveti gananam laghu cetasam
Udaracaritanantu Vasudhyaiba Kutumbakam

(Mean-spirited people are only interested in differences.The world is one family for the kindhearted)

3. Different types of behaviour shared by all human beings, regardless of where they originate from.
1. Age grading, 2. Athletics, 3. Bodily adornment, 4. Calendar
5. Cleanliness training, 6. Community Organization, 7. Cooking
8. Cooperative Labour, 9. Cosmology, 10. Courtship, 11. Dancing 12. Decorative Art, 13. Divination, 14. Division of labour
15. Dream interpretation, 16. Education, 17. Eschatology, 18. Ethics 19. Ethno botany, 20. Etiquette, 21. Faith healing, 22. Family,
23. Feasting, 24. Fire making, 25. Folklore, 26. Food toboos,
27. Funeral rites, 28. Games, 29. Gestures, 30. Gift giving
31. Government, 32. Greetings, 33. Hair styles, 34. Hospitality
35. Housing, 36. Hygiene, 37. Incest taboos, 38. Inheritance rules 39. Joking, 40. Kin groups, 41. Kin terminology 42. Language 43. Law, 44. Luck superstitions, 45. Magic, 46. Marriage,
47. Meal times, 48. Medicine 49. Modesty, 50, Mourning,
51. Music, 52. Mythology, 53. Minerals, 54. Obstetrics
55. Penal sanctions, 56. Personal names, 57. Population Policy
58. Post natal care, 59. Pregnancy usages, 60. Property rights,
61. Propitiation of supernatural beings, 62. Puberty customs

63. Religious ritual, 64. Residence rules, 65. Sexual restrictions, 66. Soul concepts, 67. Status differentiation, 68, Surgery

69. Tool making, 70. Trade, 71. Visiting, 72. Weaning,

73. Weatsher control

4. In October 1964, as a lecturer at Anthropology at Gauhati University, Dr Krushna Chandra Panda was conducting field work training for a group of students in a village called Pan Ingti Gaonl, near Howrahghat in Assam's Karbi Anglon district, which is home to the Karbi alias Mikir tribal community. They used to visit the village in the mornings from 8 a.m. to 12 p.m., and in the afternoons from 3-6 p.m., from our camp in the Block Development Office, some two kilometres away. While assisting a student in interviewing an informant in his courtyard, He noticed a middle-aged guy entering the courtyard with an empty basket. When the informant, the owner, and the head of the household saw the man, they saluted him and brought him inside the house. They left shortly after for the camp and returned at 3 p.m. to the same location. He saw the guest leave, followed by the mistress of the household carrying the basket (provided by visitor) filled with paddy, as they continued with the conversation stopped in the morning. As they leave the house, she hands the basket to the visitor and bows respectfully. The basket is carried away by the visitor.

When they inquired further, they discovered that the guest was an affinal relative. It is common in the community for someone who is short on food to go to a relative who has more resources and bring an empty basket to show that the visitor is in need of food. It is not necessary to express it verbally. The visitor is handled with respect and fed a delicious meal. The visitor's basket is packed with paddy as he prepares to leave. Outside the house, the mistress of the household carries it and respectfully passes it over to the visitor, bowing down as they part. "No one goes hungry as long as food is available anywhere within a defined kinship circle," the axiom states.

REFERENCE

1. Balter M
2. 2011 “Was North Africa the launch pad for modern human migrations?” science 331 (6013) ; 20-3
3. Friedl, John
4. 1981 (First published 1971), The Human Portrait Introduction to Cultural Anthropology, Prentice Hall, Englewood Cliff New Jersey 06732.
5. Howard Michael C,
6. 1988 Contemporary Cultural Anthropology, Third Edition R. David Newcomer Association USA
7. Hutton, J.H.
8. 1921 The Angami Nagas, London Mac Milan & Co (Reprinted 1969 Bombay, Oxford University Press)
9. Kroeber Alfred L., and Kluckhohn, Clyde
10. 1952 Culture : A Critical Review of Concepts and Definitions (Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University vol. 47, 1952). A collection of 160 definitions of culture, with comments on their utility for Anthropology.
11. Liu H, Prugnolle f Manica a Balloux F Prugnolle, Manica, Balloux
12. 2006 “A geographically explicit genetic model of world-wide human settlement history”, American Journal of Human Genetics 79 (2) : 230-7

13. Linton Ralph
14. 1936 The Study of Man Englewood Cliffs N.J., Prentice – Hall
15. Moran Emilio F.
16. 1979 Human Adaptability : An introduction to ecological anthropology, North Scituate
17. Murdock, George Peter
18. 1945 "The Common Denominator of Cultures" In Ralph Linton (Ed.) "The science of Man in World Crisis" (New York: Columbia University Press 1945)
19. Ratha, S.N. and Behera, D.K.
20. 1990 "Rethinking Totemism: Man Nature Relationship in maintaining the ecological balance", Man in India, Vol. 70
21. Ratha S.N.
22. 1969; "Madarbari: a Bodo Kachari village in North Kamrup", Assam Journal of the University of Gauhati, vol. XX No.2
23. Sagan, Carl
24. 1980 Cosmos Ballantine Books, New York
25. Stringer C
26. 2003 "Human evolution : Out of Ethiopia", Nature 423 (6941):692-3, 695
27. Tylor Edward B.
28. 1891 Primitive culture, 2 volumes, London, John Murray
29. Panda, K.C., Rethinking tribe and tribal culture.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

छायावादी काव्य दृष्टि और निराला का काव्य संसार

डॉ0 बालेश्वर प्रसाद
सहा0प्रोफेसर, हिन्दी–विभाग, अतर्रा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतर्रा, बाँदा, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 3 Issue 3
Page Number : 164-168
Publication Issue :
May-June-2020
Article History
Accepted : 20 June 2020
Published : 30 June 2020

शोधसारांश- निराला की संवेदनाओं का क्षितिज बहुत व्यापक और प्रशस्त है। उनका काव्य समग्र जीवन को अपनी परिधि में समेटने वाला जीवन की समग्रता का काव्य है। उसमें जीवन का सम्पूर्ण संगीत, संवादी–विवादी सारे स्वरों के साथ गुंजायमान है। उसमें जीवनशतधा अपनी सम्पूर्ण छवियों के साथ, राग–विरागमयी अपनी पूरी भंगिमाओं को लिए हुए विद्यमान है। नौ रसों के पृथक–पृथक वैशिष्टय को सहेजे हुए वह उनकी समष्टि भी है।

मुख्य शब्द- छायावादी, काव्य, दृष्टि, निराला, संसार, समष्टि, रीतिकालीन।

पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश–विदेश की सुंदरी के वाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिन्दी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। रीतिकालीन प्रचलित परम्परा से जिसमें वाह्य वर्णन की प्रधानता थी इस ढंग की कविताओं में भिन्न प्रकार से भावों की नये ढंग से अभिव्यक्ति हुई। ये नवीन भाव आन्तरिक स्पर्श से पुलकित थे। अभ्यांतर सूक्ष्म भावों की प्रेरणा वाह्य स्थूल आकार में भी कुछ विचित्रता उत्पन्न करती है। हिन्दी में नवीन शब्दों की भंगिमा स्पृहणीय आभ्यांतर वर्णन के लिए प्रयुक्त होने लगी। शब्द विन्यास में ऐसा पानी चढ़ा कि उसमें एक तड़प उत्पन्न करके सूक्ष्म अभिव्यक्ति का प्रयास किया गया।
भवभूति के अनुसार–

व्यतिषजति पदार्थानांतरः कोपि हेतुः
नखलु बहि रूपाधीन प्रीयतः संश्रयंते।

वाह्य उपाधि से हटकर अंतर हेतु की ओर कवि कर्म प्रेरित हुआ। ध्वनिकार ने इसी पर कहा है–

"प्रतीय मानं पुनरूपदेव वस्त्वस्ति वाणीषुमहाकवीनाम्।"

अभिव्यक्ति का यह निराला ढंग अपना स्वतंत्र लावण्य रखता है।
इसके लिए कहा गया है–

मुक्ताफतेषुच्छायायास्तरलत्वमिवांतरा
प्रतिभाति यदंगेषु तल्लावण्यमिहोच्यते।।

मोती के भीतर छाया जैसी तरलता होती है वैसे ही कांति की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है। इस लावण्य को संस्कृत साहित्य में छाया और विच्छित्ति के द्वारा निरूपित किया गया था। प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है। 'छाया' भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकमा, लाक्षणिकता, सौन्दर्य मय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की प्रमुख विशेषता है– अपने भीतर

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

से मोती के पानी की तरह अंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति है छायावाद। आचार्य शुक्ल इसे दो अर्थों में अभिव्यक्ति देते-

(अ) जहाँ उसका सम्बन्ध काव्य वस्तु से होता है अर्थात् जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। इस रूपात्मक आभास को यूरोप में छाया (फैंटसमासा) कहते थे। ब्रह्म समाज के आध्यात्मिक गीतों को भी 'छायावाद' कहते थे। रवीन्द्र बाबू की धूम मचने पर हिन्दी के साहित्य क्षेत्र में भी यह प्रकट हुई।

(आ) छायावाद शब्द का दूसरा अर्थ काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। ....छायावाद का अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन।"[1]

छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रख कर चला है।

डॉ0 नामवर सिंह जी के अनुसार- "छायावाद विशेष रूप से हिन्दी साहित्य के 'रोमांटिक' उत्थान की वह काव्यधारा है, जो इस्वी सन् 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवाणी रही, जिसमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी प्रभृति मुख्य कवि हुए और सामान्य रूप से भावोच्छवास प्रेरित स्वच्छंद कल्पना-वैभव की वह 'स्वच्छंद-प्रवृत्ति है जो देश-काल गत वैशिष्ट्य के साथ संसार की सभी जातियों के विभिन्न उत्थानशील युगों की आशा-आकांक्षा में निरन्तर व्यक्त होती रही है। स्वच्छन्दता की उसी सामान्य भाव धारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम हिन्दी साहित्य में 'छायावाद' पडा।"[2]

मुकुटधर पाण्डेय ने 'श्री शारदा' पत्रिका में 'हिन्दी में छायावाद' लेख माला प्रकाशित करायी थी। 'सरस्वती' में छायावाद का प्रथम उल्लेख 1921 में मिलता है। ये सभी लेख व्यंग्यात्मक थे। इसमें छायावाद को "टैगोर स्कूल की चित्रकला के समान अस्पष्ट", कोटे कागद की भाँति अस्पष्ट", "निस्तब्धता का उच्छ्वास", "निर्मल ब्रह्म की विशद छाया", "वाणी की नीरवता", "अनंत का विलास" आदि कहा गया। छायावाद के लिए 'मिस्टिसिज्म' शब्द के आते ही 'रहस्यवाद' शब्द की नींव पड़ गयी। आचार्य द्विवेदी ने इसे 'अन्योक्ति पद्धति' का नाम देते हुए कहा - "छायावाद का लोगों से क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए।"[3]

इस प्रकार छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है। व्यक्तिगत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में इन आधुनिक कवियों ने जो निर्भीकता और साहस दिखलाया है वह पहले किसी कवि में नहीं मिलता आधुनिक 'लिरिक' या 'प्रगीत' इसी वैयक्तिकता के प्रतीक है। इन कवियों ने जीवन की संकुलता तथा अतिशय सामाजिकता को तीव्रता के साथ अनुभव किया। उन्हें लगा कि "The world in too much with us"।[4]

प्रसाद का 'आँसू' भी मूलत: इसी प्रकार का मानवीय प्रेम-काव्य है। छायावाद की इस प्रणय-सम्बन्धी वैयक्तिकता का प्रसार क्रमश: जीवन के अन्य क्षेत्र में भी हुआ। निराला का 'विप्लवी बादल' इसी वैयक्तिक विद्रोह का अग्रदूत है। 'सरोज स्मृति' और 'वन-वेला' में यही वैयक्तिक विद्रोह और भी खुल कर व्यक्त हुआ है। "मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त सौन्दर्य में आध्यात्मिकता छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है।"[5] डॉ0 नगेन्द्र ने इसे "स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह" कहा है।

छायावाद जितना अद्भुत और आव्हादक है उससे भी अधिक मनोरम, दिव्य और विराट् चेतना की कविता है निराला का काव्य-जगत। छायावाद के पुरोधा निराला ने हमेशा अपने वैशिष्ट्य का परिचय दिया है। 'लीक से हटकर' चलना महापुरुषों का औदात्य है। युग पुरुष निराला न केवल क्रान्तिकारी कवि थे अपितु आत्माहंता आस्था के कवि भी। छायावाद चतुष्ट्य का क्रम कोई भी हो निराला सबसे पृथक है। अनामिका, परिमल, गीतिका, अणिमा, तुलसीदास, बेला, अर्चना, आराधना गीत-गुंज, नये पत्ते में से कोई एक भी अमरता का प्रतीक हो सकता है। गाँव-गँवइ की मिट्टी से जुड़े आम आदमी

की पीड़ा से पीड़ित इस लोक कल्याणकारी चेतना सम्बन्धित युग कवि की वाणी में ओज और उदात्ता का मणि कांचन योग है। निराला छायावाद के मूर्धन्य कवि है, जो निजपरक शैली का जयघोष करते हुए कहते हैं–

"मैंने मैं शैली अपनाई।"

निराला के व्यक्तित्व और काव्य के निर्माण में ऐसे परमाणुओं का सन्निवेश हुआ है जिनका विश्लेषण हिन्दी की वर्तमान धारणा भूमि में विशेष क्लिष्ट प्रतीत होता। निराला के विकास के मूल में भावना की अपेक्षा बुद्धितत्व की प्रमुखता है। यह या तो उनके दार्शनिक विषद् अध्ययन का परिणाम है या उनके मानसिक संगठन का नैसर्गिक स्वरूप। "निराला की कविताओं में बौद्धिकता उत्कर्ष अपनी पराकाष्ठा तक पहुँचा हुआ मिलता है।"[6]

निराला ने हिन्दी कविता को नवीन भूमि प्रदान की। वे आधुनिक हिन्दी कविता के आदि गुरू है। नये काव्य के पुरोधा के साथ उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में भी अपनी यथेष्ट गति प्रमाणित की। छायावाद के काव्य के मूल में आध्यात्मिक दर्शन है। काव्य और दर्शन दो अलग अन्वितियाँ हैं। कला के मूल सत्य मानव मन के सौंदर्य और रसात्मकता के प्रति निराला की सहमति है। कला को एक उत्कृष्ट विभूति मानते हुए निराला कहते हैं – "कला वह है जिसमें मनुष्य के मन का चित्र दिखलाया गया है।"[7]

निराला ने कवि को संस्कृति का अग्रदूत और भावनाओं का गायक कहा है उसमें एक उत्तेजना होती है जो मनुष्य में सद्भाव का जागरण करती है। उसके शब्द सोते हुए को जगाते हैं। वह अपने भाव उसमें भरकर उन्हें जागृति की प्रेरणा देता है। वह जागरण का मन्त्र फूँकता है और आनन्द के स्वर का गान ही उसका कर्त्तव्य होता है। आनन्द प्राप्त और प्रदान करने की यह कवि–वृत्त भारतीय काव्यशास्त्र की वह चिरपरिचित शाश्वत और स्थायी व्याख्या है जो काव्य को ब्रह्मानन्द सहोदर मानती है। कवि के स्वर के पीछे निराला प्रतिभा की पुकार को ही महत्त्व देते हैं; जो देव–शक्ति की अभ्युत्थान ध्वनि है और इसी के आविर्भाव से कवि का हृदय उद्भाषित होता है। काव्य का सृजन होता है कवि की उत्तेजना आत्मा की वह ध्वनि है, जो 'स्व' में 'पर' का प्रतिबिम्ब अवलोकित करती है। यह भी सीमातीत है।

"श्री राघव हुए प्रणत मन्द-स्वर-वन्दन कर।
होगी जय-होगी जय हे! पुरुषोत्तम नवीन।
कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन।"[8]

'कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभू' से सहमत होकर वे कवि को ब्रह्म ही प्रमाणित करते हैं। कविता में एक प्रकार का दैवी शक्ति का उल्लेख करते हैं और भारतीय कविता का विशेष आग्रह 'रस पुष्टि' के प्रति मानते हैं; जिसके कविता में प्राण संचार की शक्ति आती है। निराला कहते हैं–

"काव्य में यदि कोई कवि अपने व्यक्तित्व पर खास तौर से जोर देता है तो इसे उसका अक्षम्य अहंकार न समझ, मेरे विचार से उसकी विशाल व्याप्ति का साधन समझना निरूपद्रव होगा। कारण अहंकार को घटा कर मिटा देना जिस तरह पूर्ण व्याप्ति है, जैसा भक्त कवियों ने किया उसी तरह बढ़ाकर भूमा में परिणत कर देना भी पूर्ण व्याप्ति है– जैसा ज्ञानियों ने किया।"[9]

भक्तों और ज्ञानियों का उल्लेख सोदेश्य, आध्यात्मिक और आत्मिक है। व्यक्तित्व के इसी आख्यान के अनुरूप निराला ने लिखा है–

"मैंने मैं शैली अपनाई
देखा एक निजी दुख भाई
दुःख की छाया पड़ी हृदय में

झर उमड़ वेदना आई।"

'परिमल' की प्रार्थना में वे कविता को कोमल-पद गामनी कहते है और उससे नूतन-जीवन-भरने तथा जग को ज्योतिर्मय करने की प्रार्थना करते है। जब निराला तुम चलो बुलाया है उसने जल्दी तुम को उस पार कहते तो उनका निर्देश कविता के लोकोत्तरानन्द को ध्वनित करना ही है। 'निश्छल और अविकार'कविता का वास प्रकृति के मुक्त सौन्दर्य में पृथ्वी से आकाश तक फैला है। 'गीतिका' में वे 'कलुष-भेदों में तम-निवारण और प्रकाश से भरने तथा अज्ञान के बन्धनों को काटकर ज्योतिर्मय ज्ञान का निर्झर बहाने की बात कहते है।

"कविता मानस की कुसुमित वाणी है। यह कल्पना-कानन की रानी है।"[10]

निराला की संवेदनाओं का क्षितिज बहुत व्यापक और प्रशस्त है। उनका काव्य समग्र जीवन को अपनी परिधि में समेटने वाला जीवन की समग्रता का काव्य है। उसमें जीवन का सम्पूर्ण संगीत, संवादी-विवादी सारे स्वरों के साथ गुंजायमान है। उसमें जीवनशतधा अपनी सम्पूर्ण छवियों के साथ, राग-विरागमयी अपनी पूरी भंगिमाओं को लिए हुए विद्यमान है। नौ रसों के पृथक-पृथक वैशिष्टय को सहेजे हुए वह उनकी समष्टि भी है। निराला का साहित्य संसार, भूख लाचारी, गरीबी, विवशता, मेधा की अपूर्वता, भावों की विलक्षणता, जनमानस की उदास मानसिकता, समर्पित राष्ट्र-बोध और एक स्वर्गीय लोक कल्याणकारी भावों को सहेजे हुए हैं। इस कवि कि कविता को समझने के लिए निराला को भी समझना आवश्यक होगा। जो कहते हैं-

"मैं भी होता
यदि राजपुत्र-मैं क्यों न सदा कलंक ढोता
ये होते-जितने विद्याधर-मेरे अनुचर
मेरे प्रसाद के लिए विनत-सिर उद्यत-कर
मैं देता कुछ, रख अधिक, किन्तु जितने पेपर
सम्मिलित कण्ठ से गाते मेरी कीर्ति अमर।"

इस संघर्ष मय जीवन में 'वन बेला' में जिस उज्ज्वल-पथ के दर्शन होते वही इस महाकवि को प्रेरणा लोक और यश-पथ है-

"बोला मैं - यही सत्य, सुन्दर!
नाचती वृत्त पर तुम ऊपर
होता जब उपल-प्रहार प्रखर!
अपनी कविता
तुम रहो एक मेरे उर में
अपनी छवि में शुचि संचरिता।"[11]

अपनी संस्कृति में निरन्तर संवाद निराला की काव्य शक्ति का अपूर्व सम्बल है। भारतीय साहित्य में आधुनिकता के प्रतीक हे निराला। इतिहास और संस्कृति के बहुआयामी धरातल पर निराला के कृतित्व से सम्पर्क एक जीवन्त, अविस्मरणीय और उत्तेजना अनुभव है। तभी तो 'निराला के प्रति' शमशेर बहादुर सिंह को कहना पडा-

"भूल कर जब राह - जब जब राह- भटका मैं
तुम्हीं झलके, हे महाकवि
सघन तम की 'आँख बन मेरे' लिए।"

सन्दर्भ सूची-

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ0 362
2. छायावाद, आधुनिक हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, डॉ0 नामवर सिंह, पृ0 11
3. छायावाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती, पृ0 7
4. वड्र्सवर्थ
5. छायावाद, आचार्य नन्द दुलारे बाजपेयी।
6. कवि निराला, आचार्य नन्द दुलारे बाजपेयी, पृ0 21
7. रवीन्द्र कविता कानन, निराला, पृ0 88
8. राम की शक्ति पूजा, निराला।
9. प्रबन्ध–पद्य, निराला, पृ0 50

1. 10.अनामिका, पृ0 42
2. 11.वनबेला, निराला

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में संधृत फसलोत्पादन हेतु फसल साहचर्य : एक भौगोलिक विश्लेषण

आर0 एस0 चन्देल
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, कमला नेहरु स्नातकोत्तर महाविद्यालय तेजगाँव, रायबरेली, उ0 प्र0

Article Info
Volume 3 Issue 3
Page Number : 169-186

Publication Issue :
May-June-2020

Article History
Accepted : 20 June 2020
Published : 30 June 2020

शोधसार - भारत एक ग्राम्य–कृषि प्रधान देश है, जहाँ परम्परायें, सामाजिक रीति–रिवाज, धर्म, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण आदि उसकी पहचान है। जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो कृषि विकास निम्नतर स्तर पर था, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी किन्तु कुल कृषि उत्पादन कम होता था, क्योंकि प्रति एकड़ उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम था, जनसंख्या विस्फोट सबसे विकराल समस्या थी। इन समस्याओं के समाधान हेतु सन् 1950 में नियोजित विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गयी, जिसमें कृषि विकास को एक महत्वपूर्ण अंग माना गया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत वैज्ञानिक कृषि का विकास देश के समस्त कृषि क्षेत्रों पर एक समान नही हुआ, जिससे वैज्ञानिक एवं प्राविधिकी ज्ञान में सम्पन्न क्षेत्र विकसित तथा इनके अल्प प्रयोग वाले क्षेत्र अल्प विकसित क्षेत्रों के रुप में बट गये। विकसित क्षेत्रों में वैज्ञानिक कृषि का निरन्तर प्रचार–प्रसार होता गया, जिससे कृषि उत्पादन, कृषि विशिष्टीकरण एवं बाजारोन्मुख कृषि का विकास हुआ। विकसित क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकी पर आधारित पूंजीवादी कृषि व्यवस्था विकसित हुयी। जबकि अन्य क्षेत्रों में अद्यतन जनसंख्या वृद्धि एवं अवैज्ञानिक तथा पारम्परिक कृषि के कारण कृषि विकास की गति मन्द रही। इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन जीवन निर्वाहक बनकर ही रह गयी। इस प्रकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय एवं स्तर में अत्यधिक विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। कुछ दशकों से अविकसित कृषि क्षेत्रों में वैज्ञानिक कृषि विकास का प्रयास अवश्य हो रहा है, परन्तु इन क्षेत्रों में उच्च उत्पादकता वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं, उन्नत सिंचाई व्यवस्था, मशीनीकरण तथा अन्य उन्नत कृषि आगतों का विवेकपूर्ण उपयोग न होने के कारण जहाँ एक तरफ कृषि में वांछित लाभ प्राप्त नही हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसके अविवेकपूर्ण उपयोग से विभिन्न प्रकार की कृषि पारिस्थितिकीय समस्यायें भी विकराल रुप धारण करती जा रही हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में या तो कृषि उत्पादकता स्थिर होती जा रही है या तो कृषि उत्पादकता में गिरावट दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसे देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने फसल साहचर्य एवं फसल विविधीकरण को अपनाने जैसी नीति को प्रस्तावित किया है।

वर्षा की अनिश्चितता, सिंचाई साधनों की कमी तथा प्राचीन रुढ़िवादी कृषि पद्धति आदि के फलस्वरुप फसलों में भिन्नता व विविधता पायी जाती थी जिससे बहुसंख्य कृषक अपनी आवश्यकताओं के अनुरुप कुछ प्रमुख फसलों की खेती न करके एक से अधिक फसलों को उत्पादित करना पसन्द करते थे। वर्तमान समय में समतल मैदानी क्षेत्रों में जहाँ सघन जनसंख्या पायी जाती है, वहाँ खाद्यान्न उपादन करने हेतु फसलों की संख्या कम पायी जाती है वहीं कम वर्षा एवं कम उपजाऊ ऊबड़–खाबड़ क्षेत्रों में स्थानिक विशेषताओं के अनुरुप फसलों की संख्या अधिक हो जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि फसलों के निर्धारण में जहाँ एक तरफ प्राकृतिक कारक यथा धरातलीय बनावट व प्रवाह प्रणाली, मृदा प्रकार व उर्वरा शक्ति का स्तर, वर्षा की मात्रा आदि अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों यथा जनसंख्या, सिंचाई के साधनों की सघनता व सुलभता, परम्परायें, भोजन की आदतें, परिवहन सुविधाएं बाजार की समीपता, कृषि अवस्थापनात्मक तत्व आदि का भी स्पष्ट रुप से प्रभाव देखा जा सकता है। है। इसी सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए अध्ययन हेतु गंगा–यमुना दोआब क्षेत्र (जनपद फतेहपुर,उ0 प्र0) को चयनित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य गंगा–यमुना दोआब क्षेत्र (जनपद फतेहपुर,उ0 प्र0) में संधृत फसलोंत्पादन हेतु फसल साहचर्य का मापन कर संधृत सुझाव प्रस्तुत करना है। वास्तव में किसी भी क्षेत्र में संधृत फसलोंत्पादन वहाँ पाये जाने वाले फसल साहचर्य एवं फसल गहनता पर निर्भर करता है।

शीर्ष शब्द :–फसलोंत्पादन, परम्परागत फसलें, दोआब, मशीनीकरण, कृषि पारिस्थितिकीय, फसल साहचर्य, खसरा, जीन्सवार, कृषि अनुषंगीय व्यवसाय, विचलन विधि, क्रान्तिक मान।

प्रस्तावना - कृषि न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वरन् मानव बसाव तथा सामाजिक–सांस्कृतिक स्वरुप की भी आधारशिला है। संक्षेप में समग्र भारतीय जीवन कृषि से अनुप्राणित है। देश में अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण प्राचीन काल से ही कृषि प्रमुख आर्थिक कार्य एवं अर्थतंत्र की आधार शिला रही है। कुछ दशकों से अविकसित कृषि क्षेत्रों में वैज्ञानिक कृषि विकास का प्रयास अवश्य हो रहा है, परन्तु इन क्षेत्रों में उच्च उत्पादकता वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं, उन्नत सिंचाई व्यवस्था, मशीनीकरण तथा अन्य उन्नत कृषि आगतों का विवेकपूर्ण उपयोग न होने के कारण जहाँ एक तरफ कृषि में वांछित लाभ प्राप्त नही हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसके अविवेकपूर्ण उपयोग से विभिन्न प्रकार की कृषि पारिस्थितिकीय समस्यायें भी विकराल रुप धारण करती जा रही हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में या तो कृषि उत्पादकता स्थिर होती जा रही है या तो कृषि उत्पादकता में गिरावट दृष्टिगोचर हो रहा है।

किसी प्रदेश के फसलों के क्षेत्रीय वितरण से बने प्रारुप को फसल प्रारुप कहते हैं, (*सिंह, बी0 बी0, 1979*)। अध्ययन क्षेत्र में किसी एक फसल का उत्पादन नही होता है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों व खेतों में विभिन्न फसलों की कृषि मौसम अनुरुप की जाती है। इस प्रकार फसल प्रारुप का तात्पर्य किसी समय बिन्दु पर विभिन्न फसलों के अधीन कृषि भूमि के हिस्से से है, जिसमें समय के साथ–साथ फसल प्रारुप में परिवर्तन होता रहता है। मृदा, वर्षा, तापमान, सूर्यातप प्राप्ति की अवधि, पवन की गति एवं दिशा आदि प्राकृतिक कारकों के साथ–साथ लोगों की खाद्य आदतें, आर्थिक स्थिति, तकनीकी प्रगति, संस्थानात्मक सम्बन्ध, व्यवस्थागत कारक, सरकारी नीतियाँ आदि मानवीय कारक फसल प्रारुप एवं ग्रामीण विकास निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। अतः फसल प्रारुप इन कारकों के सम्मिलित प्रभावों का द्योतक है। फसल प्रारुप की अवधारणा फसलों के न केवल क्षेत्रीय वितरण वरन् इसके कालिक क्रम से भी सम्बन्धित होती है। एक ओर जहाँ इसके अन्तर्गत विभिन्न फसलों के विभिन्न प्रारुप

होते हैं तो दूसरी ओर कृषक द्वारा अपनायें गये फसल की चक्रीय स्थिति भी इससे प्रदर्शित होती है। समाज की मांग के अनुरुप समय–समय पर फसल प्रारुप में परिवर्तन होता रहता है। अतः फसल प्रारुप का कालिक अनुक्रमण भी क्षेत्र के कृषि विकास को समझानें में सहायक है। एक दिये गये कृष्य जलवायु दशा में कई प्रकार की फसलें उगायी जा सकती है, और कृषक उसमें से किन–किन फसलों को उगाता है यह प्राकृतिक व सामाजार्थिक कारकों पर निर्भर रहता है। कृषक उन्ही फसलों को चुनता है, जो अधिक उत्पादन और अधिकतम लाभ प्रदान करें। सामान्य रुप से कृषक परम्परागत फसलें अपने खेतों में बोता है, क्योंकि नई किस्म की फसलों की कृषि करने की शक्ति उसमें सीमित होती है। इस प्रकार फसल प्रारुप स्थानिक परिस्थितियों का प्रतिफल होता है।

अध्ययन का उद्देश्य एवं विधितन्त्र

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य गंगा–यमुना दोआब क्षेत्र (जनपद फतेहपुर,उ0 प्र0) में संधृत फसलोंत्पादन हेतु फसल साहचर्य का मापन कर संधृत सुझाव प्रस्तुत करना है। वास्तव में किसी भी क्षेत्र के संधृत फसलोंत्पादन वहाँ पाये जाने वाले फसल साहचर्य एवं फसल गहनता पर निर्भर करता है। इसकी प्राप्ति हेतु क्षेत्रीय स्तर पर कृषिगत संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग एवं अवस्थापनात्मक तत्वों का नवसृजन व विकेन्द्रीकरण तथा कृषि विकास प्रक्रियाओं का समुचित संचालन एवं अंगीकरण आवश्यक है। शोध विषय वस्तु से सम्बन्धित चयनित अध्ययन क्षेत्र जनपद फतेहपुर का विकासखण्ड स्तरीय अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है। फसल साहचर्य से सम्बन्धित विविध तथ्यों का न सिर्फ स्थानिक अपितु कालिक वितरण प्रारुप को विश्लेषित करने के लिए विगत साढे तीन दशकों के आंकड़ों एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण दो वर्षों यथा 1990–91 एवं 2015–16 पर किया गया है।

उद्देश्यों के औचित्य के परख हेतु आंकड़ों एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण शोध का प्रथम कार्य होता है। चूंकि शोध क्षेत्र का आकार वृहद् एवं प्रकृति समस्यापरक है। इसलिए तथ्यों की अधिक शुद्धता अभीष्ट हो, इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर आंकड़ों एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों द्वारा किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों एवं सूचनाओं का संग्रह यादृच्छिक आधार पर प्रतिचयनित किये गये ग्रामों के कृषकों से व्यक्तिगत सम्पर्क, निरीक्षण, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली द्वारा किया गया है। जबकि द्वितीयक सूचनाए एवं आंकडे विभिन्न विभागों (फतेहपुर) से संकलित किया गया है। भूमि उपयोग व फसल प्रतिरुप सम्बन्धी सूचनाओं एवं आंकड़ों का संग्रह मिलान खसरा एवं जीन्सवार (जनपद राजस्व विभाग, सम्बन्धित तहसील तथा राजस्व निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ) द्वारा संग्रहीत किया गया है। फसल साहचर्य के अद्यतन प्रवृत्तियों की पहचान हेतु प्रतिचयनित ग्रामों के खसरा (सम्बन्धित तहसील), प्रश्नावली एवं अनुसूचियों द्वारा ग्रामीणों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके संकलित किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक व्यक्तित्व

अध्ययन क्षेत्र (जनपद फतेहपुर) गंगा–यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित एवं विस्तृत है, जिसकी स्थिति एवं विस्तार 25° 26′ से 26° 14′ उत्तरी अक्षांश तथा 18° 13′ से 81° 21′ पूर्वी देशान्तर के मध्य है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत 3 तहसीलें यथा खागा, बिन्दकी एवं फतेहपुर, 13 विकासखण्ड (असोथर, तेलियानी , बहुवा, भिटौरा, हसवा, अमौली, खजुहा, देवमई, मलवां, धाता, ऐराय, विजयीपुर तथा हथगांम), 1516 राजस्व गाँव, 132 न्याय पंचायतें, 789 ग्राम पंचायतें, 2 नगर पालिका (फतेहपुर एवं बिन्दकी) तथा 4 नगर पंचायतें (खागा, बहुवा, किशुनपुर एवं जहानाबाद) समाहित है। जनपद का कुल क्षेत्रफल 4843.75 वर्ग किमी. है, जिसमें 2632733 (2011) लोग निवास करते हैं।

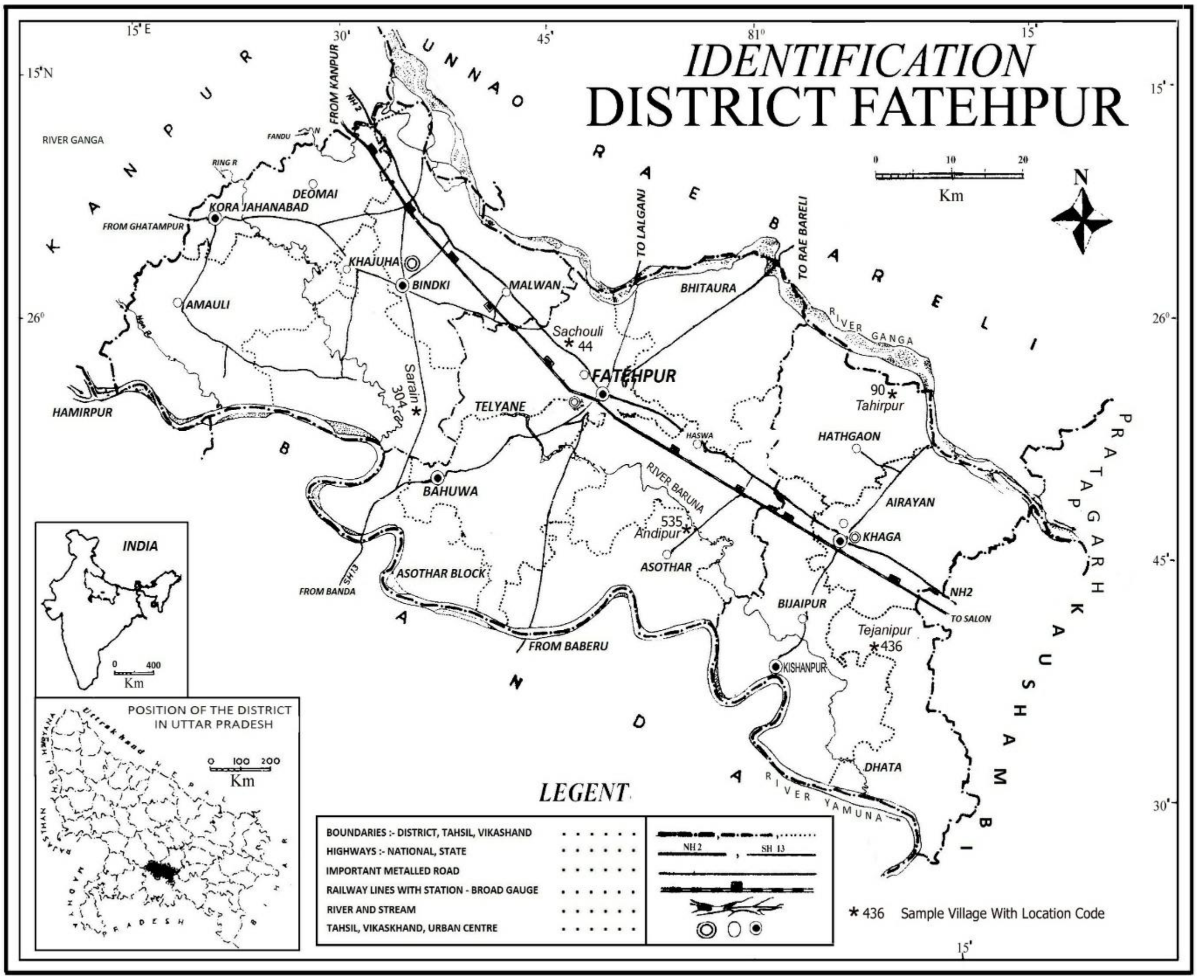

मानचित्र –1

अध्ययन क्षेत्र गंगा–यमुना के दोआब में स्थित है, जिसका अधिकांश धरातलीय भाग समतल है जबकि नदियों के किनारे धरातल ऊबड़–खाबड़ तथा रेतीली व कंकरीली है। जनपद में अनेकों नदियां, नाले एवं अवनलिकाएं प्रवाहित होकर गंगा व यमुना नदी में विलीन हो जाती है। जनपद का उत्तरी सम्भाग का जल गंगा तथा दक्षिणी सम्भाग का जल यमुना में विलीन हो जाता है। जलवायु की दृष्टि से यह क्षेत्र मानसूनी विशेषता वाला है। अध्ययन क्षेत्र में सामान्यतः जीविकोनिर्वाहन कृषि की जाती है। अध्ययन क्षेत्र के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का लगभग 74 प्रतिशत भाग कृषि के अन्तर्गत समाहित है जिस पर विविध फसलों यथा धान, गेंहूँ चना, मसूर, मटर, एवं अन्य मोटे अनाज जैसी फसलों की विशेषीकृत एवं विविधीकृत दोनों ही प्रकार की कृषि स्थानीय भौगोलिक दशाओं के अनुसार की जाती है, साथ ही साथ कृषि अनुषंगीय व्यवसायों में पशु पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि भी कहीं–कहीं व्यावसायिक स्तर पर सम्पादित किया जाता है।

फसल साहचर्य

किसी भी इकाई क्षेत्र में वर्ष पर्यन्त कई प्रकार की फसलें ली जाती है, जिनका क्षेत्रीय विस्तार तथा कोटि गुणांक अलग–अलग होता है। फसल कदाचित ही पूर्णतया एकाकी रुप से ली जाती है, क्योंकि फसल प्रारुप, वितरण, उत्पादन आदि न केवल उस इकाई क्षेत्र के भौगोलिक कारकों के प्रभाव को प्रतिबिम्बित करती है, वरन् कृषि भूमि उपयोग की दिशा व दशा को भी प्रदर्शित करती है, जिसकी सहायता से तथ्य परक कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया जा सकता है। फसल प्रारुप, वितरण

एवं उत्पादन को भौतिक तत्वों के साथ ही साथ मानवीय तत्व भी प्रभावित करते हैं, जिनमें जनसंख्या का स्थानान्तरण एवं मानव की बढ़ती हुई आवश्यकताएं प्रमुख है। इसे स्पष्ट करते हुए *अहमद सिद्दकी* (1967) ने लिखा है कि "किसी भी क्षेत्र का फसल साहचर्य प्रारुप वास्तव में आकस्मात नही होता, बल्कि वहाँ के भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की देन होता है।" इसलिए किसी इकाई क्षेत्र में एक विशिष्ट फसल और उसी के साथ ही साथ अनेक गौड़ फसलें पैदा की जाती है। कृषक अपने आवश्यकतानुसार मुख्य फसल के साथ–साथ कोई न कोई खाद्यान्न, दलहन, तिलहन व रेशेदार फसल प्रथम वरीयताक्रम में है तो उसके साथ कृषक कोई न कोई अखाद्य फसल भी उत्पन्न करता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र या प्रदेश में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख एवं गौड़ फसलों के समूह को फसल साहचर्य कहते हैं।

फसल साहचर्य न केवल फसलों के समूह में किसी एक फसल की श्रेणी को स्पष्ट करती है, वरन् फसल समूह में विभिन्न फसलों के क्षेत्रीय विस्तार एवं उनके गुणों को भी प्रदर्शित करता है। फसल साहचर्य के महत्व कों स्पष्ट करते हुए *जेम्स एवं जोन्स* (1954) ने लिखा है कि "फसल साहचर्य सम्बन्धी अध्ययन के अभाव में कृषि के क्षेत्रीय विशेषताओं को ठीक से समझा नही जा सकता है।" इसलिए कृषि प्रादेशीकरण के अध्ययन में फसल प्रारुप के प्रादेशिक अध्ययन के साथ ही फसल साहचर्य का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। इससे कृषि की क्षेत्रीय विशेषताओं को आसानी से समझा जा सकता है। अतः फसल साहचर्य प्रदेश का निर्धारण उन फसलों के स्थानिक वर्चस्व के आधार पर किया जा सकता है, जिनमें क्षेत्रीय सह–सम्बन्ध पाया जाता है तथा जो मौसमी परिवर्तन के साथ–साथ वर्ष पर्यन्त विभिन्न रुपों में उगाई जाती है। इसलिए वर्तमान समय में कृषि भूगोल के अन्तर्गत फसल साहचर्य या फसल समिश्रण या फसल साहचर्य सम्बन्धी अध्ययन कृषि भूगोलविद्ों के लिए एक आवश्यक विषय बन गया।

फसल साहचर्य की संकल्पना एवं मापन विधियाँ

फसल साहचर्य प्रदेश के निर्धारण के लिए फसलों के वितरण एवं स्वरुप का अध्ययन आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भ में भूगोलवेत्ता स्वेच्छा से फसलों के महत्व के आधार पर वर्गीकृत कर लेते थे, कि अमुख फसल वरीयता क्रम में प्रथम या द्वितीय है, लेकिन इस प्रकार का वर्गीकरण सत्यता से बहुत दूर था। बाद में कुछ रुप–भेदों को मापकर फसलों के क्रम वरीयता को आंका गया लेकिन यह आंकन भी अनुमानित था वास्तविक नही। इसलिए फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र के वास्तविक प्रतिशत को आधार मानकर फसलों के क्षेत्रीय वरीयताक्रम के निर्धारण का प्रयास सर्वप्रथम *जे0 सी0 वीवर* (1954) महोदय ने फसल साहचर्य हेतु मात्रात्मक सूत्र का प्रतिपादन कर कृषि भूगोल में हलचल मचा दिया। *वीवर* महोदय ने फसल साहचर्य हेतु सर्वप्रथम फसलों के स्वरुप, उसके क्षेत्रीय विस्तार तथा कोटि के आधार पर फसल साहचर्य फसल प्रदेशों का निर्धारण किया। इसके पश्चात अधिकृत तथा सैद्धान्तिक प्रतिशत का अन्तर निकालकर तथा सभी को जोड़कर उतनी ही फसलों की संख्या से भाग दिया। *वीवर* महोदय का उद्देश्य प्रमाणिक विचलन विधि द्वारा विचलन की वास्तविक मात्रा ज्ञात न होकर विचलन की सापेक्षिक क्रम ज्ञात करना था। *वीवर* महोदय द्वारा प्रतिपादित फसल साहचर्य विधि की आलोचनाएं विभिन्न तथ्यों के आधार पर हुई। लेकिन आलोचनाओं के बावजूद यह फसल साहचर्य माडल उपादेयता एवं उपयोगिता की दृष्टि से नींव का पत्थर रहा, क्योंकि बाद के सभी कृषि भूगोलविद्ों ने इन्हीं के माडल को परिमार्जित कर फसल साहचर्य का निर्धारण करने का प्रयास किया। इसी क्रम में *के0 दोई* (1959) ने *वीवर* की विधि में संसोधन करते हुए वीवर के प्रसरण सूत्र $\Sigma\, d^2/n$ के स्थान पर अन्तरों के वर्ग के योग ($\Sigma\, d^2$) का प्रयोग किया। *दोई* ने अपने सूत्र के आधार पर फसल साहचर्य की गणना हेतु एक सरल क्रान्तिक मान सारणी तैयार किया, जिसमें प्रत्येक साहचर्य के लिए सैद्धान्तिक एवं वास्तविक प्रतिशत क्षेत्रफलों के अन्तर का वर्ग निकालना

नही पड़ता। क्रान्तिक मान सारणी के अनुसार फसल साहचर्य के प्रतिशत के योग के सन्दर्भ में साहचर्य की अगली फसल के लिए क्रान्तिक मान दिया होता है। यदि अगली फसल का प्रतिशत क्षेत्रफल उस क्रान्तिक मान से अधिक है तो उसे साहचर्य मान में सम्मिलित किया जायेगा अन्यथा नहीं।

पी0 स्काट (1957) ने तस्मानिया के फसल साहचर्य प्रदेश को निर्धारित करते समय *वीवर* विधि के परिमार्जित सूत्र को अपनाया। इन्होने प्रमुख फसलों के साथ अन्य फसलों एवं पशुपालन को साहचर्य में स्थान दिया। *जानसन* (1958) महोदय ने फसलों के सापेक्षिक महत्व के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) को फसल साहचर्य प्रदेशों में विभाजित करने के लिए सामान्य क्रम स्थापन मापक (Simple Scale of Gradiation) को अपनाया।

डी0 थामस (1963) महोदय ने भी *वीवर* महोदय के विचलन विधि में संसोधन कर फसल साहचर्य हेतु दो मुख्य फसलों के अन्तर की गणना के स्थान पर प्रत्येक फसल साहचर्य में सभी फसलों के लिए वास्तविक एवं सैद्धान्तिक प्रतिशत के अन्तर के आधार पर गणना किया। इन्होने दो अतिरिक्त फसलों की गणना शून्य से विचलन के आधार पर की और स्पष्ट किया कि जब दो फसल साहचर्य में प्रत्येक फसल के अन्तर्गत 50 प्रतिशत क्षेत्र है तो शेष फसलों के लिए शून्य प्रतिशत की कल्पना की जा सकती है। *जे0 क्रोस्टोविकी* महोदय ने फसलों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक पक्षों को भी साहचर्य में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। इस प्रविधि में विभिन्न फसलों की उसके समूहों में वर्गीकृत करने के पश्चात उसके मध्य अनुपात का परीक्षण किया जाता है तथा "क्रमिक लब्धांक प्रविधि" का उपयोग कर फसल साहचर्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है और साहचर्य में प्रमुख फसल को सर्वप्रथम सम्मिलित किया जाता है। तत्पश्चात फसलों के कोटिक्रम के अनुसार अन्य फसलों को उनकी प्रमुखता के आधार पर सहायक फसल के रुप में सम्मिलित किया जाता है।

भारतीय कृषि भूगोलविद्‌ों में सर्वप्रथम *बनर्जी* (1964) ने पश्चिम बंगाल के फसल साहचर्य निर्धारण हेतु *वीवर विधि* में अल्प संसोधन कर एक फसल साहचर्य हेतु 80 प्रतिशत भाग को माना। परन्तु 80 प्रतिशत भाग पर बोया गया फसल वाला क्षेत्र एक फसली क्षेत्र होगा, इस सन्दर्भ में कोई स्पष्टीकरण नही दिया। इसी तरह *ए0 पी0 अय्यर* (1969) ने फसल साहचर्य निर्धारण हेतु सर्वाधिक दूरी प्रविधि (Maximum Distance Method) को अपनाया। जबकि *रफी उल्ला* (1965) नें अधिकतम सकारात्मक विचलन विधि (Maximum Positive Deviation Method) को अपनाया है।

इसी प्रकार भारत में अनेक विद्वानों नें अपनें–अपनें अध्ययन क्षेत्र में *वीवर, दोई, पी0 स्काट, जानसन, डी0 थामस, क्रोस्टोविकी, बनर्जी, अय्यर,* तथा *रफी उल्ला* आदि की विधियों का प्रयोग किया, जिनमें *हरपाल सिंह* (1965) का पंजाब का मैदान, *पी0 दयाल* (1967) का पंजाब का मैदान, *राय* (1967) का गंगा–घाघरा दोआब, *अहमद एवं सिद्दकी* (1967) का लूनी बेसिन, *त्रिपाठी तथा अग्रवाल* (1968) का निचला गंगा दोआब, मण्डल (1969) का पूर्वी उत्तर प्रदेश, *चौहान* (1971) का यमुना हिण्डन प्रदेश, *शर्मा* (1972) का उत्तर प्रदेश, *नित्यानन्द* (1972) का राजस्थान, *हुसैन* (1972) का उत्तर प्रदेश, *सक्सेना* (1972) का छत्तीसगढ बेसिन, *अली मोहम्मद* (1978) का उत्तर प्रदेश, *बी0 बी0 सिंह* (1979) का बड़ौत, *वी0 आर0 सिंह एवं आर0 एस0 चन्देल* (1991) का बुन्देलखण्ड क्षेत्र, *तिवारी एवं सिंह* (1994) का देवरिया, *कमलेश* (1996) का विलासपुर सम्भाग आदि के अध्ययन महत्वपूर्ण है।

प्रस्तुत अध्ययन में फसल साहचर्य प्रदेशों के निर्धारण हेतु विकासखण्ड स्तर पर 1990–91 एवं 2015–16 के फसल भूमि उपयोग सम्बन्धी आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न फसलों का प्रतिशत सकल कृषित भूमि के आधार पर प्राप्त विवरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर *दोई* प्रविधि के क्रान्तिक मान के आधार पर फसल साहचर्य का निर्धारण किया गया।

सारणी : 1 फसल साहचर्य हेतु क्रान्तिक मान

तत्वों की श्रेणी	उच्च कोटि वाले तत्वों के प्रतिशतों का योग			
	50	**55**	**66**	**74**
1	0.00	5.53	20.00	—
2	0.00	2.69	9.67	15.58
3	0.00	1.73	6.07	10.00
4	0.00	1.29	4.51	7.35
5	0.00	1.04	3.54	5.51

Source: Doi, K. (1957) Industrial Structure of Japanese Prefecture, Proceeding I.G.U. Regional Conference, p. 85.

उपरोक्त सारणी में *दोई* महोदय द्वारा प्रतिपादित क्रान्तिक मान पर आधारित अध्ययन क्षेत्र जनपद फतेहपुर के फसल साहचर्य का आंकलन एवं विश्लेषण किया है। उदाहरण स्वरुप असोथर विकासखण्ड के फसलों को फसल साहचर्य हेतु लिया गया है। फसलों के संकेतांक के साथ–साथ तत्सम्बन्धी प्रतिशत भी वरीयताक्रम यथा गेहूँ (W 30.12 प्रतिशत), चना (G 21.50 प्रतिशत), धान (P 12.75 प्रतिशत), ज्वार–अरहर (Ja 11.09 प्रतिशत), बाजरा–अरहर (Ba 10.22 प्रतिशत), बेझड़ (Be 9.90 प्रतिशत), आदि दिया गया है।

दोई महोदय के अनुसार सर्वप्रथम उन्ही फसलों को साहचर्य में सम्मिलित करते हैं, जिनका प्रतिशत योग 50 से कम है, क्योंकि 50 प्रतिशत तक सभी तत्वों की श्रेणी का क्रान्तिक मान शून्य होता हैं। अतः 50 प्रतिशत या अधिक प्रतिशत मान रखने वाला फसली क्षेत्र एकल फसल साहचर्य के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। यदि फसलों की प्रतिशत मान 50 प्रतिशत से कम होता है तो क्रमशः फसल साहचर्य में परिवर्तन देखा जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र के विकासखण्ड असोथर में इसी प्रकार की स्थिति पायी जाती है। विकासखण्ड असोथर में प्रथम फसल गेहूँ (W) का प्रतिशत मान 30.12 प्रतिशत है। इसलिए दूसरी फसल के रुप में चना (G) लिया जायेगा, जिसका प्रतिशत योग 51.72 प्रतिशत (30.12 + 21.60) है, जबकि 55 प्रतिशत वाले स्तम्भ में तीसरे तत्व का क्रान्तिक मान 2.69 है।

जबकि तीसरे फसल धान (P) का प्रतिशत मान 12.75 है, जो क्रान्तिक मान 2.69 मान से अधिक है इसलिए तीसरे फसल को भी साहचर्य में सम्मिलित किया जायेगा। तीनों फसलों का (WGP) प्रतिशत योग (30.10 + 21.60 + 12.75) 64.47 है, जो क्रान्तिक मान 66 प्रतिशत वाले स्तम्भ के लगभग बराबर है। अतः इस स्तम्भ के चौथे तत्व का मूल्य (6.07) अध्ययन क्षेत्र में पाये जाने वाले चौथी फसल ज्वार–अरहर (Ja) के प्रतिशत मूल्य (11.09) से कम है। अतः इसे भी साहचर्य में सम्मिलित करेगें। पुनः इन चारों फसलों का योग करने पर स्पष्ट होता कि कुल प्रतिशत मान (30.12 + 21.60 + 12.75 + 11.09) 74. 56 है जो क्रान्तिक मान 74 प्रतिशत वाले स्तम्भ के लगभग बराबर है। जबकि पाँचवें तत्व का मूल्य (7.3) अध्ययन क्षेत्र मे पाये जाने वाले पाँचवे फसल बाजरा–अरहर (Ba) के प्रतिशत मूल्य से कम (10.25) है, इसलिए बाजरा–अरहर को भी साहचर्य में सम्मिलित करने के उपरान्त पाँचों फसल का प्रतिशत योग (30.12 + 21.60 + 11.06 + 10.22) 84.78 प्रतिशत आता है, जिसकी

तुलना 74 प्रतिशत वाले स्तम्भ के छठें तत्व से करेगे, जिसका क्रान्तिक मान 5.51 है। जो छठें फसल मूल्य से कम है। अतः इसे भी फसल साहचर्य में सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रकार असोथर विकासखण्ड में छः फसलों (W,G,P,Ja,Be,Wg) का फसल साहचर्य पाया जाता है। इसी प्रविधि के अनुसार शेष अन्य सभी विकासखण्डों का फसल साहचर्य वर्ष 1990–91 एवं 2015–16 का किया गया है। विश्लेषणोपरान्त स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में दो फसल साहचर्य से लेकर छः फसल साहचर्य पाया जाता है। जिसका विस्तृत विवरण सारणी 2 एवं मानचित्र 2 में दिया गया है।

सारणी : 2 फसल साहचर्य प्रारुप

फसल साहचय	विकासखण्ड					
	1990-91			**2015-16**		
	संख्या	**क्षे0 (हे0)**	**प्रति0**	**संख्या**	**क्षे0 (हे0)**	**प्रति0**
दो फसली साहचय	–	–	–	3	77566	26.41
तीन फसली साहचय	2	46462	15.40	2	45358	15.44
चार फसली साहचय	4	86749	28.76	3	48757	16.61
पांच फसली साहचय	5	117992	39.12	2	36108	12.29
छः फसली साहचय	2	50439	16.72	3	85906	29.25
योग	**13**	**301642**	**100.00**	**13**	**293695**	**100.00**

अध्ययन क्षेत्र में समाहित 13 विकासखण्डों के फसल साहचर्य का विश्लेषण करनें से स्पष्ट होता है कि विभिन्न विकासखण्डों में 2 से 6 फसल साहचर्य प्रारुप पाया जाता है। अधिकांश विकासखण्डों में गेंहूँ प्रथम फसल के रुप में है, जबकि द्वितीय फसल धान है, क्योंकि हरित क्रान्ति के बाद फसलोत्पादन में इन्ही दो फसलों का वर्चस्व सम्पूर्ण गंगा के मैदान में रहा है। जबकि इन फसलों के सहयोगी फसलों के रुप में कहीं चना, बेझड़ तो कहीं ज्वार–बाजरा का साहचर्य पाया जाता है। सामान्यतः दो फसली एवं तीन फसली फसल साहचर्य उन विकासखण्डों में पाया जाता है जहाँ समतल उपजाऊ मैदान, सघन सिंचाई एवं अन्य कृषि अवस्थापनात्मक तत्व पाया जाता है। जबकि तीन से अधिक फसलों का साहचर्य उन विकासखण्डों में पाया जाता है, जहाँ धरातल असमतल व बीहड़ीकृत है एवं सिंचाई के साधनों का अभाव पाया जाता है।

यदि अध्ययन क्षेत्र के कालिक परिवर्तन पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है कि जहाँ वर्ष 1990-91 में फसल विविधीकरण का स्तर उच्च यानि चार से छः फसलों का साहचर्य पाया जाता था, जिसमें वर्षा पर आधारित धान की फसल मैदानी क्षेत्रों में प्रथम फसल के रुप में तथा ऊबड़–खबड़ क्षेत्रों में ज्वार–अरहर फसल प्रथम फसल के रुप में बोयी जाती थी, जबकि सहयोगी फसलों के रुप में बेझड़, बाजरा, चना, ज्वार–उर्द, चारा आदि फसलों की कृषि की जाती थी। वहीं वर्ष 2015–16 में कृषि अवस्थापनात्मक तत्वों के विकास, वितरण, एवं अंगीकरण के कारण फसल विविधता के स्तर में गिरावट दर्ज किया गया। यानि अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश विकासखण्डों में दो से चार फसलों का साहचर्य पाया जाने लगा है, जिसमें प्रथम फसल के रुप में गेहूँ तथा द्वितीय फसल के रुप में धान पाया जाता है। जबकि सहयोगी फसल के रुप में चना, ज्वार, बाजरा, ज्वार–अरहर, चारा, तिलहन आदि बोया जाने लगा है।

फसल साहचर्य प्रदेश

सामान्यतः किसी देश, प्रदेश एवं क्षेत्र में फसल साहचर्य प्रारुप पर भौतिक कारकों के साथ–साथ बदलते आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दशाओं का प्रभाव प्रादेशिक एवं स्थानिक स्तर पर पड़ता, जिससे कहीं पर एकल तो कहीं पर दो से अधिक फसलों का साहचर्य पाया जाता है। इसी प्रकार अध्ययन क्षेत्र में भी दो से छः फसलों का साहचर्य पाया जाता है, जिसका विस्तृत वितरण निम्नलिखित है :

दो फसली साहचर्य प्रदेश

दो फसली फसल साहचर्य प्रतिरुप सामान्यतः उन विकासखण्डों में पाया जाता है, जहाँ समतल उपजाऊ मैदान व सघन सिंचाई के साथ–साथ उच्च सांस्कृतिक विकास पाया जाता है। यदि अध्ययन क्षेत्र के फसल साहचर्य के कालिक व क्षेत्रीय परिवर्तन (सारणी 2 व मानचित्र 2) पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है जहाँ वर्ष 1990–91 में फसल विविधता का स्वरुप उच्च होने के कारण दो फसली फसल साहचर्य के अन्तर्गत एक भी विकासखण्ड सम्मिलित नही थे, वहीं वर्ष 2015–16 में उच्च कृषि विकास के कारण कृषि विशेषीकरण का स्तर क्रमशः उच्च होने से इस वर्ग के अन्तर्गत 3 विकासखण्ड (77566 हेक्टेयर) यथा तेलियानी (W.P.), भिटौरा (W.P.), एवं मलवां (W.P.) सम्मिलित हो गये। इन विकासखण्डों की अवस्थित सामान्यतः समतल मैदानी क्षेत्रों में होने के कारण सिंचाई सघनता उच्च (80 प्रतिशत से अधिक) होने से कृषि अवस्थापनात्मक तत्वों का अंगीकरण भी उच्च हुआ है। सामान्यतः इन विकासखण्डों में प्रथम फसल के रुप में गेहूँ तथा द्वितीय फसल के रुप में धान का साहचर्य पाया जाता है।

तीन फसली साहचर्य प्रदेश

इस वर्ग के अन्तर्गत वे विकासखण्ड आते है जो नगर से दूर स्थित होने के साथ ही साथ अपेक्षतया सिंचाई सघनता का स्तर व कृषि अवस्थापनात्मक तत्वों की उपलब्धता मध्यम स्तर की पायी जाती है। तीन फसली फसल साहचर्य के कालिक व क्षेत्रीय परिवर्तन (सारणी 2 व मानचित्र 2) पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है कि वर्ष 1990–91 एवं 2015–16 में क्रमश दो–दो विकासखण्ड इस वर्ग में समिलित थे, लेकिन उनकी स्थिति भिन्नता लिए हुए है। वर्ष 1990–91 में तेलियानी एवं हथगांम विकासखण्डों (46462 हेक्टेयर) में धान, गेंहूँ तथा ज्वार–अरहर का साहचर्य पाया जाता था। वहीं वर्ष 2015–16 में तीन फसली फसल साहचर्य की अवस्थिति परिवर्तित होकर मध्य क्षेत्र में अवस्थित विकासखण्ड (45358 हेक्टेयर) बहुवा एवं हसवा में हो गया। जहाँ विगत वर्षों में चार (WPBeG) एवं पाँच (P.W.Be.Ja.G) फसल साहचर्य पाया जाता था। यदि विकासीय प्रक्रिया इसी प्रकार रही तो आने वाले समयों में कृषि विविधता का स्तर गिरेगा तथा कृषि विशेषीकरण का स्तर उच्च होगा।

चार फसली साहचर्य प्रदेश

चार फसली फसल साहचर्य उन विकासखण्डों में पाया जाता है, जहाँ प्राकृतिक तथा समाजार्थिक तत्वों की प्रतिबन्धित दशाएं पायी जाती है। इन विकासखण्डों में कृषक जीविकोंनिर्वाहक कृषि करते है, जिससे स्थली एवं मौसमी दशाओं के अनुसार फसलों की संख्या अधिक हो जाती है। यदि अध्ययन क्षेत्र में फसल साहचर्य के कालिक परिर्वतन पर दृष्टिपात करें तो जहाँ वर्ष 1990–91 में इस वर्ग के अन्तर्गत चार विकासखण्ड (86749 हेक्टेयर) यथा बहुवा (W,P,Be,G), भिटौरा (P,W,Ja,Be), मलवां (W,Be,P, Ja), एवं ऐराय (W,P,Be,Ja) सम्मिलित थे। वहीं कृषि अवस्थापनात्मक तत्वों के विकास, वितरण व अंगीकरण के कारण 2015–16 में विकासखण्डों (48757 हेक्टेयर) की संख्या घटकर तीन यथा देवमई (W,P,G,Ch), विजयीपुर

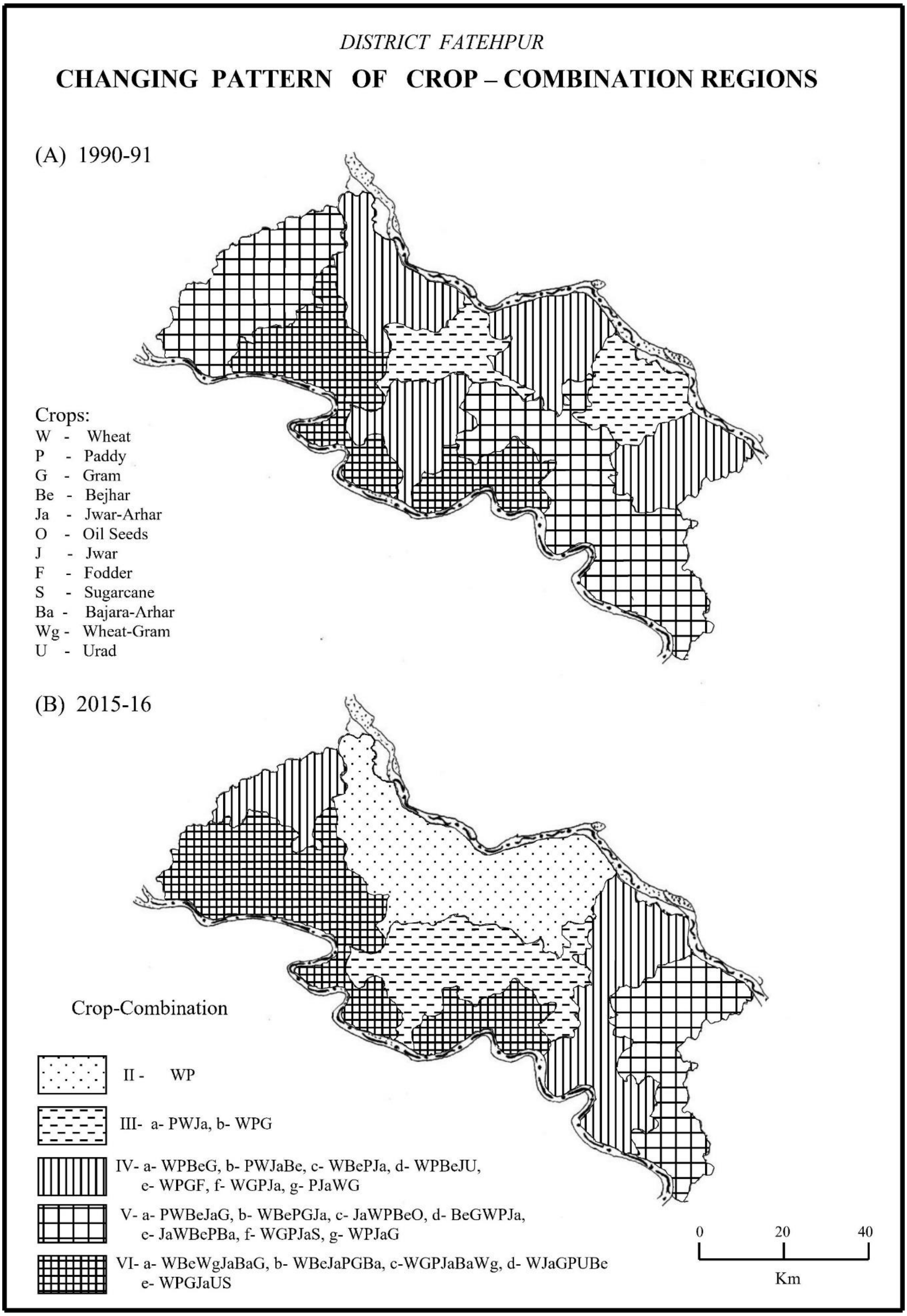
DISTRICT FATEHPUR
CHANGING PATTERN OF CROP – COMBINATION REGIONS
(A) 1990-91
Crops:
W - Wheat
P - Paddy
G - Gram
Be - Bejhar
Ja - Jwar-Arhar
O - Oil Seeds
J - Jwar
F - Fodder
S - Sugarcane
Ba - Bajara-Arhar
Wg - Wheat-Gram
U - Urad
(B) 2015-16
Crop-Combination
II - WP
III- a- PWJa, b- WPG
IV- a- WPBeG, b- PWJaBe, c- WBePJa, d- WPBeJU, e- WPGF, f- WGPJa, g- PJaWG
V- a- PWBeJaG, b- WBePGJa, c- JaWPBeO, d- BeGWPJa, e- JaWBePBa, f- WGPJaS, g- WPJaG
VI- a- WBeWgJaBaG, b- WBeJaPGBa, c-WGPJaBaWg, d- WJaGPUBe e- WPGJaUS
0 20 40
Km

मानचित्र –2

(W,G,P,Ja), एवं हथगांम (P,Ja,W,J), रह गया। सामान्यतः देवमई (Ja,W,P,Be,O) एवं विजयीपुर (Ja,W,,Be,P,Ba) ऐसे विकासखण्ड हैं, जहाँ वर्ष 1990–91 में पाँच फसल साहचर्य तथा हथगांम में तीन फसल साहचर्य (P,W,Ja) पाया जाता है। लेकिन अवस्थापनात्मक तत्वों के विकास व अंगीकरण के कारण फसलों की संख्या कम होती जा रही है।

पाँच फसली साहचर्य प्रदेश

इस वर्ग के अन्तर्गत आनें वाले विकासखण्डों की अवस्थित सामान्यतः अध्ययन क्षेत्र के विकास ध्रू (नगर फतेहपुर) से दूरस्थ क्षेत्रों में पायी जाती है। यदि कालिक एवं क्षेत्रीय परिवर्तन पर दृष्टिपात करें तो जहाँ वर्ष 1990–91 में विकासखण्डों (117992 हेक्टेयर) की संख्या पाँच यथा हसवा (P,W,Be,Ja,G), अमौली (W,Be,P,G,Ja), धाता (Be,G,W,P,Ja), विजयीपुर (Ja,W,Be,P,Ba), एवं देवमई (Ja,W,P,Be,O) थी। वहीं वर्ष 2015–16 में जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की बढ़ती मांग को देखते हुए तथा कृषि विकास प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरुप समतलीकरण एवं सिंचाई की सुनिश्चितता होने से कृषक खाद्यान्न उत्पादन विशेषतः गेहूँ व धान की खेती करने लगे, जिससे जीवन निर्वाहक कृषि के स्थान पर विशेषीकृत कृषि प्रवृत्ति आने से फसलों की संख्या क्रमशः कम होने से विकासखण्डों (36108 हेक्टेयर) की संख्या घटकर मात्र दो यथा धाता (W,G,P,Ja,S) तथा ऐराय (W,P,Ja,G) रह गयी, जिनकी अवस्थित बीहड़ीकृत क्षेत्रों (बरुना नदी एवं ससुरखदेरी नदी बेसिन) में पायी जाती है, जहाँ कृषि विकास की प्रतिबन्धित दशाएं पायी जाती है। यदि कृषकों को सरकारी तन्त्र से सहायता प्राप्त होती है, तो सम्भवतः इन विकासखण्डों में विशेषीकृत कृषि के स्तर में और भी सुधार होता है।

छः फसली साहचर्य प्रदेश

छः या अधिक फसल साहचर्य की स्थित उन क्षेत्रों या विकासखण्डों में पायी जाती है, जहाँ कृषि विकास की प्रतिबन्धित दशाएं पायी जाती हैं, जिससे कृषकों को मजबूर होकर जीवकोनिर्वाहक फसलों की कृषि स्थानिक भौगोलिक दशाओं के अनुरुप करनी पड़ती है। अध्ययन क्षेत्र में यमुना नदी के तटवर्ती बीहड़ीकृत क्षेत्रों में ऐसी ही स्थिति व्याप्त है। यदि अध्ययन क्षेत्र के फसल साहचर्य के क्षेत्रीय एवं कालिक परिवर्तन पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है कि जहाँ वर्ष 1990–91 में इस वर्ष के अन्तर्गत आने वाले विकासखण्डों (50439 हेक्टेयर) की संख्या दो यथा असोथर (W,Be,Wg,Ja,Ba,G), तथा खजुहा (W,Be,Ja,P,G,Ba), थी। वहीं वर्ष 2015–16 में बीहड़ीकृत प्रक्रिया की तीव्रता के कारण विकासखण्ड अमौली (नान नदी) के सम्मिलित हो जाने से विकासखण्डों (85906 हेक्टेयर) की संख्या बढ़कर तीन हो गयी यदि बीहड़ीकृत प्रक्रिया पर प्रतिबन्ध एवं सुधार की योजना न लागू किया गया तो नदी तटवर्ती क्षेत्रों में कृषि प्रतिबन्धित दशाओं के विकास के कारण कृषकों को मजबूर होकर जीविकोनिर्वाहक कृषि करनी पड़ेगी।

उपरोक्त विश्लेषणों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में दो से छः फसल साहचर्य प्रारुप पाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में वर्षा की अनिश्चितता, सिंचाई साधनों की कमी तथा प्राचीन रुढ़िवादी कृषि पद्धति के फलस्वरुप फसलों में भिन्नता पायी जाती है, जिससे बहुसंख्य कृषक अपनी आवश्यकताओं के अनुरुप कुछ प्रमुख फसलों की खेती न करके एक से अधिक फसलों को उत्पादित करना पसन्द करते हैं। समतल मैदानी क्षेत्रों में जहाँ सघन जनसंख्या पायी जाती है, वहाँ खाद्यान्न उपादन करने हेतु फसलों की संख्या कम पायी जाती है वहीं कम वर्षा एवं कम उपजाऊ ऊबड़–खाबड़ क्षेत्रों में स्थानिक विशेषताओं के अनुरुप फसलों की संख्या अधिक हो जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि फसलों के निर्धारण में जहाँ एक तरफ प्राकृतिक कारक यथा धरातलीय बनावट व प्रवाह प्रणाली, मृदा प्रकार व उर्वरा शक्ति का स्तर, वर्षा की मात्रा आदि अपनी अहम भूमिका निभाते

हैं, वहीं सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों यथा जनसंख्या, सिंचाई के साधनों की सघनता व सुलभता, परम्परायें, भोजन की आदतें, परिवहन सुविधाएं बाजार की समीपता, कृषि अवस्थापनात्मक तत्व आदि का भी स्पष्ट रुप से प्रभाव देखा जा सकता है।

वर्ष 1990–91 एवं उसके पूर्व फसलों की संख्या अधिक होने सें अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश विकासखण्डों में फसल विविधीकरण का स्तर उच्च था। लेकिन कृषि अवस्थापनात्मक तत्वों के सतत् विकास, वितरण एवं अंगीकरण के फलस्वरुप कृषकों का ध्यान अधिक ऊर्जा एवं अधिक मुद्रा प्रदायिनी फसलों की कृषि के प्रति बढ़ने के कारण फसल सघनता में निरन्तर वृद्धि हुई है, साथ ही साथ खाद्यान्न फसलों विशेषतः गेहूँ व धान के उत्पादन के तरफ कृषकों का रुझान अद्यतन जारी है, जिससे विशेषीकरण का स्तर क्रमशः उच्च होता जा रहा है। अध्ययन क्षेत्र में उत्पादित फसलों में 71.17 प्रतिशत खाद्यान्न पदार्थ से सम्बन्धित फसलें होती है। इसका प्रमुख कारण अध्ययन क्षेत्र में गैर प्राथमिक व्यवसाय विशेषतः उद्योग धन्धों का अभाव तथा सघन जनसंख्या है। अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र समाजार्थिक विकास की दृष्टि से उपेक्षित रहा है, जिससे न तो यहाँ का औद्योगिक विकास ही हुआ है और न तो यहाँ कृषि सम्बन्धित विकास ही पर्याप्त मात्रा में हुआ है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में क्रमशः कृषि विकास प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरुप कृषि अवथापनात्मक तत्वों का वितरण एवं अंगीकरण अधिक होने से फसल विविधता सूचकांक में क्रमशः वृद्धि हुई है। बहुसंख्य कृषक बाजार मांग एवं आवश्यकताओं के अनुरुप अधिक उत्पादन देने वाले फसल विशेष की कृषि करनें के प्रति झुकाव बढ़ने से अध्ययन क्षेत्र में कृषि विविधता के स्तर में क्रमशः गिरावट दर्ज किया गया। समतल मैदानी क्षेत्रों में जहाँ सघन जनसंख्या पायी जाती है, वहाँ खाद्यान्न उत्पादन करनें हेतु क्रमशः फसलों की संख्या कम पाये जाने से निम्न फसल विविधता पायी जाती है। निम्न उर्वरता व ऊबड़–खाबड़ क्षेत्रों में स्थानिक विशेषताओं के अनुरुप फसलों की संख्या अधिक होने से उच्च फसल विविधता पायी जाती है, क्योंकि फसल विविधता के निर्धारण में जहाँ एक तरफ प्राकृतिक कारकों यथा धरातलीय बनावट व प्रवाह प्रणाली, मृदा प्रकार व उर्वरा शक्ति का स्तर, वर्षा की मात्रा आदि अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं सामाजार्थिक कारकों यथा जनसंख्या, सिंचाई साधनों की सघनता एवं सुलभता, परम्परायें, भोजन की आदतें, परिवहन सुविधाएं बाजार की समीपता, कृषि अवस्थापनात्मक तत्वों आदि का भी स्पष्ट रुप से प्रभाव देखा जा सकता है।

वर्ष 1990–91 एवं उसके पूर्व फसलों की संख्या अधिक होने से अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश विकासखण्डों में फसल विविधीकरण का स्तर उच्च एवं मध्यम था। लेकिन कृषि विकासीय प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरुप कृषि अवस्थापनात्मक तत्वों के वितरण एवं अंगीकरण के कारण कृषकों का ध्यान अधिक ऊर्जा एवं अधिक मुद्रा प्रदायिनी फसलों की कृषि के प्रति बढ़नें के कारण फसल विशेष (गेहूँ व धान) की कृषि करने से फसल विविधीकरण सूचकांक में क्रमशः वृद्धि हुई है, जिससे फसल विविधीकरण का स्तर निम्न होता जा रहा है। यदि भूमि सुधार एवं कृषि विकासीय प्रक्रियाएं एवं खाद्यान्न उत्पादन के प्रति कृषकों का झुकाव इसी तरह रहा तो फसल विविधीकरण के स्तर में क्रमशः गिरावट आता जायेगा, परिणाम स्वरुप कृषि पारिस्थितिकीय तन्त्र के स्तर में गिरावट यानी मृदा उत्पादकता में ह्रास होगा, जिससे कहीं पर कृषि उत्पादकता में स्थिरता आयेगी तो कहीं पर गिरावट। अतः अध्ययन क्षेत्र में सरकारी प्रयासों से आधुनिक कृषि विविधीकरण के स्तर में उत्तरोत्तर उन्नयन करने की आवश्यकता है।

मिश्रित फसलोत्पादन की संस्थिति

कृषक जब अपने खेतों में एक समय में एक से अधिक फसलों को मिश्रित रुप में बोते है तो उसे मिश्रित फसलों कहते है। सामान्यतः धरातलीय एवं मौसमी विविधता वाले क्षेत्रों में कृषक को अपने जीवकोनिर्वाहन हेतु बाध्य होकर मिश्रित फसलोंत्पादन करता है। मिश्रित फसलोंत्पादन की दो विधियाँ अपनायी जाती है। पहली विधि में एक ही ऋतु में एक साथ अनेक फसलें

उगायी जाती है जबकि दूसरी पद्धति में एक वर्ष में एक खेत में कई फसल अलग–अलग ऋतुओं में बोई जाती है। मिश्रित फसलोंत्पादन पद्धति उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहाँ सिंचाई एवं अन्य तकनीकों का विकास नही हो पाया है, क्योंकि मिश्रित फसलोंत्पादन पद्धति का निर्णय कृषक दो कारणों यथा वर्षा की अनिश्चितता व मात्रा एवं न्यूनतम कृषि भूमि पर अधिकतम फसल उत्पादन की भावना से लेता है (*बी0 बी0 सिंह, 1979*)। एक इकाई क्षेत्र में एक ही ऋतु में मिश्रित फसलोत्पादन से निम्नलिखित लाभ होते हैं :

- प्रतिकूल जलवायु तथा कीट–व्याधियों से किसी एक फसल के क्षति ग्रस्त होने पर दूसरी फसल उसकी भरपायी कर देती है।
- विविध फसलों को उगाने से मृदा की उर्वराशक्ति कायम रखने के साथ–साथ कृषक को विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद भी प्राप्त होते रहते हैं।
- मिश्रित फसलोत्पादन करने से उत्पादन लागत कम होने के साथ–साथ कृषक को बार–बार जुताई, निराई, गुड़ाई आदि से भी छुटकारा मिलती है।
- मिश्रित फसलोत्पादन से मृदा अपक्षालन एवं अपरदन में कमी आती हैं।
- मिश्रित फसलोत्पादन से मुख्य फसल की सुरक्षा हो जाती है जैसे गन्ना के चारों ओर चार–पाँच पंक्तियों में पटसन या सनई बोने से गन्ने की सुरक्षा होती है।

अध्ययन क्षेत्र में सामान्य रुप से धरातलीय विविधता पायी जाती है, जिससे हरित क्रान्ति के पूर्व अधिकांश कृषित क्षेत्रों में मिश्रित फसलोत्पादन पद्धति अधिक अपनायी जाती थी लेकिन हरित क्रान्ति के प्रभाव के कारण वर्तमान समय में मिश्रित फसलोत्पादन पद्धति क्रमशः कम होती जा रही है और इसका स्थान विशेषीकृत फसलोत्पादन लेता जा रहा है, जिसका विस्तृत विवरण प्रतिदर्श ग्रामों के सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से स्पष्ट है।

सारणी : 3 प्रतिदर्श ग्रामों में मिश्रित फसलोत्पादन की स्थिति

उदाहण	1990–91	2015–16
1.	ज्वार+बाजरा+अरहर+उर्द+लोबिया	ज्वार+अरहर+बाजरा (अंसिचित क्षेत्र)
2.	ज्वार+बाजरा+अरहर+सांवा	ज्वार+अरहर (अंसिचित क्षेत्र)
3.	ज्वार+बाजरा+अरहर+उर्द	अरहर+मूगंफली
4.	ज्वार+सांवा+तिल	अरहर+शकरकन्द
5.	ज्वार+अरहर+मूगंफली	अरहर+उर्द+तिल
6.	ज्वार+बाजरा+अरहर+मूंग	मक्का+अरहर
7.	अरहर+मूगंफली+सनई	बाजरा+अरहर (अंसिचित क्षेत्र)
8.	अरहर+गन्ना	गेहूँ +सरसों
9.	अरहर+उर्द	गेहूँ +जौ+चना+मटर+सरसों (बेझड़)
10.	अरहर+मूंग	जौ+सरसों
11.	अरहर+मूगंफली	जौ+चना (अंसिचित क्षेत्र)
12.	अरहर+सब्जी	चना+सरसों

13.	अरहर+कोहड़ा+रामदाना	मसूर+अलसी
14.	मक्का+अरहर+उर्द	गन्ना+प्याज
15.	मक्का+अरहर+ककड़ी+खीरा	–
16.	मक्का+मिर्चा	–
17.	मक्का+अरहर+मूंग	–
18.	शकरकन्द+रामदाना+अरहर	–
19.	गेहूँ+जौ+सरसों+अलसी+मटर+केसारी	–
20.	गेहूँ +सरसों	–
21.	गेहूँ +जौ+चना+सरसों+अलसी	–
22.	गेहूँ +चना	–
23.	जौ+चना	–
24.	जौ+सरसों	–
25.	आलू+मूली	–
26.	आलू+सरसों	–
27.	आलू+धनिया	–
28.	आलू+पालक	
29.	आलू+मेथी+सोवा	

स्रोत : खसरा रिकार्ड, प्रतिदर्श ग्राम, जनपद फतेहपुर।

अध्ययन क्षेत्र में मिश्रित फसलोत्पादन पद्धति के अध्ययन हेतु अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से 5 प्रतिदर्श ग्रामों का यादृच्छिक विधि से चयन किया गया है (सारणी 3) प्रतिदर्श ग्रामों का क्षेत्रीय एवं कालिक विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि जहाँ वर्ष 1990–91 में दो से छः फसलों को एक साथ मिश्रित रुप में बोया जाता था। वहीं वर्ष 2015–16 में सिंचाई एवं अन्य कृषि तकनीकों के विकास के कारण अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश विकासखण्डों में मिश्रित फसलोत्पादन की स्थिति में परिवर्तन होने से एकल फसल बोया जाता है। मिश्रित फसलोत्पादन केवल उन्ही क्षेत्रों में अभी भी है जहाँ धरातलीय विविधता अधिक है या सिंचाई साधनों की कमी है।

सिंचाई, उच्च उत्पादकता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशी दवायें, मशीनीकरण आदि के विकास व अंगीकरण के कारण मिश्रित फसलोत्पादन के स्थान पर विशेषीकृत फसलोत्पादन (एकल फसलोत्पादन) को क्रमशः बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि इन तकनीकों के कारण प्रकृति पर निर्भरता कम होने के साथ ही साथ ऐसी तकनीकी व्यवस्था से एकल फसलोत्पादन सरल एवं सुविधाजनक हो गया है। विशेषीकृत फसलोत्पादन में जुताई से लेकर मड़ाई तक के सभी कार्यों में कृषक मजदूरों व पशुओं के स्थान पर यन्त्रों एवं मशीनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में मिश्रित कृषि करना कठिन सा होता जा रहा है, क्योंकि अलग–अलग समयों में पकने के कारण फसलो की कटाई मशीनों से नही की जा सकती कई फसलें ऐसी हैं जिसे साथ–साथ मड़ाई (थ्रेसर) करने से कुछ फसलों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है जैसे गेहूँ के साथ सरसों की मड़ाई करने से सरसों भूसे के साथ ही उड़ जाता है। सामान्यतः मिश्रित फसलोत्पादन लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि वे अपने सीमित भूमि से वर्ष में कई फसलों का उत्पादन प्राप्त कर लेता है, जो आज सम्भव नही है।

फसल चक्र

किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत फसलन ऋतु में फसलों का इस अनुक्रम में उगाया जाना है कि मृदा कि उर्वरा शक्ति कम से कम ह्रास हो इस प्रक्रिया को फसल चक्र अथवा फसलों का हेर–फेर कहा जाता है, जो संधृत कृषि विकास के लिए अतिआवश्यक है, क्योंकि इस प्रक्रिया से अवशोषित होने वाले तत्वों की आपूर्ति अगली फसल से होती रहती है। अर्थात उचित फसल चक्र अपनाने से (अनाज–दलहन–अनाज) मृदा पारिस्थितिकीय समृद्ध एवं दीर्घकाल तक उत्पादकता की दृष्टि से सक्षम बनी रहती है। लेकिन हरित क्रान्ति के बाद गंगा के मैदानी भागों में फसल चक्र पद्धति में अवरोध आया है और इसका स्थान विशेषीकृत (धान–गेहूँ) फसलोत्पादन ने ले लिया है। जो कृषिगत संधृतता की दृष्टि से उचित नही है। सामान्यतः फसल चक्र मौसमी एवं धरातलीय विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, जिससे कृषको को अनेकानेक लाभ मिलता रहता है।

अध्ययन क्षेत्र में हरित क्रान्ति के पूर्व सामान्य रुप से धरातलीय एवं मौसमी विविधता के कारण फसल चक्र एक पारम्परिक प्रक्रिया थी लेकिन हरित क्रान्ति के प्रभाव के कारण वर्तमान समय में क्रमशः फसल चक्र अवरोधित हुआ है और उसका स्थान विशेषीकृत (धान–गेहूँ) ने ले लिया है। जिसका विस्तृत विवरण प्रतिदर्श ग्रामों के सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से स्पष्ट होता है। अध्ययन क्षेत्र में फसलचक्र पद्धति के अध्ययन हेतु अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से व प्रतिदर्श ग्रामों का यादृच्छिक विधि से चयन किया गया है प्रतिदर्श ग्रामों का क्षेत्रीय एवं कालिक विश्लेषण करनें से स्पष्ट होता है कि जहाँ वर्ष 1990–91 में विभिन्न ऋतुओं के अनुसार फसलों का चयन उचित फसल चक्र पद्धति नही अपनायी गयी है। फसल चक्र केवल उन्ही क्षेत्रों में अभी भी अपनायी जाती है, जहाँ धरातलीय विविधता अधिक है या सिंचाई साधनों में कमी है।

सारणी : 4 प्रतिदर्श ग्रामों में फसल चक्र

उदाहरण	1990–91	2015–16
1	गन्ना–गन्ना पेड़ी–धान	गन्ना–धान
2	आलू–गेहूँ–चारा	धान–आलू–गेहूँ
3	मक्का–आलू–गेहूँ–टमाटर	धान–गेहूँ–चना
4	भिण्डी–गेहूँ	धान–चना
5	मूंगफली–सरसों	–
6	मूंगफली–मटर–गन्ना	–
7	धान–जौ–ज्वार–बाजरा	–
8	धान–मटर–चरी	–
9	ज्वार–बाजरा–धान	–
10	बाजरा–अरहर–गेहूँ	–

स्रोत : खसरा रिकार्ड, प्रतिदर्श ग्राम, जनपद फतेहपुर।

वर्तमान समय में खरीफ में धान रबी में गेहूँ ही मुख्य फसलें रह गयी है, जिससे कृषि पारिस्थितिकीय में अनेकानेक विसंगतियाँ उत्पन्न हो गयी हैं जो संधृत कृषि के लिए ठीक नही है।

संधृत फसलोत्पादन हेतु स्थानिक नियोजन

अतः आज कृषि क्षेत्र को फिर से बदलाव की आवश्यकता है। पारम्परिक एवं आधुनिक कृषि के समन्वय से आधुनिक फसल साहचर्य एवं कृषि विविधीकरण पद्धति को विकसित कर प्राप्त किया जा सकता है। यह कोई नई पद्धति नही है बस इसे नये ढ़ंग से अपनाने की आवश्यकता है। इस पद्धति के द्वारा आधुनिक कृषि (सम फसल पद्धति) से उत्पन्न हुई समस्याओं को कम करने के साथ–साथ संधृत कृषि की प्राप्ति भी हो सकती है। इस प्रविधि को अपनाकर बरानी तथा सिंचित दोनों क्षेत्रों में समुचित एवं सन्तुलित कृषि उत्पादकता प्राप्त किया जा सकता हैं। इसके अलावा फसल साहचर्य एवं फसल विविधीकरण को अपनाने से निम्नलिखित अन्य लाभ भी प्राप्त किये जा सकते हैं :

- फसल साहचर्य एवं फसल विविधीकरण अपनाकर एक साल में कई फसलें उत्पन्न की जा सकती है, जिससे किसानों को वर्ष पर्यन्त फसलोत्पादन एवं रोजगार प्राप्त होता है। परिणाम स्वरुप उसकी आमदनी कई गुना बढ़ जाती है।
- एक फसल से होने वाली क्षति को दूसरे फसल से पूरा किया जा सकता है।
- विभिन्न फसलों के उत्पादन से विविधता आती है, जिससे सन्तुलित भोजन प्राप्त होता है।
- फसल साहचर्य एवं फसल विविधता से वर्ष भर रोजगार उपलब्ध रहता है तथा युवा पीढ़ी को शहरों के पलायन से रोका जा सकता है।
- फसल साहचर्य एवं फसल विविधता बाजार की कीमतों के उतार–चढ़ाव को भी नियन्त्रित करता है।
- फसल साहचर्य एवं फसल विविधता से बदलते मौसम के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है।
- मात्रात्मक पहलू के साथ–साथ गुणात्मक रुप से भी फसल साहचर्य एवं फसल विविधीकरण उत्पाद अधिक उपयोगी है, क्योंकि निर्यातोन्मुखी फसलों का उत्पादन अधिक होता है जो कृषकों के वार्षिक आय को बढ़ाता है।
- फसल साहचर्य एवं फसल विविधता अपनाकर मृदा एवं जल जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक तत्व के गुणवत्ता को सन्तुलित किया जा सकता है।
- फसल साहचर्य एवं फसल विविधता अपनाने से खरपतवारों, कीटों तथा व्याधियों के प्रभावों से बचा जा सकता है।

इस प्रकार सन्तुलित खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा व ईधन की आपूर्ति के साथ–साथ मृदा उर्वरता व उत्पादकता बनाये रखने के लिए फसल साहचर्य एवं फसल विविधीकरण एक उत्तम विकल्प है। कृषिगत भूमि वर्ष में न्यूनतम अवधि तक खाली न रहे तथा वर्ष पर्यन्त कृषि श्रम का सम्यक् उपयोग हो परिणाम स्वरुप कृषक को अधिकतम आय प्राप्त हो सके। इस प्रकार कृषिगत विविधता द्वारा ही टिकाऊ ग्रामीण व कृषि विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी व श्रमअतिरेक को न्यूनतम किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

[1]. Ahmad, A. and M.F. Siddique (1967), "Crop Association Patterns in Luni Basin", The Geographer, Vol.14.

[2]. Aiyer, N. P. (1969), "Crop Region of Madhya Pradesh: A Study in Methodology Geographical Review of India, Vol. XXXI, No.1, pp.1-9.

[3]. Ali, Massood (2006), "Crop Diversification: Concept, Need and Approaches", Proceeding of ICAR Sponsored Summer School, Indian Institute of Pulses Research, Kanpur, pp. 1-12.

[4]. Araki Hitoshi and Chandel,R.S.(2013)India Introduction of New Commercial Crop into a Rural Village : Case of Horticultue Production in Dedaur Village , U.P., India, Geographical Review Of Japan , Series B ,The Association of Japanes Geographical Journal, Vol.86, No.2,pp.174-188.

[5]. Bhatia, S.S. (1969), "An Index of Crop Diversification", Professional Geographer Vol. 44, pp.3-4.

[6]. Chandel, R.S. (1989), "Agricultural Productivity of Konch Block: A Case Study", Rural Systems, Vol. VII, No. 3, pp. 193-205.

[7]. Chandel, R.S. (1991), "Agricultural Change in Bundelkhand Region", Star Distributors (Publication Division), Varanasi.

[8]. Chandel, R.S. and Dixit, K. K. (2004), "Rural Transformation and Sustainable Planning", Indian Research Journal of Social Science, Vol. 8, No. 1, pp. 39-48.

[9]. Chandel, R. S. and Araki Hitoshi (2014), An Assessment and Management of Cultivable Wastelands of Sustainable Agricultural Development: A Case Study of Raebareli,U. P, India, Journal of Contemporary India Studies :Space and Society, Hiroshima University, Japan,.4,pp. 01-14. Vol

[10]. Chandel, R.S. and Singh, V.R. (1992), "Problems and Prospect of Dry Agriculture in India : An Analytical Study" (Hindi), Geo-Science Journal, Vol. 6, pp.1-2.

[11]. Chauhan, V.S. (1971), "Crop Combination in the Jamuna-Hindon Tract", The Geographical Observer, Vol.7.

[12]. Coppock, J. T. (1964), "Crop Combination", An Agricultural Atlas of England and Wales, p. 101.

[13]. Dayal, E. (1967), "Crop Combination Regions: A Case Study of Punjab Plains", Netherland Journal of Economic and Social Geography.

[14]. Hussain, M. (1970), "Pattern of Crop Combination in U.P.", Geographical Review of India, Vol. 32, Pts. (3).

[15]. Nitya Nand (1972), "Crop Combination Regions in Rajasthan", Geographical Review of India, Vol.4.

[16]. Roy, B. K. (1967), "Crop Association and Changing Pattern of Crops in Gang-Ghaghara, Daob, East, Town. of India, National Geographer, Vol. 13, Pts. (4).

[17]. Shafi, M. (1984), "Agricultural Productivity and Regional Imbalances", Concept Publications, New Delhi.

[18]. Sharma, T. C. (1972), "Pattern of Crop Landuse in Uttar Pradesh", Deccon Geographer, Vol.10, Pts. (1).

[19]. Singh, A. P. (1986), "Crop Combination Regions in Samastipur District", Vol. XXII, No.2, pp.50-62.

[20]. Singh, B.B. (1973), "Cropping Pattern of Baraut Block: A Temporal Variation", Geographical Observer, Vol. 9, pp. 51-60.

[21]. Singh, V.R. and Chandel, R.S. (1991), "Changes in Crop Combination Regions in Bundelkhand Region: A Case Study", Geographer, Vol.1, No.1, pp. 46-51.

[22]. Weaver, J.C. (1954), "Changing Pattern of Crop-Land use in the Middle West", Economic Geography, Vol. 30, pp. 34-55.

[23]. Weaver, J. C. (1954), "Crop Combination Region in the Middle West", Geographical Review, Vol. 44, pp. 175-200.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

संहितास्कन्धे सद्योवृष्टिविमर्शः

डॉ. रामदास शर्मा
सहायकाचार्यः, ज्योतिषविभागः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मू।

Article Info
Volume 3 Issue 3
Page Number : 187-191

Publication Issue :
May-June-2020

Article History
Accepted : 20 May 2020
Published : 30 May 2020

शोधसारः– महर्षिणा पराशरेण कृषिपाराशरग्रन्थे शनिभौमयोः राशिपरिवर्तनकाले भाविवृष्टेः सम्भावना कथिताः तथा बृहस्पतेरपि राशि परिवर्तनेन वृष्टिकारकः भवति। ग्रहाणामुदयास्तकालेऽपि वृष्टिर्जायते तथा च नक्षत्रेषु ग्रहाणां संक्रमणेन अपि वृष्टिः भवति परन्तु बृहत्संहिताकारेण अस्मिन् विषये सूक्ष्मातिसूक्ष्म चिन्तनं कृतम्। ग्रहनक्षत्रचारग्रहोदयास्तानां काले कृषित्मवृष्टिम् इत्यस्य विस्तृतवर्णनं कृतम्। विष्णुधर्मोत्तरेऽपि नक्षत्रपरिवर्तनेन वृष्टेः फलं कथितम्। अतः समीक्ष्या ज्ञायते यत् पराशरस्य मतस्य अनुसरणं वराहेण कृतं परन्तु अत्यन्तं प्रमाणिकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं विस्तृतवर्णनं च कृतम्।

मुख्यशब्दाः– संहितास्कन्धः वृष्टिः भेकः जनः नक्षत्रः पराशरः राशिः।

वृष्टिकाले अचिराज्जायमानायाः वृष्टेः लक्षणानि किञ्चित्कालात् प्रागेव दृश्यन्ते। प्राचीनवृष्टिविज्ञानदृष्ट्या लक्षणानामेतेषां ज्ञानं परमावश्यकम्। सद्योवृष्टिनाम किञ्चितकाल प्रागेव जायमाना वृष्टिः। किञ्चित्कालान्तरं भाविन्या वृष्टेः पूर्वानुभवो यथा पशुपक्षिणां भुवि निवसतां कीटसरीसृपादीनां मत्स्यभेकादीनां जलचराणां प्राणिनां च भवति तथा मानवानां न भवति। प्रश्नद्वारा अपि सद्योवृष्टिज्ञः ज्ञानम् क्रियते, सद्योवृष्टिज्ञानाय कोऽपि जनः यदि जले जलनिकटे वा प्रश्नं करोति तदा शीघ्रमेव वृष्टिः भवति। सन्दर्भेऽस्मिन् महर्षिणा पराशरेण प्रोक्तं यथा –

जलस्थो जलहस्तो वा निकटेऽथ जलस्य वा।
प्रष्टा पृच्छति वृष्ट्यर्थं वृष्टिः संजायतेऽचिरान्।।[1]

अर्थात् जलमध्ये तिष्ठत्वा हस्तेजलमादाय अपि च जलस्य सन्निकटे कश्चिद् वृष्टिविषयकप्रश्नं पृच्छति तदा अचिरात् वृष्टिः जायते। अण्डमादय पिपीलिका गच्छन्ति अथवा अकाले मण्डुकाध्वनि कुर्वन्ति तदा शीघ्रमेव वृष्टिः भवति यथोक्तं पराशरेण–

उत्तिष्ठत्यण्डमादाय यदा चैव पिपीलिका।
भेकः शब्दायतेऽकस्मात् तदा वृष्टिर्भवति।।[2]

अर्थात् पिपीलिका अण्डमादाय निर्गच्छन्ति अथवा भेकः अकस्मात् शब्दायते तदा शीघ्रमेव वृष्टिर्जायते। विडाल–नकुल–सर्पादीनां लक्षणेन सद्योवृष्टिः ज्ञानं जायते, यथोक्तं पराशरेण –

विडाला नकुलाः सर्पा ये चान्ये वा विलेशयाः।
धवन्ति शलभा मत्ताः सद्यो वृष्टिर्भवेद् ध्रुवम्।।[3]

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

अर्थात् यदि विडाल–नकुल–सर्पादीनां बिलनिवासिनां प्राणिनां च शलभादीनां मदमत्तेन धावन्ति तदा शीघ्रमेव वृष्टिर्जायते। बालकः धूलिभिः सेतुबन्धनं कुर्वन्ति, तथा च मयूराः नृत्यन्ति तदा सद्योवृष्टिः भवति। यथोक्तं पराशरेण –

कुर्वन्ति बालका मार्गे धूलिभिः सेतुबन्धनम्।

मयूराश्च नृत्यन्ति सद्यो वृष्टिर्भवेत् ध्रुवम्।।[4]

अर्थात् बालकाः मार्गे पथि वा धूलिभिः सेतुबन्धनं प्रकुर्वन्ति तथा च मयूराः नृत्यन्ति तदा शीघ्रमेव सद्योवृष्टिर्भवति। अघातवातपीडितमनुष्याणां अङ्गे पीडा भवति वृक्षस्याग्रभागे सर्पं अरोहणं करोति, तदा सद्यो वृष्टिः भवति यथोक्तं पराशरेण –

आघ्रातवातदुष्टानां नृणामङ्गे व्यथा यदि।

वृक्षाग्रारोहणं चाहेः सद्योवर्षण लक्षणम्।।[5]

अर्थात् आघातवायुभ्यां पीडितमानवस्याङ्गो पीडा भवति तथा च सर्पं वृक्षस्याग्रभागे अरोहणं करोति तदा निश्चयेन शीघ्रमेव वृष्टिः कथ्यते। चलचरपक्षिगणान् स्वपक्षयोः सूर्यतापेन शोषयति तथा च आकाशे झिन्झिरनामखगस्य ध्वनिः भवति तदा शीघ्र वृष्टिः भवति। यथोक्तं पराशरेण –

पक्षयोः शोषणं रौद्रे खगानाम्बुचारिणाम्।

झिन्झीरवस्तथाकाशे सद्यो वर्षणलक्षणम्।।[6]

अर्थात् जलचरपक्षिगणान् स्वपक्षयोः सूर्यतापेन शोषणं कुर्वन्ति तथा च झिन्झीनामकखगस्य गगने कलरवः भवति तदा अचिरादेव वृष्टिः जानीयात्। प्रश्नपृच्छुद्वारा सद्योवृष्टिज्ञानविषये आचार्यवराहमिहिरेणापि प्रोक्तं यथा –

आर्द्रं द्रव्यं स्पृशति यदि वा वारि तत्संज्ञकं वा।

तोयासन्नो भवति यदि वा तोयाकार्योन्मुखो वा।

प्रष्टा वाच्यः सलिलमचिरादस्ति निःसंशयेन।

पृच्छाकाले सलिलमिति वा श्रूयते यत्र शब्दः।।[7]

भावोऽयं विद्यते यत्– कोऽपि जनः वृष्ट्यर्थं प्रश्नकाले सः व्यक्तिः आर्द्रं द्रव्यं वा स्पृशति अथवा जलं स्पृशति जलसंज्ञकवस्तुविशेषं स्पृशति। जलेस्थिततत्वा प्रश्नं करोति अथवा जलसम्बन्धिकार्यसंलग्नः स्यात् प्रश्नकाले जलशब्दं कर्णे श्रूयते तदा शीघ्रमेव वृष्टिः भवति। विडालेन नखैः लिखन्तो तथा च बालकः धूलिभिः सेतुबन्धनं कुर्वन्ति एभिः लक्षणैः दृष्ट्वापि सद्योवृष्टिः भवति सन्दर्भेऽस्मिन् वराहेणापि प्रतिपाद्यते –

मार्जारा भृशमवनिं नखैर्लिखन्तो।

लोहानां मलनिचयः सविस्त्रगन्धः।

रथ्यायां शिशुरचिताश्च सेतुबन्धः।

सम्प्राप्तं जलमचिरान्निवेदयन्ति।[8]

भावोऽयं वर्तते यत् – विडालाः भूमिं नखैः लिखन्तः तथा कांस्यानां मलसमूहः सविस्त्रगन्धः सह विस्त्रगन्धेन वर्तते। एवञ्च पथि बालकः सेतुनिर्माणं कुर्वन्ति तदा शीघ्रमेव वृष्टिः भवति। सर्पपिपीलिकापशुलक्षणैः सद्योवृष्टेरनुमानं क्रियते सन्दर्भेऽस्मिन् वराहमिहिराः कथयति यथा –

विनोपघातेन पिपीलिकानामण्डोपसंक्रान्तिरहिव्यवायः।

द्रुमावरोहश्च भुजङ्गमानां वृष्टेर्निर्मितानि गवां प्लुतश्च।।[9]

अर्थात् पिपीलिकानामुपसर्गेण विना अण्डानामन्यदेशे नयनम्। सर्पाणां मैथुनम्, सर्पाणां वृक्षारोहणम्। तथा सुरभीणां प्लवनम्। एतानि सर्वाणि वृष्टेः कारणानि वर्तन्ते। वर्षाविषयप्रश्नकाले पृच्छुस्थितेः वर्णनं मयूरचित्रकम् नामके ग्रन्थेऽपि प्राप्यते यथा –

तोये पृष्टे स्पृशति सलिलं वारि कार्योन्मुखो वा।

पृच्छाकाले सलिलमिति वा श्रूयते तन्मुखे वा।

प्रष्टुर्भयाज्जलमविकल दुर्निरीक्ष्यो हि सूर्यः।

प्रातः काले भवति सलिलं स्निग्धवैदूर्य क्रान्ति।।[10]

भावोऽयं वर्तते यत् प्रातः काले पृष्टुः वृष्टिज्ञानविषयकप्रश्नं यदि जलं स्पृशति अथवा जलकार्यै संलग्ना स्यात् प्रश्नकाले जलमिति शब्दं श्रूयते तथा च प्रातःकाले सूर्यः काठिन्येन दृश्यते, तदा वृष्टिः भवति।

सद्योवृष्टिलक्षणविषये समीक्षाचक्रवर्तिना महामहोपाध्यायेन पण्डितप्रवरेण आचार्येण मधूसूदन–ओझामहाभागेन प्रोक्तं यथा–

वृष्टिः प्रश्नार्थशकुने श्यामगोघटदर्शनम्

स्त्रियां वा श्यामवस्त्रायां दृष्टायां वृष्टिमादिशेत्।

जलासन्ना जलं वार्द्रं स्पृश्न् गच्छति तत्क्षणे।

श्रूयते जलशब्दो वा न चिराद् वर्णनं वदेत्।।[11]

भावोऽयं वर्तते यत् – कोऽपि जनः वृष्ट्यर्थं प्रश्नं करोति, तदा प्रश्नकाले श्यामगोघटदर्शनं भवति अथवा श्यमावस्त्रामांस्त्रीदर्शनं भवति तदा वृष्टिर्भवति। वृष्टिविषयकप्रश्नकाले पृष्टुः जलस्य समीपे भवेत् आहोस्वित् जलं स्पृशति, अथवा प्रश्नकाले जलस्य शब्दः श्रूयते तदा शीघ्रमेव वृष्टिः भवति। अयमेव विषयः क्षेत्रीयभाषासु घाघभड्डरीमहोदयोरपि प्रतिपादितम्। यथा –

सद्योवृष्टिलक्षणविषये पराशरेण प्रश्नकाले शकुनस्य विषये स्वमतं स्थापितं यथा– जलासन्ने हस्ते जलमादाय यदि वृष्ट्यर्थ प्रश्नं करोति तदा वृष्टिः भवति। तथा च पिपीलिकादय अण्डमादाय निर्गच्छन्ति तथा मण्डुकः शब्दायते एवञ्च विडाला–नकुल–सर्पादीनां चेष्टवशात् अपि सद्योवृष्टिः भवति यदि बालकः धूलिभिः सेतुबन्धनं कुर्वन्ति तदा शीघ्रमेव वृष्टिः भवति। मनुष्यानामङ्गे पीडा भवति, तदा शीघ्रमेव वृष्टिर्भवति। खगा स्वपक्षयोः सूर्यतापेन शोषणं कुर्वन्ति तदा शीघ्रमेव वृष्टिः भुवति आचार्येण वराहमिहिरेणापि वृष्ट्यर्थं प्रश्नविषये आचार्येण पराशरेण सह साम्यं भवति, मयूरचित्रकग्रन्थकाररपि वृष्टिप्रश्नविषये उभयोः आचार्यो सह साम्यं भवति। कादम्बिनीकारः अपि सर्वेषां आचार्याणां अनुकरणं कृतम्, अतः समीक्ष्या ज्ञायते यत् पराशरेण मन्त्रवत् अल्पशब्दैः सम्पूर्णविषयं प्रतिपादितं, आचार्येण वराहेण अधिकं प्रतिपादितम्।

ग्रहसञ्चारे वृष्टिज्ञानम् – ग्रहाणां एकराशितः अपरराशिगमनं सञ्चरणनाम्नाभिधीयते। ग्रहाणां सञ्चरणेन आकाशीयपदार्थेषु पिण्डेषु च विशिष्टघटना जायते परिवर्तनं वा जायते, तेन परिवर्तनेन जलवायुपरिवर्तनं भवति, जलवायुपरिवर्तने क्वचित् स्थलेषु वृष्टिः क्वचिद् स्थलेषु आवृष्टिः भवति, यदा कदा वृष्टिः अवृष्टिरपि भवति केचन ग्रहाः राशिपरिवर्तनेन वृष्टिं करोति केचन् ग्रहा राशिपरिवर्तनेन अवृष्टिं करोति, परन्तु अत्र राशिपरिवर्तनेन हि न वृष्टिमवृष्टिं ज्ञानं भवति, अपितु ग्रहाणामुदयास्तेन अपि वृष्टिः अनावृष्टिः जायते, भौमशनिश्चरयोः राशिपरिवर्तनेन वृष्टिः भवति यथोक्तं महर्षिणा पराशरेण यथा –

चलत्यङ्गारके वृष्टिर्धुवा वृष्टिः शनैश्चरैः।

वारिपूर्णा महीं कृत्वा पश्चात् संचरते गुरुः।।[12]

अर्थात् भौमशनिश्चरयोः एकराशितः अपरराशिगमनेन अथवा एकराशितः अपरराशिगमनकाले निश्चयेन वृष्टिः भवति तथा च गुरोः एकराशितः अपरराशिपरिवर्तनं करोति तस्मिन् कालेऽपि भूमिं जलपरिपूर्णा भवति अर्थात् वृष्टिः बवति। ग्रहाणामुदयास्तकाले ग्रहाणां वक्रत्वे अवक्रत्वे च वृष्टेः फलं प्रोक्तं पराशरेण –

ग्रहाणमुदये चास्ते तथा वक्रातिचारयोः।

प्रायो वर्षन्ति हि घना नृपाणामुद्यमेषु च।।[13]

अर्थात् ग्रहाणामुदयास्तकाले ग्रहाणां वक्रत्वकाले ग्रहाणामतिचारेण च मेघाः वर्षन्ति तथा च नृपाणामुद्यमेषु वृष्टिः भवति। ग्रहाणां नक्षत्रपरिवर्तनेन वृष्टेः अनुमानं कथ्यते पराशरेण –

चित्रामध्यगते जीवे भिन्नभाण्डमिव स्तवेत्।

ततः स्वातिं समासाद्य महामेघान् विमुञ्चति।।[14]

अर्थात् बृहस्पतेः चित्रानक्षत्रस्य मध्ये सति मेघैः छिद्रयुक्तपात्रमिव जलं स्रवेत्। तत्पश्चात् गुरोः स्वातिनक्षत्रे समायाति महामेघान् विमुञ्चति अर्थात् महावृष्टिः भवति। स्वातिनक्षत्रे श्रवणनक्षत्रे च जनितं मेघानां विमुञ्चनं पुष्यरेवतीनक्षत्राभ्यां भवति यथोक्तं पराशरेण –

पुष्येणोपचितान् मेघान् स्वातिरेका व्यपोहति।

श्रवणे जनितं वर्षं रेवत्येका विमुञ्चति।।[15]

अर्थात् एकमात्रस्वातिनक्षत्रमेव पुष्यनक्षत्रे पुष्टमेघान् विमुक्तं करोति। एवञ्च एकमात्रारेवतीनक्षत्रं श्रवणनक्षत्रे जनतिमेघान् विमुक्ता करोति। सन्दर्भेऽस्मिन् बृहत्संहितायामपि प्राप्यते यथा –

मध्ये न यदि मघानां गतागतं लोहित करोति ततः।

पाण्ड्यो नृपो विनश्यति शस्त्रोद्योगादभयमवृष्टिः।।[16]

भावः अयं वर्तते यत् भौमः यदि मघानक्षत्रे गत्वा वक्री भवति तदा पाण्डुदेशस्य राजा नाशं भवति तथा अनावृष्टिः भवति। नक्षत्रसंक्रमणेन अपि वृष्टेः अनुमानं कृत्वा मिहिरेण यथा –

प्राजापत्ये श्रवणे मूले त्रिषु चोत्तरेषु शाक्रे च।

विचरन् धननिवदानामुवपघातकरः समा तनयः।।[17]

भावोऽयं वर्तते यत् भौमः यदा रोहिणी–मूल–श्रवण–उत्तराषाढ–उत्तराश्रावण–उत्तराभाद्रपद–ज्येष्ठानक्षत्रेषु कुत्रापि सञ्चरणं करोति तदा मेघानां नाशं करोति। अयमेव प्रसङ्गः विष्णुधर्मोत्तरे प्राप्यते यथा–

ध्रुवेषु वैष्णवे मूले शाक्रे च विचरन् कुजः।

श्रघोरां करोत्यनावृष्टिं कृत्तिकासु मघासु च।।[18]

भावोऽयं विद्यते यत् ध्रुवेषु श्रवण–मूल–ज्येष्ठा–कृत्तिका–मघानक्षत्रेषु संक्रमणं करोति तदा अनावृष्टिः भवति। क्षेत्रीयहिन्दीभाषायामपि प्राप्यते यथा–

आगे मंगल पीछे भान वर्षा होवे ओस समान।

महर्षिणा पराशरेण कृषिपाराशरग्नथे शनिभौमयोः राशिपरिवर्तनकाले भाविवृष्टेः सम्भावना कथिताः तथा बृहस्पतेरपि राशि परिवर्तनेन वृष्टिकारकः भवति। ग्रहाणामुदयास्तकालेऽपि वृष्टिर्जायते तथा च नक्षत्रेषु ग्रहाणां संक्रमणेन अपि वृष्टिः भवति परन्तु बृहत्संहिताकारेण अस्मिन् विषये सूक्ष्मातिसूक्ष्म चिन्तनं कृतम्। ग्रहनक्षत्रचारग्रहोदयास्तानां काले कृषित्मवृष्टिम् इत्यस्य विस्तृतवर्णनं कृतम्। विष्णुधर्मोत्तरेऽपि नक्षत्रपरिवर्तनेन वृष्टेः फलं कथितम्। अतः समीक्ष्या ज्ञायते यत् पराशरस्य मतस्य अनुसरणं वराहेण कृतं परन्तु अत्यन्तं प्रमाणिकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं विस्तृतवर्णनं च कृतम्।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. कृषिपाराशरः, वृष्टिखण्डः, श्लोक- 56
2. कृषिपाराशरः, वृष्टिखण्डः, श्लोक- 57
3. कृषिपाराशरः, वृष्टिखण्डः, श्लोक- 58
4. कृषिपाराशरः, वृष्टिखण्डः, श्लोक- 51
5. कृषिपाराशरः, वृष्टिखण्डः, श्लोक- 52
6. कृषिपाराशरः- श्लोक ,कृषिखण्डः ,53
7. बृहत्संहिता, सद्योवर्षणाध्यायः, श्लोक - 2
8. बृहत्संहिता, सद्योवर्षणाध्यायः, श्लोक -7
9. मयूरचित्रकम्, वृष्टिलक्षणाध्यायः श्लोक - 4
10. मयूरचित्रकम्, वृष्टिलक्षणाध्यायः श्लोक - 4
11. कादम्बनी, पृष्ठ-220
12. कृषिपाराशरः, वृष्टिखण्डः, श्लोकः 62
13. कृषिपाराशरः, वृष्टिखण्डः, श्लोकः 63
14. कृषिपाराशरः, वृष्टिखण्डः, श्लोकः 64
15. कृषिपाराशरः, वृष्टिखण्डः, श्लोकः 65
16. बृहत्संहिता, भौमचाराध्यायः, श्लोक- 8
17. तत्रैव, श्लोक - 65
18. विष्णुधर्मोत्तरस्य वचनमुद्धत, अद्भुतसागरः, पृष्ठ - 16

ज्ञानशौर्यम्

Publisher

Technoscience Academy

(The International open Access Publisher)

Website : www.technoscienceacademy.com

Email : editor@gisrrj.com Website : http://gisrrj.com